सोमवार
30 अप्रैल 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—-प्रश्नोत्तर)

खण्ड ३, १९५६

(१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६)

Preservation Unit
Fumigated
On [illegible]
Parliament Library

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ४१ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खण्ड ३, अंक ४१ से अंक ६०—१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६]

अंक ४१—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०४, १५०५, १५०७ से १५१५, १५१८, १५१९, १५२१, १५२३, १५२४, १५२८, १५३० और १५३२ से १५३८ ... १५०८–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०६, १५१६, १५१७, १५२०, १५२२, १५२५ से १५२७, १५२९ और १५३९ से १५४३ ... १५३०–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७० से ११२६ ... १५३४–५३

दैनिक संक्षेपिका ... १५५४–५६

अंक ४२—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४४ से १५४६, १५४८ से १५५१, १५५३, १५५६, १५५७, १५५९ से १५६३, १५६५, १५६६, १५६९, १५७१ से १५७४ और १५७७ ... ... १५५७–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४७, १५५२, १५५४, १५५५, १५५८, १५६४, १५६७, १५६८, १५७०, १५७५, १५७६ और १५७८ से १५८१ ... १५७६–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ से ११६८ और ११७० से ११९८ १५८०–१६०५

दनिक संक्षेपिका ... १६०६–०९

अंक ४३—शुक्रवार, २० अप्रेल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८२ से १५८४, १५८६, १५८९, १५९३, १५९५ से १५९७, १६००, १६०१, १६०३ से १६०७, १६०९, १६१०, और १६१२ से १६१५ ... १६१०–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८५, १५८७, १५८८, १५९१, १५९२, १५९४, १५९८, १५९९, १६०२, १६०८ और १६१६ ... ... १६३२–३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२५० और १२५२ से १२६४ ... १६३५–५९

दैनिक संक्षेपिका ... १६६०–६२

अंक ४४—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६१७ से १६१९, १६२१, १६२३, १६२४, १६२७ से १६३०, १६३२ से १६३९, १६४१, १६४२, १६४४, १६४५, १६२६ और १६३१ ... ... १६६३–८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९५, १४१५, १६२०, १६२२, १६२५ और १६४० १६८४–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६५ से १२९७ और १२९९ से १३०८ १६८६–१७००

दैनिक संक्षपिका ... १७०१–०३

अंक ४५—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७०४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६४६ से १६४९, १६५२, १६५४ से १६५९, १६६२, १६६३, १६७२, १६६५ से १६६८, १६७०, १६७३, १६७५, १६७८, १६७९, १६६०, १६६४ और १६५१... ... १७०४–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६५०, १६५३, १६६१, १६६९, १६७१, १६७४, १६७६, १६७७ और १६८० ... १७२६–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०९ १३५२ और १३५४ से १३६९ ... १७२९–५१

दैनिक संक्षेपिका ... १७५२–५४

अंक ४६—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८१ से १६८३, १६८९, १६९०, १६९५, १६९७, १७०१, १७०२, १७०४, १७०६, १७०८, १७०९, १७११, १७१३ से १७१५, १७१७, १६८७ और १६९१ ... १७५५–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४ से १६८६, १६८८, १६९२ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७००, १७०३, १७०५, १७०७, १७१०, १७१२ और १७१६ १७७४–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३७० से १४१०, १४१२ से १४१८, १४२० से १४२३ और १४२५ से १४३५ ... ... १७७९–१८०१

दैनिक संक्षेपिका ... १८०२–०४

अंक ४७—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७१८ से १७२२, १७२४, १७२७, १७३० से १७३२, १७३४, १७३६ से १७३९, १७४१, १७४३, १७२३, १७२५ और १७२६ — १८०५–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७२९, १७३३, १७३५, १७४० और १७४२ — १८२६–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १४३६ से १४६२ और १४६४ से १४९३ — १८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका — १८४७–४९

अंक ४८—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४५ से १७४८, १७५२ से १७६०, १७६३, १७६५, १७६७ से १७७०, १७७२, १७४४ और १७६६ ... १८५०–७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ... १८७०–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४९ से १७५१, १७६१, १७६२, १७६४ और १७७१ — १८७२–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९४ से १४९७ और १४९९ से १५२१ ... १८७४–८३

दैनिक संक्षेपिका ... १८८४–८५

अंक ४९—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७४, १७७६, १७७९, १७८१ से १७७९, १७९१ से १७९३, १७९५, १७९७ से १७९९, १८०१ और १८०२ — १८८६–१९०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७५, १७७७, १७७८, १७८०, १७९०, १७९६, १८०३ और १८०४ ... ... १९०७–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२३ से १५३९ और १५४१ से १५६२ ... १९०९–२३

दैनिक संक्षेपिका ... १९२४–२६

अंक ५०—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०६ से १८११, १८१३, से १८१६, १८२० से १८२४, १८२६ से १८३०, १८३२ और १८३३ ... ... १९२७–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०५, १८१२, १८१७ से १८१९, १८२५ और १८३१ — १९४७–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ और १५७७ से १६०७ ... १९४९–६२

दैनिक संक्षेपिका १९६३–६५

अंक ५१—मंगलवार, १ मई, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३४, १८३६, १८३९, १८४५, १८४७, १८४८, १८५२ से १८५५, १८५७, १८६१, १८३५, १८४३, १८४४ और १८६२ ... १९६६–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ ... १९८५–८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३८, १८४० से १८४२, १८४६, १८४९ से १८५१, १८५६ और १८५८ से १८६० ... ... १९८७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०८ से १६२६ और १६२८ से १६४१ १९९०–२००१

दैनिक संक्षेपिका ... २००२–०३

अंक ५२—बुधवार, २ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६३, १८६४, १८६६, १८७०, १८७२, १८७३, १८७६ से १८७८, १८८०, १८८२ से १८८४, १८८७, १८८९, १८९२, १८९३ और १८९५ से १८९७ ... ... २००४–२५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५ ... २०२५–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७ से १८६९, १८७१, १८७४, १८७५, १८७९, १८८१, १८८५, १८८६, १८८८, १८९० १८९१ और १८९४ २०२९–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६४२ से १६५४, १६५६ से १६८६ और १६८८ से १७१० ... ... २०३४–५९

दैनिक संक्षेपिका ... २०५६–५५

अंक ५३—गुरुवार, ३ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९९ से १९०२, १९०४ से १९०८, १९१०, १९११, १९१३ और १९१७ से १९२४ ... ... २०६०–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९८, १९०३, १९०९, १९१२, १९१४ और १९१५ २०८०–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७११ से १७५९ ... २०८२–९७

दैनिक संक्षेपिका २०९८–२१३०

अंक ५४—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५, १९२७, १९३०, १९३८, १९४०, १९४२ से १९४६, १९४८, १९४९, १९५३, १९५६, १९५८, १९६०, १९६२, १९६४, १९६६, १९२६, १९६३, १९३१ और १९३७ ... ... २१०१–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२८, १९२९, १९३२, १९३४ से १९३६, १९३९, १९४१, १९४७, १९५० से १९५२, १९५४, १९५५, १९५७, १९५९, १९६१ और १९६५ ... ... २१२१–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९७ ... २१२७–३९

दैनिक संक्षेपिका ... २१४०–४२

अंक ५५––सोमवार, ७ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९६७, १९६९, १९७१, १९७२, १९७५, १९७८, १९७९, १९८१, १९८२, १९८४, १९८६ से १९८८, १९९१ से १९९३, १९९५, १९९७, १९९८, २०००, १९६८, १९७०, १९९९, १९८३ और १९८९ २१४३–६५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ २१६६–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७७, १९९६, १९८०, १९८५, १९९०, १९९४ और २००१ से २००३ २१६८–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९८ से १८३६ और १८३८ से १८५० २१७१–८७

दैनिक संक्षेपिका २१८८–९०

अंक ५६––मंगलवार, ८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००४, २००७, २००९, २०१२ से २०१६, २०१८, २०१९, २०२१, २०२२, २०२४, २०२८, २०३० से २०३२ और २०३४ २१९१–२२११

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००५, २००६, २००८, २०१०, २०११, २०१७, २०२०, २०२३, २०२५ से २०२७ से २०२९, २०३३, २०३५ और २०३६ २२११–१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५२ से १८८५ और १८८७ से १८९३ २२१५–२९

दैनिक संक्षेपिका ... २२३०–३२

अंक ५७––बुधवार, ९ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३९, २०४०, २०४२, २०४३, २०४५ से २०५०, २०५२ और २०५६ से २०६० २२३३–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४१, २०४४, २०५१, २०५३ से २०५५ और २०६१ से २०८३ २२५४–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १८९४ से १९२४ और १९२६ से १९३८ ... २२६४–८०

दैनिक संक्षेपिका २२८१–८३

पृष्ठ

अंक ५८—गुरुवार, १० मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८४, २०८५, २०८७, २०९० से २०९२, २०९४, २०९५, २०९८ से २१०२, २१०५ से २१०७, २१०९ और २१११ से २११६ ... २२८४–२३०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८६, २०८८, २०८९, २०९६, २०९७, २१०३, २१०४, २१०८, २११० और २११७ से २१२५ ... २३०४–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ से १९६४ ... २३०९–१८

दैनिक संक्षेपिका ... २३१९–२०

अंक ५९—शुक्रवार, ११ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१२८, २१३१, २१३३, २१३७, २१३९, २१४२ से २१४४, २१४९ से २१५१, २१५३, २१५६, २१२६, २१२९, २१४५, २१४६, २१४८, २१५४ और २१५५ ... २३२१–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तरांकित प्रश्न संख्या २१२७, २१३२, २१३४ से २१३६, २१३८, २१४०, २१४१, २१४७, २१५२, २१५७ ... २३४२–४५

अनारांकित प्रश्न संख्या १९६५ से १९९२ ... २३४५–५४

दैनिक संक्षेपिका ... २३५५–५६

अंक ६०—सोमवार, १४ मई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ... २३५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१५८ से २१६२, २१६४ से २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७६ और २१७८ से २१८१ ... २३५७–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६३, २१७१, २१७४, २१७७ और २१८३ से २१९६ ... २३७८–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९३ से २०३१ ... २३८३–९६

दैनिक संक्षेपिका ... २३९७–९८

M60LSD—190—20-3-58—GIPF

लोक-सभा

सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

लोक सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

छावनी बोर्ड

*१८०६. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये विभिन्न छावनी बोर्डों से विकास-योजनायें मांगी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या लैंसडौन, लंढ़ौर और चकराता के छावनी बोर्डों ने भी उस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है, जिसमें वह रकमें दिखलाई गई हैं जिन्हें तीनों छावनी बोर्डों ने अपनी विभिन्न योजनाओं के लिये मांगा है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५९]** लैंसडौन छावनी बोर्ड का ब्यौरेवार अनुमान अब प्राप्त हो चुका है और विचाराधीन है । चकराता और लंढ़ोर छावनियों के ब्यौरेवार अनुमान अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुये हैं । जब यह ब्यौरेवार अनुमान प्राप्त हो जायेंगे तब आखिरी फैसला किया जायेगा ।

†**श्री भक्त दर्शन :** क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे देश में कुल जितनी छावनियां हैं उन सबके बारे में अगले पांच वर्षों के लिये कोई रकम निश्चित की गई है जो कि उनके विकास के लिये खर्च की जायेगी, और क्या वह एक साथ ही स्वीकार की गई है या कि हर साल उनके लिये ऐलाटमेन्ट किया जायेगा ?

†**सरदार मजीठिया :** आगामी योजना में इन तीन छावनियों के लिये कुछ आवंटन किये गये हैं और मोटे तौर से जो मद हम अत्यधिक महत्वपूर्ण समझते हैं उनको पूर्णरूपेण पूरा किया जायेगा जबकि अन्य मद जिन्हें हम इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते उनको आंशिक रूप से पूरा किया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भक्त दर्शन** : इसमें जो विवरण रखा गया है उसमें लैंसडौन के एलेक्ट्रिफिकेशन के लिये २ लाख, २५ हज़ार की रकम रखी गई है । मैं जानना चाहता हूं कि यह बिजली देने का काम प्रतिरक्षा मंत्रालय अपनी ओर से करायेगा या जो उत्तर प्रदेश सरकार की पथरी पावर हाउस योजना है उससे सहयोग लेकर बिजली दी जायेगी ।

†**सरदार मजीठिया** : इस प्रश्न के लिये मैं पूर्व सूचना चाहूँगा ।

†**श्री वी० डी० पांडे** : श्रीमान मैं हाल ही में मसूरी गया था और लैण्ढोर में बना बढ़िया अस्पताल खाली पड़ा देखा था । क्या इस का हस्तांतरण असैनिक पक्ष में करके अन्य प्रकार से इसका उपयोग नहीं किया जा सकता ?

†**सरदार मजीठिया** : जहाँ तक अस्पताल का सम्बन्ध है, हस्ताँतरण करना सम्भव है, मुझे माननीय सदस्य से सूचना मिली है और सम्भव है कि वह अस्पताल खाली पड़ा हो । किन्तु हम ऐसे खाली पड़े अस्पतालों का पूर्णरूपेण और आवश्यकता पड़ने पर लाभ उठाना चाहते हैं । सौभाग्यवश सेना में बहुत कम लोग बीमार पड़ते हैं ।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : द्वितीय योजना काल में देश में सारी छावनियों में कुल कितना व्यय किया जायेगा ?

†**सरदार मजीठिया** : मैं इसके लिये पूर्व-सूचना चाहता हूँ, क्योंकि यह प्रश्न विशेषकर तीन छावनियों के बारे में था ।

†**श्री भक्त दर्शन** : माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि केवल तीन कैंटोनमेंट बोर्डों के बारे में ही नहीं बल्कि और सब जगहों के बारे में भी अनुमान आये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है । म जानना चाहता हू कि देर से देर में कब तक उनका आखिरी फैसला हो जायेगा ?

†**सरदार मजीठिया** : मैं केवल इन्हीं तीन छावनियों के बारे में तैयार था जिनके सम्बन्ध में विशेष रूप से प्रश्न पूछा गया था । यदि अलग से पूर्व सूचना दी जाती है तो मैं वाँछित जानकारी दूंगा ।

अन्दमान द्वीपसमूह

†*१८०७. **श्री वेलायुधन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान में त्रावणकोर-कोचीन राज्य के कितने परिवार बसे हैं; और

(ख) उक्त द्वीप में उन्हें क्या सुविधायें दी गई हैं ;

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) ६८ परिवार ।

(ख) बसने वालों को दी गई सुविधायें दर्शाने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६०]** ।

†**श्री वेलायुधन** : अन्दमान जाने के इच्छुक लोगों की सूची में इन परिवारों का नाम सम्मिलित करने से पूव क्या अन्दमान द्वीपसमूह की विद्यमान वास्तविक स्थिति उन्हें बताई गई थी; क्या वहां की जलवायु आदि के बारे में और वास्तविक स्थति सम्बन्धी कोई विवरण अथवा प्रचार सामग्री उन्हें दी गई थी ?

†**श्री दातार** : सारी जानकारी सरकार को कराई जाती है और सरकार उसे प्रकाशित करवाती ह और अन्दमान द्वीप समूहों को जो लोग जाना चाहते हैं उन परिवारों के नाम माँगती है ।

†**श्री वेलायुधन** : जो परिवार वहां जाकर बस गये हैं और वहां की कठिन परिस्थितियों के कारण वहां से वापस आना चाहते हैं, क्या उन्होंने कोई प्रार्थना की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : जहाँ तक त्रावणकोर-कोचीन का सम्बन्ध है, केवल तीन परिवार वापस आये हैं। दो मछुये परिवार थे। उन्होंने देखा कि वह स्थान उनके उपयुक्त नहीं ह। एक कृषक परिवार था।

†**श्री ए० एम० थामस** : त्रावणकोर-कोचीन राज्य की जन घनता को दृष्टि में रखते हुये क्या केन्द्र ने अन्दमान में कुछ और परिवार बसाने की विशद योजना बनाई है, और यदि हाँ, तो इसके लिये कितनी गुंजाइश है ?

†**श्री दातार** : क्या मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूँ कि जहाँ तक अन्दमान का सम्बन्ध है, प्रमुख रूप से पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी बसाये जाने थे और नियम में कुछ छूट दे दी गई है जिसके अनुसार उनमें से २५ प्रतिशत भारत के अन्य राज्यों में से लिये जायेंगे ?

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या यह सच है कि वहाँ बसाये जाने वाले कुछ लोगों को अभी तक पशु नहीं दिये गये हैं, अतएव कृषि के लिये उन्हें जो भूमि दी गई है, उसका वे कोई भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं ?

†**श्री दातार** : यह सच है कि उन्हें हल में जोते जाने वाले पशुओं को प्राप्त कराने के बारे में कुछ कठिनाइयाँ हैं। किन्तु हाल ही में १९५ जोड़ी पशु वहाँ भेजे गये हैं और वे भिन्न-भिन्न कृषकों को दिये जा रहे हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सच है कि त्रावनकोर-कोचीन के निवासियों ने अन्दमान में रहना इतना ज्यादा पसन्द किया है कि अभी वहाँ पर ३५ खानदान गये हैं ? यदि यह सत्य है तो उन लोगों को क्या सुविधा दी गई है ?

श्री दातार : त्रावनकोर-कोचीन से लोगों ने जाना पसन्द नहीं किया है, और बहुत थोड़ी फैमिलीज़ गई हैं।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या यह सच नहीं है कि अन्दमान को भेजे जाने के लिये क्रय किये गये पशु यातायात की कमी के कारण अभी भी कलकत्ते में हैं ?

†**श्री दातार** : मेरी स्पष्ट जानकारी यह है कि १९५ जोड़ी पशु अन्दमान पहुँच गये हैं और बसने वालों को बाँट दिये गये हैं।

†**श्री वेलायुधन** : क्या कोई यह भी शिकायत थी कि वहाँ की आवश्यकताओं के लिये जो ऋण और दान दिया गया है वह पर्याप्त नहीं है ?

†**श्री दातार** : हमें इस बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है कि पेश की गई शर्तें अपर्याप्त हैं।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : क्या कुछ परिवारों के अन्दमान पहुँच जाने पर पता लगा कि वे कृषक परिवार नहीं हैं इसलिये स्वदेश वापस भेज दिया गया है ? यह चुनाव किसने और किस प्रकार किया था ?

†**श्री दातार** : ऐसे उदाहरण दो वर्ष पूर्व वहां अवश्य हुय हैं। कुछ परिवार जिन्होंने अपने को कृषक परिवार बताया, वास्तव में वे कृषक थे नहीं। किन्तु अब ऐसी कठिनाई महसूस नहीं हो रही है।

तेल सर्वेक्षण के लिये कनाडा की टीम

†*१८०८. **श्री गिडवानी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कनाडा के विशेषज्ञों की टीम ने, जिसने जैसलमेर, राजस्थान में तेल का वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण किया था, कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और वह प्रतिवेदन किस प्रकार है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गिडवानी** : प्रतिवेदन प्रकाशित होने में कितना समय लगेगा?

†**श्री के० डी० मालवीय** : अभी उपलब्ध हुये आंकड़ों की संगणना और निर्वचन की जाँच की जा रही है। इसका परिणाम जानने में लगभग तीन मास लगेंगे।

†**श्री बी० पी० नायर** : कनाडा की टीम द्वारा वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण करते समय कितने भारतीय वैज्ञानिक उनके साथ थे ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : हमारे भारतीय प्रविधिज्ञों का उनसे सम्पर्क राजस्थान और गंगा नदी की घाटी में जहाँ यह कार्य अभी हो रहा है, वायु-चुम्वकीय सर्वेक्षण के सम्पूर्ण कार्यक्रम में रहा।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या इन कनाडा के विशेषज्ञों से केवल राजस्थान में वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण करने के लिये कहा गया था अथवा भारत के अन्य स्थानों में भी और यदि बाद की बात ठीक है तो वे अन्य स्थान कौन-कौन से हैं ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : उन्होंने राजस्थान में वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण अभी दो दिन पूर्व अथवा एक सप्ताह पूर्व समाप्त किया है। अब वे उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा की घाटी में सवक्षण कर रहे हैं। वहाँ का कार्य समाप्त होते ही हमारा इस समय का वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण कार्य भी समाप्त हो जायेगा।

†**श्री पी० सी० बोस** : क्या रूसी विशेषज्ञों ने भी उसी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जिसका सर्वेक्षण कनाडा के विशेषज्ञों ने किया था ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : रूसी विशेषज्ञों को वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण से कोई मतलब नहीं था, यद्यपि सामान्य संर्वेक्षण में प्रत्येक विशेषज्ञ से यह आशा की जाती है कि वह तेल के संसाधनों के लिये विमान द्वारा खोज के परिणामों को निर्धारण करेगा।

†**श्री बूवराघस्वामी** : रूस और कनाडा के विशेषज्ञों द्वारा तेल क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के व्यय में क्या कोई अन्तर आया है ?

†**श्री के० डी० मालवील** : दोनों में कोई सादृश्य नहीं है।

समुद्री विहार नौका (लाँच) दुर्घटना

†*१८०६. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्डमान प्रशासन की एक समुद्री बिहार नौका में आग लगने की घातक दुर्घटना हो गई है;

(ख) यदि हाँ तो कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और बिहार नौका की क्या स्थिति है ;

(ग) क्या यह सच है कि एक लास्कर ने, जो दुर्घटना में मर गया है, इंजन में कुछ त्रुटि के कारण इंजन चलाने से इन्कार कर दिया था, और

(घ) दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हाँ।

(ख) आग का शिकार होने से एक लास्कर मर गया है। बिहार नौका को बहुत अधिक हानि नहीं पहुँची है और अब वह अच्छी तरह चलने की स्थिति में है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६१**

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एस० सी० सामन्त** : अन्डमान में पत्तनों और दूसरे स्थानों पर बिहार नौकाओं को चलाने से पूर्व क्या टैक्नीकल व्यक्तियों द्वारा बिहार नौकाओं का परीक्षण किया जाता है ?

†**श्री दातार** : मैं समझता हूँ कि उनका परीक्षण किया जाता है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या दुर्घटना होने से पूर्व इस बिहार नौका का परीक्षण किया गया था ?

†**श्री दातार** : इसका अवश्य परीक्षण किया गया होगा, किन्तु मैं यह बताने में असमर्थ हूं कि ठीक किस तारीख को इसका परीक्षण किया गया था ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : दुर्घटना में मरने वाले लास्कर के परिवार वालों को क्या प्रतिकर दिया गया था ?

†**श्री दातार** : २,४०० रुपये का प्रतिकर मंजूर किया गया है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : जो छोटा बालक मर गया है, क्या वह भारत का निवासी था या अन्दमान का ?

†**श्री दातार** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

संस्कृत आयोग

†***१८१०. श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **शिक्षा** मंत्री १२ मार्च, १९५६, को पूछे गय तारांकित प्रश्न संख्या ६२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संस्कृत आयोग के सदस्य कितने हैं;

(ख) क्या इस आयोग में गैर सरकारी सदस्य भी सम्मिलित किये जायेंगे और यदि हाँ, तो उन की योग्यताएं क्या होंगी; और

(ग) क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कोई तिथि निर्धारित की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) से (ग) : संस्कृत आयोग की नियुक्ति की प्रस्थापना अभी विचाराधीन है ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या किसी गैर सरकारी प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान को इस परियोजना में सहयोग देने के लिये कहा जाएगा ।

†**डा० एम० एम० दास** : सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों और निर्देश पदों आदि के सम्बन्ध में आयोग का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

†**श्री बूवराघस्वामी** : इस संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, जिसके लिये केन्द्रीय सरकार अधिक अधिमान देती हुई प्रतीत होती है ?

†**डा० एम० एम० दास** : संस्कृत भारत की प्राय: समस्त भाषाओं की जन्मदात्रि है और भारतीय संस्कृति की जननी है ।

†**श्री बूवराघस्वामी** : नहीं, नहीं । तामिल और दूसरी भाषाएं भी हैं । तामिल भारत की सब से अधिक महत्वपूर्ण भाषा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमें विवाद में नहीं पड़ना चाहिये ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : समस्त योजना अन्तिम रूप में कब तक तैयार हो जायगी ?

†**डा० एम० एम० दास** : यह कहना कठिन है कि ठीक कब तक आयोग नियुक्त हो जायगा; किन्तु हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही इसकी नियुक्ति हो जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेपाल के लिये ऋण

†*१८११. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार नेपाल को उसकी पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित करने के लिय ऋण देने का विचार करती है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितना ऋण दिया जायगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)**: (क) तथा (ख). भारत सरकार द्वारा नेपाल सरकार को उसकी पहली पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति के लिये सहायता देने का प्रश्न नेपाल सरकार के परामर्श के साथ विचाराधीन है ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या नेपाल सरकार ने इस प्रकार की किसी सहायता की मांग की थी, और यदि हां, तो कितनी सहायता की ?

†**श्री बी० आर० भगत** : उन्होंने हमसे सहायता प्राप्त करने के लिये अपनी पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किसी विशिष्ट योजना का उल्लेख नहीं किया, किन्तु हम उनकी पहली पंचवर्षीय योजना का अध्ययन कर रहे हैं और उस के पश्चात् हम उनके परामर्श से निर्णय करेंगे कि हम किन योजनाओं में उनकी सहायता कर सकते हैं ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या उन्होंने टैक्नीकल सहायता के अतिरिक्त कोई विशिष्ट राशि की मांग की है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : उन्होंने किसी विशिष्ट राशि की मांग नहीं की है ।

†**श्री सी० डी० पांडे** : नेपाल को अमरीका और सोवियत रूस से मिलने वाली बड़ी सहायता का ध्यान रखते हुए, क्या भारत सरकार यह नहीं समझती कि हमारी सहायता का न तो राजनीतिक प्रभाव होगा और न ही वह आर्थिक दृष्टि से ठोस होगी ?

†**श्री बी० आर० भगत** ! हम ऐसा नहीं समझते क्योंकि अमेरिका और सोवियत रूस से जो सहायता मिल रही है वह आर्थिक सहायता के रूप में है । किन्तु नेपाल और अमेरिका दोनों मानते हैं कि जहाँ तक टैक्नीकल व्यक्तियों और दूसरे मामलों का सम्बन्ध है, इन योजनाओं को चलाने के लिये भारतीय लोग ही अधिक उपयुक्त हैं ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्या नेपाल सरकार ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना अन्तिम रूप में तैयार कर ली है, और यदि हाँ, तो उस योजना का क्या प्राक्कलन है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : नेपाल सरकार द्वारा बनाई गई पहली पंच वर्षीय योजना पर २१·६३ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या सरकार को कोई निश्चित जानकारी है कि आया किसी दूसरे देश ने इस पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति के लिये सहायता देने को कहा है ?

†**श्री बी० आर० भगत**: जहाँ तक हमें मालूम है, संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने उनकी पहली पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति को उनको सहायता देने को कहा है ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कोई देश कोलम्बो योजना सम्मेलन के परामर्श के बिना किसी दूसरे देश को स्वतन्त्र रूप से सहायता दे सकता है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : कोलम्बो योजना सम्मेलन के अन्तर्गत, सलाहकार समिति वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है । किन्तु जहाँ तक योजना के अधीन कार्यान्विति या अर्थिक सहायता का सम्बन्ध है, यह देने वाले और लेने वाले देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते (क़रार) से होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी धर्म पचारक

†*१८१३. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में आने वाले धर्म प्रचारकों के लिये बनाई गई विशेष पृष्ठाकनों की व्यवस्था केवल राष्ट्रमण्डलीय देशों से आने वाले धर्म प्रचारकों पर ही लागू होती है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसे राष्ट्रमण्डल से बाहर के देशों से आने वाले धर्मप्रचारकों पर भी लागू न किये जाने के क्या कारण है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) विदेशी होने के कारण उन्हें दृष्टांक प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : पृष्ठांकन की यह व्यवस्था कबसे आरम्भ की गई है ?

†**श्री दातार** : राष्ट्रमण्डलीय देशों के लिये विशेष पृष्ठांकन की यह व्यवस्था जुलाई १९५५ में आरम्भ की गई थी ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : उस तिथी से अब तक राष्ट्रमण्डलीय देशों से भारत में कितने धर्मप्रचारक आ चुके हैं ?

†**श्री दातार** : एक वर्ष पूरा होने पर इन आंकड़ों को अभिनिश्चित किया जायेगा ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या सरकार को पृष्ठांकन की इस नई व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली असुविधाओं के सम्बन्ध में कोई समाचार प्राप्त हुए हैं, और यदि हाँ, तो उन असुविधाओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री दातार** : वास्तव में इन विशेष पृष्ठांकनों के सम्बन्ध में कोई भी असुविधायें नहीं हैं । वे तो बहुत ही सरल से पृष्ठांकन हैं ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

†*१८१४. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मसूर राज्य में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम के दसवें चरंण में अभी तक कितनी प्रगंति की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम के दसवें चरण के लिये मैसूर राज्य को आवंटित कुल १५६ नमूनों में से, मार्च, १९५६ के अन्त तक राज्य में ९३ नमूनों का सर्वेक्षण-कार्य पूरा किया जा चुका है ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : यह सर्वेक्षण किस अभिकरण—केन्द्रीय या राज्य के—द्वारा किया जाता है, और सर्वेक्षण की लागत क्या है और इस भार को राज्य और केन्द्र किस अनुपात में वहन करते हैं ?

†**श्री बी० आर० भगत** : यह कार्य भारतीय सांख्कीय संस्था की प्राविधिक हिदायतों के अनुसार किया जाता है सम्बद्ध क्षेत्र में इस प्रकार का काम केन्द्रीय सरकार के अभिकरण अर्थात राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, पंजाब

†*१८१५. **सरदार अकरपुरी** : क्या **वित्त** मंत्री पंजाब के उन स्थानों के नाम बताने की कृपा करेंगे जहाँ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों के निवास-स्थानों का निर्माण किया जायेगा ?

†**राजस्व तथा प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : पंजाब में अम्बाला, लुधियाना, जलंधर और अमृतसर में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों के लिये निवास-स्थानों का निर्माण करने की प्रस्थापना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरदार अकरपुरी : क्या इसमें पठानकोट को शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि वह काश्मीर की सरहद पर एक ऐसी जगह वाकै (स्थित) है जहां से बहुत गुज़र होता है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : ये निवास स्थान केवल केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के लिये हैं और इस में उल्लिखित कोई भी स्थान भूमि सीमा शुल्क विभाग से सम्बन्धित नहीं है । पठानकोट सड़क तो भूमि सीमा शुल्क के अन्तर्गत आयेगी, उसके लिये अलग से प्रस्ताव हैं।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : इन तीन स्थानों पर इन मकानों के निर्माण पर लगभग कितनी राशि खर्च करने की प्रस्थापना है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं; क्योंकि अभी से यह बताना सम्भव नहीं है कि उस के लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी; लेकिन, निवास-स्थानों की कुल संख्या १०५ होगी ।

भारतीय सैना

***१८१६. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा लगाया गया यह आरोप सच है कि भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान की सीमाओं पर एकत्रित की गई है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : जी, नहीं ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि हिन्दुस्तान की सीमा पर आज़ाद काश्मीर क्षेत्र में पाकिस्तान की फ़ौज काफ़ी तादाद में एकत्रित हो रही है ?

सरदार मजीठिया : अख़बारों से तो यही पता चलता है मगर अभी कुछ पक्की तौर पर मालूम नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस खबर के बारे में क्या कोई जांच कराने की कोशिश की गई ?

सरदार मजीठिया : जी हां, जांच तो हर वक्त होती रहती है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : कब-कब इधर जाँच की गई है और अगर की गई है तो उस जाँच का क्या फल निकला है ?

सरदार मजीठिया : जैसा मैंने पहले कहा जाँच हर वक्त होती रहती है । इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स (गुप्तचर विभाग की रिपोर्टें) आती रहती हैं और उनके अनुसार हर मौके पर ध्यान दिया जाता है ।

कोलार की सोने की खानें

†***१८२०. श्री गाडिंलिगन गोड़** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार कोलार की सोने की खानों समवाय का राष्ट्रीयकरण करने के मैसूर सरकार के निर्णय से अन्तिम रूप से सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हाँ , तो राज्य सरकार द्वारा समवाय को प्रतिकर के रूप में कुल कितनी अनुमित राशि अदा की जानी है ; और

(ग) इन खानों से कितनी वार्षिक आय होती है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख). यह मामला अभी भी विचाराधीन है और मैसूर सरकार के प्रस्तावों की राह देखी जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९५० से १९५३ तक के वर्षों में इन खानों से हुये सकल वार्षिक लाभ के सम्बन्ध में सूचना देने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६२]**

†**श्री गाडिंलिगन गौड** : लोक सभा पटल पर रखे गये विवरण से ज्ञात होता है कि वर्ष १९५०-५१ में समवाय को हुआ सकल मुनाफा १७४ लाख रुपये था और वह कम हो कर ४७ लाख रुपये प्रति वर्ष हो गया है। सरकार इस खान को यथाशीघ्र अपने अधिकार में ले लेने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है, या करने का विचार कर रही है ।

†**श्री के० डी० मालवीय** : मैसूर सरकार कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है जिन से उस को अधिक लाभ भी हो सकता है, और इसी कारण कोलार की सोने की खान वालों और मैसूर सरकार के बीच बार्ता चल रही है ।

†**श्री गाडिंलिगन गौड** : समवाय को कितना अनुमित प्रतिकर अदा किये जाने की सम्भावना है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : अभी उसक सम्बन्ध में कुछ भी कहना मेरे लिये समय से पहले की बात है क्योंकि वह मामला अभी विचाराधीन ही है, और सम्बन्धित पक्ष अभी उस पर वार्ता कर रहे हैं ।

†**श्री सी० आर० नरसिंहन** : चूंकि संघ मंत्रियों और मैसूर सरकार के बीच इस विषय पर एक सम्मेलन हो चुका है, इसलिये क्या संघ मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि क्या मैसूर सरकार इनका राष्ट्रीयकरण करने पर इन खानों में और अधिक तीव्रता से कार्य करने का विचार करती है जिससे कि जैसा कि विवरण में दिखाया गया है, सकल मुनाफ़े में कोई कमी न होने पाये अथवा वह वर्तमान खानों के समीप ही अधिक सम्पन्न नई खानों को खोज निकालने की आशा करती है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : उनके पास एक बहुत ही महत्वाकांक्षा कार्यत्तम है और वर्तमान वार्ता हो चुकन के बाद ही उसके सम्बन्ध में कुछ कहा जा सकता है ।

†**श्री बासप्पा** : क्या सोने की खान द्वारा मांगे गये प्रतिकर की राशि के सम्बन्ध में यहां के मंत्रालय के साथ मैसूर सरकार के मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों की कोई चर्चा हुई थी, और क्या मैसूर सरकार ने कोई प्रतिकर उपहृत किया है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : मैं उस विषय में पहल ही कुछ बता चुका हूं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मै यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कोलार गोल्ड कम्पनी ने पहले ६ करोड़ रुपया मांगा था और अब वह दो करोड़ पर तयार है और क्या सरकार इस पर भी कुछ आगे वार्ता चला रही है, यदि हां तो अब वार्ता किस स्थान पर है ?

श्री के० डी० मालवीय : हम लोग तो सलाहकार की हैसियत से खाली सुना करत ह, और मैं तो माननीय सदस्य से कहूंगा कि थोड़ा और इन्तजार कर ल तो उनको सब बातों मालूम हो जायेंगी ।

†**श्री तिम्मया** : क्या राष्ट्रीयकरण के बाद भी सरकार इसी वतमान प्रबन्ध व्यवस्था को बनाय रखने की प्रस्थापना करती है, और यदि सरकार का यही विचार है, तो वर्तमान प्रबन्ध व्यवस्था को किन शर्तों के अन्तर्गत कार्य करते रहन देने की अनुमति दी जायेंगी ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जहां तक मुझ प्रथम भाग क बारे में विदित है मसूर सरकार जहां तक ऐसा करना उसकी नीति से संगत है वह कोलार की सोने की खानों क वदेशिक श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करना चाहती है ।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या यह सच नहीं कि यद्यपि मसूर सरकार ने कोलार की सोने की खानों के तुरन्त राष्ट्रीयकरण की मांग की है परन्तु तो भी यह मामला बहुत दिनों से निलम्बित चला

†मल अंग्रेजी में

आ रहा है और यह इसलिये निलम्बित चला आ रहा है क्योंकि केन्द्रीय सरकार इस विषय में असहयोग कर रही है ।

†**श्री के० डी० मालवीय** : यह बात नहीं है कि केन्द्रीय सरकार असहयोग कर रही है ।

बैंकों का एकीकरण

†*१८२१. **श्री एस० एस० मोरे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन बैंकों के अतिरिक्त जिनकी अखिल भारतीय ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति ने सिफारिश की है अन्य बैंकों का भी भारत के राज्य बैंक के साथ एकीकरण करने की कोई प्रस्थापना है;

(ख) यदि हाँ, तो उन बैंकों के नाम; और

(ग) प्रस्थापना का ब्यौरा क्या है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)**: (क) अखिल भारतीय ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिश यह थी कि १० प्रमुख राज्य सम्बद्ध बैंकों को, जिनके नाम प्रतिवेदन के अध्याय ३४ की धारा १ में दिये गये हैं, अपने नियंत्रण में ले लिया जाये और भारत की भूतपूर्व रियासतों में स्थित छोटे राज्य सम्बद्ध बैंकों का एकीकरण करने की उपयुक्ता की जाँच भारत के रक्षित बैंक तथा भारत सरकार द्वारा की जाये । जैसा कि इस लोक सभा में पहले भी बताया गया है, इस सिफारिश पर विचार किया जा रहा है और अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है । सिफारिश में उल्लिखित बैंकों के अतिरिक्त किसी अन्य बैंक का एकीकरण करने को कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : मेरे विचार से यह शीघ्र ही किया जायगा; हम शीघ्र ही में एक विधेयक पुरःस्थापित करने की आशा करते हैं ।

हिन्दी विश्वकोष

*१८२२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हिन्दी विश्वकोष को दो खण्डों में प्रकाशित करने की काशी नागरी प्रचारिणी सभा की योजना को स्वीकार कर लिया है;

(ख) इस कार्य पर कितना अनुमानित व्यय होने की संभावना है; और

(ग) यह कार्य लगभग कब तक पूरा हो जायेगा ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) सरकार को काशी नागरी प्रचारिणी सभा से ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

†मैं माननीय सदस्य को बता दूँ कि काशीनागरी प्रचारिणी सभा ने भारत सरकार के सामने हिन्दी विश्वकोष को दो खंडों में तैयार करने और प्रकाशित करने की कोई योजना प्रस्तुत नहीं की थी, अपितु उसने हिन्दी विश्वकोष को ३० भागों में प्रकाशित करने की एक योजना प्रस्तुत की थी ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या सरकार ने इस विश्व कोष को तैयार करने के लिये काशी नागरी प्रचारिणी सभा से कोई योजना मांगी है, और यदि उस सभा ने कोई योजना नहीं भेजी है, तो क्या सरकार विश्वकोष को तैयार कराने के लिये किसी अन्य योजना पर विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० एम० एम० दास :** मैंने बताया कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने ३० खंडों में विश्वकोष तैयार करने की योजना प्रस्तुत की थी। भारत सरकार द्वारा सभा की इस योजना विशेष पर विचार किया गया था, और इसे अत्यन्त महत्वाकांक्षी और अत्यधिक असामयिक समझा गया था। इसलिये सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जिसने हिन्दी विश्वकोष को ५०० पृष्ठों वाले १० खंडों में तैयार करने की एक साधारण योजना बनाई है।

†**डा० राम सुभग सिंह :** सरकार द्वारा नियुक्त की गई उस समिति के, जो १० खंडों में विश्वकोष तैयार करन जा रही है, सदस्यों के नाम क्या हैं और क्या सदस्य वही हैं जिनसे प्रविधिक और विधि सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावलि तैयार करने और उसे अन्तिम रूप देने के लिये कहा गया था ?

†**डा० एम० एम० दास :** नागरी प्रचारिणी सभा के साथ एक करार किया गया है जिस के अनुसार विश्वकोष को तैयार करने का उत्तरदायित्व सभा पर छोड़ दिया गया है।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी :** वह विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के बारे में पूछ रहे हैं और अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

†**डा० एम० एम० दास :** दस नाम हैं यदि आप आज्ञा दें तो मैं उनको पढ़ कर सुना सकता हूँ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य नाम जानना चाहते हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह :** सरकार ने बहुत समय पहले समिति नियुक्त की थी, और जहाँ तक मुझे विदित है, अभी तक कोई पारिभाषिक शब्द तैयार नहीं किये गये हैं। यदि सभासचिव को विदित है कि कुछ पारिभाषिक शब्द तैयार किये गये हैं, तो मैं यह जानना चाहूँगा कि उनकी संख्या क्या है। इन शब्दों को बनाने का काम जिन व्यक्तियों को सौंपा गया है ?

†**डा० एम० एम० दास :** कदाचित इस सम्बन्ध में कोई भ्रांति है, यह मामला ब्रिटिश विश्वकोष की तरह एक हिन्दी विश्वकोष के तैयार किये जाने के बारे में है। वैज्ञानिक शब्दावली तैयार करने के लिये एक अन्य समिति है, यह दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। एक विश्वकोष को तैयार करने का काम है और दूसरा पारिभाषिक शब्दावली को तैयार करने का है।

†**डा० राम सुभग सिंह :** अब तक काम में क्या प्रगति हुई है और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें प्रविधिक पारिभाषिक शब्दावली के दो सैट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है ?

†**डा० एम० एम० दास :** मूल प्रश्न केवल विश्वकोष के बारे में है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य कृपया इस बात का ध्यान रहें कि उनके प्रश्न दो खंडों में प्रकाशित किये जाने वाले विश्वकोष के बारे में हों, इसलिये वह इस विषय के सम्बन्ध में एक अलग प्रश्न पूछें तब उसका उत्तर दिया जायगा।

†**श्री सारंगधर दास :** डा० राम सुभग सिंह द्वारा पूछे गये पहले प्रश्न को दोहराते हुए क्या मैं उस समिति के सदस्यों के नाम जान सकता हूँ जिसे कि अब १० खंडों में विश्वकोष को तैयार करने का कार्य सौंपा गया है ?

†**डा० एम० एम० दास :** मैंने बताया कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा के साथ, जिसे यह काम सौंपा गया है, एक करार किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह उन दस सदस्यों के नाम जानना चाहते हैं जिन्हें यह काम सौंपा गया है :

†**डा० एम० एम० दास :** यह समिति एक योजना तैयार करने के लिये नियुक्त की गई थी, योजना तैयार हो गई है और यह काम काशी नागरी प्रचारिणी सभा को सौंपा जाने को है। नाम यह है :—

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री हमायूं कबीर (सभापति), श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति, श्री हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, डा० डी० एस० कोठारी, प्रो० नीलकंठ शास्त्री, डा० बाबू राम सक्सेना, डा० राज बली पांडे, डा० सिद्धेश्वर वर्मा, श्री एन० पी० परियास्वामीत्थूरन और श्री वी० पी० अग्निहोत्री. . . (सचिव)

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या सरकार राजस्थान और मध्य भारत के सदस्यों को, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से अच्छी हिन्दी बोलते हैं, इस सूची में सम्मिलित करने के लिये कार्यवाही करेगी ?

†**डा० एम० एम० दास** : सरकार इस बात से सहमत नहीं कि कुछ हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोग अन्य लोगों की उपेक्षा अच्छी हिन्दी बोलते हैं । मैं यह नहीं जानता कि इस समिति के जो सदस्य हैं वे किन राज्यों के रहने वाले हैं ?

श्री एम० एल० त्रिवेदी : मैं जानना चाहता हूँ कि पारिभाषिक शब्दावली के लिये जो टैकनिकल कमेटी (प्रविधिक समिति) बनी है, जिसका आप ने अभी जिक्र किया, उस के मैम्बरों को शब्द विज्ञान का या कोष बनाने का पहले से कोई अनुभव था ? यदि था, तो उन्हों ने कौन कौन से कोष बनाये थे ?

†**डा० एम० एम० दास** : पारिभाषिक शब्दावलि का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : यह कार्य काशी नागरी प्रचारिणी सभा को सौंपा गया है । देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों की एक समिति नियुक्त की गई है । इसमें और जो सभा इस कार्य को कर रही है उसमें क्या सम्बन्ध है ?

†**डा० एम० एम० दास** : सभा द्वारा जो कार्य किया जायेगा उसके अधिक्षण के लिये एक मंत्रणा बोर्ड़ नियुक्त किया गया है ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी ऐसे विश्वकोष बनाये जाने को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा कोई प्रयास किया गया है ?

†**डा० एम० एम० दास** : मेरा ख्याल है कि राज्य सरकारें इस कार्य को करेंगी ।

अखिल भारतीय आर्थिक सेवा

†*१८२३. **श्री बोगावत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अखिल भारतीय आर्थिक सेवा की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हाँ, तो कब तक इसे अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री बोगावत** : क्या यह सच नहीं है कि सैंकड़ों अघोषित अधिकारी सम्मिलित किये जाने वाले थे ? प्रथम योजना के प्रारूप में कहा गया था कि ऐसी एक आर्थिक सेवा होगी । उसे अब त्याग क्यों दिया गया है ?

†**श्री दातार** : प्रथम योजना में उसका निर्देश किन पदों में किया गया था इस बात की जानकारी इस समय मुझे नहीं है । किन्तु माननीय सदस्य को मैं यह बता दूँ कि राज्य सरकारें इस प्रकार की एक सेवा की स्थापना किये जाने के पक्ष में नहीं हैं ।

†**श्री बोगावत** : क्या मैं जान सकता हूँ कि राज्य सरकारें इसके पक्ष में क्यों नहीं हैं ? क्या देश के हितमें ऐसी सेवा की स्थापना आवश्यक नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : सैद्धान्तिक रुप से उक्त सेवा की स्थापना उचित हो सकती है। किन्तु हमें आखिरकार राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करना पड़ता है क्योंकि वह एक अखिल भारतीय सेवा है जिससे सभी राज्य सरकारें सम्बन्धित हैं ।

†**श्री बोगावत** : केन्द्रीय सरकार की क्या इच्छा है ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य को मैं यह बता दूँ कि जहाँ तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है एक केन्द्रीय सांख्यकी और आर्थिक मंत्रणा सेवा की स्थापना सम्बन्धी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या मैं जान सकता हूँ क्या इस प्रश्न का निर्देश उस समिति को किया जायेगा जोकि सरकारी सेवाओं के पुनर्गठन के लिये नियुक्त की जाने वाली है ?

†**श्री दातार** : पुनर्गठन तो उन सेवाओं का किया जाना है जोकि पहले से ही अस्तित्व में हैं जबकि यह तो एक पूर्णतः नवीन सेवा है ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या राज्यों के अपने स्वयं के सांख्यकीय संगठन हैं और क्या कलकत्ता स्थित केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन का राज्यों की सांख्यकी से कोई सम्बन्ध है ?

†**श्री दातार** : जहाँ तक राज्यों के कार्य का सम्बन्ध है, यह कार्य पूर्णतया उनके अपने अधिकारियों द्वारा ही किया जाता है ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : इस प्रकार के आर्थिक सर्वेक्षणों के लिये विभिन्न राज्य सरकारों के सहमत न होने के क्या कारण हैं ? क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा दिये गये कारणों से सन्तुष्ट है ?

†**श्री दातार** : यह आर्थिक सर्वेक्षण नहीं किन्तु आर्थिक सेवा है। राज्य सरकारो का ख्याल है कि एक अखिल भारतीय सेवा के बिना भी वह अपना काम चला सकती है ।

उप-निर्वाचन

†*१८२४. **श्री कामत** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई विधान सभा के लिये आयोजित उपनिर्वाचन स्थगित कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस के लिये क्या कारण हैं ?

†**विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : (क) हाँ, छः निर्वाचनक्षेत्रों में ।

(ख) इन निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचनों के लिये जो तिथियाँ निर्धारित की गई थीं वह रमजान के रोजों में पड़ती थीं। उन क्षेत्रों में मुसलमान मतदातओं की संख्या पर्याप्त होने के कारण, निर्वाचन आयोग ने अधिक से अधिक मतदाताओं को उप-निर्वाचनों में भाग लेने का अवसर देने के लिये निर्वाचनों को स्थगित करना वांछनीय समझा ।

†**श्री कामत** : मेरे मुसलमान बन्धुओं के जीवन में रमजान कितना महत्व रखता है यह मैं जानता हूँ, तथापि क्या माननीय मंत्री इस सभा को यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं सरकार द्वारा, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपना आदर्श मान चुकी है और जिसका अर्थ है कि केवल धर्म के आधार पर किसी व्यक्तिविशेष अथवा किसी समूह के साथ पक्षपात नहीं किया जायेगा, हिन्दू, सिक्ख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध जैसे धर्म समुदायों के धार्मिक उपवासों तथा अन्य त्योहारों के सम्बन्ध में जब भी निर्वाचन होंगे इसी प्रकार विचार किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विश्वास** : सरकार का इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह मामला निर्वाचन आयोग के हाथों में है जो ऐसे प्रश्नों का निर्णय करने का अधिकारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस स्थिति की कल्पना मेरे माननीय मित्र द्वारा की गई है वह यदि उत्पन्न होती है तो निर्वाचन आयोग द्वारा अन्य धर्म समुदायों के प्रति भी इसी प्रकार की कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री कामत** : बम्बई के इस विशिष्ट मामले में जहाँ छः निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन स्थगित किये गये थे और मेरा खयाल है कि वहाँ मतदान स्थगित किया गया था क्या सरकार को किन्हीं मुस्लिम संस्थाओं से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था या निर्वाचन आयोग ने स्वप्रेरणा से यह कार्यवाही की थी ?

†**श्री विश्वास** : राज्य सरकार ने एक पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था। २८ निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन किये जाने थे । निर्वाचन आयोग ने मामले की जाँच की । विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जाति समुदायों के अनुपात को देखते हुए, उसने यह निर्णय किया कि केवल छः निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन स्थगित किये जायें अन्य में नहीं ।

†**श्री कामत** : क्या माननीय मंत्री सभा को यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन इसलिये स्थगित नहीं किये गये थे क्योंकि सत्तारूढ़ दल चुनाव नहीं लड़ रहा था किन्तु वास्तव में रमजान के आने के कारण ही स्थगित किये गये थे ? यदि रमजान के कारण ही निर्वाचन स्थगित किये गये थे, तो अन्य निर्वाचन-क्षेत्रों में भी निर्शाचन क्यों स्थगित नहीं किये गये थे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने उत्तर दे दिया है ।

†**श्री कामत** : क्या माननीय मंत्री हमें यह बता सकते हैं कि इन छः निर्वाचनक्षेत्रों में मुसलमानों का बहुमत है ?

†**श्री विश्वास** : जिन निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन स्थगित किये गये थे वहाँ मुसलमानों की संख्या पर्याप्त अधिक थी, यह बात अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं है । उनके सम्बन्ध में भी निर्वाचन आयोग ने विचार किया था और उसका यह ख्याल था कि वहाँ निर्वाचन तिथियों को स्थगित करना आवश्यक नहीं था ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : क्या यह सच नहीं है कि यद्यपि मतदान की तिथियाँ स्थगित की गई थीं तथापि वही उम्मीदवार निर्वाचित किये गये थे क्योंकि इन सभी निर्वाचनक्षेत्रों में कोई संघर्ष ही नहीं हुआ था ?

†**श्री विश्वास** : यदि मैं यह कह दूँ कि इन सभी छः निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन हुए थे और नए सदस्य निर्वाचित किये गये थे तो क्या इस प्रकार के सभी प्रश्नों की समाप्ति हो जायेगी ?

†**श्री सारंगधर दास** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत संघ धर्म निरपेक्षता का समर्थक है, क्या यह उस धर्मनिरपेक्षता के अनुरूप है कि चुनावों में किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय या सभी धार्मिक सामुदायों की आवश्यकताओं के हेतु हस्तक्षेप किया जाये ?

†**श्री विश्वास** : मैं इस प्रश्न के तर्क को नहीं समझ सका हूँ । मैं यह नहीं समझ सका हूँ कि माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं ?

†**श्री सारंगधर दास** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा राज्य एक धर्मनिरपेक्षक राज्य है और हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांतों के समर्थक हैं, क्या सरकार या निर्वाचन आयोग के लिए यह उचित है कि वह एक समुदाय विशेष या सभी समुदायों के धार्मिक सिद्धांतों द्वारा चुनावों की प्रक्रिया में हस्तक्षेप होने दें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विश्वास** : वस्तुतः हम शब्दों से बहुत प्रभावित हो जाते हैं । शब्द 'विभेद' बहुत आकर्षक है इसलिये इसे किसी भी कार्यवाही के विरुद्ध तर्क के रूप में प्रयोग किया जा सकता है । किसी धर्म का कोई प्रश्न नहीं है मुझे न ही किसी विभेद का प्रश्न है । ऐसी कोई बात नहीं है । यदि निर्वाचन आयुक्त को कुछ तथ्य बताये जायें और यदि वह समझे कि उन तथ्यों के कारण, चुनाव समाप्त करने की तिथियों को आगे बढ़ाना आवश्यक है, तो वह ऐसा करेगा यदि ऐसा कोई कारण न हुआ, तो वह कोई कार्यवाही नहीं करेगा । यह एक सामान्य सी बात है । विभेद या किसी धर्म का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

भारत का भाषा-सम्बन्धी सर्वेक्षण

*१८२६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री ७ सितम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत का भाषा-सम्बन्धी सर्वेक्षण करने की जो योजना तैयार की जा रही थी, उसमें इस बीच क्या प्रगति हुई हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : यह विषय अभी विचाराधीन है ।

श्री भक्त दर्शन : यह जो भाषाओं का सर्वेक्षण किया जा रहा है इसमें क्या केवल उन्हीं तेरह या चौदह भाषाओं का सर्वेक्षण किया जा रहा है जिन को कि हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है, अथवा क्या हिन्दी की अन्य जनपदीय भाषाओं जैसे राजस्थानी, मैथिली आदि के बारे में भी सर्वेक्षण करने का विचार किया जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास : बर्तमान स्थिमि को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय में तैयार की गई योजना में १६१·७ लाख रुपये के व्यय का अनुमान है जब यह योजना योजना-आयोग को भेजी गई थी, तो योजना आयोग ने यह राय प्रकट की थी कि अधिक आवश्यक मांगों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में केवल प्रारम्भिक कार्यवाही करना ही वांछनीय होगा । योजना आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि प्रस्तावित सर्वेक्षण कार्य को करने के लिये प्रशिक्षित कर्मचारी प्राप्त करने के लिये, विश्वविद्यालयों के गवेषणा विभागों को बढ़ाना आवश्यक था और इस अवस्था में इस प्रयोजन के लिये २५ लाख रुपये की व्यवस्था करना पर्याप्त होगा । उसने यह भी सुझाव दिया कि सर्वेक्षण शुरू करने के प्रश्न पर दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाये ।

श्री भक्त दर्शन : अभी संसदीय सचिव महोदय ने बताया है कि प्लानिंग कमिशन (योजना आयोग) ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस बारे में प्रारम्भिक कार्यवाहियाँ की जायें । क्या मैं जान सकता हूं कि शिक्षा मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रारम्भिक कार्यवाही की है और आगे क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

†**डा० एम० एम० दास** : योजना आयोग के सुझाव हमें थोड़ा समय पहले ही प्राप्त हुए हैं और उन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

प्रशासनिक सजगता विभाग

†* १८२७. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक सजगता विभाग प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने और विभिन्न मंत्रालयों में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजा वाद को दूर करने में किस हद तक सफल हुआ है;

(ख) क्या मंत्रालयों के सजगता पदाधिकारी भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के मामले की सूचना प्रशासनिक सजगता विभाग के निदेशक को देते हैं; और

(ग) इस विभाग द्वारा अब तक भ्रष्टाचार और भाई-भतीजा वाद से कितने मामलों का पता लगाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय म मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). ३१ मार्च, १६५६ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये प्रशासनिक सजगता विभाग के काम की रिपोर्ट शीघ्र ही संसद् के सामने रखी जायेगी ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : सजगता विभाग को कितने मामलों की सूचना दी गई और उन मामलों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

†**श्री दातार** : यह उस रिपोर्ट से स्पष्ट हो जायेगा जो कि तीन या चार सप्ताहों में प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या मंत्री महोदय बताने की स्थिति में हैं कि किस मंत्रालय की ओर सजगता विभाग का ध्यान सब से अधिक आकर्षित हुआ ?

†**श्री दातार** : सजगता पदाधिकारी सभी मंत्रालयों में नियुक्त किये गये हैं और वे वहां अपने काम की ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : इस सजगता विभाग और मंत्रालय के सजगता पदाधिकारियों का आपस में क्या सम्बन्ध है ?

†**श्री दातार** : यह सम्बन्ध इस प्रकार है । जहां तक समस्त विभागों में सामान्य सजगता विषयक कार्य का सम्बन्ध है एक निदेशक नियुक्त किया गया है । प्रत्येक मंत्रालय में उपसचिव के दर्जे का एक सजगता पदाधिकारी नियुक्त किया गया है । वह सम्बन्धित मंत्रालय के सचिव के सहयोग से काम करता है ।

†**श्री जांगड़े** : क्या यह सच नहीं कि यह पदाधिकारी, सम्बन्धित मंत्रालय के सचिव की पूर्व मंजूरी के बिना कोई मामला विशेष पुलिस स्थापना या सजगता कार्य से सम्बन्धित अन्य शाखाओं को निर्दिष्ट नहीं कर सकता है, और यदि हां, तो क्या यह न्यायोचित नहीं होगा कि यह पिदाधिकारी विभिन्न मंत्रालयों के हस्तक्षेप के बिना सीधा गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन काम करें ?

†**श्री दातार** : अभियोजन प्रस्तावों में शीघ्रता लाने का यही तो उद्देश्य है और इस सम्बन्ध में यह नई व्यवस्था अच्छी तरह से चल रही है ।

†**श्री बेलायुधन** : क्या उपसचिव के दर्जे के यह पदाधिकारी, जो विभिन्न मंत्रालयों में सजगता कार्य के प्रभारी हैं, अपने मंत्रालयों में कोई कार्यपालिका या प्रशासनिक काम भी कर रहे हैं ?

†**श्री दातार** : यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां सजगता सम्बन्धी कार्य कितना है । यदि काम अधिक नहीं है, तो स्वभाविक रूप से, वे और काम भी करते हैं ।

†**श्री कामत** : क्या इन सजगता पदाधिकारियों को उन आरोपों या भ्रष्टाचार से शिकायतों के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, जो दुर्भाग्यवश मंत्रियों और सचिवों के विरुद्ध की जाये, और यदि उन्हें यह अधिकार नहीं है तो मंत्रियों तथा सचिवों के विरुद्ध की गई ऐसी शिकायतों पर कौन विचार करता है ?

†**श्री दातार** : जब भी मंत्रियों पर कोई आरोप लगाये जातें, तो सरकार उन पर ध्यान देगी। जहां तक सामान्य पदाधिकारियों का सम्बन्ध है, सजगता पदाधिकारी आरोपों की जांच करता है और सब मामलों में विशेष पुलिस स्थापना द्वारा यथाविधि उन की जांच कराता है ।

गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस

†*२८२८. **सरदार अकरपुरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय कीई शिकायत प्राप्त हुई है कि १६५५ में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस से बड़ी संख्या में करेंसी नोट चुरा लिये गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो चोरी गये करेंसी नोटों की संख्या तथा मूल्य कितना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)**: (क) और (ख). १९५५ में चोरी के केवल एक मामले की सूचना प्राप्त हुई थी। फरवरी, १९५५ में करेंसी नोट प्रैस से १० रुपये के ४० नोटों का नम्बर छपा एक पूरा शीट चोरी चला गया था। इस शीट के ७ नोट चलते हुए पाये गये हैं और पुलिस द्वारा जब्त कर लिये गये हैं।

(ग) करेंसी नोट प्रैस के एक कर्मचारी को इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था और उसका मामला इस समय नासिक रोड के प्रथमश्रेणी के रेजीडेन्ट मजिस्ट्रेट के सम्मुख विचाराधीन है। रिजर्व बक को तत्काल ही लापता नोटों के नम्बरों की सूचना दे दी गई थी, और रिज़र्व बैंक ने अपने निर्गम विभाग के समस्त कार्यालयों, सभी खजानों और भारत के राज्य बैंक को लापता नोटों के नम्बरों की सूचना दे दी थी। प्रैस में सुरक्षा-प्रबन्ध को गहनतर बनाने के लिये पूर्वाविधान सम्बन्धी सभी सम्भव कार्यवाहियां कर दी गई हैं।

सरदार अकरपुरी : क्या मैं जान सकता हूँ कि इस केस के फैसले में इतनी देरी क्यों लग रही है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : इस मामले का पता फरवरी १९५५ में चला था। उसी समय इस मामले की सूचना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया था। मामल का निर्णय करना अब न्यायालय के हाथ में है।

पिछड़े वर्ग सम्बन्धी आयोग का प्रतिवेदन

†*१८२९. **श्री गिडवानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़ी जाति-आयोग का प्रतिवेदन कब तक प्रकाशित किया जायेगा; और

(ख) इसके प्रकाशित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) यथाशीघ्र।

(ख) राज्य सरकारों के परामर्श से आयोग की सिफारिशों पर अभी भी विचार किया जा रहा है।

†**श्री गिडवानी**: इस प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कब किये गये थे ?

†**श्री दातार** : मैं लोक सभा को पहले ही सूचना दे चुका हूँ कि उस पर मार्च १९५५ में हस्ताक्षर किये गये थे।

†**श्री गिडवानी** : क्या यह सच है कि उस प्रतिवेदन की कुछ बातें पहले ही समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं ?

†**श्री दातार** : यह तो कल्पनायें अथवा तथाकथित पूर्वाविधान हैं।

†**श्री जाँगड़े** : इस सभा द्वारा जिस वर्तमान अनुसूचित जातियाँ आनुदेश पर विचार किया जाने वाला है, उस में कुछ विशेष जातियों के शामिल किये जाने अथवा निकाले जाने के क्या कारण हैं ? जब इस विधेयक में कुछ जातियों को शामिल अथवा पृथक किया गया है, तो फिर क्या कारण है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रतिवेदन को लोक-सभा के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जाता है ?

†**श्री दातार** : जहाँ तक कि पुरः स्थापित किये गये नये विधेयक का सम्बन्ध है, वह मुख्य रूप से पिछड़ी जाति आयोग की सिफारिशों पर ही आधारित है और सरकार द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया

†मूल अंग्रेजी में

जा रहा है कि इस प्रतिवेदन को कब प्रकाशित किया जाये। सरकार की इच्छा तो इसको यथाशीघ्र प्रकाशित करने की है।

†**श्री तिमय्या** : क्या राज्य सरकारों ने इस प्रतिवेदन को अपनी सम्मतियों के साथ वापस लौटा दिया है, और क्या इस बात के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई थी जिसके भीतर राज्य-सरकारों द्वारा अपनी सम्मतियाँ केन्द्रीय सरकार के पास भेज दी जानी चाहियें ?

†**श्री दातार** : मैं पहले भी एक अवसर पर ठीक इसी प्रकार के एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ, कि क्योंकि सिफारिशों की संख्या बहुत अधिक थी और वह अनेक विषयों से सम्बन्धित थीं, इसलिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती थी। परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह सूचना दे सकता हूँ कि हम को अब तक १८ राज्य सरकारों की सम्मतियाँ प्राप्त हो गई हैं और ९ राज्य सरकारों की सम्मतियाँ की प्रतीक्षा की जा रही है।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : सिफारिशों पर विचार किये जाने का प्रतिवेदन के प्रकाशित करने से क्या सम्बन्ध है ? क्या सरकार हर मामले में प्रतिवेदन को प्रकाशित करने से पूर्व उस की सिफारिशों के स्वीकार किये जाने की प्रतीक्षा करती है ?

†**श्री दातार** : इसका उत्तर संविधान के अनुच्छेद ३४० में दिये गये उपबन्धों द्वारा दिया गया है। अनुच्छेद ३४० में यह बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि प्रतिवेदन को सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के साथ संसद् में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या पिछड़ी-जाति आयोग का प्रतिवेदन, सम्पूर्ण रूप में, सम्बन्धित आदेश पर लोक सभा द्वारा चर्चा किये जाने से पूर्व, संसद् सदस्यों को उपलब्ध कर दिया जायेगा ?

†**श्री दातार** : मैंने कहा है कि सरकार द्वारा ठीक इसी उद्देश्य पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री जाँगड़े** : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि सात सरकारों के उत्तरों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। इसलिये नौ राज्यों से परामर्श किये बिना और नौ राज्यों से उत्तर प्राप्त किये बिना, कुछ जातियों और वर्गों को किस आधार पर अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित आदिम जातियाँ आदेश में शामिल कर लिया गया है और कुछ जातियों और वर्गों को उससे पृथक कर दिया गया है ?

†**श्री दातार** : जहाँ तक इस मामले का सम्बन्ध है, इसको उसके बाद पिछड़ी जाति आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यही मुख्य कार्य नहीं था। इसलिये हम को जिस समय पिछड़ी जाति आयोग के पास से सूचियाँ प्राप्त हुई, तो हमने राज्य सरकारों से परामर्श करने के लिये तत्काल कार्यवाही की। यही कारण है कि राज्य सरकारों का उत्तर प्राप्त होने के बाद हमारे विधेयक को अन्तिम रूप प्रदान किया गया है।

†**श्री वल्लाथरास** : क्या यह प्रतिवेदन सर्वसम्मत है, अथवा क्या इस पर सदस्यों का कोई विमति-टिप्पण है और क्या सभापति महोदय ने स्वयं एक विमति टिप्पण दिया है, और यदि हाँ, तो क्या इतने अधिक सदस्यों के बीच मतभेद होने के कारण कुछ जटिलता उत्पन्न हो गई है ? क्या इस स्थिति ने केन्द्रीय सरकार को एक विचित्र तथा अबोध्य परिस्थिति में डाल दिया है, जिसके कारण से एक वर्ष से भी अधिक का विलम्ब हो गया है और एक और वर्ष का विलम्ब होने की सम्भावना है ?

†**श्री दातार** : इस प्रश्न में जो कटाक्ष किये गये हैं, मैं उन को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मैं माननीय सदस्य से कुछ दिन प्रतीक्षा करने का अनुरोध करूँगा क्योंकि तब मामला स्पष्ट हो जायेगा, क्योंकि प्रतिवेदन विमति टिप्पणों और सभी सामग्री के साथ यथा समय लोक सभा के समक्ष रख दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

चोरी छिपे सोना ले जाना

*१८३०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई गोदी पर इटैलियन यात्रियों और जहाजियों के पास से काफी मात्रा में अवैध सोना और सोने के सिक्के (सौवरेन) बरामद हुये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार बरामद हुये सोना और सोने के सिक्कों की कीमत क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी भी हुई है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)**: (क) जी, हाँ । "एम० वी० एशिया" नामक जहाज के एक इटालियन यात्री के पास से सोना और ६ इटालियन जहाजी कर्मचारियों के पास से सोने के सिक्के (सावरेन) बरामद हुए हैं ।

(ख) बरामद हुये सोने का मूल्य १,७८,००० रुपये और सोने के सिक्कों का मूल्य ४५,५५५ रुपये है ।

(ग) सातों व्यक्ति पकड़ लिये गये और उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सरकार को विदित है कि भारत में सोने के चोरी छिपे लाने के व्यापार में एक खतरनाक सीमा तक वृद्धि हो गई है । एक अन्तर्राष्ट्रीय कूट योजना जो अरब और फारस की खाड़ी से प्रारम्भ हुई, गोआ की सीमा तक पहुँची और तब बड़े-बड़े व्यवसाइयों तथा चिली के कूटनीतिज्ञों ने मिलकर इसमें भाग लिया और अब इटालियनों ने काम शुरू कर दिया है । क्या मैं जान सकता हूँ कि विदेशों में हमारे मिशनों से वित्त मंत्रालय को गुप्त सूचना के रूप में कोई सहायता मिल रही है और क्या ये मिशन कोई सुझाव भी भेजते हैं जिससे कि हम इस संकट का सामना कर सकें ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : मैं नहीं समझता कि सोने के तस्कर व्यापार में हाल में बहुत वृद्धि हुई है । माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें खतरनाक सीमा तक वृद्धि हो गई है। मैं समझता हूँ कि यह सही नहीं है। गोआ की सीमा पर कड़ी निगरानी रखने के साथ हम यह अनुभव करते हैं कि सोने के तस्कर व्यापार में बहुत कमी हुई है । हमें मालूम है कि अभी हाल से ही नहीं अपितु वर्षों से सोने का तस्कर व्यापार फारस की खाड़ी और अरब से किया जा रहा है । जहाँ तक इस चीज़ का सम्बन्ध है कि बाहर के भारतीय दूतावासों से हमें सूचना मिल रही है या नहीं, इस समय मेरे पास यह सूचना मौजूद नहीं है ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

†*१८३२. **सरदार अकरपुरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की आर्थिक परिस्थिति की जाँच करने के लिये जो पुनरीक्षण समिति स्थापित की गई थी क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसने क्या सिफारिशें की हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलिज

†*१८३३. **श्री गिडवानी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलिज कब प्रारम्भ किया जायगा;

(ख) यह कहाँ स्थित होगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इसका प्रबन्ध सरकार के हाथ में होगा अथवा इसके लिय कोई स्वतन्त्र संगठन स्थापित किया जायगा ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)**: (क) इस मामले पर अभी योजना आयोग के साथ बातचीत चल रही है। इस कॉलिज की स्थापना के लिये शीघ्र ही कदम उठाने का विचार है।

(ख) भोपाल ।

(ग) स्वायत्त प्राप्त संचालक बोर्ड द्वारा ।

†**श्री गिडवानी** : इस पर कुल खर्च कितना होगा और इस योजना के परिणामस्वरूप वार्षिक व्यय कितना होगा ।

†**डा० एम० एम० दास** : योजना काल के पाँचों वर्षों में १।। करोड़ रुपया—८० लाख अन-आवर्तित और ७० लाख आवर्तित—खर्च करने की सिफारिश की गई है।

†**श्री गिडवानी** : कितने विद्यार्थी दाखिल किये जायेंगे ?

†**डा० एम० एम० दास** : यह सब ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है।

†**श्री जयपाल सिंह** : इस कॉलिज की स्थापना के लिए सरकार ने भोपाल को किन विशेष कारणों से चुना है ?

†**डा० एम० एम० दास** : भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों को लिखा कि क्या वे इस कॉलिज की स्थापना के लिये हमें ६० करोड़ भूमि की सहायता दे सकते हैं। मनीपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर शेष सब राज्यों से हमें स्वीकृति प्राप्त हुई। शारीरिक शिक्षा व विनोद के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड द्वारा अपनी बैठक में इन सब प्रस्तावों पर विचार किया गया और उसने वरीयताक्रम में दिल्ली, भोपाल या शिवपुरी (मध्य भारत) में कॉलेज स्थापित करने की सिफारिश की। दिल्ली में उपयुक्त जमीन पाने की कठिनाई के कारण, भोपाल को चुना गया।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : क्या इस कॉलिज में दी जाने वाली शिक्षा के पाठ्यक्रम का ब्यौरा बना लिया गया है और यदि हाँ, तो किस के द्वारा, और क्या सरकार उसकी एक प्रति सभा पटल पर रक्खेगी ?

†**डा० एम० एम० दास** : अभी कोई ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है।

†**श्री वी० पी० नायर** : सभासचिव ने बताया कि यथाशीघ्र इस कॉलिज की स्थापना की जाएगी। क्या इस कॉलिज में सामान्य शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा अथवा यह विशिष्ट चीजों जैसे फुटबाल, हाकी आदि गेंदों के खेलों, व्यायाम, जिमनास्टिक, तैराकी, कुश्ती आदि में विशेष शिक्षा देगा ?

†**डा० एम०एम० दास** : मैं ने बतलाया कि योजना आयोग के साथ इस पर बातचीत चल रही है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है। योजना आयोग की स्वीकृति जब तक न मिल जाए, अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता।

†**श्री वी० पी० नायर** : सभासचिव ने बतलाया कि योजना आयोग के साथ बातचीत हो रही है। क्या मैं जान सकता हूँ कि यह कॉलिज सामान्य शारीरिक शिक्षा तक ही सीमित रहेगा अथवा खेलकूद में भारत के पिछड़ेपन की दृष्टि में विभिन्न प्रकार के खेलों में विशेषीकृत शिक्षा भी देगा ? भारत सरकार का इस सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है ?

†**डा० एम०एम० दास** : माननीय सदस्य जानते हैं कि बड़े खर्चे वाली कोई भी स्कीम भारत सरकार द्वारा बिना योजना आयोग की स्वीकृति के हाथ में नहीं ली जा सकती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बी० एस० मूर्ति :** कॉलिज को भोपाल में स्थित करने से पूर्व क्या मौसम की तीव्रताओं को ध्यान में रख लिया गया है ?

†**डा० एम० एम० दास :** प्रत्येक सम्भव चीज़ पर विचार कर लिया गया है ।

†**श्री वल्लाथरास :** इस बात की दृष्टि में कि इस राष्ट्र की प्रगति के लिये भविष्य में इस प्रकार की शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि राज्य पुनर्गठन स्कीम में प्रस्तावित पाँचों ज़ोनों में इस प्रकार का एक एक कॉलिज स्थापित किया जाए ?

†**डा० एम० एम० दास :** माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जाएगा ?

†**श्री जयपाल सिंह :** सभासचिव ने कहा कि इस में 'बड़ा खर्चा' होगा और इसलिये योजना आयोग की स्वीकृति की आवश्यकता है। क्या मैं जान सकता हूँ कि कितना खर्चा होगा ? कितनी राशि की स्वीकृति माँगी गई है ?

†**डा० एम० एम० दास :** मैं पहले ही बतला चुका हूँ कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में १।। करोड़ रुपये व्यय होंगे—८० लाख रुपये अन-आवर्तक, ७० लाख रुपये आवर्तक ।

†**श्री गाडगील :** योजना आयोग तथा मंत्रिमंडल के मध्य वास्तविक संवैधानिक सम्बन्ध क्या है ? सभासचिव की बात से मैं यह समझा कि बिना योजना आयोग की स्वीकृति के कुछ भी हाथ में नहीं लिया जा सकता । मेरा ख्याल है कि योजना आयोग की स्थिति सलाहकार की है, अंतिम स्वीकृति मंत्रिमण्डल के हाथ में है ।

†**डा० एम० एम० दास :** यह प्रश्न वित्त मंत्री या योजना मंत्री से पूछना अधिक उपयुक्त होगा, शिक्षा मंत्री से नहीं ।

†**श्री वी० पी० नायर :** माननीय सभासचिव ने कहा कि इसमें बड़ी राशि खर्च होगी । क्या मैं जान सकता हूँ कि व्यय का हिसाब लगाने में सरकार ने यह भी ध्यान रक्खा है कि इतने विद्यार्थी इस कॉलिज में दाखिल किए जायेंगे, और यदि हाँ, तो उनकी संख्या क्या है ?

†**डा० एम० एम० दास :** प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है । केवल स्थान का चुनाव हुआ है और ब्यौरा अभी से नहीं बनाया गया है ।

†**श्री वी० पी० नायर :** तब आपने कुल राशि का आगणन किस प्रकार किया है ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हिन्दी शिक्षा समिति

†*१८०५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी शिक्षा समिति ने दो उपसमितियाँ नियुक्त की हैं; जो हिन्दी रीडरों में उपयोग के लिये २,००० मूल हिन्दी शब्दों और ५०० ऐसे हिन्दी शब्दों की एक सूची तैयार करेंगी जो हिन्दी की साक्षरता के लिये न्यूनतम स्तर होंगे; और

(ख) यदि हाँ, तो इन दो उपसमितियों ने इस कार्य में क्या प्रगति की है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) जी, हाँ ।

(ख) हिन्दी शिक्षा समिति के सदस्यों और राज्य सरकारों आदि से अस्थायी सूचियों के सम्बन्ध में प्राप्त टिप्पणियों का परीक्षण करने के पश्चात् इन दो उपसमितियों ने उन सूचियों को अंतिम रूप में निर्धारित करने के लिये कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाये हैं । इस प्रकार तैयार की गई सूचियां सम्बन्धित उपसमिति के समक्ष शीघ्र ही रखी जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भुगतान-अन्तर

*१८१२. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में किन किन देशों से भुगतान-अन्तर भारत के अनुकूल रहा; और

(ख) नौवहन और बीमा से भारत को अदृश्य प्राप्ति कितनी हुई ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) १९५४-५५ में निम्न मुख्य देशों से भारत का भुगतान-अन्तर अनुकूल रहा :

अर्जेन्टाईना, आस्ट्रेलिया, कनाडा, लंका, चीन, हालैन्ड, मलाया, न्यूजीलैंड; पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका ।

(ख) १९५४-५५ में भारत की शुद्ध अदृश्य प्राप्ति

(१) परिवहन से जिसमें नौवहन शामिल है, २३.४ करोड़ रुपये और (२) बीमे से १.४ करोड़ रुपये हुई थी ।

धर्म परिवर्तन

*१८१७. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे आदिम जाति क्षेत्रों की एक सूची तैयार की है, जहाँ ईसाई मिशनरी आदिम जातियों के लोगो को विभिन्न प्रकार से लालच देकर, उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उन क्षत्रों के नाम दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आंध्र में शिक्षित बेकार

†*१८१८. **डा० रामा राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेकारों की सहायता के लिये १९५५-५६ में आंध्र सरकार को कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की गई और दी गई है ; और

(ख) इस योजना से कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) १९५५-५६ में आंध्र सरकार को ४,२१,२०० रुपये मंजूर किये गये थे ।

(ख) १९५४-५५ में राज्य सरकार ने जो १,०५३ अध्यापक नियुक्त किये थे उन्हें १९५५-५६ में लाभ मिलता रहेगा । १९५५-५६ में राज्य सरकार को और ९९९ अध्यापक दिये गये थे किन्तु राज्य सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया है कि उसने उस वर्ष में उनमें से कितने अध्यापक नियुक्त किये हैं ।

राष्ट्रमंडल पदाधिकारी सम्मेलन

†*१८१९. **श्री पुन्नूस** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में स्टर्लिंग क्षेत्र देशों की भुगतान-अन्तर स्थिति के सम्बन्ध में राष्ट्रमंडल पदाधिकारी सम्मेलन के लिये ब्रिटेन भेजे गये शिष्टमंडल में कौन कौन लोग हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : दिसम्बर १९५५ में स्टर्लिंग क्षेत्र की भुगतान-अन्तर स्थिति के सम्बन्ध में राष्ट्रमंडल पदाधिकारी सम्मेलन में भेजे गये भारतीय शिष्टमंडल में निम्न लोग थे :—

१. श्री एल० के० झा, आई० सी० एस०,
संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. श्री टी० स्वामीनाथन्, आई० सी० एस०,
मंत्री (आर्थिक), भारत का उच्च आयोग, लन्दन ।
३. श्री टी० जी० मेनन, प्रथम सचिव (वाणिज्यक), भारत का उच्च आयोग, लन्दन ।
४. श्री एस० एस० एन० काव, सेक्शन आफिसर, वित्त मंत्रालय ।

हूकर की 'ब्रिटिश भारत की वनस्पतियाँ' पुस्तक

†*१८२५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हूकर की "फ्लोरा आफ ब्रिटिश इंडिया" (ब्रिटिश भारत की वनस्पतियाँ) पुस्तक का पुनरीक्षण किया जाने वाला है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : जी, हाँ । दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में यह काम प्रारम्भ करने का भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण का विचार है ।

पाकिस्तानी राष्ट्रजन

*१८३१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को स्थायी रूप से भारत में रहने के लिये कितने दृष्टांक (वीसास) दिये गये; और

(ख) क्या सरकार इस प्रकार के दृष्टांक जारी करने के काम को रोकने का विचार कर रही है ?

गृह कार्य-मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) १,००१ ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

ग्रामीण उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद्

†१५६३. **श्री राम कृष्ण** :
श्री मादिया गौडा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल के पहले हफ्ते में घोषित, ग्रामीण उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् की सिफारिशों और विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : परिषद् की कार्यवाही अभी तक निर्धारित नहीं की गई है । ज्यों ही अन्तिम रूप में उस पर अनुमोदन प्राप्त हो जायेगा, कार्यवाही की जायेगी । परिषद् की बैठक के पूर्व ही निम्न १० संस्थाओं को ग्रामीण संस्थाओं के रूप में विकास करने के लिये १५ लाख रुपये मंजूर किये गये थे ।

१. विश्व भारती, श्रीनिकेतन ।
२. जामिया मिलिया, दिल्ली ।
३. गांधीग्राम, मदुराई ।
४. विद्या भवन, उदयपुर ।
५. सर्वोदय महाविद्यालय, तुर्की (मुजफ्फरपुर) ।
६. शिवाजी लोक विद्यापीठ, अमरावती ।
७. रामकृष्ण मिशन विद्यालय, कोयम्बटूर ।

†मूल अंग्रेजी में

८. लोकभारती, सनोसोरा ।

६. बलवना राजपूत कालेज, आगरा ।

१०. मौनी विद्यापीठ, गारगोटी ।

अनुसूचित जातियों के लिये शिक्षा सुविधायें

†१५६४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये शिक्षा-सुविधाओं की योजना निश्चित की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके विस्तार क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अन्दमान द्वीपसमूह में कुटीर उद्योग

†१५६५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीपों में कुटीर उद्योगों के विकास के लिये योजना निश्चित की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो किन मुख्य उद्योगों का विकास किया जायेगा ;

(ग) कुल कितना खर्च किया जाएगा; और

(घ) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय म मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). अन्दमान द्वीप समूह की दूसरी पंच-वर्षीय योजना में, अन्डमान और निकोबार द्वीपों में कुटीर उद्योगों का विकास करने का विचार है और योजना में उसके लिये ५ लाख रुपये रखने का विचार है । योजनाओं के विस्तार अभी तय नहीं किये गये हैं।

त्रिपुरा राज्य के कर्मचारी

†१५६६. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा राज्य में कितने अस्थायी कर्मचारी हैं;

(ख) कितने स्थायी कर्मचारी हैं; और

(ग) अस्थायी कर्मचारी स्थायी कब बनाये जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग) आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में भूमिहीन किसान

†१५६७. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिपुरा सरकार को भूमिहीन किसानों से कितनी याचिकाएं प्राप्त हुई हैं; और

(ख) १६५५-५६ में कितने भूमिहीन किसानों को त्रिपुरा में 'नज़राने' के बिना 'खास' भूमि के रूप में सहायता दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**:(क) और (ख). सूचना संकलित की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सचिवालय में चौथे ग्रेड की सेवा

†**१५६८. श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय में ग्रेड ४ के सेवा की नियुक्तियाँ करने, उन्हें दंड देने तथा उनकी अपील सुनने वाले कौन कौन प्राधिकारी हैं;

(ख) क्या नियुक्तियाँ करने वाले प्राधिकारी की कुछ शक्तियाँ नीचे के प्राधिकारियों के प्रत्यायोजित कर दी गई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो वे क्या शक्तियाँ हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). यह सब सूचना संलग्न विवरण में दी जा रही है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६३]**

अपहृत बच्चे

†**१५६९. चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५६ से ३१ मार्च १९५६ तक प्रत्येक 'ग' राज्य में कितने बच्चों का अपहरण हुआ है; और

(ख) उनमें से कितने बच्चों को बरामद कर लिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). एतद् सूचना सम्बन्धी एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६४]**

खान तथा व्यवहारिक भूतत्वशास्त्र सम्बन्धी स्कूल

†**१५७०. श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत वर्ष में कितने खान तथा व्यवहारिक भूतत्वशास्त्र सम्बन्धी स्कूल हैं ;

(ख) वे कहाँ कहाँ स्थित हैं;

(ग) चालू सत्र में इन में कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश के लिये प्रार्थना की;

(घ) क्या इनमें से किन्हीं को प्रवेश देने से इन्कार भी किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो किम कारणों से ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख) खान तथा व्यवहारिक भूतत्वशास्त्र का केवल एक ही स्कूल है और यह धनबाद में स्थित है ।

(ग) से (ङ). १९५५-५६ के सत्र के लिये १,००६ प्रार्थना पत्र आये थे, उनमें से ६९५ व्यक्ति परीक्षा में बैठे थे । केवल ६३ विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और उनको प्रवेश लेने के लिये स्वीकृति दे दी गई थी । मगर बाद में केवल ४३ विद्यार्थी ही दाखिल हुए । ऐसे किसी भी विद्यार्थी को जो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया था प्रवेश प्राप्त करने से इन्कार नहीं किया गया है ।

राष्ट्रीय अनुसंधान अधिछात्रवृतियां

†**१५७१. श्री वेलायुधन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में कितने व्यक्तियों को राष्ट्रीय अनुसन्धान अधिवृत्तियाँ दी गई हैं;

(ख) इन के लिये १९५५ के लिये कुल कितना धन रखा गया था; और

(ग) इसमें से कितनी राशि का उपयोग किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) सात ।

(ख) १६५५ में अनुसन्धान छात्रवृत्तियों तथा अनुसन्धान अधिछात्रवृत्तियों के लिये कुल मिला कर १२ लाख रुपये गये थे ।

(ग) अधिवृत्तियों के लिये १६,२३६ रुपये ३ आने का उपयोग किया गया है ।

दियासलाई पर उत्पादन शुल्क

†**१५७२. श्री वीरस्वामी** : क्या **वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५५-५६ में मद्रास राज्य में दियासलाई का निर्माण करने वाली फेक्टरियों से कितना उत्पादन शुल्क इकट्ठा किया गया है; और

(ख) १६५४-५५ में इकट्ठी की गई राशि की तुलना में यह कितना है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) और (ख). मद्रास राज्य में १६५५-५६ में दियासलाई निर्माताओं से उत्पादन शुल्क के रूप में ५,०७,८४,००० रु० इकट्ठे किये गये और १६५४-५५ में ४,६७,६७,००० रुपये ।

तेल की खोज

†**१५७३. श्री विश्वनाथ राय** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश और बिहार में तेल की खोज करेगी ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : जी हाँ । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तेल तथा प्राकृतिक गैस निदेशालय उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी में तथा बिहार में तेल की खोज करना चाहता है ।

आंध्र के संगीतज्ञ

†**१५७४. श्री एस० वी० एल०नरसिंहम्** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५५-५६ में आन्ध्र राज्य के कितने संगीतज्ञों से वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थनापत्र आये हैं ;

(ख) उन लोगों की संख्या तथा नाम जिन को अनुदान दिये गये हैं ;

(ग) अनुदान देने के लिये क्या शर्तें रखी गई हैं;

(घ) वह शर्तें पूरी की जाती हैं इसकी जाँच करने के लिये कौन सी व्यवस्था रखी गई है;

(ङ) यह अनुदान कितने काल के लिये दिये गये हैं; और

(च) इस प्रकार से मिलने वाले प्रार्थनापत्रों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों को मिलने वाले अनुदान में परस्पर क्या अनुपात ठहरता है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) चार ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) कलाकार की प्रसिद्धि तथा लाचारी ।

(घ) मंत्रिमंडल के तीन मंत्रियों की एक समिति विशेषज्ञों से सलाह लेकर इसका विनिश्चय करती है ।

(ङ) एक बार में एक साल के लिये ।

(च) अनुदान राज्य-वार नहीं दिये जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुसलमानों का प्रव्रजन

†**१५७५. श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे भारतीय मुसलमानों की संख्या १९५३ से लेकर १९५५ तक वर्षवार और राज्यवार क्या है जो भारत से पश्चिमी पाकिस्तान चले गये परन्तु जिन्होंने बाद में भारत में स्थायी पुनर्वास की अनुमति के लिये प्रार्थना की;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन के भारत में स्थायी पुनर्वास के प्रार्थनापत्र मंजूर किए गए;

(ग) ऐसे प्रार्थी किन वर्गों के हैं; और

(घ) ऐसी अनुमति प्रदान किये जाने के लिये किन शर्तों को पूरा करना होता है ?

†**गृहकार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (घ). जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथासमय लोकसभा पटल पर रख दी जायगी ?

फालतू जमीन

†**१५७७. श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में क्रमश: बिहटा, बिक्रम और हटवा हवाई अड्डों की कितने एकड़ अधिगत फालतू भूमि सम्बन्धित मालिकों को लौटा दी गई है और कब;

(ख) कितने एकड़ अधिगत फालतू भूमि अभी भी भूमि तथा अवक्रय/सैनिक भूमि और छावनी महानिदेशालय शीर्षकों के अन्तर्गत ली गई है; और

(ग) समस्त फालतू भूमि के कब तक वापस किए जाने की आशा है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** :

(क) (१) भीटा हवाई अड्डा. . . वर्ष १९५४–५५ में १६६.३४ एकड़
(२) बिक्रम हवाई अड्डा. . . वर्ष १९५० में ९९१.८३ एकड़
(३) हटवा हवाई अड्डा. . . वर्ष १९४८ में २८४.८०२ एकड़

(ख) (१) भीटा हवाई अड्डा.
६७३.९९ एकड़ डी० जी० सी० ए० (५००.०० एकड़) और बिहार सरकार (१७३.९९ एकड़) के लिये निर्धारित है ।
(२) बिक्रम हवाई अड्डा. . . . . कुछ नहीं
(३) हटवा हवाई अड्डा. . . . . कुछ नहीं

(ग) फालतू अधिगत भूमि की वापसी पूर्ण हो गई है । कोई भी क्षेत्र, जो डी० जी० सी० ए० (असैनिक उड्डयन के महानिदेशक) और बिहार सरकार की अन्तिम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद फालतू रहे, मूल मालिकों को वापिस कर दिया जायगा यदि वे उसे स्वीकार करने को तैयार हों ।

सैनिक भूमि और छावनी निदेशालय

†**१५७८. श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक भूमि और छावनी महानिदेशालय के कितने स्थानापंन्न उपनिदेशकों की विभागीय तरक्की समिति द्वारा उनके पदों पर पुष्टि कर दी गई है और कितने अन्य लोगों के सम्बन्ध में विचार किया जाना है; और

(ख) विभागीय तरक्की समिति की अगली बैठक कब होने की आशा है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) विभागीय तरक्की समिति द्वारा हाल में तीन स्थानापन्न उपनिदेशकों का, अपने पदों पर पुष्टि की जाने के लिये, अनुमोदन किया गया है। अब उस ग्रेड में कोई अन्य स्थायी रिक्तता नहीं है जिस पर स्थानापन्न उपनिदेशकों की पुष्टि करने का विचार किया जा सके ।

(ख) समिति की बैठक हाल ही में हुई थी और अब दुबारा तब तक नहीं होगी जब तक कि उसके लिए बहुत सा कार्य न हो ।

अनुसूचित जातियों के लिये छात्रवृत्तियां

†**१५७९. डा० सत्यवादी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत में मैट्रिक के आगे पढ़ने के लिये अब केवल प्रथम श्रेणी के अनुसूचित जातियों के विद्यार्थी ही अन्तर्देशीय वजीफे पा सकते हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)**: नहीं श्रीमान् । द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी भी, जो माता पिता/संरक्षक की आय आदि के सम्बन्ध में कुछ शर्तों को पूरा करते हों, वजीफे पा सकते हैं।

व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्तिका योजना

†**१५८०. डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्तिका योजना के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक व्यापार संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : पूर्ण सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

अनुसूचित जातियों के लिय मद्रास राज्य को अनुदान

†**१५८१. श्री बालकृष्णन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास राज्य ने चक्रवात (साईक्लोन) ग्रस्त क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिये मकानों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता की कोई प्रार्थना की है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : नहीं, श्रीमान् ।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा

†**१५८२. श्री राधा रमण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लिपिक सेवा श्रेणी १ की स्थायी रिक्तताओं का कुछ कोटा विस्थापित स्थायी सरकारी कर्मचारियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तीसरी श्रेणी के स्थायी क्लर्कों की उपेक्षा किए जाने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) उपलब्ध रिक्तताओं का १२।। प्रतिशत विहित कोटा अनुसूचित जातियों के लिये और ५ प्रतिशत अनुसूचित आदिम जातियों के लिये, उपर्युक्त कर्मचारियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए सुरक्षित किया जाता है। उस वेतनक्रम में नियुक्ति योग्य स्थायी विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के मामले में रिक्ततायें सुरक्षित करने का प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जबकि वे केवल वरिष्ठता के आधार पर अन्य योग्य उम्मीदवारों की अपेक्षा अपनी संख्या के पर्याप्त अनुपात में न खपाये जा सकें। परन्तु ऐसे सुरक्षण का प्रश्न संभवतः उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि अधिकांश योग्य स्थायी विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के वेतनक्रम की प्रारम्भिक रचना में खप जाने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १ मई, १९५४ के पूर्व सचिवालय में कोई अपर डिवीजन नहीं था। तीसरी श्रेणी के क्लर्कों को सहायकों के पदों पर तरक्की पाने का कोई हक नहीं था यद्यपि युद्धकाल में सहायकों के वेतनक्रम में उनमें से अस्थायी रूप से नियुक्तियाँ की गई थीं। संलग्न कार्यालयों में अधिक से अधिक २० प्रतिशत तीसरी श्रेणी के स्थायी क्लर्कों को द्वितीय अपर डिवीजन (श्रेणी) में तरक्की दी जाती थी। परन्तु लिपिक सेवा योजना के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी में संधारण रिक्तताओं का एक भाग स्थायी लोअर डिवीजन क्लर्कों को उपलब्ध कराने का उपबन्ध कर दिया गया है जिसमें तरक्की के लिये वरण, वरिष्ठता को देखते हुए योग्यता के आधार पर होगा।

अनुसूचित जातियों की बस्तियों के लिये सहायक अनुदान

†१५८३. **श्री पी० एल० कुरील** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में अनुसूचित जातियों की बस्तियों के लिये कुल कितना सहायक अनुदान मंजूर किया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह बताया गया है कि वर्ष १९५३-५४ से १९५५-५६ तक के दौरान में दिल्ली राज्य को कितना केन्द्रीय अनुदान मंजूर किया गया। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६५**]

लौह अयस्क

†१५८४. **श्री संगण्णा** :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भूतत्वीय सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप उड़ीसा के कटक जिले के सुकिन्दा क्षेत्र में लौह अयस्क की बड़ी बड़ी खानें पाई गई हैं ;

(ख) क्या किन्हीं विदेशों को खान से धातु निकालने के लिये लाइसेंस दे दिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो उनके क्या नाम हैं; और

(घ) अनुज्ञप्ति किन शर्तों पर दी गई है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) सुकिन्दा में लौह अयस्क पर्याप्त मात्रा में मौजूद है।

(ख) से (घ). किसी विदेश को अथवा विदेशी राष्ट्रजन को खान में से धातु निकालने के लिये अनुज्ञप्ति नहीं दी गई है।

पंजाब विश्वविद्यालय को अनुदान

†१५८५. **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष केन्द्र ने पंजाब विश्वविद्यालय को कितना सहायक अनुदान दिया ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब की सशस्त्र पुलिस

†१५८६. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने पंजाब सशस्त्र पुलिस दल के लिये बैरक आदि के निर्माण तथा पुनः प्रबन्ध के लिये ऋण माँगा है;

(ख) यदि हाँ, तो ऋण के लिये कितनी रकम माँगी गई है; और

(ग) इस विषय में केन्द्रीय सरकार ने क्या निश्चय किया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) हाँ।

(ख) ३९,९३,२१२।

(ग) भारत सरकार, राज्य सरकार को उतनी रकम के बराबर ऋण देगी जितनी कि राज्य सरकार १९५६-५७ के वित्तीय वर्ष में पुलिस के आवास के लिये व्यय करेगी। इस के लिये अधिकतम रकम का निश्चय किया जाना अभी बाकी है।

पारपत्र-नियमों का उल्लंघन

†१५८७. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में पारपत्र-नियमों के उल्लंघन के कारण १९५४ और १९५५ में जुर्माना किये गये और दण्ड दिये गये पाकिस्तानियों की संख्या कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायगी।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

†१५८८. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के दसवें क्रम (राउन्ड) के लिये पंजाब में छाँटे गये गाँवों की संख्या कितनी है; और

(ख) इस सर्वेक्षण के कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के दसवें क्रम (राउन्ड) के लिये पंजाब में छाँटे गये गाँवों की संख्या २६६ है।

(ख) दसवें क्रम (राउन्ड) में सर्वेक्षण कार्य दिसम्बर १९५५ के अन्तिम सप्ताह से प्रारम्भ हुआ।

त्रिपुरा में डाके

†१५८९. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में १९५५-५६ में डाके पड़े हैं;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिन से अन्तर्राज्यीय गिरोहों का सम्बन्ध होने का सन्देह है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे डाकों को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) हाँ ।

(ख) १६ ।

(ग) (१) सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त लगाने के लिये, वहाँ पुलिस की चौकियाँ खोली गई हैं ।

(२) अपराधों की रोकथाम करने और उन का पता लगाने में पुलिस को सहायता देने के लिये ग्राम रक्षादलों का संगठन किया गया है ।

मंत्रणा परिषद्, त्रिपुरा

†**१५९०. श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा राज्य प्रशासन की मंत्रणा परिषद् पर अभी तक कितना व्यय किया गया है; और

(ख) यह व्यय किन शीर्षकों के अधीन किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) त्रिपुरा राज्य की मंत्रणा परिषद् १४ अप्रैल, १९५३ को बनाई गई थी । उस दिन से ३१ मार्च, १९५६ तक इस परिषद् पर १,८९,२४७ रुपये व्यय हुए ।

(ख) त्रिपुरा राज्य की क्षेत्र माँग के लेखे ३ के अधीन, यह व्यय मुख्य शीर्ष २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत इस प्रकार रखा गया है :—

क १ (१) अफसरों का वेतन (मंत्रणादाताओं का वेतन)

क १ (२) भत्ते, पारिश्रमिक आदि ।

क १ (३) अन्य व्यय ।

लोक गीत

†**१५९१. श्री मादिया गौडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक शिक्षा में योग देने के लिये लोक-गीतों का संग्रह करने और उन्हें प्रकाशित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इस के लिये कितना व्यय किया गया ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

†**१५९२. श्री मादिया गौडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में, प्रति वर्ष राष्ट्रीय गोष्ठियाँ आयोजित करने के लिये भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ को कितनी आर्थिक सहायता दी गई; और

(ख) क्या सरकार द्वारा इन गोष्ठियों के प्रतिवेदनों पर ध्यान दिया जाता है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** :

(क) १९५३-५४ ३,००० रुपये
१९५४-५५ ३,००० रुपये
१९५५-५६ ५,००० रुपये

(ख) हाँ, श्रीमान ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में खनिज पदार्थ

†१५६३. **श्री भीखा भाई** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बेरिल, प्लेटीनम, लौह और स्वर्ण अयस्क के महत्वपूर्ण संसाधनों का पता है;

(ख) क्या वहाँ कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस के क्या परिणाम हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)**: (क) दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बेरिल और लौह अयस्क का तो पता है किन्तु उस क्षेत्र में प्लेटीनम और स्वर्ण अयस्क होने का पता नहीं है।

(ख) हाँ श्रीमान् ।

(ग) बेरिल की नई खानों का पता लगा है और उत्पादन बढ़ गया है।

लोहा—मेवाड़ में रायपुरिया—(२५° ५':७४° ३६') और गंगराड़ (२५° ३':७४° ३७') के बीच में लौह अयस्क की अच्छी खाने हैं।

अरावली के नीचे थाने—(२४° १३':७३° ५२') के पास हेमेटाइट शिस्ट को हार्नब्लेन्डिक शिस्ट (बदले हुए टफ) में बदला जाता है। अयस्क क्षेत्र में लगभग आधे मील लम्बी एक अच्छी सतह है।

बूंदी राज्य के ऊमर (२५° ४१':७५° ३०'), खेनिया (२५° १०':७५° २५'), दातूंदा (२५° २७ : ७५° ३०'), लुहारपुरा (२५° २८':७५° ४०') तथा अन्य स्थानों पर लौह अयस्क बताया जाता है। इस अयस्क में लिमोनाइट और हेमेटाइट मौजूद हैं।

बेरिल की खानों और उसके उत्पादन का विवरण देना वांछनीय नहीं है।

पोस्त की खेती

†१५६४. **श्री रामदास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में पोस्त की खेती करने की अनुमति है; और

(ख) इसकी खेती के लिये किन शर्तों पर अनुज्ञप्ति मिलती है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) अफीम के उत्पादन के लिये पोस्त की खेती उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, राजस्थान तथा जम्मू और काश्मीर में की जाती है। सीमित मात्रा में पोस्त के डोडों और पोस्त के लिये इसकी खेती पंजाब, पेप्सू तथा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों, यथा, देहरा-दून और टिहरी-गढ़वाल में की जाती है।

(ख) लोक-सभा पटल पर जानकारी रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६६]**

झूमियों का पुनर्वास

†१५६५. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अमरपुर मंडल (डिवीज़न) को झूमिया आदिम वासियों के पुनर्वास के लिये सुरक्षित रखने का विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : जी नहीं। किन्तु सरकार अमरपुर उपमंडल (सब डिवीज़न) में भूमि के एक बहुत बड़े भाग का यंत्रों द्वारा कृष्यकरण करके उसमें आदिम वासियों तथा पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को बसाने का इरादा कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोलार सोना खान क्षेत्र का सर्वेक्षण

†१५९६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने, कोलार सोने की खान के चारों ओर की सोना बहुल सुमाजीय चट्टानों (शिस्ट) वाले ५० वर्ग मील के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण का क्या परिणाम हुआ; और

(ग) यदि सर्वेक्षण अब भी जारी है तो यह कब तक समाप्त हो जायेगा ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) जो जांच चल रही है उसके परिणाम सभा को अभी नहीं बताये जा सकते हैं क्योंकि काम अभी चल रहा है ।

(ग) क्षेत्र कार्य समाप्त करने तथा मानचित्र इत्यादि बनाने में लगभग दो तीन वर्ष और लगेंगे ।

राज्यों को अनुदान

†१५९७. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४९ से १९५५ तक निम्नलिखित राज्यों को अनुदान अथवा वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धन राशि दी गई है :

(१) आँध्र,
(२) मैसूर, और
(३) हैदराबाद ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : जानकारी एकत्र की जा रही है तथा लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास

†१५९८. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता संग्राम के सम्पादकों के बोर्ड (जो अब निष्क्रिय हो गया है) ने अपने कार्य के हेतु बहुत सामग्री एकत्र कर ली थी; और

(ख) क्या सरकार कोई ऐसा विशेष पुस्तकालय खोलने का विचार कर रही है जहां उक्त सामग्री विद्वानों के उपयोग के लिये उपलब्ध रहेगी ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) बोर्ड ने अपेक्षित सामग्री पर्याप्त मात्रा में एकत्र कर ली थी ।

(ख) उक्त सामग्री को गवेषणा विद्यार्थियों तथा अन्य विद्वानों के लिये उपलब्ध करने का प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जब स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास प्रकाशित हो जायेगा ।

भारत में आये पाकिस्तानी

१५९९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में पूर्वी पाकिस्तान से ग्वालपारा क्षेत्र (आसाम) के निकट कितने पाकिस्तानी मुसलमान भारतीय सीमा में आये हैं; और

(ख) कितने व्यक्ति अस्थायी अनुज्ञाओं या पारपत्रों के साथ आये और कितने बिना किसी पारपत्र आदि के आये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार): (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और कुछ ही समय में वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष

†**१६००. श्री एस० वी० रामस्वामी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १४ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४२३ के भाग (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वैज्ञानिक संस्थाओं के नाम क्या हैं जो उक्त कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं;

(ख) वे किसके तत्वावधान में कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं;

(ग) चर्चा के लिये कौन से विषय रहेंगे; और

(घ) उक्त ३० केन्द्र कहां पर स्थित रहेंगे ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६७]**

प्राकृतिक गैस

†**१६०१. श्री बी० एस० मूर्त्ति :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक गैस का पता लगाने के लिये आंध्र व तेलंगाना में सर्वेक्षण समाप्त हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यह सर्वेक्षण किस एजेन्सी के द्वारा किया गया था ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय):** (क) से (ग). भारत के भूतत्वीयस वेंक्षण विभाग ने, गोदावरी डेल्टा प्रदेश में प्राकृतिक गैस होने की घटनाओं (केवल दो तीन घटनायें ही ज्ञात हैं) की जांच की है । किन्तु यह ज्ञात हुआ कि वह गैस नई कछारी मिट्टी में सड़ने वाली वनस्पति से उत्पन्न हुई थी, उसका पेट्रोल वाली परतों से कोई सम्बन्ध नहीं था ।

निकल

†**१६०२. श्री बी० एस० मूर्त्ति :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र और तेलंगाना में इस समय उपलब्ध निकल की कुल अनुमानित राशि कितनी है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** अभी तक कहीं भी निकल निकलने की सूचना नहीं मिली है ।

बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा का प्रचार

†**१६०३. श्री बी० एस० मूर्त्ति :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा के प्रचार के लिये १९५५-५६ और १९५६-५७ के दौरान में आन्ध्र राज्य को अब तक अनुदानों के रूप में कितनी राशि दी जा चुकी है;

(ख) १९५५-५६ में कितनी रकम खर्च की गई थी; और

(ग) जिन योजनाओं के लिये रकम दी गई थी क्या वे सभी लागू की गई थीं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) १९५५-५६ : ४,२३,८०४ रुपये, १९५६-५७ : शून्य ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तथा (ग). जानकारी प्राप्य नहीं है ।

मद्रास इंजीनियरिंग कालिज

†१६०४. **श्री एस० वी० रामस्वामी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास इंजीनियरी कालिज के केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा किस प्रकार किया जायेगा और मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) कुछ समय हुआ एक सुझाव दिया गया था कि इंजीनियरी कालिज, गिन्डी, मद्रास, को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले लिया जाए और इसका दक्षिणी प्रदेश के लिए प्रस्तावित उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था के रूप में विकास किया जाये ।

(ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

मैटकाफ़ हाउस

†१६०५. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १६ सितम्बर, १९५३ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या ६९६ के (छ) तथा (झ) भागों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तत्कालीन प्रशासी पदाधिकारी व लेखापाल के विरुद्ध अन्य आरोप भी थे; और

(ख) क्या आरोपों की जांच की गई थी और क्या पदाधिकारी को आरोपों के सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये कहा गया था और यदि हां, तो उसका परिणाम क्या हुआ था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) तथा (ख). साधारणतया निजी प्रकार के अन्य आरोप भी थे परन्तु जाँच करने पर मालूम हुआ कि ऐसी कोई अनियमिता नहीं थी जिस पर कि ध्यान दिया जाए ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल

†१६०६. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १६ सितम्बर, १९५३ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या ६९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैटकाफ़ हाउस के जो कमरे भारतीय प्रशासन सेवा प्रशिक्षण स्कूल के लिए दिए गए हैं, क्या उनका वर्तमान किराया बिजली तथा पानी के दामों को छोड़कर, पहले के उस किराए जितना ही है जिसमें बिजली तथा पानी के दाम शामिल थे;

(ख) जिस किराये में बिजली तथा पानी के दाम शामिल होते थे यदि उस कुल रकम में से बिजली तथा पानी के वे दाम निकाल दिये जायें जिन्हें अब पृथक रूप से दिखाया जाता है तो क्या कुछ कमरों का पहला किराया कम हो कर नहीं के बराबर हो जाता है;

(ग) जिन सरकारी कर्मचारियों को बिना किराये के कमरे दिये जाते थे उन से बिजली तथा पानी के दाम पहले कैसे वसूल किये जाते थे तथा दाम किस प्रकार निश्चित किए जाते थे ;

(घ) भारतीय प्रशासन सेवा प्रशिक्षण स्कूल के प्रशासी पदाधिकारी का पद धारण करने वाले व्यक्तियों को क्या स्कूल के भीतर अनिवार्य रूप से रहने के लिये बिना किराये के कमरे दिये जाते थे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) यदि हाँ, तो १ मार्च, १६४७ से २६ फ़रवरी, १६५२ तक की अवधि में प्रत्येक पदधारी से बिजली तथा पानी के वास्तव में कुल कितने दाम लिये जाते थे, वास्तव में कितनी रकम उन से प्राप्त हुई और उनसे दाम किस प्रकार वसूल किये जाते थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हाँ, परन्तु पहले जो किराया लिया जाता था उसमें बिजली तथा पानी के खर्च की कोई रकम शामिल नहीं होती थी। केवल १ अप्रैल, १६५३ से ही सम्बन्धित कर्मचारियों से बिजली तथा पानी के दाम वसूल करने का निर्णय किया गया था।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है। जैसा कि उसमें कहा गया है, ३१ मार्च, १६५३ तक वहाँ पर कमरों में रहने वाले पदाधिकारियों से (जिन में बिना किराये के कमरों में रहने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं) बिजली तथा पानी के दाम पहले नहीं लिये जाते थे केवल १ अप्रैल, १६५३ से ही ये दाम लिये जाने लगे हैं।

(घ) जी हाँ।

(ङ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्पादन शुल्क

†**१६०७. श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार को चाय, पटसन तथा पैट्रोल से १६५३-५४, १६५४-५५ तथा १६५५-५६ में उत्पादन शुल्क, उपकर तथा निर्यात शुल्कों जैसे विभिन्न करों से कुल कितनी आमदनी हुई थी ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : भारत सरकार को चाय, पटसन तथा पैट्रोल से बहि: शुल्कों/केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों तथा उपकरों से कुल जो राजस्व प्राप्त हुआ वह इस प्रकार है :—

(आंकड़े हज़ार रुपये में हैं)

पदार्थ	१६५३-५४	१६५४-५५	१६५५-५६ फरवरी १६५६ तक
* चाय	१३,६६,०६	२२,८६,२५	१६,१३,५४
** पटसन	१०,३४,६८	७,६५,४३	३,६५,३३
***पैट्रोल	३०,०७,८०	३०,१८,८१	२६,५७,१६

*इस में निर्यात शुल्क, उत्पादन शुल्क तथा उपकर की राशि भी सम्मिलित है।

**१६५४-५५ की राशि में कच्ची पटसन तथा पटसन की वस्तुओं पर निर्यात शुल्क और उपकर की राशि भी सम्मिलित है; १६५३-५४ तथा १६५५-५६ में कच्चे पटसन का निर्यात नहीं हुआ था।

***इस में 'मोटर स्पिरिट', जिसके अन्तर्गत पैट्रोल भी आता है, का आयात तथा उत्पादन शुल्क भी शामिल है।

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१९२७—४७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८०६	छावनी बोर्ड	१९२७–२८
१८०७	अन्दमान द्वीपसमूह	१९२८–२९
१८०८	तेल सर्वेक्षण के लिये कैनेडा की टीम ...	१९२९–३०
१८०९	समुद्री विहार नौका (लाँच) दुर्घटना ...	१९३०–३१
१८१०	संस्कृत आयोग	१९३१
१८११	नेपाल के लिये ऋण	१९३२
१८१३	विदेशी धर्म प्रचारक	१९३३
१८१४	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ...	१९३३
१८१५	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, पंजाब	१९३३–३४
१८१६	भारतीय सेना	१९३४
१८२०	कोलार की सोने की खानें	१९३४–३६
१८२१	बैंकों का एकीकरण	१९३६
१८२२	हिन्दी विश्वकोष	१९३६–३८
१८२३	अखिल भारतीय आर्थिक सेवा ...	१९३८–३९
१८२४	उप-निर्वाचन	१९३९–४१
१८२६	भारत का भाषा-सम्बन्धी सर्वेक्षण	१९४१
१८२७	प्रशासनिक सजगता विभाग	१९४१–४२
१८२८	गवर्नमेंट सिक्यूरिटी प्रेस	१९४२–४३
१८२९	पिछड़े वर्ग सम्बन्धी आयोग का प्रतिवेदन	१९४३–४४
१८३०	चोरी छिपे सोना ले जाना ...	१९४५
१८३२	केन्द्रीय विश्वविद्यालय ...	१९४५
१८३३	राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलिज	१९४५–४७
	प्रश्नों के लिखित उत्तर ...	१९४७–६२
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८०५	हिन्दी शिक्षा समिति	१९४७
१८१२	भुगतान अन्तर	१९४८
१८१७	धर्म परिवर्तन	१९४८
१८१८	आन्ध्र में शिक्षित बेकार	१९४८
१८१९	राष्ट्रमण्डल पदाधिकारी सम्मेलन	१९४८–४९
१८२५	हूकर की "ब्रिटिश भारत की वनस्पतियाँ" पुस्तक	१९४९
१८३१	पाकिस्तानी राष्ट्रजन	१९४९

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
१५६३	ग्रामीण उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद्	१९४९–५०
१५६४	अनुसूचित जातियों के लिये शिक्षा सुविधायें	१९५०
१५६५	अन्दमान द्वीपसमूह में कुटीर उद्योग ...	१९५०
१५६६	त्रिपुरा राज्य के कर्मचारी	१९५०
१५६७	त्रिपुरा में भूमिहीन किसान ...	१९५०
१५६८	केन्द्रीय सचिवालय में चौथे ग्रेड की सेवा	१९५१
१५६९	अपहृत बच्चे	१९५१
१५७०	खान तथा व्यवहारिक भूतत्व शास्त्रसम्बन्धी स्कूल	१९५१
१५७१	राष्ट्रीय अनुसंधान अधिछात्रवृत्तियाँ ...	१९५१–५२
१५७२	दियासलाई पर उत्पादन शुल्क	१९५२
१५७३	तैल की खोज़ ...	१९५२
१५७४	आन्ध्र के संगीतज्ञ	१९५२
१५७५	मुसलमानों का प्रव्रजन	१९५३
१५७७	फालतू ज़मीन	१९५३
१५७८	सैनिक भूमि और छावनी निदेशालय	१९५३–५४
१५७९	अनुसूचित जातियों के लिये छात्रवृत्तियां ...	१९५४
१५८०	व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्तिका योजना	१९५४
१५८१	अनुसूचित जातियों के लिये मद्रास राज्य को अनुदान	१९५४
१५८२	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा	१९५४–५५
१५८३	अनुसूचित जातियों की बस्तियों के लिये सहायक अनुदान	१९५५
१५८४	लौह अयस्क	१९५५
१५८५	पंजाब विश्वविद्यालय को अनुदान	१९५५
१५८६	पंजाब की सशस्त्र पुलिस	१९५६
१५८७	पारपत्र-नियमों का उल्लंघन	१९५६
१५८८	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण	१९५६
१५८९	त्रिपुरा में डाके	१९५६–५७
१५९०	मंत्रणा परिषद्, त्रिपुरा	१९५७
१५९१	लोक गीत	१९५७
१५९२	भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संथा	१९५७
१५९३	राजस्थान में खनिज पदार्थ	१९५८
१५९४	पोस्त की खेती ...	१९५८
१५९५	झूमियों का पुनर्वास ...	१९५८
१५९६	कोलार सोना खान क्षेत्र का सर्वेक्षण	१९५९
१५९७	राज्यों को अनुदान ...	१९५९
१५९८	स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास	१९५९
१५९९	भारत में आये पाकिस्तानी	१९५९–६०
१६००	अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष	१९६०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६०१	प्राकृतिक गैस	१९६०
१६०२	निकल	१९६०
१६०३	बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा का प्रचार	१९६०–६१
१६०४	मद्रास इंजीनियरिंग कालेज ...	१९६१
१६०५	मैटकाफ़ हाउस	१९६१
१६०६	भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल	१९६१–६२
१६०७	उत्पादन शुल्क	१९६२

M50LSD—190—27-6-57—GIPF

खण्ड ४ — अंक ५४
३० अप्रैल, १९५६ (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

(XII Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ४ में अंक ४६ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

छः आने या ३७ नये पैसे (देश में) दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[खण्ड ४—१८ अप्रैल से ८ मई, १९५६]

अंक ४६—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४३३–३४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२४३४–३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन ...	२४३५
कार्य मंत्रणा समिति—	
बत्तीसवां प्रतिवेदन	२४३५–३७
जम्मू तथा कश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक	२४३७
राज्य पुनर्गठन आयोग ...	२४३७–३८
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ...	२४४३
विनियोग (संख्या २) विधेयक ...	२४४३
संविधान (छठा संशोधन) विधेयक	२४३९–४३
नियम समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन ...	२४८५
वित्त विधेयक	२४४४–८५
विचार करने का प्रस्ताव ...	२४४४
दैनिक संक्षपिका	२४८६

अंक ४७—शुक्रवार, २० अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४८७–८९
विनियोग (संख्या २) विधेयक	२४८९–९०
वित्त विधेयक ...	... २४९०–२५११
विचार करने का प्रस्ताव	२४९०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन	२५११
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४२९ का संशोधन)	२५१२–२३
विचार करने का प्रस्ताव	२५१२
विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन)	२५२४–३०
विचार करने का प्रस्ताव ...	२५२४
दैनिक संक्षेपिका	२५३१

अंक ४८—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

राज्य पुनर्गठन विधेयक के बारे में याचिकायें	२५३३

वित्त विधेयक २५३३–२६०२
विचार करने का प्रस्ताव २५३३
खण्ड २ से ३७ तक, अनुसूचियां १ से ४ और खण्ड १ ... २५५३–२६००
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... २६००
कार्य मंत्रणा समिति—
तैतीसवां प्रतिवेदन ... २६०२
विनियोग (संख्या २) विधेयक २६०२–०५
विचार करने का प्रस्ताव २६०२
खण्ड १ से ३ और अनुसूची ... २६०५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २६०५
दैनिक संक्षेपिका २६०६

अंक ४९—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

कार्य-मंत्रणा समिति—
तैतीसवां प्रतिवेदन २६०७–०८
नियम ९२ के प्रथम परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव ... २६०८–१७
राज्य पुनर्गठन विधेयक २६१७–५९
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २६१७
दैनिक संक्षेपिका २६६०

अंक ५०—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य का बंदीकरण २६६१
सभा-पटल पर रखा गया पत्र २६६२
राज्य पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २६६२–९६
दैनिक संक्षेपिका २६९७

अंक ५१—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
कुछ प्रदर्शन-कर्त्ताओं का बंदीकरण ... २६९९–२७००
सभा का कार्य २७००–०१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन २७०१
नियम समिति—
तीसरा प्रतिवेदन २७०८
राज्य-पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७०१–०७, २७०८–४७
दैनिक संक्षेपिका २७४८

अंक ५२—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्राक्कलन समिति—
पच्चीसवां प्रतिवेदन २७४९

नियम समिति—
तीसरा प्रतिवेदन २७४९–५९
राज्य पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २७५९–६९
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७६९–९४
राज्य सभा से सन्देश २७९४
दैनिक संक्षेपिका २७९५

अंक ५३—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २७९७
सदस्य की नजरबन्दी २७९७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के बारे में याचिका २७९७
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७९८–२८२१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ... २८२१–३०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन २८३१
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ... २८३१
व्यक्ति की आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प ... २८४७
राज्य-सभा से सन्देश २८४७
श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में आधे घण्टे की चर्चा २८४७–५२
दैनिक संक्षेपिका ... २७५३–५४

अंक ५४—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... २८५५
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २८५५
राज्य-सभा से सन्देश २८५६
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक २८५६
प्राक्कलन समिति—
छब्बीसवां प्रतिवेदन २८५६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
युद्ध सामग्री कारखानों में छटनी ... २८५६–५८
सरकार की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य २८५८–६५
सभा का कार्य २८६५–६६
मनीपुर राज्य पहाड़ी-लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन)
विधेयक २८६६–७०
मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों के ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक २८७०

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २८७०–२९१६
जीवन बीमा निगम विधेयक २९१६
सीमेण्ट के बारे में आधे खण्टे की चर्चा २९१८–२४
दैनिक संक्षेपिका २९२५–२६

अंक ५५—मंगलवार, १ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २९२७
विधान-मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक ... २९२७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २९२८–७७
दैनिक संक्षेपिका २९७८

अंक ५६—बुधवार, २ मई, १९५६

समिति के लिये निर्वाचन—
राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संघ सम्पर्क समिति २९७९–८०
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक २९८०
राज्य-सभा से संदेश ३०१९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव २९८०–३०१८, ३०१९–२७
खण्ड २ से ५ तक ... २९८९–३०२७
दैनिक संक्षेपिका ... ३०२८

अंक ५७—गुरुवार, ३ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०२९
राज्य-सभा से सन्देश ३०२९–३०
सभा का कार्य ... ३०३०–३१
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३०३१–३२
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—
संशोधन जिसकी राज्य-सभा द्वारा सिफारिश की गयी ... ३०३३–३६
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
खण्ड ५, ६ और ४ ... ३०३६–८७
दैनिक संक्षेपिका ३०८८

अंक ५८—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

सभा का कार्य ३०८९–९०, ३१३६–३७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—
खण्ड ७ से १० तक ३०९०–३१२९
कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा) ५१, ५४ और ५९ का संशोधन) ३१२९
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन) ३१२९–३३

विधान मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३१३३–३६, ३१३७–४६
खण्ड २ से ४ तक और खण्ड १ ... ... ३१३५–३६, ३१३७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३१४६
खान (संशोधन) विधेयक (धारा ३३ और ५१ का संशोधन)—
विचार करने का प्रस्ताव ३१४६–४८
दैनिक संक्षेपिका ३१४९

अंक ५९—सोमवार, ७ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३१४९–५०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३१५०
राज्य-सभा से सन्देश ३१५०
भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन)विधेयक ३१५०
कार्य मंत्रणा समिति—
चौंतीसवां प्रतिवेदन ३१५१
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
चौदहवां प्रतिवेदन ३१५१
प्राक्कलन समिति की कार्यवाही का विवरण ... ३१५१
खण्ड ४, अंक २ ... ... ३१५१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ३१५१–३२०४
खण्ड १० से २५ तक और अनुसूची ३१५१–३२०४
दैनिक संक्षेपिका ३२०५–०६

अंक ६०—मंगलवार, ८ मई, १९५६

सदस्य की रिहाई ... ३२०७
सदस्यों का बन्दीकरण ३२०७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ... ३२०७–७७
खण्ड २५ से ३३ तक और १ ... ... ३२०७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३२७७
दैनिक संक्षेपिका ३२७८

M132LSD—190—24-3-58—GIPF.

विषय-सूची

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... २८५५

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २८५५

राज्य-सभा से सन्देश ... २८५६

त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक २८५६

प्राक्कलन समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन २८५६

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

युद्ध सामग्री कारखानों में छटनी ... २८५६–५८

सरकार की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य २८५८–६५

श्री जवाहरलाल नेहरू २८५८–६५

सभा का कार्य २८६५–६६

मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक २८६६–७०

श्री दातार ... २८६६–६७

मनीपुर (पहाड़ी क्षत्रों के ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक ... २८७०

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २८७०–२९१६, २९१६–१८

श्री वी० जी० देशपांडे २८७१–७८

श्रीमती अनुसूयावाई बोरकर ... २८७८–७९

श्री के० पी० गौंडर ... २८७९–८०

पंडित ठाकुर दास भार्गव ... २८८०–८१, २८८८–९९

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् २८८१–८२

पंडित सी० एन० मालवीय ... २८८२

श्री बोगावत २८८२

श्रीमती जयश्री २८८२

श्री साधन गुप्त ... २८८३

श्री सी० सी० शाह २८८३

श्री पाटस्कर ... २८८३–८४

श्री दामोदर मेनन २८९९–२९००

श्रीमती सुभद्रा जोशी २९०१–०८

श्री यू० एम० त्रिवेदी २९०८–१३

पंडित के० सी० शर्मा २९१३–१४

श्री आल्तेकर ... २९१४–१६

श्री शेषगिरि राव ... २९१६–१८

श्री एन० आर० मुनिस्वामी ... २९१८

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २ – प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-३१ म० पू०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

विदेशियों का पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : मैं लोक-सभा पटल पर विदशियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ की धारा ६ के परन्तुक के अन्तर्गत विमुक्ति की इन घोषणाओं की एक-एक प्रति रखता हूं :

(१) १/७०/५५–एफ० आई०, दिनांक १ दिसम्बर, १९५५ (१ घोषणा)
(२) १/७२/५५–एफ० आई०, दिनांक ३ दिसम्बर, १९५५ (१ घोषणा)
(३) १/८२/५५–एफ० आई०, दिनांक २८ दिसम्बर, १९५५ (१ घोषणा)
(४) १/८४/५५–एफ० आई०, दिनांक ३० दिसम्बर, १९५५ (३ घोषणायें)
(५) १/१/५६–एफ० आई०, दिनांक ९ जनवरी, १९५६ (१० घोषणायें)
(६) १/२/५६–एफ० आई०, दिनांक २० जनवरी, १९५६ (२ घोषणायें)
(७) १/५/५६–एफ० आई०, दिनांक २५ जनवरी, १९५६ (४ घोषणायें)
(८) १/१४/५६–एफ० आई०, दिनांक १८ फरवरी, १९५६ (१ घोषणा)

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस० १४३/५६]

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि संसद् की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र में पारित किये गये वित्त विधेयक, १९५६ पर राष्ट्रपति ने २७ अप्रैल, १९५६ को अनुमति दे दी है ।

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा २९ मार्च, १९५६ को पारित त्रावणकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५६ में राज्य-सभा ने इस संशोधन की सिफारिश की है :

पृष्ठ १ में, खण्ड ३ के **पश्चात्** यह नया खण्ड रखा जाये :

'Repeal of Ordinance 4 of 1956' ['१९५६ के अध्यादेश ४ का निरसन']

४. त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, १९५६, इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

†**सचिव** : मैं लोक-सभा पटल पर त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५६ रखता हूं, जिसे राज्य-सभा ने इस सिफारिश के साथ वापिस किया है कि उसमें उक्त संशोधन कर दिया जाये।

प्राक्कलन समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

श्री बी० जी० महता (गोहिलवाड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे मंत्रालय के बारे में एस्टीमेट्स समिति (प्राक्कलन समिति) की छब्बीसवीं रिपोर्ट पेश करता हूं।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

युद्ध सामग्री कारखानों में छंटनी

†**श्री नम्बियार** (मयूरम) : मैं नियम २१६ के अन्तर्गत, प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के इस विषय की ओर आकर्षित करता हूं कि :

"युद्ध सामग्री कारखानों के असैनिक कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी किये जाने के कारण अखिल भारतीय पैमाने पर एक हड़ताल की सम्भावना पैदा हो गई है।"

मैं इस सम्बन्ध में उनसे एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)** : दो वर्षों से भी अधिक समय से राजकीय स्टोरों की मांग में लगातार कमी होती जाने के कारण, युद्ध-सामग्री कारखानों के कर्मचारी एक बड़ी संख्या में फालतू हो गये हैं। सरकार ने किसी बड़े पैमाने की छंटनी को रोकने के लिये ही इन कारखोनों में असैनिक खपत की वस्तुयें तैयार करने की नीति अपनाई थी। इस असैनिक व्यापार कार्य में अब लगभग ८,००० मजदूर काम कर रहे हैं। १९५३ में ऐसे कार्य का मूल्य ५४ लाख रुपये था, जो अब १९५५ में ३·५ करोड़ रुपये हो गया है। अब इस असैनिक व्यापार कार्य को और अधिक विस्तृत करना सम्भव नहीं है, क्योंकि युद्ध सामग्री कारखाने प्राथमिक रूप में असैनिक वस्तुयें तैयार करने के लिये नहीं बनाये गये थे। इस असैनिक व्यापार कार्य में लगभग ८,००० व्यक्तियों को लगा लेने के बाद भी, इन कारखानों में फालतू कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या फालतू समय के वेतन पर बनी हुई है। कई कारणों से उत्पादन करने वाली इकाइयों में फालतू कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या को सेवा-मुक्त करना अवांछनीय है। मितव्ययी तथा कुशल उत्पादन पर उसका प्रभाव पड़ता है और लागत

---

†मूल अंग्रेजी में

बढ़ जाती है। उससे अनुशासनहीनता और असंतोष भी बढ़ता है। इसलिये, अब एक ऐसी स्थिति आ-गई है कि इन फालतू कर्मचारियों को सेवायुक्त रखना न तो करदाताओं के हितों में है और न राज्य के।

युद्ध सामग्री कारखानों के इन फालतू कर्मचारियों के अतिरिक्त, युद्ध सामग्री डिपो, प्रविधिक विकास संस्थापनों आदि जैसे अन्य प्रतिरक्षा संस्थापनों में भी २,५०० कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हो गये हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि युद्ध सामग्री कारखानों के कार्य-भार में कमी होने से युद्ध सामग्री डिपो, प्राविधिक विकास संस्थापनों, आदि के काम में भी इस के अनुसार कमी हो गई है। इसका एक सहायक कारण यह भी है कि युद्ध काल में युद्ध करने वाले सैनिकों के स्थान पर जिन असैनिक कर्मचारियों को सेवायुक्त किया गया था, उनके स्थान पर काम करने के लिये अब वे सैनिक फिर उपलब्ध हो गये हैं।

फालतू कर्मचारियों की इस समस्या को सीमित करने के लिये ही, लगभग दो वर्ष पूर्व अर्द्ध-प्रवीण और अप्रवीण कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। लेकिन जब तक असैनिक व्यापार कार्य आदि आरम्भ करके कार्य-भार बढ़ाये जाने की सम्भावना दिखाई देती रही, तब तक कोई भी छंटनी नहीं की गई। वर्तमान स्थिति यह है कि कार्यभार और प्रतिरक्षा के आर्डरों (मांग) के विस्तार की सम्भावनाओं की बड़ी सावधानी से परीक्षा करके प्रत्येक कारखाने में फालतू कर्मचारियों की संख्या की परिगणना की जा चुकी है। प्रत्येक कारखाने के फालतू कर्मचारियों की कुल संख्या कर्मशाला समितियों को बता दी गई है, जिन में कि प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बराबर-बराबर प्रतिनिधि रहते हैं। और, कर्मशाला समितियों के साथ इस विषय पर चर्चा भी की जा चुकी है। इसका निर्धारण करने के लिये भी एक जांच की गई है कि कौन-कौन से फालतू कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर नीची श्रेणी में जाने को तैयार हो जायेंगे। कारखाने के मज़दूरों के बारे में, उनकी कठिनाइयों को कुछ कम करने के विचार से, यह भी निश्चित किया गया है, कि छंटनी के समय उनको कुछ यात्रा सम्बन्धी रियायतें दी जायेंगी। औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम की धारा २५-च के अन्तर्गत, उन्हें उनकी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये १५ दिनों के औसत वेतन के हिसाब से छंटनी प्रतिकर तो मिलेगा ही, इसके अतिरिक्त उन्हें अंशदायी भविष्य निधि भी दी जायेगी।

मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार स्वयं इसकी बड़ी चिन्ता कर रही है कि यथासंभव कोई भी ऐसा कर्मचारी काम से न हटाया जाये जिसे कि किसी भी प्रकार से सेवायुक्त रखा जा सकता है। हर फालतू कर्मचारी के बारे में पहले तो यही प्रयास किया जाता है कि उसे उसी संस्थान या किसी अन्य प्रतिरक्षा संस्थान में ही रिक्त होने वाले किसी स्थान पर रख लिया जाये। इसका भी प्रयास किया जा रहा है कि किसी वर्तमान या स्थापित किये जाने वाले केन्द्रीय सरकारी उपक्रम में उसकी वैकल्पिक नियुक्ति की जा सके। हाल में हमने निर्णय किया है कि प्रवीण कर्मचारियों की बिलकुल भी छंटनी नहीं की जायेगी। यहां यह भी बताया जा सकता है कि कारखानों के कार्य-भार के किसी अकल्पित विस्तार की व्यवस्था के लिये किसी प्रस्तावित छंटनी के बाद भी काफी अधिक संख्या में कर्मचारियों को सेवायुक्त रखा जायेगा। सरकार ने अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ के सुझाव को भी मान लिया है और विशेष तौर पर यथासम्भव अधिकाधिक संख्या में फालतू कर्मचारियों के लिये वैकल्पिक रोज़गार ढूंढने के उपायों की खोज करने के लिये एक सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। यह अधिकारी एक ओर तो काम देने वाले मंत्रालयों से और दूसरी ओर प्रतिरक्षा मंत्रालय के औद्योगिक संस्थानों से एक निजी सहज सम्पर्क बनाये रहेगा। वह अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ के सम्पर्क में भी रहेगा।

[डा० काटजू]

मैं यहां यह भी बता दूं कि सरकार सदा ही अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ को इन नये परिवर्तनों की सूचना देती रही है, और उसने इस कठिन समस्या का एक संतोषपूर्ण समाधान ढूंढने के विचार से संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चायें भी की हैं। संघ को यह बताने का प्रत्येक सम्भव प्रयास किया गया है कि इतनी अधिक संख्या में कर्मचारियों की छंटनी करना क्यों अत्यावश्यक हो गया है ।

पहले तो, यह विचार था कि पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक, अर्थात् पिछले मार्च के अन्त तक, फालतू कर्मचारियों की छंटनी की जानी चाहिये। लेकिन, फिर यथासम्भव अधिकाधिक फालतू कर्मचारियों के लिये वैकल्पिक नियुक्तियों का और अधिक प्रयास करने की दृष्टि से, छंटनी स्थगित कर दी गई थी। छंटनी किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या को यथासम्भव कम से कम करने के लिये, हाल में नियुक्त किये हुए सम्पर्क अधिकारी को काम देने वाले मंत्रालयों से सम्पर्क स्थापित करने का समय दिया जायेगा। मुझे आशा है कि इसके बीच की यह अवधि काफ़ी अधिक संख्या में फालतू कर्मचारियों के लिये अन्य केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में वैकल्पिक रोजगार ढूंढने में उपयोगी सिद्ध होगा। लेकिन मुझे भय है कि इसके बाद भी जिन कर्मचारियों के लिये काम नहीं ढूंढा जा सकेगा, उनकी छंटनी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उन्हें फालतू कर्मचारियों की भांति अनिश्चित काल तक सेवायुक्त नहीं रखा जा सकता है। लेकिन उनकी छंटनी के बाद भी, उनके लिये यथाशीघ्र दूसरा काम ढूंढने का प्रयास जारी रहेगा। इस सम्बन्ध में मैं एक बात का स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। यदि कोई भी कर्मचारी, जिसकी वैकल्पिक नियुक्ति की जाती है, उस पद को स्वीकार नहीं करता है, तो उसकी बिल्कुल छंटनी कर दी जायेगी। स्पष्ट ही है कि सरकार एक ऐसे फालतू कर्मचारी को फालतू समय का वेतन देने के लिये तैयार नहीं हो सकती जिसे कि वैकल्पिक रोजगार दिया जाये और जो उसे स्वीकार न करे ।

अन्त में, मैं यह भी बता दूं कि हम इस समस्या के महत्व को पूरी तौर पर समझते हैं और हमने उन फालतू कर्मचारियों की भरसक सहायता की है जिन्हें कि अब सेवायुक्त नहीं रखा जा सकता है ।

†**श्री नम्बियार** : सरकार ने २१ मई को आरम्भ होने वाली हड़ताल के संघ के हड़ताल नोटिस के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**डा० काटजू** : पता नहीं, माननीय सदस्य कोई स्पष्ट प्रश्न पूछें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वक्तव्य पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं ।

सरकार की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में भारत सरकार का एक संकल्प लोक-सभा के सामने प्रस्तुत करता हूं। मुझे मालूम हुआ है कि इस संकल्प की प्रतियां लोक-सभा सचिवालय द्वारा लोक-सभा के सदस्यों को उपलब्ध कर दी जायेंगी ।

१. भारत सरकार ने अपने दिनांक ६ अप्रैल, १९४८ के संकल्प में औद्योगिक क्षेत्र में पालन की जाने वाली अपनी नीति को व्यक्त किया था। संकल्प में अर्थ-व्यवस्था के लिये उत्पादन में लगातार वृद्धि किये जाने और उसके समान वितरण के महत्व पर जोर दिया था, और बताया था कि उद्योगों के विकास में राज्य को अधिकाधिक सक्रिय रूप से हाथ बंटाना चाहिये। उसमें निश्चित किया गया था कि शस्त्रास्त्रों तथा युद्धोपकरणों और आण्विक

---

†मूल अंग्रेजी में

ऊर्जा तथा रेलवे परिवहन के साथ-साथ, जो कि केन्द्रीय सरकार के एकाधिकार में रहेंगे, राज्य छः मूल उद्योगों में नये उपक्रमों की स्थापना के लिये स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे—सिवाये उनके जहां कि राज्य स्वयं ही राष्ट्रीय हित को देखते हुए निजी उद्यम का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक समझे। शेष औद्योगिक क्षेत्र को निजी उद्यम के लिये छोड़ दिया गया था, हालांकि यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस क्षेत्र में भी राज्य उत्तरोत्तर अधिकाधिक रूप से भाग लेता रहेगा।

२. औद्योगिक नीति सम्बन्धी इस घोषणा को अब आठ वर्ष बीत चुके हैं। इन आठ वर्षों में भारत ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास देखे हैं। भारत का संविधान अधिनियमित किया जा चुका है, जिसमें कुछ मूलभूत अधिकारों की गारंटी दी गई है और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का निरूपण किया गया है। योजना का कार्य एक संगठित रूप से चला है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना हाल ही में पूर्ण हुई है। संसद् ने समाज के समाजवादी ढंग को सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। इन महत्वपूर्ण विकासों के कारण औद्योगिक नीति को एक बार फिर से बनाना आवश्यक हो जाता है। यह विशेष तौर पर इसलिये भी आवश्यक हो जाता है कि देश के सामने शीघ्र ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की जायेगी। इस नीति को संविधान में निरूपित सिद्धान्तों, समाजवाद के उद्देश्य, और इन वर्षों में प्राप्त अनुभव द्वारा ही शासित होना चाहिये।

३. भारत के संविधान की प्रस्तावना में घोषित किया गया है कि उसका उद्देश्य उसके समस्त नागरिकों को—

"सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय**;

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म, और उपासना की **स्वतन्त्रता**;

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिये, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली **बन्धुता**"

प्राप्त कराना है।

राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में यह कहा गया है कि—

"राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य साधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा।"

उससे भी आगे—

"(क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिये अहितकारी केन्द्रण न हो;

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये समान वेतन हो;

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

(ङ) श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों;

(च) शैशव और किशोर अवस्था का शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो।"

४. दिसम्बर, १९५४ में जब संसद् ने समाज के समाजवादी ढंग को अपनी सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया, तब इन मूल और सामान्य तत्वों को एक और भी निश्चित दिशा दी गई। इसीलिये, औद्योगिक नीति भी, अन्य नीतियों की भांति, इन्हीं तत्वों और निदेशों द्वारा शासित होनी चाहिये।

५. इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये, आर्थिक प्रगति की गति को बढ़ाना और औद्योगीकरण को अधिक तेज करना, और विशेष रूप से भारी उद्योगों और मशीन बनाने वाले उद्योगों का विकास करना सार्वजनिक क्षेत्र को विस्तृत करना, और एक विशाल तथा विकासोन्मुख सहकारी क्षेत्र को बनाना आवश्यक है। ये सभी लाभदायक रोजगार के अवसर बढ़ाने और सर्वसाधारण के रहन-सहन के स्तरों तथा काम करने की दशाओं में सुधार करने के लिये एक आर्थिक नीव की व्यवस्था करते हैं। ठीक इतनी ही अविलम्बनीय बात यह है कि आय और सम्पदा की वर्तमान असमानताओं को कम किया जाये, निजी एकाधिकरणों और विभिन्न क्षेत्रों में कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को रोका जाये। इसी के अनुसार, राज्य नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिये और परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने के लिये क्रमशः अधिकाधिक अभिभावी और प्रत्यक्ष दायित्व ग्रहण करता जायेगा। वह एक बढ़ते हुए पैमाने पर राज्य व्यापार को भी आरम्भ करेगा। साथ ही साथ, देश की विस्तृत होती हुई अर्थ-व्यवस्था के संदर्भ में, आयोजित राष्ट्रीय विकास के एक अभिकरण के रूप में, निजी क्षेत्र को विकास और विस्तार करने का अवसर प्राप्त होगा। जहां भी सम्भव हो वहां सहकारिता के सिद्धान्त को लागू करना चाहिये और निजी क्षेत्र की कार्यवाहियों के निरन्तर क्रमशः अधिकाधिक होते हुए अनुपात के अनुसार सहकारी ढंग पर विकसित किया जाना चाहिये।

६. राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में समाज के समाजवादी ढंग का अपनाया जाना, और साथ ही एक आयोजित और वेगशील विकास की आवश्यकता के फलस्वरूप यह आवश्यक हो जाता है कि मूल और सामरिक महत्व के सभी उद्योग, या जनोपयोगी प्रकार की सभी सेवायें सार्वजनिक क्षेत्र में ही रहें। अन्य उद्योग भी, जो कि अत्यावश्यक हैं और जिनमें एक ऐसे पैमाने पर विनियोजन किये जाने की आवश्यकता है जो वर्तमान समय में केवल राज्य ही कर सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र में ही रहेंगे। इसीलिये राज्य को एक अधिक विस्तृत क्षेत्र के उद्योगों के भावी विकास का प्रत्यक्ष दायित्व ग्रहण करना है। फिर भी, सीमित करने वाले कुछ कारण भी हैं जिनके कारण इस अवस्था में यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य अपने उस क्षेत्र का निरूपण कर दे जिसके भावी विकास का पूर्ण दायित्व वह सम्भालेगा, और वह उन उद्योगों को भी चुने जिनके विकास के लिये वह प्रभावशाली कार्यवाही करेगा। भारत सरकार ने इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने और योजना आयोग से परामर्श करने के बाद, यह निर्णय किया है कि उन में से प्रत्येक में राज्य के भाग को देखते हुए उद्योगों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाये। यह तो अवश्यम्भावी है कि कुछ सीमा तक ये

वर्ग एक-दूसरे में मिले जुले भी रहेंगे और उनके सम्बन्ध में एक अधिक कठोरता से कार्य करने से स्वयं उद्देश्य के ही नष्ट हो जाने की सम्भावना हो सकती है। लेकिन मूल सिद्धान्तों और उद्देश्यों को सदा ही ध्यान में रखना और ऊपर बताये हुए सामान्य निदेशों का पालन करना आवश्यक है। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि राज्य कभी भी किसी भी प्रकार के औद्योगिक उत्पादन को आरम्भ कर सकता है।

७. प्रथम वर्ग में वे उद्योग रहेंगे जिनके भावी विकास का पूर्ण दायित्व राज्य पर ही रहेगा। दूसरे वर्ग में ऐसे उद्योग रहेंगे जो क्रमशः अधिकाधिक रूप में राज्य के स्वामित्व में आते जायेंगे, और इसीलिये जिनमें सामान्य तौर पर नये उपक्रमों की स्थापना करने में उपक्रमण राज्य द्वारा ही किया जायेगा, लेकिन जिनमें निजी उद्यम से भी राज्य के प्रयासों की सहायता करने की आशा की जायेगी। तीसरे वर्ग में शेष सभी उद्योग रहेंगे और सामान्य रूप में उनके भावी विकास को निजी क्षेत्र के उपक्रमण और उद्यम पर ही छोड़ दिया जायेगा।

८. प्रथम वर्ग के उद्योग इस संकल्प की अनुसूची **'क'** में गिनाये गये हैं। इन उद्योगों में सभी नई इकाइयां केवल राज्य द्वारा स्थापित की जायेंगी, सिवाय उन इकाइयों के जिनकी कि निजी क्षेत्र में स्थापना की अनुमति दी जा चुकी है। इससे निजी-स्वामित्व की वर्तमान इकाइयों के बिस्तार की सम्भावना समाप्त नहीं हो जाती है और न ही राष्ट्रीय हितों के अनुकूल होने पर नई इकाइयों की स्थापना के लिये राज्य द्वारा निजी उद्यम का सहयोग प्राप्त करने की सम्भावना का अन्त होता है फिर भी, रेलवेज़ और वायु परिवहन, शस्त्रास्त्रों और युद्धापकरणों और आण्विक ऊर्जा को केन्द्रीय सरकार के एकाधिकारों के रूप में विकसित किया जायेगा। जहां भी निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करना आवश्यक है, वहां राज्य या तो पूंजी में अधिक अंशदान के द्वारा, या किसी अन्य प्रकार से, यह सुनिश्चित करेगा, कि उसके पास नीति का पथ-प्रदर्शन करने और उपक्रमों के कार्य-संचालन का नियंत्रण करने की आवश्यक शक्तियां रहें।

९. दूसरे वर्ग के उद्योग वह होंगे जो अनुसूची **'ख'** में दिये दिये गये हैं। उनके भावी विकास की गति तेज़ करने के लिये राज्य इन उद्योगों में भी अधिकाधिक तौर पर नये उपक्रमों की स्थापना करेगा। साथ ही, इस क्षेत्र में निजी उद्यम को भी, या तो अपने ही बूते पर या राज्य के साथ हाथ बंटाकर, विकास करने का अवसर रहेगा।

१०. शेष सभी उद्योग तीसरे वर्ग में रहेंगे, और यह आशा है कि उनका विकास निजी क्षेत्र के उपक्रमण और उद्यम के बल पर किया जायेगा, हालांकि राज्य को भी इस वर्ग में जब भी वह चाहे कोई उद्योग आरम्भ करने का अधिकार रहेगा। राज्य की नीति, बाद की पंच-वर्षीय योजनाओं में सूत्रित कार्य-क्रमों के अनुसार परिवहन विद्युत् और अन्य सेवाओं के विकास को उपयुक्त राजकोषीय तथा अन्य उपायों द्वारा सुनिश्चित करके निजी क्षेत्र में इन उद्योगों के विकास को सुविधाजनक बनाने और उन्हें प्रोत्साहन देने को रहेगी। राज्य इन उद्योगों के लिये वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाओं को बढ़ावा देती रहेगी, और औद्योगिक और कृषि कार्यों के लिये सहकारी ढंग पर संगठित उद्यमों को विशेष सहायता दी जायेगी। उपयुक्त मामलों में, राज्य निजी क्षेत्र को वित्तीय सहायता भी दे सकता है। ऐसी सहायता, विशेषकर उन मामलों में जिनमें कि राशि काफी अधिक हो, प्रायः बराबर की पूंजी लगाने के रूप में होगी, हालांकि वह ऋण-पत्र पूंजी के रूप में भी हो सकती है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

११. निजी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों को राज्य की सामाजिक और आर्थिक नीति के अनुकूल होना आवश्यक है। वे उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनों की शर्तों के नियंत्रण तथा विनियमन के अधीन रहेंगे। फिर भी, भारत सरकार यह मानती है कि सामान्यतः इन उपक्रमों को, राष्ट्रीय योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुकूल, यथासम्भव अधिकाधिक स्वतन्त्रता के साथ विकसित होने देना ही वांछनीय होगा। जिस भी किसी उद्योग में निजी और सार्वजनिक दोनों ही प्रकार के स्वामित्व वाली इकाइयां हों, राज्य की नीति दोनों ही के साथ उचित और अविभेदपूर्ण बर्ताव करने की रहेगी।

१२. उद्योगों को विभिन्न श्रेणियों में बांटने का अर्थ यह नहीं है कि उनका एक दूसरे से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहेगा। न केवल अतिछादित ही रहेगी अपितु सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में उद्योगों का अधिकाधिक मिश्रण भी होता रहेगा। आयोजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए या अन्य महत्वपूर्ण कारणों के उत्पन्न होने पर राज्य कोई भी ऐसा उद्योग शुरू कर सकता है जो कि अनुसूची 'क' या अनुसूची 'ख' में सम्मिलित नहीं किये गये हैं। उपयुक्त मामलों में, निजी कारखानों को अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये या उपोत्पाद के रूप में अनुसूची 'क' में आने वाली वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति दी जा सकती है, छोटे निजी कारखानों के लिये ऐसे उपक्रमों जैसे विहार-नौकायें और अन्य हल्की नौकायें बनाने, स्थानीय आवश्यकताओं के लिये बिजली पैदा करने और छोटे पैमाने पर खानों की खुदाई करने, के सम्बन्ध में साधारणतया कोई रोक नहीं होगी। सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योग हल्के पुर्जे सम्बन्धी अपनी आवश्यकतायें गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त कर सकते हैं और गैर-सरकारी क्षेत्र भी अपनी कतिपय आवश्यकता पूरी करने के लिये सरकारी क्षेत्र पर निर्भर करेगा। बड़े पैमाने के और छोटे पैमाने के और उद्योगों के परस्पर सम्बन्धों के विषय में भी यही सिद्धान्त और भी अधिक तीव्रता से लागू होगा।

१३. भारत सरकार इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिये कुटीर उद्योगों और ग्राम और छोटे पैमाने के उद्योगों के महत्व पर जोर देगी। उन समस्याओं के सम्बन्ध में, जिन को हल करना अत्यावश्यक है, इन के कुछ स्पष्ट लाभ हैं। इन से तुरन्त ही बड़े पैमाने पर काम मिलता है, राष्ट्रीय आय के उचित वितरण की व्यवस्था का सुनिश्चय होता है और पूंजी और दक्षता के संसाधनों को, जो अन्यथा अप्रयुक्त रह जाते, प्रभावोत्पादक प्रकार से काम में लाये जाने की सुविधा प्राप्त होती है। देश भर में औद्योगिक उत्पादन के छोटे-छोटे केन्द्र स्थापित करने से, हम उन समस्याओं से बच जायेंगे जो बिना योजना के नगरीकरण से उत्पन्न होती है।

१४ बड़े पैमाने के क्षेत्र में उत्पादन को सीमित करके, विभेदकारी करारोपण के द्वारा या प्रत्यक्ष अनुसहाय्यों द्वारा राज्य सरकार कुटीर उद्योगों, ग्राम उद्योगों, और छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति का अनुसरण करती रही है। यद्यपि ऐसे आवश्यक उपाय किये जाते रहेंगे, तथापि जब भी आवश्यक होगा, राज्य नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चय करना होगा कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र आत्म-निर्भरता के लिये पर्याप्त शक्ति सम्पन्न हो और उसका विकास बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ-साथ किया जा सके। अतः राज्य उन उपायों पर अधिक बल देगा जिन से कि छोटे पैमाने का उत्पादक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के योग्य हो सके। इस के लिये यह आवश्यक है कि उत्पादन के तरीकों में निरन्तर सुधार किया जाये और उन्हें आधुनिक

बनाया जाये, और परिवर्तन की गति पर इस प्रकार नियन्त्रण रखा जाये कि उससे प्रौद्योगिकीय बेकारी यथासम्भव कम से कम हो। टेकनिकल और वित्तीय सहायता की कम, काम के लिये उपयुक्त स्थान का अभाव और मरम्मत तथा संधारण आदि की सुविधाओं की अपर्याप्तता छोटे पैमाने के उत्पादकों की मुख्य कठिनाइयां हैं। इन कमियों को पूरा करने के लिये औद्योगिक सम्पदाओं और ग्रामीण सामुदायिक कर्मशालाओं की स्थापना करके कार्य का श्रीगणेश कर दिया गया है। ग्रामों में बिजली लगाने के कार्य का विस्तार करके और श्रमिकों के लिये उतने दामों पर जितने कि वह दे सके, बिजली देने से भी काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। औद्योगिक सहकारी संस्थाएं बनाने से भी छोटे पैमाने के उत्पादन से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों को अधिकाधिक प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसी सहकारी संस्थाओं को हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये और राज्य को कुटीर उद्योगों, ग्राम उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास की ओर निरन्तर ध्यान देना चाहिये।

१५. औद्योगिकरण से समूचे देश की अर्थ-व्यवस्था को लाभ पहुँचे, इस बात के लिये यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रदेशों के विकास-स्तर के अन्तर को क्रमशः कम किया जाये। देश के भिन्न-भिन्न भागों में उद्योगों का न होना कभी-कभी आवश्यक कच्चे माल की या अन्य प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होता है। कुछ क्षेत्रों में बहुत से उद्योगों का केन्द्रीयकरण भी वहां बिजली, पानी और परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं के, जो वहां विकसित हो गई हैं, सहज रूप से उपलब्ध होने के कारण हो जाता है। राष्ट्रीय आयोजन का एक उद्देश्य यह सुनिश्चय करना भी है कि यह सुविधायें उत्तरोत्तर रूप से उन क्षेत्रों में भी उपलब्ध हों जो इस समय औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं या जहां रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध कराये जाने की अधिकाधिक आवश्यकता है, परन्तु शर्त यही है कि वह स्थान अन्यथा उपयुक्त हों। प्रत्येक प्रदेश में औद्योगिक, और कृषि अर्थ-व्यवस्था का संतुलित और समायोजित विकास करके ही सारे देश में उच्चतर जीवन स्तर को प्राप्त किया जा सकता है।

१६. औद्योगिक विकास का यह कार्यक्रम देश में टेकनिकल और प्रबन्धकीय कर्मचारियों की अधिकाधिक मांग करेगा। सरकारी क्षेत्र के विस्तार की तेज़ी से बढ़ती मांगों और ग्राम तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकारी सेवाओं में उचित प्रबन्धकीय और टेकनिकल पदालियां स्थापित की जा रही हैं। पर्यवेक्षण स्तरों पर कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिये, सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी उपक्रमों में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण देने की शिशिक्षु योजनाओं को आयोजित करने के लिये और विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं में व्यापारिक प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है।

१७. यह आवश्यक है कि उद्योगों में काम करने वालों को उचित सुविधायें और प्रेरणा दी जाये। श्रमिकों के जीवन और काम करने की स्थिति में सुधार किया जाये और उनकी कार्य-क्षमता का स्तर ऊंचा उठाया जाये। औद्योगिक प्रगति के लिये औद्योगिक शांति बनाये रखना अत्यावश्यक है। एक समाजवादी लोकतंत्र में श्रमिक विकास के सांझे काम में भागीदार होते हैं और उन्हें इस में उत्साह से भाग लेना चाहिये। औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में कुछ विधियां बनाई गई हैं और प्रबन्धकों और श्रमिकों दोनों के द्वारा अपने दायित्वों का अधिकाधिक अनुभव किये जाने से एक विशाल साझा दृष्टिकोण विकसित हुआ है। संयुक्त रूप से परामर्श किया जाना चाहिये, और जहां भी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सम्भव हो, वहां श्रमिकों और प्रविधिविज्ञों को प्रबन्ध के काम से उत्तरोत्तर सम्बद्ध किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उदाहरण स्थापित करना चाहिये ।

१८. उद्योग और व्यापार में राज्य द्वारा उत्तरोत्तर अधिकाधिक भाग लिये जाने के कारण जिस प्रकार से इन गतिविधियों का संचालन किया जाना चाहिये वह अधिकाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इन उपक्रमों को सफल बनाने के लिये शीघ्र निर्णय करना और उत्तरदायित्व संभालने के लिये तैयार रहना आवश्यक है। इस के लिये, जहां भी संभव हो, प्राधिकार का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये और उन का प्रबन्ध व्यापारिक ढंग से होना चाहिये। यह आशा की जा सकती है कि सरकारी उपक्रम राज्य के राजस्व को बढ़ायेंगे और नये क्षेत्रों में अग्रेतर विकास के लिये संसाधन उपलब्ध करायेंगे। किन्तु ऐसे उपक्रमों में कभी-कभी हानि भी हो सकती है। सरकारी उपक्रमों की सफलता का अनुमान उन के समस्त परिणामों से लगाया जाना चाहिये, और उन्हें अपने कार्यकरण के सम्बन्ध में यथासंभव अधिक से अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिये।

१९. १९४८ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में बहुत से ऐसे अन्य विषयों की चर्चा भी की गई थी, जिन के बारे में उसके पश्चात् उपयुक्त विधान बना दिये गये हैं या नीति सम्बन्धी प्राधिकृत वक्तव्य दिये जा चुके हैं। उद्योगों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का जो अलग-अलग उत्तरदायित्व है, उसे उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियमन में निश्चित कर दिया गया है। प्रधान मंत्री ने संसद् में अपने ६ अप्रैल, १९४९ के वक्तव्य में विदेशी पूंजी के बारे में राज्य की नीति का स्पष्टीकरण किया है। इस लिये इस संकल्प में उन विषयों की चर्चा करना आवश्यक नहीं है।

२०. भारत सरकार विश्वास करती है कि औद्योगिक नीति के इस पुनः स्पष्टीकरण का सभी के द्वारा समथन किया जायेगा और इससे देश के तुरन्त औद्योगिकरण को सहायता मिलेगी।

अनुसूची 'क'

१. शस्त्रास्त्र तथा युद्धोपकरण तथा सम्बद्ध प्रतिरक्षा उपकरण।

२. अणुशक्ति ।

३. लोहा और इस्पात।

४. लोहे और इस्पात के भारी सांचे तथा ढली हुई वस्तुयें।

५. लोहा और इस्पात के उत्पादन, खनन, मशीनी औज़ोरों के निर्माण और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मूल उद्योगों के लिये अपेक्षित भारी संयंत्र तथा मशीनरी।

६. विशाल, द्रव-चालित तथा वाष्प चालित टरबाहनों समेत भारी विद्युत् संयंत्र।

७. कोयला और लिग्नाइट।

८. खनिज तेल ।

९. लौह प्रस्तर, मैंगनीज़ प्रस्तर, क्रोम प्रस्तर, खड़िया मिट्टी, गन्धक स्वर्ण और हीरे का खनन।

१०. तांबा, सीसा, दस्ता, टीन, मौलिबडेनम और वुलफाम का खनन और परिष्करण।

११. अणु शक्ति (उत्पादन तथा प्रयोग का नियंत्रण) आदेश, १९५३ में उल्लिखित खनिज पदार्थ ।

१२. वायुयान।

१३. वायु परिवहन ।

१४. रेल परिवहन ।

१५. पोत निर्माण ।

१६. टेलीफ़ोन यंत्र तथा टेलीफ़ोन केबुल, टेलीग्राफ़ तथा बेतार यंत्र (रेडियो प्रायक सैटों के अतिरिक्त) ।

१७. विद्युत्शक्ति का जनन तथा वितरण ।

अनुसूची 'ख'

१. खनिज रियायत नियमों, १९४९ को धारा ३ में परिभाषित "सामान्य खनिज वस्तुओं के" अतिरिक्त अन्य सभी खनिज पदार्थ ।

२. एल्यूमीनियम तथा अनुसूची 'क' में सम्मिलित न की गई अन्य अलौह धातुयें ।

३. मशीनी औज़ार ।

४. लौह युक्त वर्णसंकर धातुयें तथा औज़ारों के बनाने में काम में आने वाला इस्पात ।

५. रासायनिक उद्योगों द्वारा अपेक्षित मूल तथा माध्यमिक उत्पादों जैसे औषधियों, रंगों और प्लास्टिक का बनाना ।

६. एन्टी-बायोटिक्स तथा अन्य सारवान औषधियां ।

७. उर्वरक ।

८. संश्लेषित रबड़ ।

९. कोयले का कार्बनीकरण ।

१०. रासायनिक लुग्दी ।

११. सड़क परिवहन ।

१२. समुद्र परिवहन ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : क्योंकि शीघ्र ही योजना के सम्बन्ध में चर्चा होने को है और यह नीति सम्बन्धी वक्तव्य उसमें मुख्य रूप से निर्णायक रहेगा इसलिये क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि इसे परिचालित कर दिया जाये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जैसा कि मैंने अभी कहा है, जो संकल्प मैंने अभी पढ़ा है, उसकी प्रतियां सदस्यों को तुरन्त मिल सकती हैं । १९४८ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प और १९४९ के विदेशी पूंजी सम्बन्धी वक्तव्य की प्रतियां लोक-सभा सचिवालय उपलब्ध करा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन वक्तव्यों की प्रतियां बैठक समाप्त होने से पहले ही उपलब्ध करा दी जायेंगी ।

सभा का कार्य

आधे घण्टे की चर्चा

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेगा ।

†**श्री बंसल** (झज्जर–रिवाड़ी) : मेरा निवेदन है कि चूंकि इस चर्चा का विषय बहुत महत्व-पूर्ण है और इसका सम्बन्ध सीमेंट के उत्पादन, वितरण और मूल्यों से है, इस लिये इसके लिये कुछ और अधिक समय दिया जाये । मेरा दूसरा सुझाव यही है कि इसमें चर्चा प्रारम्भ करने वाले सदस्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर दिया जाये, ताकि मंत्री महोदय वाद-विवाद के अन्त में उत्तर दे सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : चर्चा को प्रारम्भ करने वाले सदस्य और सम्बन्धित मंत्री से पहले ही पूछ लिया जाता है कि वे कितना समय लेंगे । यदि इसके पश्चात् कोई समय बचा तो वह अन्य सदस्यों को दिया जायेगा । उन माननीय सदस्यों को जो चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, पहले ही सूचना दे देनी चाहिये ।

समय बढ़ाने के बारे में, मैं नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य ६ बजे के बाद भी बैठने के लिये तैयार हैं ही या नहीं ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : हम तैयार नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं जब कि आधे घंटे की चर्चा का समय बढ़ाया गया हो । इसके अतिरिक्त सदन में इस सम्बन्ध में सर्व सहमति भी नहीं है ।

†**श्री वी० पी० नायर** (चिरचिन्कील) : मेरा निवेदन है कि यदि इन दिनों में से किसी एक दिन एक घंटे का समय मिल सके, तो यह चर्चा उस समय की जा सकती है । आधा घंटा ऐसे महत्वपूर्ण विषय के लिये बहुत कम है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर बाद को विचार करूँगा कि इस का समय आधा घंटा हो या एक घंटा । मैं माननीय मंत्री जी से भी पूछंगा और यदि सदन सहमत हुआ, तो मैं समय बढ़ाने का प्रयत्न करूँगा ।

मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा १५ मार्च, १९५६ को श्री दातार द्वारा प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेगी :

> "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि निर्वाचित ग्राम-प्राधिकारियों और तत्सम्बन्धी विषयों के लिये मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रसाशन) विनियमन, १९४७ को संशोधित करने वाले विधेयक को, जो राज्य सभा द्वारा २१ सितम्बर, १९५४ को पारित किया गया था और २३ सितम्बर १९५४, को इस सभा के पटल पर रखा गया था, वापस लेने की अनुमति दी जाये ।"

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : जब इस विषय पर पिछली बार चर्चा हुई थी, तो कुछ सदस्यों ने स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या वापस लिये जाने वाले विधेयक को संशोधित किया जाये । मैंने सब परिस्थितियों पर विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि इस विधेयक का क्षेत्र सीमित है क्योंकि जहां तक ग्राम-प्राधिकारों के गठन का सम्बन्ध है, इस के द्वारा केवल निर्वाचन की व्यवस्था की जानी थी । वर्तमान मामले में सरकार का विचार यह है कि राज्य सभा द्वारा इस विधेयक के पारित किये जाने के बाद कुछ घटनायें हुई हैं, अर्थात् मनीपुर राज्य में व्यवहार प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता को लागू कर दिया गया है । हमारे न्यायालय इत्यादि की एक परम्परा है, वह दो प्रकार के हैं, दीवानी और दांडिक । किन्तु सरकार का विचार है कि ग्राम न्यायालयों की बनाये रखने का भी नियमित प्रयत्न किया जाये । सन् १९४७ के विनियमन के अन्तर्गत समस्त ग्राम-प्राधिकारियों को स्वतएव काम करने का अधिकार प्राप्त था और उन्हें कुछ दांडिक शक्तियां भी प्राप्त थीं । इस प्रणाली में कुछ पुराने उपबन्ध भी थे, जैसा कि कुछ मामलों में कठोर शारीरिक दंड देना इत्यादि । इसलिये यह समझा गया कि यह प्रणाली बहुत पुरानी हो चुकी है और इसलिये एक नया विधेयक प्रस्तुत किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नये विधेयक का जो कि तुरन्त पुरःस्थापित किया जायेगा, उद्देश्य निर्वाचित ग्राम-प्राधिकारों के लिये पूर्ण उपबन्ध करना है। ग्राम न्यायालय भी स्थापित किये जायेंगे और उन्हें दीवानी और दांडिक मामलों के सम्बन्ध में, जहां तक उनका प्राधिकार है, शक्तियां दी जायेंगी। यह उपबन्ध किया गया है कि ग्राम न्यायालय उन न्यायालयों के साथ-साथ कार्य करेंगे जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के आधीन स्थापित किये जाने को हैं। ये ग्राम न्यायालय मनीपुर में विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में जारी रहने चाहियें। इस प्रयोजन के लिये व्यापक उपबन्ध किये जाने थे, और राज्य सभा द्वारा विधेयक के पारित किये जाने के बाद उत्पन्न हुई नई स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा गया था कि सीमित प्रकार के विधेयकों को वापस ले लिया जाये और एक नया व्यापक विधेयक जिसमें न केवल ग्राम प्राधिकारों बल्कि ग्राम न्यायालयों के संगठन की उचित तथा संगठित व्यवस्था की गई हो, पुरःस्थापित किया जाये। हमें बताया गया है कि क्योंकि यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है इसलिये इसको वापस लेने के लिये हमें राज्य सभा की अनुमति लेनी पड़ेगी। इस मंत्रणा के अनुसार मैं चाहता हूँ कि यह सदन राज्य सभा से सिफारिश करे कि निर्वाचित ग्राम-प्राधिकारियों और तत्सम्बन्धी विषयों के लिये मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रसाशन) विनियम १९४७ को संशोधित करने वाले विधेयक को, जो राज्य सभा द्वारा २१ सितम्बर, १९५४ को पारित किया गया था और २३ सितम्बर, १९५४ को इस सभा के पटल पर रखा गया था, वापस लेने की अनुमति दी जाये।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : इससे पहले कि आप प्रस्ताव को सदन के समक्ष रक्खें, मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह प्रस्ताव ग्राह्य नहीं है। मैं ने प्रक्रिया नियमों को पढ़ा है और उनमें ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सके। हम कैसे दूसरे सदन से यह प्रार्थना कर सकते हैं, कि वह एक ऐसे विधेयक को वापस लेने की अनुमति दे, जिसे कि वह पारित कर के हमारे पास भेज चुका है और जो अब इस सदन के सामने है? मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह बतायें कि ऐसा विचित्र प्रस्ताव किस उपबन्ध के अन्तर्गत किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे भी इस मामले में संदेह है। नियम यह है कि जब कोई विधेयक जो कि राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया हो, उसके द्वारा पारित किये जाने के बाद इस सदन को भेजा जाये, तो वह पटल पर रखा जाता है। यह सदन के सामने तभी प्रस्तुत समझा जायेगा जब इस पर विचार करने का औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया हो, ऐसे प्रस्ताव के बाद मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि चूंकि इस सदन में एक और विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, इस लिये इसे वापस लेने की अनुमति दी जाये। माननीय मंत्री इन दो बातों का उत्तर दें।

†**श्री दातार** : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरा निवेदन है कि जब राज्य-सभा द्वारा पारित किया गया कोई विधेयक इस सदन के पटल पर रख दिया जाये तो वह विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया समझा जाता है। इसलिये सदन को न केवल उस पर विचार करने क लिए कहा जा सकता है, बल्कि दूसरे सदन से उसे वापस लेने के लिये प्रार्थना भी की जा सकती है।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : किस नियम के अन्तर्गत?

†**श्री दातार** : जहां तक प्रविधिक पहलू का सम्बन्ध है, आपका सुझाव यह मालूम होता है कि जब तक विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत न किया जाये, मैं इसे वापस लेने का प्रस्ताव नहीं कर सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : तभी यह मामला सदन के सामने प्रस्तुत समझा जायेगा। उसके बाद वापस लेने का प्रस्ताव किया जा सकता है। केवल सदन पटल पर रख देने से ही उसके पुरःस्थापित किये जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, इस सम्बन्ध में मुझे संशय है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : मेरा एक सुझाव है। यह विधेयक इस सदन में पुरःस्थापित नहीं हुआ है। नया विधेयक जो कि इस सदन में पुरःस्थापित किया जाना है, विचारार्थ प्रक्रम पर पहुँचने का प्रयत्न किये बिना पुरःस्थापित किया जा सकता है। तब वह उस सदन में विधेयक के वापस लेने का प्रस्ताव कर सकते है। हम नए विधेयक पर विचार कर सकते हैं।

†**श्री दातार** : विधेयक सदन में आ चुका है। इसलिये जबकि सदन के सम्मुख एक विधेयक विचारर्थ मौजूद है तो इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता कि विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न यह है कि क्या बिना इस प्रस्ताव के मैं दूसरा विधेयक पुरःस्थापित कर सकता हूँ। यदि इसम कोई आपत्ति न हो तो मैं दूसरा विधेयक पुरःस्थापित करूँगा।

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : स्थिति पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। प्रक्रिया यह है कि जब कोई विधेयक दूसरे सदन में आरंभित होता है और उस सदन द्वारा पास कर दिया जाता है, तो यहां उसे तभी लिया जा सकता है जबकि वह हमें प्रेषित किया जाए। इसलिये सब से महत्वपूर्ण प्रेषण है। नियम १५१ के अंतर्गत इस बात का उपबन्ध है कि राज्य-सभा में आरंभित विधेयक उसके द्वारा पास किया जाकर यहां प्रेषित कर दिया जाए तो क्या होता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रेषण का प्रभाव क्या होता है ?

†**श्री पाटस्कर** : जब विधेयक इस सदन को प्रेषित कर दिया जाता है तो क्या हम इसके चार्ज में नहीं हैं।? अथवा यह महज़ यांत्रिक प्रक्रिया है ?

†**श्री दातार** : क्या माननीय विधि-कार्य मंत्री का यह कहना है कि हम विधेयक के चार्ज में हैं और मैं इसे वापस लेने का प्रस्ताव कर सकता हूं।

†**श्री पाटस्कर** : हाँ।

†**श्री दातार** : तब मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई संदेह होने पर मैं माननीय मंत्री जी से मशविरा लूंगा। हमें इस मामले का निर्णय करना है। इसमें दो चीज़ें हैं : यदि मामला नियमित रूप से सदन के सम्मुख है तो क्या हम इसे दूसरे सदन को वापस भेज सकते हैं ? जैसे ही कोई विधेयक एक सदन द्वारा पास कर दिया जाता है, वह दूसरे सदन को प्रेषित किया जाता है, और प्रश्न यह है कि क्या उस सदन का अब भी उसपर कोई क्षेत्राधिकार है, जब तक हम उस सदन को इसे वापस न भेज दें। श्री दातार ने अभी कहा कि एक बार सदन पटल पर रखे जाने के बाद और उस सदन के दरवाज़े से बाहर आने के बाद केवल इस सदन का क्षेत्राधिकार है। निश्चय ही विधेयक को भेज देने के बाद उस सदन का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा जब तक कि यह सदन उसे वापस लेने की प्रार्थना न करे अथवा इसे उस सदन को न भेज दे।

मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि इस विधेयक को महज़ इस सदन में भेज देने के बाद क्या उस पर इस सदन का क्षेत्राधिकार हो जाता है, यद्यपि उस सदन का भले ही न रहा हो, और क्या विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करके अग्रेतर कदम उठाया जा सकता है। उस प्रक्रम पर इसे दूसरे सदन को भेजा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि कोई सदन यदि एक बार किसी विधेयक को पास करके दूसरी सभा को भेज दे तो बिना दूसरे सदन की सहमति के पहले सभा का उसे वापस लेने अथवा आगे बढ़ाने सम्बन्धी कोई क्षेत्राधिकार नहीं रहता। उस सदन का अब कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अब चूंकि यह सदन पटल पर रख दिया गया है और पुरःस्थापित कर दिया गया है इसलिये इसे अस्वीकृत करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह तर्क दिया जा सकता है कि विचारार्थ लेने के औपचारिक प्रस्ताव के बिना भी इस सदन में कोई अन्य प्रस्ताव किया जा सकता है और तदनुसार प्रस्ताव कर दिया गया है । इस सदन द्वारा इस प्रस्ताव के पास करने के बाद ही उस सदन का क्षेत्राधिकार होगा ।

श्री मोरे के तर्क में बहुत बल नहीं मालूम होता । दूसरे सदन का क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया है और अब इस सदन का क्षेत्राधिकार है । प्रश्न केवल यह है कि विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत है या नहीं । मैं समझता हूं कि विधेयक को सभा पटल पर रखा जाना उसका पुरःस्थापन करना है और विचार करने से पूर्व इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव कि यह दूसरे सदन को वापस लेने के लिये भेज दिया जाए, उचित रूप से किया जाए । क्या श्री मोरे को कुछ और कहना है ?

†**श्री एस० एस० मोरे** : मैं समझता हूं कि नियमों के अन्तर्गत उचित प्रस्ताव नियम १४९ के अन्तर्गत किया जाना चाहिए ।

नियम १४७ के अन्तर्गत विधेयक को वापस लेने की अनुमति किसी प्रक्रम पर प्रस्तावित की जा सकती है । मान लीजिये कि दूसरे सदन के नियम भी हमारे नियमों की तरह हैं, तो एक बार वहां से कोई विधेयक यहाँ प्रेषित कर दिये जाने के बाद, वह विधेयक इस सदन का विचाराधीन विधेयक बन जाता है । यह आप नियम १४९ के खंड २ की व्याख्या ३ से देख सकते हैं । इसलिये इस विधेयक को सरकार यदि किसी कारण आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो उचित प्रस्ताव यह नहीं होगा कि वह इस सदन में यह प्रस्ताव लाये कि दूसरे सदन से विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए । किन्तु चूंकि अब यह विधेयक इस सदन में निलम्बित विधेयक है, दूसरे सदन में आरम्भ होने पर ही इसे यहाँ वापस लिया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : किन्तु यह तभी किया जा सकता है जब कि उप-खड (१) से (५) में वर्णित कोई प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाए ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : १५१ से १६६ के नियमों को विस्तृत माना जाता है और अध्याय २९ के नियमों को भी । यदि इन सब नियमों की जाँच की जाए तो एक भी ऐसा नियम नहीं मिलता जिसमें कि इस प्रकार के प्रस्ताव की अपेक्षा की गयी हो । इसलिये दूसरे सदन में अद्भूत और इस सदन को प्रेषित विधेयकों के सम्बन्ध में केवल कुछेक प्रस्ताव किए जा सकते हैं । आपने नियम १३५ के अन्तर्गत विनिर्णय दिया था । ये नियम पूरी तरह हम पर बाधित हैं और इसके परे हम नहीं जा सकते । इसलिये यदि कोई ऐसा विशिष्ट नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत कि हम ऐसा प्रस्ताव ला सकें तो आपको यह मानना पड़ेगा कि कोई कमी है और इस कमी को हम इस प्रकार निवारण नहीं कर सकते—अर्थात् दूसरे सदन से प्रार्थना करके हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या इस प्रकार विधेयक का वापस भेजना हमारे नियमों के अन्तर्गत अनुसेय है या नहीं ।

†**श्री कामत** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । जब कि विधेयक एक सदन से दूसरे सदन को प्रेषित किया जाता है और दूसरे सदन में उस पर विचार करने का प्रस्ताव किया जाता है तो जो इस बीच का समय होता है उसमें किस सदन का क्षेत्राधिकार उस विधेयक पर होता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसी पर हम विचार कर रहे हैं । दो दृष्टिकोण हैं । दूसरे सदन से निकलने के बाद ही उसका क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाता है । प्रश्न केवल यह है कि उस सदन से प्रेषित किए जाने और इस सदन के पटल पर रखे जाने पर क्या इस सदन का क्षेत्राधिकार है अथवा विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद यह इस सदन के क्षेत्राधिकार में आता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

श्री मोरे के अनुसार, दूसरे सदन से भेजा गया विधेयक इस सदन में निलम्बित है। इस सम्बन्ध में कोई सन्देह प्रतीत नहीं होता। जब कोई विधेयक इस सदन में निलम्बित है तो, यदि यह इस सदन में आरम्भ होने वाला विधेयक है, नियम १४७ के अन्तर्गत इसका प्रभारी सदस्य इसे वापस लेने का प्रस्ताव कर सकता है। किन्तु यदि विधेयक दूसरे सदन में आरम्भ हुआ है और यहाँ चर्चा के लिये भेजा गया है तो हम यातो उसे अस्वीकृत कर सकते हैं अथवा स्वीकृत कर सकते हैं अथवा कुछ संशोधन कर सकते हैं। यह न होने पर हम दूसरे सदन से कह सकते हैं कि आप इसे वापस लीजिये। जब हमारे पास किसी सम्बन्ध में विशिष्ट नियम न हों और परिस्थिति की आवश्यकता ऐसी हो, तो मैं समझता हूं कि हम अवशिष्ट अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।

फिर, इसे वापस लेने का एक दूसरा कारण है। एक अधिक विस्तृत विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा। इसलिये यही अधिक अच्छा है कि उस विधेयक को वापस भेज दिया जाये और इस विधेयक को लिया जाये। मैं केवल नियम ४०१ के अन्तर्गत कह रहा हूं जिसमें कि मुझे कुछ अधिकार प्राप्त हैं। इस विधेयक के दूसरे सदन में आरम्भ होने के कारण, ठीक उसी प्रकार का प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और इसलिये उस सदन से विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव किया जा सकता है।

अब मैं प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि निर्वाचित ग्राम प्राधिकारियों और तत्सम्बन्धी विषयों के लिये मनीपुर राज्य पहाड़ी लोग (प्रशासन) विनियमन, १९४७ को संशोधित करने वाले विधेयक को जो राज्य सभा द्वारा २१ सितम्बर, १९५४ को पारित किया गया था और २३ सितम्बर, १९५४ को इस सभा के पटल पर रखा गया था, वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों के ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक*

†**गृह-मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : पंडित गोबिन्द वल्लभ पंत की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मनीपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम प्राधिकारियों के कार्य और विधान सम्बन्धी विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ

†**श्री दातार** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब १२ दिसम्बर, १९५५ को श्री पाटस्कर द्वारा प्रस्तावित हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगी।

इस विधेयक के लिए ३५ घंटे का समय निर्धारित किया गया है। उस दिन जब उपाध्यक्ष यहाँ थे समय बढ़ाने का सुझाव दिया गया था। मैंने विभिन्न खंडों और उन पर भेजे गए संशोधनों को देखा है। मेरा विचार है कि खण्डशः प्रक्रम पर अधिक समय लगेगा और इसलिये मेरा सुझाव है कि २०

---

*भारत के असाधारण गज़ट दिनांक ३०-४-५६ के भाग २, अनुभाग २, में पृष्ठ (?) पर प्रकाशित।

†मूल अंग्रेजी में

घंटे खंडों के लिये, १० घंटे सामान्य विचार के लिये और ५ घंटे तृतीय वाचन के लिये आवंटित किए जाएँ। यदि निर्धारित अवधि में खंडों पर विचार समाप्त न हो सके तो तृतीय वाचन के समय से कुछ समय इधर लिया जा सकता है। यदि सदन इस पर सहमत हो तो उक्त समय तालिका को अपनाया जा सकता है।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : अध्यक्ष को ३५ घंटे की समयावधि बढ़ाने का अधिकार है। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है।

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं समझता हूं कि तृतीय वाचन के लिये दो घंटे पर्याप्त होंगे और सममान्य विचार के लिये १३ घंटे दिये जा सकते हैं।

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मेरा सुझाव है कि १० घंटे सामान्य चर्चा के लिये, २० घंटे खण्डों के लिये और ५ घंटे तृतीय वाचन के लिये रखे जायें। इस विधेयक में महत्वपूर्ण खंड हैं और इसलिये मैं चाहूँगा कि खंडों को अधिक समय दिया जाए। तृतीय वाचन का प्रक्रम सामान्य चर्चा के समान ही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा ख्याल है कि १३ घंटे सामान्य चर्चा के लिये आवंटित कर दिए जाएं। आवश्यकता हुई तो खण्डों के लिये और समय लेने का प्रयत्न किया जाएगा।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विरोध करने से पूर्व मैं इस सदन के सदस्यों से हृदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे इस विधेयक की तरफ बड़ी गम्भीरता से देखें। सवाल यह है कि भारत के करोड़ों लोगों पर इस विधेयक का दूरवर्ती प्रभाव होने वाला है। मेरी समझ में सदन के बहुत से सदस्यों ने यह नहीं सोचा कि इसका परिणाम करोड़ों लोगों के सम्बन्ध में क्या होने वाला है। जब मैं किताबों को देखता हूं तो पाता हूं कि उन में लिखा है कि भारत की ७० प्रतिशत जनता आज कृषि व्यवसाय में मग्न है। इस ७० फीसदी जनता में पूरे देश की ५० प्रतिशत जनता है अर्थात् साढ़े सत्तरह करोड़ आदमी इस प्रकार के हैं जो कि पार्ट ओनर (आंशिक मालिक) हैं, या फुल ओनर (पूरे मालिक) हैं और कल्टिवेशन (खेती) करते हैं। अर्थात् भारत के १७ और १८ करोड़ के बीच में ऐसे लोग हैं जो कृषि सम्पत्ति के मालिक हैं और देहातों में रहने वाले हैं। यह १८ करोड़ लोग अधिकतर अशिक्षित हैं। उन पर इस विधेयक का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़े ऐसा परिणाम होने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे वहां की समाज रचना बदलने वाली है, हमारी गृह रचना बदलने वाली है, हमारी अर्थ व्यवस्था बदलने वाली है। जो इस प्रकार का दूर-गामी विधेयक है उसकी तरफ भावना प्रधान दृष्टि से देखना, काव्यमय दृष्टि से देखना, रोमांटिक दृष्टि से देखना, मैं समझता हूं, उचित नहीं होगा।

इस देश में दस वर्ष से इस विधेयक के सम्बन्ध में प्रयत्न हो रहा है। परन्तु मेरी समझ में केवल तीन वर्गों के लोग हैं जो इस विधेयक का समर्थन करने वाले हैं। एक वर्ग तो इस प्रकार का है जो केवल प्रगति के नाम के पीछे चलने वाला है और यह सोचता है कि प्रगतिशील है। लेकिन वे यह नहीं सोचते हैं कि प्रगति का तरीका क्या है। उनके अनुसार स्त्री को अधिकार देना बड़ी प्रगति की बात है। चूंकि मनु दो हजार साल पुराने हैं, चार हज़ार साल पुराने हैं, इसलिये मनु, याज्ञवल्क्य या जीमूतवाहन अब पुराने हो गये हैं। जो वे लोग कर रहे हैं वही अच्छा है। आज चूंकि वे लोग पुरानी चीज़ों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वी० जी० देशपांडे]

को छोड़ कर नई चीज़ें लाना चाहते हैं इसलिये अपने को समझते हैं कि बड़े प्रगतिशील हैं । तो इस प्रगतिशीलता के पीछे चलने वाला एक वर्ग है ।

दूसरा वर्ग वह है जैसे कि अंग्रेजी सिस्टम (प्रथा) में नाइट्स हुआ करते हैं जिनको हमेशा विपत्ति में पड़ी हुई स्त्रियों की सहायता करने की पड़ी रहती है । डैमसेल इन डिस्ट्रेस (विपत्ति में पड़ी महिला) के आंसू पोंछने वाला वर्ग है । यह मनुष्य के हृदय की एक कमजोरी है कि जब स्त्री का प्रश्न आता है तो वह कहता है कि चाहे मेरा जीवन समाप्त हो जाये लेकिन स्त्री के आंसू पूंछने चाहियें । तो यह रोमांटिक एप्रोच (काव्यमय दृष्टिकोण) वाला वर्ग है । एक और वर्ग है जो कि मार्डन (आधुनिक) एमेजन को देखकर बेंबूज़िल हो जाता (चकमे में आ जाता है) और डर के कारण कहने लगता है कि हमारे साथ स्त्रियों को भी समान अधिकार मिलने चाहियें । यह उनसे दबने वाला वर्ग है । तो ये तीन वर्ग इस समय सामने आ रहे हैं । मेरी समझ में इस प्रकार रोमांटिक या डर का एप्रोच इस विषय की ओर न होकर वास्तविकता के आधार पर इस विषय पर विचार करना चाहिए । जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं हमको केवल नारों के पीछे लग कर किसी विषय को नहीं देखना चाहिये ।

लोग कहते हैं कि पुरानी बातें छोड़ दो । मैं कहता हूं कि पुरानी बातों का समर्थन करने वाले मजबूत जमीन पर हैं । हजारों वर्षों के इन पुराने कानूनों के अनुसार समारी समाज व्यवस्था चली आ रही है । मनु, याज्ञवल्क्य, विज्ञानेश्वर और जीमूतवाहन के बनाये कानूनों के अनुसार हमारी समाज व्यवस्था बहुत समय से चल रही है। इसलिये मैं कह सकता हूं कि इन शास्त्रों के प्रति जो अन्धविश्वासी हैं वह मजबूत ज़मीन पर हैं । लेकिन वह नया अन्धविश्वासी इतनी मजबूत जमीन पर नहीं है जो कि यह कहता है कि मनु अच्छा नहीं था । उसको बताना चाहिये कि क्यों मनु अच्छा नहीं था, स्त्रियों को समान अधिकार न देने से अब तक समाज की क्या हानि हुई है और किस तरह से समाज की सम्पत्ति समाप्त हो रही है । आज हम अपने देश में एक नया समाजवादी ढंग ले कर सामने आ रहे हैं । कहा जाता है कि क्योंकि लड़की को समान अधिकार नहीं दिया जाता इसलिये समाजवादी ढंग नहीं आ सकता । लेकिन मैं कहता हूं कि आप फिगर्स (आंकड़े) लाइये कि किस प्रकार वर्तमान व्यवस्था में इससे समाज को हानि हो रही है या समाज की सम्पत्ति नष्ट हो रही है । आपको यह बतलाना चाहिये कि किस प्रकार यह व्यवस्था हमारे देश में समानता लाने में बाधक हो रही है । मैं देखता हूं कि इस प्रश्न के प्रति लोगों की साइंटिफिक (वैज्ञानिक) और रियलिस्टिक (वास्तविक) एप्रोच नहीं है । खाली पुराने लोगों को गाली देने से काम नहीं चल सकता । मुझे पुराने शास्त्रों पर पूर्ण विश्वास है और मैं समझता हूं कि उन शास्त्रों को समझने की योग्यता न होने के कारण इस प्रकार की बातें आज कही जा रही हैं । पुराने शास्त्रों का एप्रोच ठोस होते हुए भी उसकी ओर नहीं देखते और उसके विपरीत जाने का प्रयास कर रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूँ कि यह कौन से अर्थशास्त्र के आधार पर कहा जा रहा है, और कौन सी समाज रचना के अनुसार आप यह क्रान्तिकारी परिवर्तन हमारे सामने ला रहे हैं ।

इस विधेयक पर दस पन्द्रह साल से चर्चा चल रही है । आज आप इसमें अन्त में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन करने जा रहे हैं । मैं आपसे आज भी अनुरोध करूँगा कि ठहरिये और सोचिये और देहातों में रहने वाले करोड़ों लोगों की अर्थ व्यवस्था पर कुठाराघात करने के पहले इस कुल्हाड़ी को ज़रा संभाल कर रखिये । मुझे स्मरण आता है कि जब वाशिंगटन को उसके पिता ने एक कुल्हाड़ी दी तो उसने उस कुल्हाड़ी से सबसे पहले अपने पिता के बगीचे के वृक्षों पर ही चोट करना शुरू कर दिया । हम को स्वराज्य मिला है । लेकिन इस सुन्दर कुल्हाड़ी के हाथ में आते ही हम सब से पहले उस बगीचे

पर प्रहार कर रहे हैं जिसको हमारे शास्त्रों ने बनाया था, हम सब से पहले उस कुल्हाड़ी से अपनी समाज रचना के बगीचे पर ही प्रहार करने लगे हैं। वाशिंगटन ने तो पश्चात अपने पिता से कहा था कि "मैं सज़ा के लिये तैयार हूं" पर पता नहीं कि यह वाशिंगटन भी इस प्रकार का प्रायश्चित करेगा या नहीं। जो आज हमारे शास्त्रों द्वारा स्थापित समाज व्यवस्था के उद्यान पर कुठाराघात करना चाहते हैं उन से मैं दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप समानता का नारा लेकर सामने आये हैं। समानता अच्छी बात है। मैं भी मानता हूँ कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद न किया जाये। परन्तु दुनिया के जिन देशों में स्त्रियों को समानता के आधार पर अधिकार मिले हुए हैं, वहां भी न्यायाधीशों ने कहा है कि समानता का अर्थ हम यह नहीं समझते कि उनके कार्यक्षेत्र में भेद होते हुए भी उसके लिये सम्पत्ति का वितरण समान हो। उनका कहना है कि यदि कार्य और सामाजिक आवश्यकताएं यह अपेक्षा करते हैं कि भेद हो तो भेद करना पड़ेगा। यदि बहिन और भाई की, स्त्री और पुरुष की सामाजिक आवश्यकताओं और कार्यक्षेत्र में भिन्नता है तो सम्पत्ति के वितरण में भी आपको उनके बीच भिन्नता करनी पड़ेगी। स्त्री और पुरुष की लड़ाई पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की लड़ाई, या पुर्तगाल और हिन्दुस्तान की लड़ाई है, ऐसा मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। स्त्री और पुरुष मिलकर कोई अलग वर्ग नहीं बनता। मैं माताओं से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर किसी माता के एक लड़का है और दूर के किसी की एक लड़की है, तो क्या माता यह समझ कर कि पुत्र पुरुष जाति का है यह चाहेगी कि उसकी सम्पत्ति उसके लड़के को न मिले बल्कि उस लड़की को मिले। मैं समझता हूं कि कोई भी माता यह नहीं चाहेगी कि उसके लड़के के बजाय उस दूर रहने वाली स्त्री को सम्पत्ति मिले। हर एक माता चाहती है कि उसका लड़का इस योग्य हो कि वह अपनी बहिन को अपने घर लाया करे, और बड़ा होकर अपने माता-पिता का पालन-पोषण करे, लेकिन यह कोई माता नहीं चाहेगी कि उसके लड़के का इस प्रकार नुकसान हो। आज से पहले श्रीमती शिवराजवती नेहरू जी ने ही इस प्रकार के उद्‌गार प्रकट किये थे जिनसे प्रकट होता था कि यह जो आप भाई का नुकसान करके बहिन को सम्पत्ति में हिस्सा देना चाहते हैं, यह माताओं को मान्य नहीं है। मैं समझता हूं कि आज जमाना बदल गया है लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि यदि आप देहातों में रहने वाली माताओं की आवाज़ सुनें तो आपको मालूम होगा कि सोशल नैसेसिटीज़ (सामाजिक आवश्यकताएँ) और फंक्शन्स (कार्यों) को देखते हुए वे भी आपके पक्ष में नहीं हैं। मैं मानता हूँ कि पहले जो हमारी सम्मिलित कुटुम्ब व्यवस्था थी उसमें फर्क पड़ गया है उसका डिसइंटीग्रेशन (विघटन) हो रहा है। लेकिन फिर भी देहातों में रहने वाले करोड़ों लोग आज भी उसी प्रकार से रह रहे हैं। आज भी शादी होने पर लड़की लड़के के घर आती है, लड़का लड़की के घर नहीं जाता। आज भी कुटुम्ब में पुरुष मुख्य माना जाता है ? यदि बाप मर जाता है तो सारे कुटुम्ब की जिम्मेवारी आज भी लड़के पर ही आती है। परिवार वालों का पेट पालने की जिम्मेवारी लड़के पर ही आती है। इस प्रकार की समाज रचना में कोई परिवर्तन हुआ है ऐसा मैं नहीं मानता। आज आप स्त्रियों की उन्नति करना चाहते हैं। मैं समझता हूं यह चीज़ आज उनकी उन्नति के मार्ग में बाधक नहीं है कि वे पुरुषों के बराबर नहीं कमाती या उनको सम्पत्ति में समान अधिकार नहीं मिलता। अनेक ऐसी सामाजिक परिस्थितियां हैं जिनके कारण स्त्रियों की उन्नति रुकी हुई है। सम्पत्ति के बारे में जो झगड़ा है वह यही है कुछ कहते हैं कि दामाद को मिले और कुछ कहते हैं कि लड़के को मिले। यह लड़ाई स्त्री पुरुष की नहीं है। इस झगड़े में न कोई सवाल पुरुष का आता है और न स्त्री का आता है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जब प्रारम्भ में यह विधेयक हमारे सामने आया था तो हमारे लीगल एफेअर्स (विधि कार्यों) के मंत्री ने कहा था कि जो मिताक्षरा फैमिली (परिवार) है उसको यह कानून लागू नहीं होगा। परन्तु प्रवर समिति म जाने के बाद इस बिल में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन किये गये। कभी कहा गया कि लड़के और लड़की को आधा-आधा मिले, कभी कहा गया कि पूरा

[श्री वी० जी० देशपांडे]

लड़की को मिले, फिर कहने लगे कि दूसरों की लड़की को भी मिले, इस से भी सन्तोष नहीं हुआ तो कहा गया कि अवैधनिक लड़के को भी क्यों न मिले । मैं तो कहता हूँ कि एक समाजवादी समाज के लिये तो यह बात कहना रिएक्शनरीपन है कि अपने लड़के और अपनी लड़की को ही दिया जाये । उस समाज में तो ऐसा कानून बनाया ज़ाये तो बहुत अच्छा हो कि दूसरों के लड़कों को ही मिले । वहां पर यह बेसिर पैर के परिवर्तन किये गये कि स्त्रियों को पूरा अधिकार मिले । इनको क्रान्तिकारी परिवर्तन कहा जाता है ।

यह मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि इस विधान को हम बड़ी जल्दबाज़ी में बना रहे हैं और जिस शान्ति और सोच विचार के साथ इस तरह के सामाजिक विधेयक बनाये जाने चाहियें, उस प्रकार से नहीं बनाया जा रहा है । आप जो यह कहते हैं कि यह विधेयक दस साल या पन्द्रह साल से जनता के सामने है तो मेरा कहना है कि जनता के सामने तो यही सवाल रक्खा गया कि स्त्रियों के साथ न्याय होना चाहिये कि नहीं होना चाहिये और इस सवाल का तो जवाब जनता से यही मिलना था कि न्याय होना चाहिये । मुझे बतलाया गया कि कोई किंग आर्थर के नाइट हैं जो स्त्रियों के आंसू नहीं देख सकते उन्होंने सब को इकट्ठा करके एक इस तरह का बिल ले आये और हालांकि लोग इसके कुछ प्राविज़न्स (उपबन्धों) से संतुष्ट नहीं ह और उसके विरुद्ध हैं लेकिन पंडित जी के नेतृत्व के कारण यहां आते आते जो उनका विरोध होता है वह विरोध लुप्त हो जाता है ।

मैं समझता हूं कि यह विधेयक प्रापरली ड्राफटेड (उचित बनाया गया) नहीं है और इसका फल आगे चलकर कनफ्यूज़न (भ्रांति) और लिटिगेशन (मुकदमेबाज़ी) के सिवाय और कुछ होने वाला नहीं है । क्या आपने यह भी सोचा है कि इस विधेयक का जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ? जब यह बिल संयुक्त प्रवर समिति को विचारार्थ सौंपा गया और इस प्रकार के सामाजिक विधेयक पर यथेष्ट समय लगना ज़रूरी था तो इस कानून को जल्दी पास कराने के लिये स्त्रियों के डेपुटेशन (प्रतिनिधि मंडल) जाने लगे और यह सोचा गया कि अगर कहीं १५ दिन की इसमें देर लग जायेगी तो इस अधिवेशन में नहीं आ पायेगा और इस कारण उन्होंने डेपुटेशन के डर के मारे एक तिथि निश्चित कर दी कि उसके अन्दर अन्दर रिपोर्ट तैयार कर दी जाय जिसका कि नतीजा यह हुआ कि जल्दी-जल्दी उसने इस बिल की शब्द रचना की और इस तरह की शब्द रचना हुई कि हमारे वैधानिक अफयर्स (कार्यों) के मंत्री महोदय जब राज्य-सभा में इस विधेयक पर बोलने के लिये खड़े हुए तो उन्होंने उस अवसर पर स्वयं इसको स्वीकार किया कि इस बिल में कुछ कमियां रह गई हैं जैसे कि इल्लिजिटिमेट सन (अवैधानिक पुत्र) को अगर हिस्सा मिलता है तो पोलगेमी (बहु विवाह) बढ़ती है और राज्य सभा में जब संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट लेकर पहुँचते हैं तो वे स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस विधेयक की शब्द रचना ठीक नहीं हुई । उसके बाद जो कमेटी नियुक्त हुई उसने इसकी शब्द रचना को सुधारने का प्रयास किया लेकिन वह भी विशेष इसमें सुधार नहीं कर पाये क्योंकि फिर दुबारा स्त्रियों के डेपुटेशन जाने लगे कि बिना कुछ चेंज (परिवर्तन) किये हुए जल्दी से जल्दी इस विधेयक को पास किया जाय । जल्दी-जल्दी बिना पूरी तरह विचार विनिमय किये और शब्द रचना ठीक किये विधेयक को पास करना प्रगति का चिन्ह माना जा रहा है जो कि वास्तव में प्रगति का चिन्ह नहीं है और उचित तो यह था कि इस प्रकार का क्रान्तिकारी सामाजिक विधेयक जिसका कि असर करोड़ों देशवासियों के जीवन पर पड़ने वाला है उस पर खूब अच्छी तरह से विचार किया जाता और जनता के सब वर्गों की राय ली जाती और सोसाइटी (समाज) के डिफ्रेंट क्लासेज़ (विभिन्न खंड) जैसे व्यापारी लोग, प्रोफैशनल क्लासेज़ (व्यावसायिक खंड) और एग्रीकलचरिस्ट्स (कृषकों) को अलग-अलग इस बिल के असर के बारे में कंसल्ट (परामर्श) किया जाता । इस बिल के अन्तर्गत जो नीति है वह तो मुझे बहुत रिवोल्टिंग (विद्रोहात्मक) मालूम होती है । मैं समझता हूं कि जो यह सुधार इस बिल

के द्वारा करने का प्रयत्न किया जा रहा है, यह हमारे तथाकथित प्रगतिशील पुरुषों की सेंटिमेंटल वीकनेस (भावनात्मक कमज़ोरी) के कारण है और मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि फेयर सेक्स (स्त्रियों) के साथ इस तरह जो एक्सेसिव फेवर्स (अत्यधिक पक्षपात) किये जा रहे हैं, आगे चलकर इस बिल के सपोर्टर्स (समर्थक) को पछताना पड़ेगा। आप यह समझ कर कि बेचारे मनु और याज्ञवल्क्य का ज़माना तो चला गया और सामाजिक परिवर्तन इस प्रकार के किये जाने ज़रूरी हैं, इस तरह का बिल जल्दी से ड्राफ्ट तैयार करके ला रहे हैं जो कि कितने ही स्थानों पर ठीक नहीं है और ऐसा करना आप प्रगतिवाद समझते हैं जो कि आपकी सरासर भूल है क्योंकि हर पुरानी चीज़ ज़रूरी तौर पर बुरी नहीं होती है। मैं समझता हूं कि आज जो हम सामाजिक परिवर्तन करने जा रहे हैं उसका दुष्परिणाम शीघ्र ही हमारे सामने आने वाला है और उस वक्त हम समझ जायेंगे कि सिर्फ परिवर्तन ही प्रगति और धर्म नहीं है जैसा कि आजकल हम में से कुछ लोग मान बैठे हैं।

सक्सैशन (उत्तराधिकार) के बारे में मेरा यह कहना है कि पहले यह होता था कि बाप के मर जाने पर उसका लड़का उत्तराधिकारी बनता था और उसका लड़का यदि मर गया हो तो उस लड़के का लड़का उत्तराधिकारी बनता था, यह दो-तीन से ज्यादा को हमारे वहां पहले उत्तराधिकार का अधिकार नहीं पहुँचता था लेकिन सक्सेशन की जो फेहरिस्त दी गयी है वह तो इतनी लम्बी और न खत्म होने वाली है कि मैं उसको पढ़ कर हैरान रह जाता हूं। पुत्र; पुत्री; विधवा; पूर्वमृत पुत्र का पुत्र; पूर्वमृत पुत्र की पुत्री; पूर्वमृत पुत्री का पुत्र; पूर्वमृत पुत्री की पुत्री; पूर्वमृत पुत्र की विधवा; पूर्वमृत के पूर्वमृत पुत्र का पुत्र; पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की पुत्री और पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की विधवा इतने उत्तराधिकारी इसमें रख दिये गये हैं जो मैं समझता हूं उचित नहीं है। इसमें जो विडोड डाटर इन ला (विधवा बहू) को शामिल किया गया है वह और किसी ला में नहीं है, इंडियन सक्सेशन ऐक्ट (भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम) में भी नहीं है। विडोड डाटर इन ला (विधवा बहू) का जहां तक सम्बन्ध है, इस्टेट (सम्पत्ति) को लिमिटेड (सीमित) रखना चाहिए था और इस तरह का हमला हिन्दू ला पर नहीं करना चाहिये था। लिमिटेड प्रापरटी (सीमित सम्पत्ति) की जगह एब्सलूट प्रापरटी (कुल सम्पत्ति) कर दी गई है। लिमिटेड प्रापरटी का अर्थ यह है कि प्रापरटी यानी सम्पत्ति समाज की होनी चाहिए, नियंत्रित होनी चाहिये, जब कि हमारा यह कानून व्यक्तिवाद की तरफ और अनियंत्रित सम्पत्ति की तरफ जा रहा है। मिताक्षरा की पद्धति हमने इस देश में निर्माण की थी कि केवल स्त्री को ही नहीं बल्कि पुरुष को भी यह अधिकार नहीं था कि वह अपनी सम्पत्ति किसी को बेच दे या किसी को दे दे, वह केवल एक मर्यादित उसका मालिक होता था, पूरे कुटुम्ब की वह सम्पत्ति होती थी और हमारे कानून में तो स्त्री को पुरुष की अपेक्षा अधिक अधिकार हासिल था। उसके अनुसार लड़की को पति से सम्पत्ति मिलती है वह उसको जैसे चाहे डिस्पोज़ आफ (विक्रय) कर सकती है लेकिन लड़के को बाप से जो सम्पत्ति मिलती है उसका वह मर्यादित मालिक बनता था, स्त्री को अनियंत्रित अधिकार और पुरुष को नियंत्रित अधिकार प्राप्त था लेकिन इस बिल को लाने के पश्चात् मिताक्षरा ज्वांइट फैमिली प्रापरटी (संयुक्त परिवार सम्पत्ति) जो कि इस ला (कानून) के आपरेशन (कार्यकरण) से अभी तक बची हुई थी, उसको भी इसके अन्दर ले आये हैं और ऐसा करके कनफ्यूज़न वर्स कनफाउंडेड (भ्रांति और अधिक भ्रांतिपूर्ण) हो गया है। डा० अम्बेडकर का जो विधेयक था वह पूरा गला काटने वाला था। और उनका रेज़र शार्प (उस्तरा तेज़) था लेकिन यहां तो गुट्ठल रेज़र से जो कि सैप्टिक (ज़हरीला) है उससे गला काटने का प्रयत्न किया जा रहा है जिसका कि नतीजा यह होगा कि गला तो कट नहीं पायेगा लेकिन आदमी ज़रूर मर जायेगा। इस तरह की कनफ्यूज्ड वर्डिंग (भ्रांतिपूर्ण शब्दावलि) को लेकर मिताक्षरा लॉ के बारे में छठवां सेक्सन (धारा) बनाया गया है कि कोई ठिकाना नहीं। जब राज्य-सभा में यह बिल लाया गया तब लोगों ने बतलाया कि इसका अर्थ तो यह होगा कि डिसीज्ड डाटर्स डाटर को तो

[श्री वी० जी० दशपांडे]

उत्तराधिकार मिलेगा लेकिन डिसीज्ड डाटर्स सन को हक़ नहीं मिलेगा। पहले बिल में ऐसा लिखा हुआ था :

†"बशर्ते कि मृत व्यक्ति के बाद अनुसूची १ में निर्दिष्ट वर्ग से कोई महिला रिश्तेदार जीवित हो।" उसके बाद यह संशोधन किया गया "अथवा उस वर्ग में निर्दिष्ट कोई पुरुष रिश्तेदार जो ऐसी महिला रिश्तेदार के द्वारा दावा करता हो।" इस प्रकार की कम से कम उसमें एनामली (विरोधाभास) नहीं और असम्बद्धता नहीं थी।

व्याख्या—इस धारा के परंतुक के प्रयोजन के लिए समांशी सम्पत्ति में उसके प्रत्येक पुरुष वंशज तथा महिला रिश्तेदार समांशी सम्पत्ति में भागी होंगे।

मैं तो इस पूरे क्लाज ६ के विरुद्ध हूं। वैसे इस में एक एम्पार्टेंट एक्सेप्शन (महत्वपूर्ण अपवाद) है कि यह एक फीमेल हेयर (महिला उत्तराधिकारी) को कोपार्सनेरी प्रापरटी (समांशी सम्पत्ति) में शेयर देता है। यह जो एक्सप्लेनेशन (व्याख्या) ऊपर मैंने पढ़ा है इस से मैं समझता हूं कि इस से कठिनाइयां तथा अनौचित्य पैदा होगा तथा विभाजन के बाद भी समांश व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे। यानी अगर मेल रिलेटिव (पुरुष रिश्तेदार) है, लड़की का लड़का है और उसको हिस्सा देना है तो सन (पुत्र) का हिसाब कम्प्यूट (लगाया) नहीं किया जायेगा। आखिर क्यों दिया जायेगा ? आज स्त्रियों की मदद की दरकार है पुरुषों की नहीं। तो अगर लड़के का लड़का होगा तो हिसाब नहीं कम्प्यूट होगा लेकिन अगर लड़की का लड़का होगा तो डिवाइडेड सन्स (विभाजित पुत्रों) का हिस्सा कम्प्यूट किया जायेगा। मैं बता रहा था कि इस तरह की गड़बड़ी आप ने जल्दबाज़ी में कर दी है। इस की फेहरिस्त इस वक्त रखने का समय नहीं है, क्लाज बाई क्लाज (खंड प्रति खंड) डिस्कशन (पाठ्य) में देखना पड़ेगा। फिर जल्दबाज़ी में जो यह बुराई आपको मालूम हुई तो आप समझे कि इस से तो बड़ी खराबी आ जायेगी। जब आपने उसको सुधारने की कोशिश की तो बिल्कुल ही गला काट दिया। सेक्शन ३२ में आपने इस के बारे में रक्खा है। इसमें कहा गया है कि कोई भी हिन्दू अपनी सम्पत्ति को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ अथवा हिन्दुओं पर लागू होने वाले किसी अन्य विधान के अन्तर्गत बेच सकता है। यह दुधारी तलवार है। पहले हमारे मिताक्षरा पद्धति में किसी को मृतपत्र से इस बात की इजाजत नहीं थी कि वह किसी को सम्पत्ति दे दे। लेकिन अब हर एक पिता जो लड़की को जायदाद देना नहीं चाहेगा, यह कोशिश करेगा कि सब से पहले वह इस क्लाज के अनुसार उसको जायदाद से वंचित कर दे। मान लीजिये कि पिता पुराने ख्यालात का है और लड़की को जायदाद में हिस्सा नहीं देना चाहता है तो वह मृतपत्र की आड़ में नहीं देगा। इस के साथ ही साथ यदि लड़के की पत्नी को भी न देने की इच्छा हो तो वह भी वह कर सकता है। मान लीजिये कि पति पत्नी के साथ बुरा बर्ताव करता है, शराब पीता है, दुराचार करता है, कर्जा करता है, तो उसके मरने के पश्चात् ऐसा हो सकता है कि उसकी विधवा और बच्चों को कुछ न मिलें क्योंकि पहले तो यह नियम था कि उस की जायदाद को, बिना विधवा पत्नी और बच्चों की सहमति के बेचा नहीं जा सकता था, लेकिन अब वह मृतपत्र लिख कर जायदाद पर पूरा अधिकार अपने पास रख सकेगा। हमें उसकी विधवा और बच्चों के इन्टरेस्ट (हित) को समझना है। लड़के के इन्टरेस्ट को समझ बूझ कर ही पार्टिशन (बंटवारा) होने के बाद जो पति का इन्टरेस्ट रहेगा वही उसको देना है। यह भी कई बातें इस में साफ नहीं की गई हैं। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में इस प्रकार के क्लाजेज रखने के पश्चात् यह समझ कर कि स्त्रियों को जरूर अधिकार मिलेगा और उसको जल्दी से पास कर लें, तो उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि लड़कियों को सम्पत्ति इस प्रकार से मिल सकेगी।

आगे चल कर मैं एक ही प्वाइंट (बात) पर और बोलूंगा क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस देश के अन्दर जो कृषि विषयक सम्पत्ति है उसके बारे में लोग कहते हैं कि भाई, इस देश में सत्तरह करोड़ आदमी खेती में लगे हुए हैं। उनके यहां की बहनों को और विडोज़ (विधवाओं) इन सब को अधिकार मिलेगा कि वह शादी कर लें। मान लीजिये कि एक ग्रेंडसन (पोता) की विडो है जो कि १४,या १६ साल की है। उसका पति ८० साल का था और वह मर गया। कहा जाता है कि अगर उसको दुबारा शादी करने का अधिकार न हो तो हमारे सोशलिस्ट पैटर्न (समाजवादी ढांचे) के अनुसार वह बुरा होगा। प्रगतिशील प्रवृत्ति में विधवा विवाह जरूर होना चाहिये। अब लड़के को तो मिलेगा १/७ हिस्सा जायदाद का और विधवा को मिलेगा ६/७ हिस्सा। शादी करने के बाद विधवा उस जायदाद को अपने घर ले जायेगी। इस प्रकार की बात आप इस विधेयक में ला रहे हैं। इस प्रकार से जिसके पास खेत हैं उसके टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे। मैं शहरों की बात तो नहीं कहता लेकिन आप देहातों में देखिये। आज आपके यहां लड़के की स्त्री आती है तो पन्द्रह मील पर दो एकड़ जमीन आपके पास आ जायेगी, लेकिन जब आपकी लड़की की शादी होगी तो आपकी तीन एकड़ ज़मीन दूसरे के पास चली जायेगी। इस प्रकार से आप समाज को समय से उल्टे चलाना चाहते हैं। मेरी समझ में इस प्रकार की चीज़ों से कोई फायदा नहीं होगा और यह सारी बातें आप अवैज्ञानिक कर रहे हैं। आज प्रान्तीय पुनर्रचना के प्रश्न को ले कर आप कहते हैं कि हम प्राविंशल रिआर्गेनाइजेशन (प्रादेशिक पुनर्गठन) कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आप फेमिली (परिवार) का डिसइन्टेग्रेशन (विघटन) कर रहे हैं।

इसके सम्बन्ध में आप एक दलील देते हैं कि जैसे यू० पी० में है कि जो पर्सनल प्रापर्टी (व्यक्तिगत सम्पत्ति) है उसको ही इस में लिया जायेगा, जो टैनेन्सी प्रापर्टी है उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। न यह लड़की को मिलेगी न विधवा को मिलेगी। यू० पी० शायद बहुत भाग्यशाली है और उसके पास बहुत सी सम्पत्ति है जिसके लिये टेनैन्सी लॉज़ बने हैं। पर मुझे इसके सम्बन्ध में मालूम नहीं। हमारे पाटस्कर साहब कहते हैं कि हर एक प्रान्त को यह अधिकार होगा कि वह अपने यहां के खेतों के लिये कानून बना लें। मुझे पता नहीं है कि यह सक्सेशन कानून हमारे बनाने के पश्चात् प्रान्तीय विधान सभायें इस प्रकार का अलग कानून बना सकेंगी या नहीं। और यदि वह बना सकती हैं तो क्या यही आप की यूनिफार्मिटी आफ लॉ (विधि की समानता) है। देश के सत्तरह करोड़ आदमियों की सम्पत्ति के लिये हर एक प्रान्त अपने लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के उत्तराधिकार के कानून बनाने और लड़की को जायदाद न देने का रास्ता निकालें तो वह यूनिफार्मिटी कहां रह जाती है। आज मंत्री महोदय ने बतला दिया कि मुख्य सम्पत्ति देश की कृषि विषयक सम्पत्ति है। और उसको लड़कियों को न देने के लिये प्रान्त कानून बना सकते हैं। आज इस प्रकार की बातें इस कानून में रक्खी जा रही हैं। इन बातों पर बोलना तो मुझे बहुत है लेकिन जब क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिस्कशन होगा उस वक्त मैं इस पर कहूँगा।

भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं सदन से एक ही प्रार्थना करूंगा कि जब आप समाज का इस प्रकार से विघटन करने जा रहे हैं तो क्रान्तिकारी परिवर्तन करने के पूर्व आप सोचें कि इस विधेयक के कानून बन जाने के परिणाम कितने दूरवर्ती होने वाले हैं। साथ ही साथ यह भी सोचें कि किसी निर्णय पर पहुंचने के पश्चात् जिस प्रकार की शब्द रचना इस विधेयक में रक्खी गई है उसे न रक्खा जाये, उसको ठीक से सुधारा जाये। आप निर्णय करने के पूर्व हर क्लॉज़ पर विचार कीजिये। हम से यह न कहा जाये कि चूंकि दो दिन में यह बिल पास होने वाला है, इसलिये हम जल्दी से यह लेजिस्लेशन (विधान) करेंगे। आज देहातों में लोग मारे-मारे फिरते हैं। आज बहनों और भाइयों में झगड़े होते हैं। अगर उनको खत्म करना है तो इस प्रकार के क्रान्तिकारी परिवर्तन करके काम नहीं चलेगा। समाज परिवर्तन और क्रान्ति शान्ति के साथ और बुद्धिमत्ता के साथ होता है। केवल भावना प्रधान

[श्री वी० जी० देशपांडे]

और रोमांटिक बन कर कि स्त्रियों के लिये कुछ करना है, काम नहीं चलता है। हम को यह सोच कर चलना चाहिये कि क्रान्तिकारी परिवर्तन किस प्रकार किये जाते हैं। यही मेरी प्रार्थना है।

श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर (भंडारा रक्षित अनुसूचित जातियां) : हमारे सदन में जो बिल पेश किया गया है उस के बारे में सदन में और उस के बाहर भी बहुत विरोध किया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता है कि स्वतन्त्र भारत का संविधान जब यह कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और कानून की दृष्टि से स्त्री को भी समानाधिकार दिया जाना चाहिये, साथ ही साथ आज की परिस्थिति में यह भी कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष की सम्पत्ति में भी समानाधिकार देना चाहिये तब क्या कारण है कि संपत्ति में ही स्त्री को समानाधिकार देने में हिचकिचाहट होती है। माता पिता का यह फर्ज होता है कि वह जिस प्रकार पुत्र को प्यार करते हैं उसी प्रकार पुत्री को भी करें। लेकिन यहां पर जो वाद-विवाद होते हैं उनसे स्पष्ट मालूम होता है कि वे पुत्री को इतना प्यार नहीं करते जितना कि पुत्र को करते हैं क्योंकि पुत्र तो घर पर ही रहता है पर पुत्री दूसरे के घर में चली जाती है। पुत्री तो ससुराल चली जाती है जब कि लड़का माता पिता के पास ही रहता है।

दूसरे मेरा कहना है कि हमारी स्त्री जाति को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। गांवों में जब लड़की पैदा होती है तो उसके पांव भी पड़े जाते हैं। लेकिन नारी को लक्ष्मी स्वरूपा माने जाने के बाद भी उसको अधिकारों से वंचित रखना कहां तक उचित है ?

कुछ भाई इस विधेयक के विरोध में दलीलें पेश करते हैं और कहते हैं कि भाई बहन का जो प्रेम है वह खत्म हो जायेगा, संयुक्त परिवार जो है वह टूट जायेगा। मैं कहना चाहती हूँ कि आज की परिस्थिति में संयुक्त परिवार स्वयं ही टूटता जाता है, लेकिन भाई बहन का प्रेम एक शुद्ध प्रेम है, वह खून का प्रेम है जो कभी भी टूट नहीं सकता है। आज भारतीय संस्कृति इतनी नहीं बिगड़ गई है कि भाई और बहिन का प्रेम केवल रुपये पैसे के लिये ही है। अगर इस तथ्य पर भाई बहिन का प्रेम निभ सकता है, तो मैं कहूँगी कि जितनी जल्दी हो यह प्रणाली टूट जाये उतना ही अच्छा होगा।

इसके बाद यह भी कहा जाता है कि लड़की के पालन पोषण में कितना खर्च होता है, उसकी शादी में कितना खर्च होता है और उसको कितना दहेज़ दिया जाता है। तो जिस प्रकार लड़की के पालन-पोषण और शादी विवाह पर खर्च होता है उसी तरह लड़के के पालन पोषण और शादी विवाह पर भी तो खर्च होता है। जहां तक दहेज का सम्बन्ध है हिन्दू समाज में कन्यादान को महादान मानते हैं और पुण्य कमाने के लिये ही उसके साथ दहेज दिया जाता है। आज की परिस्थितियों में लोग इस दहेज की प्रथा से परेशान हैं और हम यह चाहते भी हैं कि यह दहेज की प्रथा समाप्त हो जाये। अगर लड़की को सम्पत्ति में हिस्सा दिया जायेगा तो यह प्रथा अपने आप समाप्त हो जायेगी।

इसके अलावा जो दहेज़ लड़की को दिया जाता है वह ससुराल में जाने पर उसका नहीं रह जाता है। उस पर ससुराल वालों का हक रहता है और लड़की को आर्थिक दृष्टि से ससुराल वालों पर निर्भर रहना पड़ता है। उसकी स्थिति बड़ी हीन हो जाती है। हमने अक्सर देखा है कि समाज में उन स्त्रियों का ज्यादा आदर होता है जो अपने पतियों के साथ कमाती हैं और जो केवल अपने ससुराल वालों पर निर्भर रहती हैं उनका उतना आदर नहीं होता। यदि उनको सम्पत्ति में हिस्सा मिलने लगे तो उनकी हीन दशा समाप्त हो जायेगी। परिवार में उनका सम्मान होने लगेगा।

यह भी कहा जाता है कि यदि स्त्रियों को सम्पत्ति में अधिकार दे दिया जायेगा तो वे सब कुछ फैशन में खर्च कर देंगी। मैं समझती हूँ कि सभी स्त्रियों को इस कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। हमने देखा है कि पुरुष भी बहुत से ऐसे होते हैं कि अपनी आय का अधिकतर हिस्सा बाहर खर्च कर

देते हैं और संकट के समय में, स्त्रियां जो कुछ पहले बचा लेती हैं, वही काम आता है और स्त्रियों के आगे ऐसे समय पुरुषों को हाथ फैलाना पड़ता है। मैं समझती हूँ कि यह बात निराधार है कि अगर स्त्रियों को सम्पत्ति मिल जायेगी तो वे उसे फैशन में खर्च कर देंगी।

इसके अतिरिक्त उस दिन एक बहिन ने यह भी कहा था कि पिता के लन देन का बोझ लड़के पर होता है लड़की पर नहीं होता, परिवार की दूसरी सारी जिम्मेदारी लड़के को लेनी पड़ती है। आज आप देखते हैं कि कितनी ही लड़कियां विवाह के पहले ही माता पिता को कमाकर देती हैं। और जहां तक लेने देने के बोझ का सम्बन्ध है, लड़का चाहे तो दे और न चाहे तो न दे। उससे जबरदस्ती नहीं की जा सकती। फिर यह बात लड़की के विरुद्ध नहीं कही जानी चाहिये।

इसके अलावा आज हम देखते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद अगर उसके चार बेटे हैं तो उनमें चार बराबर-बराबर हिस्से बाप की सम्पत्ति में हो जाते हैं, पर बेवा मां को कुछ नहीं मिलता। उसकी हालत खराब हो जाती है। उसको सर्वथा अपने बेटों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर बेटे अच्छे हुए तो मां का आदर करते हैं। पर कहीं-कहीं तो यह देखा जाता है कि मां की ऐसी अवस्था हो जाती है कि बेटे उसकी ओर देखते भी नहीं। अगर कोई लड़की विधवा होकर ससुराल से अपने पिता के घर चली आती है तो जब तक उसके मां-बाप जीवित रहते हैं उस समय तक तो उसका आदर रहता है लेकिन बाद में भावजें अक्सर उसको ताने दिया करती हैं। यदि सम्पत्ति में उसका हिस्सा हो जायेगा तो उसको इन कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ेगा।

फिर यह कहा गया कि वर्तमान कानून में दायभाग के अनुसार तो पुत्र को पुत्री के बराबर मिल सकता है पर मिताक्षरा कानून के अनुसार नहीं मिल सकता। हम चाहते हैं कि जन्मजात अधिकार हटा दिया जाये। या तो यह नियम पुत्री के लिये भी लागू किया जाये या उसको भी पुत्र के लिये बराबर हिस्सा मिले।

†**श्री के० पी० गौंडर** (ईरोड) : मुझे प्रसन्नता है कि उत्तराधिकार की एक संहिताबद्ध विधि बनाई जा रही है। अब तक जब भी कभी उत्तराधिकार विधि का प्रश्न उठाया गया तभी हमने सदैव समृतियों की ओर देखा और उनको तथा उनकी शंकाओं को समान नहीं पाया। इस सम्बन्ध में हमें दो प्रकार के विचार मिलते हैं। एक दायभाग तथा दूसरा मिताक्षर। याज्ञवल्क्य तथा मनु जैसे टीकाकार भी कोई निश्चित् निर्णय नहीं कर गये हैं। परन्तु कुछ दिन पूर्व से, कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति नज़र आती है कि हिन्दू विधि संहिताबद्ध होनी चाहिये तथा नारियों का भी सम्पत्ति में भाग होना चाहिये। इसीलिये मैं इसका स्वागत करता हूं।

इस विधेयक में कुछ सुधार करने वाले मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप समांशी सम्पत्ति को ले लीजिये। इसके पक्ष तथा विपक्ष पर तर्क प्रस्तुत किये गये हैं। मेरा विचार है कि समांशी सम्पत्ति के साथ-साथ उत्तरजीविता की व्यवस्था नहीं रख सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। उदाहरणतः एक पिता दो लड़कियों तथा एक लड़का तथा पत्नी को छोड़ कर मर जाता है। तब उसकी सम्पत्ति के चार भाग होंगे और तीन चौथाई सम्पत्ति को तो उत्तराधिकार से लड़कियां तथा विधवा ले लेंगी तथा एक चौथाई उत्तरजीवी अधिकार से लड़के का होगा। इसके अतिरिक्त खण्ड ३२ के अधीन हमने इच्छापर्याय उत्तराधिकार की व्यवस्था की है। समांशी को हम इच्छापर्याय अधिकार के साथ उत्तराधिकार भी देते हैं। मेरा विचार है कि इस प्रकार की व्यवस्था से मिताक्षर संयुक्त परिवार पद्धति समाप्त हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० पी० गौंडर]

इसके अतिरिक्त विभाजन के समय अधिकारों तथा दायित्वों की चर्चा नहीं है । क्या हम संयुक्त परिवार के सम्बन्ध में, समांशी अधिकार तथा उत्तराधिकार दोनों ही रखना चाहते हैं । इसलिये मेरा विचार है कुछ सम्पत्ति के लिये समांशी सम्पत्ति अधिकार तथा कुछ के लिये उत्तराधिकार की व्यवस्था संयुक्त हिन्दू परिवार की भावनाओं के प्रतिकूल है ।

इसके अतिरिक्त स्पष्टीकरण में यह दिया गया है कि उत्तराधिकार ही पुत्र का भाग होता है। तथा हिन्दू विधि में यह व्यवस्था है कि पिता के एक पुत्र तथा दो पुत्री होने पर पुत्र आधी सम्पत्ति का अधिकारी है परन्तु इस विधेयक के अनुसार वह केवल एक तिहाई सम्पत्ति का अधिकारी रह जाता है । हम संयुक्त परिवार नियोजन करना चाहते हैं तथा साथ ही साथ उत्तरजीविता की व्यवस्था करते जाते हैं । मैं यह सब समझ नहीं सका ।

अब मैं उत्तराधिकार व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । हिन्दू विधि के अनुसार पुत्री तथा पुत्र के पश्चात् माता पिता उत्तराधिकारी हो जाते हैं । परन्तु इस विधेयक के अनुसार पोते-पोतियों के पश्चात् माता पिता आते हैं । यह माता पिता के प्रति निरादर है ।

दूसरी कमी मुझे यह मालूम होती है कि असगोत्र, सगोत्रों के बाद आते हैं । मैं यह नहीं जानता कि यह व्यवस्था किस आधार पर की गई है । पुरानी हिन्दू विधि के अनुसार पुरुष को ही मान्यता दी गई थी । इस विधेयक का आधार मेरे विचार से तो पुरुष तथा नारी का भेदभाव समाप्त करना है तब सगोत्र तथा असगोत्रों में भेदभाव क्यों रखा गया है । पूर्वमृत पुत्र की पुत्री को माता पिता से अधिक मान्यता नहीं देनी चाहिये ।

अनुसूची के वर्ग (२) में पुत्री के पुत्र के पुत्र को, पुत्र की पुत्री की पुत्री को अधिक मान्यता दी गई है । पुरानी हिन्दू विधि एक सिद्धान्त पर आधारित थी इसलिये नवीन विधि भी किसी सिद्धान्त पर आधारित होनी चाहिये ।

विधेयक में सगोत्र तथा असगोत्र नारियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण नहीं है । पुरानी विधि के अनुसार उत्तराधिकार का हक केवल पुरुषों को है । परन्तु परिभाषा में "व्यक्ति" शब्द रखा गया है तथा यह नहीं बताया गया कि उसमें पुरुष तथा नारी दोनों हैं अथवा केवल पुरुष ।

'पुत्र' की परिभाषा में दत्तक पुत्र भी सम्मिलित है परन्तु 'पिता' तथा 'माता' की परिभाषा में दत्तक पिता तथा माता को सम्मिलित नहीं किया है ।

खण्ड २५ के परन्तुक के अनुसार नारी वारिस यदि पुत्री हो तो उसको निवास स्थान भी मिलेगा परन्तु आपने उत्तराधिकार में पुत्र की पुत्री तथा पुत्र के पुत्र की पुत्री को भी रखा है । इसलिये मेरा विचार है कि यह सभी कमियां दूर होनी चाहिये तथा इसलिये मैंने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं । एक उपबन्ध की मुझे बड़ी प्रसन्नता है तथा वह नारियों का सम्पत्ति में पूर्णाधिकार है । पुरातन काल में यह अधिकार नहीं था जो कि एक बड़ी ही खराब बात थी । मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब स्पीकर साहब, पेश्तर इसके कि मैं अपना भाषण इस बिल पर शुरू करूं, मैं आपकी तवज्जह (ध्यान) एक खास मामले की तरफ़ दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि जिस वक्त यह बिल ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द किया गया उस वक्त इस बिल की जो शक्ल थी, अब उस बिल से जो जनाब के रूबरू मौजूद है, उससे बिलकुल मुख़्तलिफ थी । आज जो बिल की शक्ल है, उसमें और जो शुरू में बिल आया था, उसमें बड़ा अन्तर है । जनाब को याद होगा कि मैंने एक मोशन भी पेश किया था कि इसको सेलेक्ट कमेटी को वापिस भेजा जाये और इसको सर्कुलेट किया जाये जिसको कि हमारे उस समय के प्रीसाईडिंग आफिसर ने डाइलैटिरी मोशन (विलम्ब कारी प्रस्ताव) क़रार दे दिया और उस मोशन को इज़ाज़त नहीं दी ।

मेरी अदब से गुज़ारिश है कि जो प्वाइंट आफ आर्डर (औचित्य प्रश्न) है, वह उस मोशन से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मैं यह प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं और वह यह है कि पहले बिल की जो दफा ५ थी उसमें ऐसा लिखा हुआ था :

†"कि यह विधेयक

(१) उत्तरजीवी अधिकार के अन्तर्गत समांशिता के जीवित सदस्यों को प्राप्त संयुक्त परिवार सम्पत्ति पर;

(२) किसी ऐसी सम्पत्ति पर जिसके उत्तराधिकार का विनियमन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम १९५५ से हुआ हो;

(३) किसी ऐसी सम्पत्ति पर जिसके उत्तराधिकार का विनियमन मद्रास मरुमक्कट्टयम अधिनियम १९३२ में हुआ हो;

लागू नहीं होगा।"

आप देखें की पुत्री का अंश भी आधा था परन्तु यह विधेयक पहली विधि से एकदम भिन्न है।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के पेश होने के समय कुछ सदस्यों ने आपत्ति उठाई थी तथा श्री श्याम सुन्दर नारायण तन्खा सदस्य राज्य सभा ने कहा था कि विधि संचालक के कथनानुसार जनता की सम्मति विधेयक के पक्ष में होने पर ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था। परन्तु अब यह विधेयक एकदम बदल दिया गया है। समिति ने दक्षिण भारत के अन्य अधिनियमों पर भी इसको लागू कर दिया है। उनके नोट में सरीही यह बात उठाई गई है। मैं जनाब की तवज्जह मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के सफा ५०७ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिनमें बहुत से कानूनों के हवालाजात दिये गये हैं और उनका मरहला दिया गया है कि अगर बिल शुरू में एक हो और सेलेक्ट कमेटी में वह बाद में तब्दील हो जाये, और इतना तब्दील हो जाये कि जो तब्दीली है वह सरीहन उस बिल के स्कोप के बाहर हो जाय तो वह बिल हाउस में कंसिडर नहीं हो सकता। इस मामले में मैं जनाब की तवज्जह .....

†**अध्यक्ष महोदय** : इस सम्बन्ध में निर्णय दिया जा चुका है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मेरा यह एक औचित्य प्रश्न है। प्रवर समिति को सौंपे जाने के समय अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि इस के क्षेत्र का विस्तार करना कठिन है और इसलिये मैंने औचित्य प्रश्न उठाया था कि इसके क्षेत्र का विस्तार नहीं होना चाहिये। प्रश्न यही है कि जब इसका विस्तार बढ़ गया है तब क्या हम इस पर यह विचार कर सकते हैं। मेरा विचार तो यह है कि वृद्धि के कारण इस विधेयक को वापस लिया जाये तथा दुबारा प्रस्तुत किया जाये। यह प्रश्न केवल इसी विधेयक का नहीं है यह एक संविधानिक प्रश्न है। आप इस पर विचार करें तथा अपना निर्णय दें। यह स्पष्ट है कि देश को इस विधेयक की जानकारी नहीं थी इसलिये जनता इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट नहीं कर सकती थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : आपका प्रश्न यह है कि विधेयक संयुक्त समिति में परिवर्तित हो गया है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : सीधा सा प्रश्न यह है कि विधेयक प्रस्तुत किया गया तभी देश में समिति के लिये भेजा गया तथा इसका विस्तार नहीं होना चाहिये था। इसका विस्तार आपकी अथवा सभा की सम्मिति से होना चाहिये था। मेरा यही प्रश्न है।

†**श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** (गुण्टूर) : सभा के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या संयुक्त समिति के क्षेत्राधिकार से बाहर चली गई है। हम जानते हैं कि विधेयक में कुछ सम्पत्तियां छोड़ दी गई थीं। जिन पर

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्]

यह लागू नहीं होता था । फिर यह भी सच है कि पुत्री का भाग पुत्र के भाग का आधा निश्चित किया गया था । स्वभावत: यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या संयुक्त समिति से विधेयक के प्रत्येक भाग की जांच करने और सिफारिश करने का अधिकार है । यदि संयुक्त समिति को संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह संयुक्त समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं है । यदि सम्पत्तियों के बारे में खण्ड नहीं होते तो स्थिति भिन्न होती । जब संयुक्त समिति ने सारी बात पर विचार करने के बाद यह निश्चय किया कि यह उचित नहीं है कि अधिनियम इस सम्पत्ति पर लागू हो, स्वाभाविक है कि उन्हें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ा और इन सम्पत्तियों के सम्मिलन का सुझाव देना पड़ा । मेरा निवेदन है कि संयुक्त समिति ने अपने स्वविवेक का प्रयोग व्यवहारिक रूप से उस क्षेत्राधिकार के अनुकूल ही किया है जो उसे दिया गया है । अत: औचित्य का प्रश्न निराधार है ।

†**पंडित सी० एन० मालवीय** (राय सेन) : प्रश्न यह है कि क्या संयुक्त समिति ने विधेयक का क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया है । मेरा निवेदन है कि विधेयक का क्षेत्राधिकार स्त्रियों को उत्तराधिकार देने तक सीमित था अत: संयुक्त समिति को विधेयक में संशोधन करने का अधिकार था । मैं समझता हूं कि औचित्य प्रश्न के लिये कोई आधार नहीं है ।

†**श्री बोगावत** (अहमदनगर—दक्षिण) : विधि-कार्य मंत्री के भाषण में कहा गया है कि विधेयक संयुक्त परिवार की सम्पत्तियों पर लागू नहीं होगा । जो बात संयुक्त समिति से नहीं पूछी गई थी उसके बारे में विनिश्चय करने का संयुक्त समिति को कोई अधिकार नहीं था । समांशियों के अधिकारों पर यह विनिश्चय थोपने का खतरनाक ढंग है । यह विधि का प्रश्न है जिसके बारे में विनिश्चय करने का संयुक्त समिति को कोई अधिकार नहीं है । अत: यह विधेयक शक्ति के परे है ।

†**श्रीमती जयश्री** (बम्बई—उपनगर) : मैं औचित्य के प्रश्न पर बोल रही हूं और पंडित सी० एन० मालवीय से पूर्णतया सहमत हूं । हम सब जानते हैं कि मूल विधेयक में उत्तराधिकार दायभाग के अनुसार था, मिताक्षरा के अनुसार नहीं । उत्तराधिकार विधेयक प्रस्तुत करने का अभिप्राय स्त्रियों की अयोग्यताओं को दूर करना था । विधि मंत्री ने कहा था कि खंड ५ के रखने से अन्याय होता रहेगा । अत: जब तक यह खंड परिवर्तित न होता तब तक हम पुत्रियों को भाग नहीं दे सकते थे । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये ही विधेयक संयुक्त समिति को भेजा गया था । अत: मैं पंडित सी० एन० मालवीय के इस कथन से सहमत हूं कि मूल विधेयक उस प्रारूप के अनुसार नहीं था जो इस सभा द्वारा पारित होना था । मैं विधि मंत्री से यह बताने की प्रार्थना करती हूं कि संयुक्त समिति को वह परिवर्तन करने का अधिकार था जो उसने किया है ।

†**पण्डित के० सी० शर्मा** (जिला मेरठ—दक्षिण) : विधेयक के मूल में निहित आधारभूत उद्देश्य यह था कि सामाजिक विधान संविधान में निर्धारित सिद्धान्त के अनुरूप हो । संविधान का मूलभूत सिद्धान्त यह है कि लिंग के कारण जीवन के किसी भी क्षेत्र में निर्योग्यता नहीं होनी चाहिये । संविधान के अनुरूप उत्तराधिकार विधि बनाने की दृष्टि से ही यह विधेयक उपस्थित किया गया था । राजनीतिक क्रिया से पूर्व विधान सम्बन्धी क्रिया निश्चित होना चाहिये ।

विधेयक प्रस्तुत करते समय यह विचार किया गया था कि संयुक्त परिवार प्रणाली दीर्घकालीन होने के साथ ही संतोषजनक रूप में कार्य कर रही है । तथा इसमें किसी भी प्रकार की बाधा से गड़बड़ी पैदा हो जायेगी । संयुक्त समिति के विचार में सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे में समानता होनी चाहिये । अत: सम्पति के क्षेत्र को बढ़ाकर संयुक्त समिति ने अपने अधिकार से परे कुछ नहीं किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता--दक्षिण-पूर्व) : हमारा सम्बन्ध विधेयक के उद्देश्यों से है। उद्देश्यों के लिये सहायक संशोधन संयुक्ता समिति द्वारा किये जा सकते हैं। इस सभा में जो विचार व्यक्त किये गये थे और राज्य-सभा में जो कुछ कहा गया था उसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त समिति को यह आभास हुआ कि स्त्रियों को दिया जाने वाला उत्तराधिकार पुरुषों के अधिकार के समान ही होना चाहिये और उन्होंने यह उपबन्ध रख दिया। संयुक्त समिति को यह संशोधन करने का अधिकार था। राज्य-सभा ने इसे पारित कर दिया है। अब यह कहना कि राज्य-सभा द्वारा यह विधेयक वर्तमान रूप में पारित नहीं किया जाना चाहिये था अवैध तथा अनुचित है।

औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है।

†**श्री सी० सी० शाह** (गोहिलवाड़-सोरठ) : इसमें कोई संदेह नहीं है कि अविभक्त-परिवार-सम्पत्ति के सम्बन्ध में इन उपबंधों को लागू करने में संयुक्त समिति सक्षम है। पुरःस्थापित रूप में विधेयक के खंड ५ द्वारा अविभक्त-परिवार-सम्पत्ति विधेयक के प्रवर्त्तन से निकाल दी गयी थी किन्तु इस सभा में और संयुक्त समिति में यह बहुमत था कि यह अपवर्जन निकाल दिया जाये। इस तर्क में कि केवल इसलिये कि यह राज्य-सभा में पारित हो चुका है हम औचित्य-प्रश्न उठाने के अधिकारी नहीं हैं, कोई तथ्य नहीं है। राज्य-सभा में वह पारित हो चुका हो या न हो, वहां औचित्य-प्रश्न उठाया गया हो या न उठाया गया हो, यहां औचित्य-प्रश्न उठाने के लिये हम पूर्ण स्वतन्त्र हैं यदि वह मान्य हो। किन्तु मेरा निवेदन है कि वह मान्य नहीं है।

†**श्री पाटस्कर** : सर्वप्रथम मुझे यह कहना है कि विधेयक के कुछ विषयों की पसन्दगी या नापसन्दगी को अलग रख कर इस विषय पर विचार किया जाना चाहिये जैसा कि इस विधेयक का नाम है, इसका आशय हिन्दुओं में वसीयतरहित उत्तराधिकार सम्बन्धी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करना है। विधेयक का यही क्षेत्र है। पुरःस्थापित विधेयक के खंड ५ में दिया हुआ है कि इसके उपबन्ध किसी अविभक्त परिवार-सम्पत्ति तथा कुछ निश्चित विधियों द्वारा प्रशासित कुछ अन्य सम्पत्तियों के लिये लागू न होंगे। अतः मूल उपबन्ध यह था कि वे लागू नहीं होंगे। किन्तु संयुक्त समिति अन्य उपबंधों के साथ इस उपबन्ध पर भी विचार कर सकती है और बिलकुल भिन्न निर्णय दे सकती है। मैं यह नहीं समझ पाता कि किन कारणों से संयुक्त समिति को भिन्न निर्णय देने का अधिकार नहीं है। यह कैसे कहा जा सकता है कि ऐसी बात विधेयक के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आ सकती है? विधेयक का क्षेत्र केवल खंड ५ ही नहीं, बल्कि हिन्दुओं में वसियतरहित उत्तराधिकार सम्बन्धी विधि को संशोधित और संहिता बद्ध करना है। जब विधेयक में निश्चित रूप से उपबन्ध रखा गया है कि वह अविभक्त-परिवार-सम्पत्तियों के लिये लागू नहीं होना चाहिये तब मेरे विचार से संयुक्त समिति इस विषय पर और आगे विचार कर सकती है और निर्णय दे सकती है कि वह लागू होना चाहिये। मैं वास्तव में नहीं समझ पाता कि संयुक्त समिति को ऐसे निर्णय पर पहुंचने में कौन सी रुकावट हो सकती है।

इसके अतिरिक्त इसके लिये एक अपना पूर्व दृष्टान्त है। जब मूल हिन्दू कोड बिल सभा में पुरःस्थापित किया गया था तब उसके खंड १ में यह था कि मरुमक्कटयम्, आलियसन्तान अथवा नम्बुद्री उत्तराधिकार विधि द्वारा प्रशासित किसी हिन्दू की किसी संपत्ति के लिये अधिनियम लागू नहीं होगा। वह मूल विधेयक के खंड ५ के उपबन्ध के बिल्कुल जैसा ही था। वह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया और उस समय आपने तथा प्रवर समिति के अन्य सभी सदस्यों ने कहा कि प्रवर समिति इस बात पर कि विधेयक उन सम्पत्तियों के लिये लागू होना चाहिये अथवा नहीं होना चाहिये, विचार करने के लिये पूर्ण स्वतंत्र है और जब आप इस निर्णय पर पहुंचे थे कि वह लागू होना चाहिये। आपका वह निर्णय खंड ९४ में रखा गया था। अतः प्रवर समिति का यह निर्णय था कि मूल विधेयक में यह बात, कि वह आलिय-संतान सम्पत्तियों पर लागू नहीं होना चाहिय, वही कही जाने पर भी इससे विपरीत निर्णय देना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाटस्कर]

उसके क्षेत्र के अन्तर्गत था। उसी प्रकार इस विधेयक के सम्बन्ध में उसी तरह की चीज करना संयुक्त समिति के क्षेत्र में पूर्णतः अन्तर्गत है। मूल विधेयक में कहा गया था कि वह अविभक्त-परिवार-सम्पत्तियों पर लागू नहीं होगा। बाद में वह संयुक्त समिति को सौंप दिया गया और संयुक्त समिति को इस पर विचार करने का अधिकार था कि वह लागू होगा या नहीं होगा। मैं नहीं समझ पाता कि यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि इस प्रकार का निर्णय देना संयुक्त समिति के क्षेत्र के परे है और संयुक्त समिति ने वह काम किया है जो अनधिकृत है।

कुछ अन्य विशिष्ट बातों को भी ध्यान में रखना होगा। यह विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था और उसने संयुक्त समिति की नियुक्ति की सिफारिश की थी। तब दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति नियुक्त की गयी और बहुमत से उसने कुछ सिफारिशें की। जब दूसरे सदन में संयुक्त समिति के प्रतिवेदन पर विचार प्रारंभ हुआ तो एक माननीय सदस्य ने वही आपत्ति उठायी जो यहां उठायी गयी है। तब उस सदन के सभापति ने निर्णय दिया कि वह दृष्टिकोण उचित नहीं है और संयुक्त समिति को ऐसी सिफारिश करने का पूरा अधिकार है। उसके बाद यह विधेयक इस सभा में आया है।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया गया था।

†**श्री पाटस्कर** : वहां औचित्य प्रश्न उठाया गया था और वह अस्वीकृत कर दिया गया। अतः उस औचित्य-प्रश्न को पुनः उठाने के लिये कोई ठोस कारण नहीं है। मेरे विचार से यह बहुत सरल विषय है और निष्पक्ष रूप से विचार करने पर वह माननीय सदस्यों को स्वीकार होना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री के भाषण के बाद मैं किसी अन्य सदस्य को वह विषय उठाने की अनुमति नहीं दे सकता। इस सभा में एक औचित्य प्रश्न उठाया गया था कि संयुक्त समिति से प्राप्त हुआ विधेयक, पुरःस्थापित मूल विधेयक से अविभक्त परिवार सम्पत्ति के सम्बन्ध में बिल्कुल भिन्न है। यह कहा गया है कि यद्यपि वह वसीयतरहित उत्तराधिकार विधेयक है, फिर भी सम्पत्ति का वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिये विधेयक का रूप बदल दिया जा रहा है। यहां किसी ने यह नहीं कहा कि विधेयक का क्षेत्र बदल देना संयुक्त समिति के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है यदि संयुक्त समिति को पहले से अन्य विषयों पर विचार करने और विधेयकों में यथोचित परिवर्तन करने के लिये कोई आदेश दिये गये हों। मुझे स्मरण है कि सहमति के प्रस्ताव के समय विधि-कार्य मंत्री ने सुझाव दिया था कि संयुक्त समिति इस पर विचार करे। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य लड़की को हिस्सा देना या पुरुष और स्त्री का अधिकार समान बनाना है किन्तु हिन्दू विधि में संपत्ति के वर्गीकरण का एक निश्चित महत्व है। अतः मुझे आशा थी कि माननीय मंत्री एक संशोधन के रूप में संयुक्त समिति को एक विशिष्ट निदेश देते। किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस बात की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया और कोई आपत्ति नहीं उठायी गयी। ऐसी दशाओं में मेरी यह धारणा है कि संयुक्त समिति को उसका स्वरूप नहीं बदलना चाहिये था। किन्तु यह विधेयक दूसरे सदन में पुरःस्थापित किया गया था और हमें केवल संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव से सहमत होने के लिये कहा गया था। दूसरे सदन ने संयुक्त समिति के परिवर्तन स्वीकार कर लिये हैं। अब मुख्य बात यह है कि हम उससे बाध्य हैं। जहां तक इस सभा का सम्बन्ध है, हम संयुक्त समिति में जो कुछ हुआ है उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। जब संयुक्त समिति को हमने विधेयक सौंपा था, तब विधेयक के सिद्धान्त के सम्बन्ध में हम वचनबद्ध नहीं थे। हम यह मान लेंगे कि वह संयुक्त समिति में भेजा ही नहीं गया

---

†मूल अंग्रेजी में

था। हम यह मान लेंगे कि विधेयक दूसरे सदन से उत्पन्न होकर कुछ संशोधनों और परिवर्तनों सहित इस सभा में आया है। अतः हम उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार भी कर सकते हैं।

अतः मैं इस विषय में कोई औचित्य प्रश्न नहीं समझता। यदि वह विधेयक इस सभा में उत्पन्न हुआ होता तब अवश्य ही मैं इससे सहमत होता कि कुछ अन्तर होगा। किन्तु वह यहां उत्पन्न नहीं हुआ था। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं एक पूर्वदृष्टांत का निर्देश करता हूं। राज्य परिषद् द्वारा प्रस्थापित विशेष विवाह विधेयक संयुक्त समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव पर जब सभा विचार कर रही थी तब मैंने १७ दिसम्बर, १९५३ को एक निर्णय दिया था। उस समय यह प्रश्न उठा कि क्या प्रस्ताव से सहमत होने से सभा विधेयक के अन्तर्गत सिद्धान्त से वचनबद्ध हो जायेगी। तब उपाध्यक्ष ने निर्णय दिया था कि उससे कोई वचनबद्ध नहीं होगी। उसी निर्णय के अनुसार हम इस विधेयक के सिद्धान्त से वचनबद्ध नहीं हुए हैं। हमने संयुक्त समिति को कोई निश्चित निर्देश नहीं दिये हैं। हम यह समझ कर चलेंगे कि वह विधेयक राज्य सभा में उत्पन्न हुआ हो और वहां पारित हुआ हो। उस पर विचार कर सकते हैं और आवश्यक होने पर उसे निबटा सकते हैं। इन दशाओं में मैं औचित्य प्रश्न से सहमत नहीं हूं।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** (एलुरु) : जब संयुक्त समिति को विधेयक सौंपने के प्रस्ताव से हम सहमत हुए थे, क्या उस समय विधेयक के सिद्धान्त के सम्बन्ध में हम वचनबद्ध नहीं हुए थे? अतः यदि कोई सिद्धान्त बदल दिया गया है तो हम उसे स्वीकार या अस्वीकार करेंगे?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम किसी सिद्धान्त के सम्बन्ध में वचनबद्ध नहीं हुए थे। उन्होंने संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के लिये हमसे कहा था।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : क्या सिद्धान्त स्वीकार किये बिना हम संयुक्त समिति में सम्मिलित हो सकते हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने पहले ही निर्णय दे दिया है। यहां विधेयक की सभी आवश्यक बातों पर विचार करने का अवसर हमें मिला था। उन पर विचार किये बिना वचनबद्ध होना खतरनाक है। पहले एक बार भी यह प्रश्न उपस्थित हुआ था कि हमें संयुक्त समिति में जाना चाहिये अथवा नहीं। उस समय भी हम विधेयक के सिद्धान्त के सम्बन्ध में वचनबद्ध नहीं होना चाहते थे, कारण, सभा उस विषय पर विचार के लिये पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी। हमारा उसपर कोई नियंत्रण नहीं था। वह दूसरे सदन में पुरःस्थापित किया गया था। मुझे माननीय मंत्री से मालूम हुआ है कि दूसरे सदन में वह बात उठायी गयी थी और वह अस्वीकृत हुई।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मेरी आपत्ति उस आधार पर नहीं है। मुझे आपका निर्णय स्वीकार है कि हम किसी सिद्धान्त के लिये वचनबद्ध नहीं हैं। मेरा आशय यह है कि जब कोई विधेयक इस या उस सदन में पुरःस्थापित किया जाता है तब संयुक्त समिति या प्रवर समिति विधेयक का क्षेत्र बढ़ा नहीं सकती। वह केवल आप द्वारा, इस सदन या उस सदन द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह विधेयक वहां पुनःस्थापित किया गया था।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : एक बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उठाये गये औचित्य प्रश्न से सहमत नहीं हूं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : आपने उस सदन में, जिसमें विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है, संक्युत समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर विचार और ऐसे प्रस्ताव के अन्य सदन में विचार में भेद करने का प्रयत्न किया है । परन्तु होता दोनों में एक सा ही है । इसलिये जब दोनों सदनों ने विधेयक को संयुक्त समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो वे उसके मूल सिद्धान्त से भी सहमत हो गये । अस्तु फिर यदि विधेयक में परिवर्तन किया जाता है तो हमें उसकी अनुमति नहीं देनी चाहिये अन्यथा फिर वैसा ही किया जायेगा ।

†**श्री आर० डी० मिश्र** (जिला बुलन्दशहर) उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस मामले पर अधिक चर्चा नहीं चाहता ।

माननीय श्री त्रिवेदी के मतानुसार विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने और संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किये जाते ही हम उसके सिद्धान्तों के लिये वचनबद्ध हो जाते हैं । परन्तु वास्तव में जब तक हम वचनबद्ध नहीं होते तब तक हम उससे बाध्य नहीं हैं जो प्रवर समिति करती है । मैं कई बार ऐसा निर्णय दे चुका हूं । हम उसे स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी । इसलिये, हम विधेयक को उस रूप में लेंगे जैसा कि वह राज्य सभा से आया है ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : अध्यक्ष महोदय के निर्णय की दृष्टि से मैं एक अन्य औचित्य-प्रश्न रखना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय ने यह स्वीकार कर लिया है कि विधेयक में बहुत परिवर्तन हो गया है । २७ तारीख को जब यह औचित्य-प्रश्न उठाया गया था कि उसकी फिर से सौंपना इस सदन के अधिकारों के अन्तर्गत है या नहीं तो उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि वह विलम्बकारी प्रस्ताव है । अब अध्यक्ष महोदय स्वयं स्वीकार करते हैं कि उसमें बहुत बड़े परिवर्तन हैं । इसलिये हमारी फिर से सौंपने की प्रार्थना पर अध्यक्षपीठ द्वारा पुनः विचार किया जाना चाहिये ।

†**श्री आर० डी० मिश्र** : जिस वक्त यह बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजने के लिये हमारे सामने आया था तो जो बिल हमारे सामने था उससे हम यह समझते थे कि इस बिल के मुताल्लिक हमको ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी बनानी है, और वह बैठी । लेकिन वह कमेटी अपने स्कोप से बाहर चली गयी और उसके बाद जो बिल आया उसको राज्य-सभा ने मान लिया है । अब हम न इस बिल को सर्कुलेट कर सकते हैं और न सिलेक्ट कमेटी को भेज सकते हैं । इस तरह से यह एक इल्लीगल कार्यवाई हो गयी है । अब हमारे सामने यही रास्ता रह जाता है कि जो कुछ इस हाउस ने हमारे सामने भेजा है उसे हम मंजूर कर लें । जब यह बिल आया था उस वक्त इसमें यह था कि यह मिताक्षरा फैमिलीज़ को एप्लाई नहीं करेगा । किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया । यह भी हमने नहीं सोचा कि हमको एप्लाई करता है या नहीं । राज्य-सभा के मेम्बरों ने इसको पास कर दिया । शायद वह इसे ठीक समझते हों । अगर हाउस के बाहर का मामला होता तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी रेमेडी हो सकती थी लेकिन जब हाउस के राइट्स पर एनक्रोचमेंट होता है तो स्पीकर साहब हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक श्री देशपांडे के दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, वह उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विलम्बकारी प्रस्ताव घोषित किया जा चुका है ।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, ऐसा नहीं है कि लोक-सभा असहाय है । यदि वह देखती है कि बहुत परिवर्तन किये गये हैं तो वह उसे अन्य प्रकार भी ठुकरा सकती है । इसलिये यह निर्णय कि हम वचनबद्ध नहीं हैं लागू रहेगा ।

माननीय सदस्य भाषण जारी रखें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जनाब वाला ने जो रूलिंग दिया है उसको मैं एक्सेप्ट (स्वीकार) करता हूं। मैंने जो सफा ५०७ का हवाला दिया था उसमें वही लिखा है जो जनाब वाला ने कहा कि हाउस चाहे तो इसे थ्रो आउट (ठुकरा) कर सकता है। लेकिन कांस्टीट्यूशन पोशीजन (वैधानिक स्थिति) यह है कि गवर्नमेंट को अब यह हक नहीं है कि वह इस बिल को चलावे। मैंने जनाब की और पाटस्कर साहब को तवज्जह दिलायी थी कि अब गवर्नमेंट के लिये यह रास्ता नहीं रह गया है कि वह इसे विदड्रा (वापस) कर ले।

†**श्री आर० डी० मिश्र** : हमें भी यह मालूम होना चाहिये कि वे कौन से पृष्ठ हैं और कौन से निर्णय हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम कानून के प्रश्न को निपटा चुके हैं। अब प्रश्न यह है कि लोक-सभा सहमत है अथवा नहीं। वह कुछ भी निर्णय कर सकती है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : 'मे' की 'पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस' से ऐसा ही मालूम होता है।

†**श्री पाटस्कर** : क्या यह औचित्य प्रश्न है ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : अब यह औचित्य प्रश्न नहीं रहा। यह संवैधानिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी परामर्श है। आप चाहें तो उसका अनुसरण कर सकते हैं अन्यथा नहीं।

†**श्री पाटस्कर** : मुझे किस प्रश्न पर परामर्श दिया जा रहा है ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जब तक आप सुनेंगे नहीं मेरी बात नहीं जान सकेंगे।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : जब एक बार आपने निर्णय दे दिया तो क्या उसी प्रश्न को फिर से उठाना नियमित है ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मेरे मित्र ने सुना नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह कहने के स्थान पर कि प्रवर समिति को यह नहीं करना चाहिये था और वह नहीं करना चाहिये था, उन तर्कों का प्रयोग लोक-सभा को उस विधेयक ठुकरा देने के लिये सहमत कराने के लिये करना चाहिये था। मुझे भय है कि माननीय सदस्य अपने १५ मिनट के समय में औचित्य प्रश्न पर ही अधिक बोल रहे हैं और विधेयक के मूल भाग की उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिये इसमें औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं जानता हूं कि एक ऐसा नियम है कि इस प्रकार के विधेयक में कोई सदस्य कितनी भी देर तक बोल सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि केवल १५ मिनट का समय दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्य मंत्रणा समिति ने इस विधेयक के लिये ३५ घण्टे का समय निश्चित किया है। १५ मिनट भले ही न सही परन्तु किसी सदस्य को ५ घण्टे नहीं दिये जा सकते। इसलिये कोई सीमा होनी चाहिये। यदि माननीय सदस्य १५ मिनट से संतुष्ठ न हों तो उन्हें ३० मिनट तक दिये जा सकते हैं। हमने पहले के नियम बदल दिये जिनके अनुसार एक सदस्य कितने भी समय तक बोल सकता था।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मूल नियम बदला नहीं गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : विधेयक के लिये ३५ घण्टे का समय वण्टित किया गया है। क्या सदन यह चाहता है कि बोलने के समय पर प्रतिबन्ध न लगाया जाय ?

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : चूंकि यह एक विधेयक है मैं ३० मिनट तक का समय दूंगा, इससे अधिक नहीं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : कार्य मंत्रणा समिति ने आपको पूरा-पूरा अधिकार दिया है कि आप समयावधि बढ़ा सकते हैं। किसी सदस्य को समय देने के सम्बन्ध में सदन की अनुमति लेना ठीक नहीं है। वह तो पूर्णतः आपके विवेक की चीज है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसलिये अध्यक्ष और सदन के लिये यह उचित है कि वह माननीय सदस्य के समय पर प्रतिबन्ध लगायें ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं आपके या सदन के निर्णय की अवहेलना नहीं करूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह कितना समय चाहते हैं ?

†**श्री एस० एस० मोरे** : मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि क्या बोलने वालों की कोई सूची पहले से तैयार की गई है अथवा बोलने के लिये अध्यक्ष की दृष्टि आकर्षित करनी होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास बहुत से नाम पर्चियों पर लिखकर आ गये हैं और मैं तदनुसार समय का विनियमन कर रहा हूं । मैं यह भी विचार करता हूं कि विरोधी दल का कौन सदस्य किस स्थिति का है ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : इस विधेयक के सम्बन्ध में सत्तारूढ़ और विरोधी दल में मतभेद नहीं हैं। यह सामाजिक विषय है। हमें बिना पर्ची भेजे भी बोलने की अनुमति दी जानी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को मेरे पास पर्ची भेजना जरूरी नहीं है।

†**श्री बंसल** (झज्जर-रेवाड़ी) : इस औचित्य प्रश्न में जो लगभग घण्टे भर का समय लग गया है क्या उतना समय निर्धारित समय में जोड़ दिया जायगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब ३५ घण्टों में ही शामिल है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं कह रहा था कि माननीय विधि-कार्य मंत्री मेरी बात ध्यान से सुनें। यदि विधेयक बहुत परिवर्तित होकर लौटता है तो सदन उसको ठुकरा सकता है। परन्तु संवैधानिक कार्यप्रणाली के अनुसार यदि अध्यक्ष यह कहे कि विधेयक में बहुत परिवर्तन हुआ है तो सरकार के लिये केवल यही मार्ग रह जाता है कि उसको वापस लेकर दूसरा विधेयक प्रस्तुत करे।

†**श्री पाटस्कर** : अध्यक्ष महोदय ने वैसा निर्णय नहीं किया है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि यह विधेयक सर्वथा भिन्न है।

†**श्री पाटस्कर** : मैं नहीं समझता कि उनका वैसा मत है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यदि अध्यक्ष महोदय ने वैसा नहीं भी कहा तो भी मैं इस पुस्तक के पृष्ठ ५०७ का संकेत करूंगा जिसे माननीय सदस्य पढ़ें।

---

†मूल अंग्रेजी में

जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि यह जो बिल अब हमारे सामने आया है यह उस बिल से बिलकुल मुख्तलिफ (भिन्न) है जो कि पहले हाउस में आया था।

अब मैं इस बिल के मेरिट्स (गुणों) पर आता हूं कि यह बिल हमारे वास्ते क्या नक्शा पेश करता है। जब यह बिल पहले हाउस में आया था तो मैंने यह कहा था कि यह बिलकुल दरुस्त है कि तकरीबन ८० फीसदी मेम्बरों ने इस बिल की मुखालफत की थी। इस बिल की मुखालफत करते करते और एक के बाद दूसरी वजूहात देते हुए यहां हाउस में श्री चिनारिया दम तोड़ गये। जब हमारे आनरेबुल मिनिस्टर ने अपनी जवाबी तकरीर फरमाई तो उस हादसे का जिक्र किया जो यहां पर पेश आया और उनकी मेमोरी के वास्ते ट्रिब्यूट अदा किया लेकिन उन वजूहात की कोई पर्वाह नहीं की जो निहायत माकूल थे और जिनको यहां हाउस में कहते-कहते एक आनरेबुल मेम्बर ने अपना दम तोड़ दिया। उनको तो सिर्फ एक बात की चिन्ता दामनगीर थी कि किसी तरह से जैसे भी हो यह बिल जल्दी से जल्दी पास हो जाय। मैं हाउस की खिदमत में अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि हाउस के अन्दर जब एक मेम्बर एक तरह से आखिरी अल्फाज कहते-कहते गुजर जाय तो उसकी स्पीच की तरफ पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये था।

अब मैं बिल की मेरिट्स की तरफ आता हूं। मैं जनाब की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि बिल क्या कहता है और क्या चीज बनाता है ? इस बिल के अन्दर जो एक लिस्ट है शेडयूल की, उसकी तरफ मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं। वह इतना लम्बा शैडयूल है कि मैं उस सारी लिस्ट को यहां पर पढ़ करके अपना वक्त जाया करना नहीं चाहता—

†**श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन** (डिंडीगल) : क्या माननीय सदस्य अंग्रेजी में बोलने का कष्ट करेंगे ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे अंग्रेजी बोलने में कतई कोई इन्कार नहीं है लेकिन आपको मालूम है कि मेरी जबान हिन्दी है और उसमें मैं आसानी से और काफी जल्दी बोल सकता हूं। लेकिन अगर आप डिप्टी स्पीकर साहब से यह दरख्वास्त करें कि मेरा टाइम वे और अधिक बढ़ा दें और अगर ऐसा हो जाये तो मुझे अंग्रेजी में बोलने में कोई ऐतराज नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम जो है वह तो यही है कि माननीय सदस्य जिसमें चाहें उसमें बोलें, कोई उनके ऊपर प्रतिबन्ध नहीं है।

पंडित ठाकर दास भार्गव : मेरी अदब से गुजारिश यह है कि मैं ऐसी बात बोलूंगा जो मेरी बहन के बिलकुल समझ आ जाय। मैं मि० मोरे से भी इजाजत चाहूंगा कि वह मुझको बोलने दें और अपने गैर मामूली इन्टरप्शन्स (अन्तर्बाधायें) थोड़ी देर के लिये बन्द कर दें।

जनाब वाला, आज का बिल एक ऐसा बड़ा बिल है जिसके वास्ते मुझे यह शिकायत है कि हाउस में यह बहस होती है कि मेम्बरों को पूरे तौर से अपना दिल खोलने की इजाजत न हो। यह बिल हिन्दुस्तान के करोड़ों, बल्कि मुझे कहना चाहिये कि ३५ करोड़, आदमियों की जायदाद से, और उनकी जो अन्दरूनी ख्वाहिशात हैं और जजबात हैं, उनसे ताल्लुक रखता है। इस चीज के होते हुए इस बिल को इस कदर तेजी से पास करना, बिना सब बातों पर गौर किये पास कर देना, बिल्कुल उसूल और इन्साफ के खिलाफ है।

अगर आप जा कर किसी पंजाब के गांव में पूछें कि यह बिल क्या है, तो मेरी दरख्वास्त है कि आपको एक ही जवाब मिलेगा कि हम को कुछ भी पता नहीं है। अगर हाउस के अन्दर बैठ कर जनाब-वाला ने मेरे एक मोशन को डाइलेटरी करार दे दिया और सारी चीजों को जो मैंने रखा उनको डाइ-

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

लेटरी करार दिया, कि यह पन्द्रह साल से चल रहा है और सब इस को जानते हैं। लेकिन वाक्या यह है कि अगर आप किसी भी गांव में जा कर पूछें कि यह बिल क्या है तो किसी के भी मुंह से नहीं निकलेगा कि उसको इस का इल्म है। अगर इसका इल्म होता तो जो मुखालिफत मैं चार-पांच बरस से करता आ रहा हूं, वह न करता। सन् १९५० में मैं ने दो घण्टे तक इसकी मुखालिफत की, इस उसूल पर कि शादीशुदा लड़की को बाप के खानदान की जायदाद को लड़कों के साथ इन्हेरिट करने की इजाजत दे दी जाय। मैं उस वक्त से लेकर अब तक इस की मुखालिफत करता आ रहा हूं। लेकिन मैं औरतों को जायदाद में मरदों के बराबर हक मिलने का विरोधी नहीं हूं बल्कि ऐसे दावे का मददगार हूं।

आपके कांस्टिट्यूशन में लिखा है कि सेक्स की बिना पर कोई तफरीक न की जाय। जहां तक इस चीज के कांस्टिट्यूशन में मौजूद होने का ताल्लुक है, मैं उसका एहतराम करता हूं। लेकिन इस में ऐनोमली यह है कि एक तरफ से हमारी बहनों की आवाज आती है कि हम को हुकूक दो, इधर मिनिस्टर साहब की आवाज आती है कि हम को चाहिये कि कांस्टिट्यूशन में जो सेक्स के अल्फाज लिखे हैं उनके खिलाफ न जायें। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आपकी ईक्वालिटी क्या है? आखिर, अगर एक बहन को खुसर की जायदाद में हिस्सा मिलता है तो क्या वजह है कि भाई को खुसर की जायदाद में हिस्सा न मिले, क्या यह इनईक्वालिटी नहीं है कि बहन को खुसर की जायदाद में हिस्सा मिले और भाई को न मिले? कहां गया आपका कांस्टिट्यूशन? आप ऐसी बातें करते हैं कांस्टिट्यूशन का हवाला दे कर जो कि बिलकुल गलत हैं। अगर आप बाप की जायदाद में लड़की और लड़के दोनों को बराबर का हक देते हैं तो खुसर की जायदाद में भी दोनों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिये। आपका जो बिल है वह इनईक्वालिटीज से भरा पड़ा है। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं आपको दिखलाता कि इस बिल के एक-एक लफ्ज में सिवा आदमियों की इनईक्वालिटी के और कुछ नहीं है। यह जरूर है कि जैसी हालत आज है, जिस दुनियां में हम रह रहे हैं, जिस माहोल (वातावरण) में हम रह रहे हैं उसको छोड़ नहीं सकते, दुनियां के अन्दर जो हालात हैं उनके ही अन्दर हमें रहना होगा, मगर इस चीज को हम भूल नहीं सकते कि लड़की एक ऐसे खान्दान में जाती है जो कि बिलकुल जुदा होता है, उस नये खान्दान में जा कर एक नई फैमिली बनाकर बैठती है, सारी उम्र उस खान्दान के पीछे रहती है, बाप के मरने की खबर आती है, उधर उसका अपना बेटा बीमार है, तो वह बीमार बेटे को छोड़ कर बाप के घर नहीं जा सकती है। हमारे देश का आइडियल ही ऐसा है कि औरत अपने खाविन्द को बड़ी चीज समझती है। मैं कहता हूं कि छोड़ दीजिये पुराने रिवाजात को जिसमें औरत अपने खाविन्द को गॉड और लॉर्ड समझती थी, लेकिन इस वक्त भी वह उसको अपना आइडियल कम्पेनियन समझती है। अगर आपको आज सीता व सावित्री के आइडियल (आदर्श) के सवाल पर लेक्चर दिया जाय तो शायद आपको कुछ ऐतराज हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस देश के अन्दर हमारे सारे पुराने आइडियल का और हमारी रामायण का जनाजा निकाल दिया जाय। आपने रामायण का जनाजा इस बिल के जरिये निकाल दिया है, इस देश में **सन सेन्टर्ड पालिटी** है। इस देश में पुत्र को अधिक महत्व देने की नीति है। आज हमारे यहां जो हजारों सालों से सिस्टम चला आ रहा है उसे हम भूल नहीं सकते। लड़का बाप की जगह होता है, खान्दान का बड़ा होता है, सारे खान्दान वाले उसकी खिदमत करते हैं। मैं चाहता था कि जो हुकूक की बात की जाती है तो उसके साथ में हम को अपनी पुरानी बातों को भूल न जाना चाहिये।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : (करनाल) यह शब्द वापस लिये जाने चाहियें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : रामचन्द्र जी के साथ चौदह सालों के लिये सीता के बन जाने का सवाल पैदा होता है, रामचन्द्र कहते हैं कि तुम अपने बाप के घर चली जाओ, तुम्हारा बाप राजा

है तुम्हें क्या तकलीफ है ? वहां पर काफी आराम होगा, लेकिन सीता क्या जवाब देती है ? वह कहती हैं कि मैं बाप के घर नहीं जाऊंगी ।

श्री फीरोज गांधी (जिला प्रतापगढ़—पश्चिम व जिला राय बरेली—पूर्व) : कैनाट प्लेस में घूमेंगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कहती हैं कि बाप के घर का जिक्र न करो । मैं अर्ज करता हूं कि हमारी एक आंख बाप की जायदाद पर है और दूसरी घर की जायदाद पर । बाप मालदार है, वह लड़की को जब तक वह चाहे, रखेगा उस के दुःख सुख में शरीक होगा । लेकिन इस बिल को पास कर के आप इस देश के आइडियल को तबाह कर रहे हैं । मैं पूछता हूं कि किस भाई का यह आइडियल होगा दुनियां में कि वह चौदह बरस भाई के साथ बनवास करे, और अगर राज करेगा तो बड़े भाई के खड़ाऊं रख कर । जो पालिटी आज हजारों बरसों से चली आ रही है उसको आज आप बरबाद कर रहे हैं । मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी बहनों को हम से शिकायत हो । मेरी बहन यह समझती हैं कि मैं औरतों के हुकूक का हामी नहीं हूं । गरीबनवाज, एक ही नाजुक मिट्टी से बने हुए पुतले, एक मां से पैदा हुए , क्या आप कभी यकीन कर सकते हैं कि वह चाहेंगे कि उसी मां को, उसकी बेटी को, उसकी बीवी को हुकूक न मिलें । मैं उन लोगों में से हूं जो चाहते हैं कि उनको पूरे हुकूक मिलें, जो उनका हक है उसको मैं कम नहीं करना चाहता, लेकिन सवाल रास्ते का है, किस रास्ते से हम जायें । मैं बहुत दफा इस चीज को हाउस में पेश कर चुका हूं लेकिन मुझे अफसोस है कि पिछले चार पांच सालों में मेरी आवाज विल्डरनेस की आवाज साबित हुई, वह मेरी आवाज नहीं समझी गई । जनाब वाला ने भी अपनी जगह से उसको सपोर्ट किया, मेरे पास किताब मौजूद है जिस में आपकी तजवीज थी । वख्शी टेकचन्द साहब और श्री पट्टाभि ने उसको पसन्द किया था । श्री विश्वास के सामने जिस वक्त अर्ज किया गया उस पर उन्होंने गौर किया, हमारे पाटस्कर साहब ने भी कहा कि मैं एग्जामिन कराऊंगा । मुझे याद है कि सेलेक्ट कमेटी में पाटस्कर साहब ने चन्द एतराज किये, मैं उनका जवाब देता, लेकिन मुझ से पूछा नहीं गया । उन्होंने खुद भी उन पर गौर नहीं किया । वह हिन्दुस्तान के सभी लोगों के नुक्ते निगाह के साथ मेल खाते थे । मैंने सन् १९५० में कहा था कि अगर हिन्दुस्तान में रहने वालों को यह पता चल जाय कि आप क्या करने जा रहे हैं तो हिन्दुस्तान के अन्दर एक रिवोल्यूशन हो जाये । आज भी वह चीज दुरुस्त है , मगर उनको मालूम नहीं है, आज वह इतने पोलिटिकल माइन्डेड नहीं हैं कि वह मिनिस्टर साहब की बातों को समझ सकें । आज एक-एक जिले में जो सैकड़ों गांव बसे हुए हैं उनकी हालत को हमारे मिनिस्टर साहब नहीं जानते । आज भी हालत यह है कि गांव के गांव एक ही गोत्र के हैं और एक्वेटिक थियोरी उनमें कूट-कूट कर भरी है । मुझे पता नहीं है कि मिनिस्टर साहब को उन गांवों की हालत का पता है या नहीं । वहां पर इस बिल के मुताल्लिक मालूम होने पर फीमेल इन्फेन्टिसाइड तक हो जाने की नौबत आ सकती है । जनाब वाला को मालूम है कि पंजाब के अन्दर किस तरह से कोई बाहर का स्ट्रेन्जर आ जाय तो उसको वहां पर कितने दिन रहने दिया जाता है । मुझे अफसोस है कि मेरे उन दोस्तों ने जिन्होंने पहले स्पीच दी उन्होंने क्यों जिक्र नहीं किया । मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के गांवों में इस कानून के पहुंचते ही फीमेल इन्फैन्टिसाइड होने लगेगा, लड़कियों के मर्डर होने लगेंगे अपनी जायदाद बचाने के लिये । मैं नहीं जानता हूं कि क्यों सरकार इस चीज को अपने ख्याल में नहीं लाती है । मैं नहीं कहता कि इस तरह की रिफार्म सरकार न करे, लेकिन ऐसी चीज लाये जो कि अपनी जगह पर जरूरी व मुनासिब हो । आज सरकार इस चीज के पीछे पड़ी हुई है कि जल्दी से जल्दी इस बिल को पास कर दे । लेकिन इस बिल के अन्दर इतनी जबर्दस्त खामियां हैं कि उससे पंजाब, बिहार और यू० पी० के अन्दर बेइन्तहा मुकद्दमेबाजी शुरू हो जायेगी । फर्ज कीजिये कि हम यह बिल पास कर देते हैं तो यह होगा कि मां बाप लड़ेंगे, बाप बेटे

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

लड़ेंगे, भाई-भाई लड़ेंगे, मां बेटे लड़ेंगे व बहन भाई दो टूक हो जावेंगे । और हमारा जो शीराजा (धारण) सोसायटी का है वह बिल्कुल बिखर जायेगा । भाई और बहन के प्रेम का जहां तक सवाल है उसके ऊपर में इस वक्त कुछ कहना नहीं चाहता । हिन्दू ला का जो कंसेप्शन आफ सोसायटी था कि कोपार्सनरी प्रापर्टी (संमाशी सम्पत्ति) को कोई कोपार्सनर इन्तकाल नहीं करा सकता, कोई प्रापर्टी का मैनेजर उसको इन्तकाल नहीं करा सकता, उसको आपने एक स्ट्रोक आफ पेन से खत्म कर दिया और हर एक आदमी जिस तरह चाहे अपनी जायदाद को **बिल अवे** (वसीयत) कर सकता है ।

हमारे इम्तिहान के कोर्स में एक किताब थी "मैन्स ऐंशेंट ला" जिस में "स्टेटस टू कांट्रेक्ट" का जिक्र था । वह बात सही साबित हो रही है । हम इस मैड परसूट में चल रहे हैं कि हिन्दू ज्वाइंट फैमिली (सम्मिलित परिवार) खत्म हो जाये । अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप डा० अम्बेडकर का बिल लाइये । मैं समझता हूं कि आप वैसा करना नहीं चाहते, आप दोनों फरीक को राजी रखना चाहते हैं । लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि यह किसी को कबूल नहीं हो सकता । अगर आप ज्वाइंट हिन्दू फैमिली को नहीं रखना चाहते तो न रखें, कोई दूसरी तरह की सोसायटी बन जायेगी । दुनिया में सब जगह ज्वाइंट फैमिली नहीं है । लेकिन अगर आप ज्वाइंट हिन्दू फैमिली को खत्म नहीं करना चाहते तो इस कानून में यह प्रावीजन क्यों रखा जा रहा है । जो कुछ आपने इस बिल में रखा है वह हमको हज्म होना मुश्किल है ।

मैं एक और चीज की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं । हिन्दुस्तान में यह ट्रेडीशन है कि अगर किसी खानदान में जायदाद है तो उस खानदान के लड़के या लड़कियां भूखे नहीं मर सकते । मैं तो चाहता हूं कि आप डा० अम्बेडकर के बिल के मेनटिनेन्स (पोषण) क्लाजेज को कानून की शक्ल दें । मैं उम्मीद करता हूं कि पाटस्कर साहब उनको कानून की शक्ल में लावेंगे । वे क्लाजेज ज्वाइंट प्रापर्टी के लिये बहुत जरूरी हैं । मैं अपनी बहिनों से और श्री पाटस्कर साहब से पूछना चाहता हूं कि जो सक्स डिस्क्रिमिनेशन के बहुत ज्यादा कायल हैं, कि क्या लड़की की यह जिम्मेवारी है कि वह बूढ़े मां बाप को मेनटेन करे । लेकिन आप देखिये कि एक लड़के पर क्या-क्या जिम्मेवारियां हैं । अगर मां बाप बूढ़े हैं तो उसे उनको मेनटेन करना होता है अगर विधवा बहिन है तो उसे मेनटेन करना होता है, अगर फैमिली में कोई विडो है तो उसे मेनटेन करना होता है, अगर कोई डेजरटेड (परित्यक्ति) है तो उसे मेनटेन करना होता है, अगर कोई इंडीजेंट है तो उसे मेनटेन करना होता है । जो जायदाद को लेता है उसका यह जिम्मा है कि अपाहिजों को, या ऐसे लोगों को जिनको कि प्रापर्टी में हिस्सा नहीं मिलता, पर जो मेनटिनेन्स के हकदार हैं, उनको प्रोवाइड किया जाये । हिन्दू ला गिवर्स अक्लमन्द थे और उन्होंने हर चीज के लिये प्रावीजन किया था । या तो आप बूढ़े और अपाहिजों के लिये कोई प्रावीजन कीजिये या जो हमारे पूर्वजों ने उनके लिये प्रावीजन किया था उसको कायम रहने दीजिये; हम इस मेनटिनेन्स ला को तो यहां पास करेंगे क्योंकि यही तो हिन्दू ला का सबसे ज्यादा सुन्दर पोर्शन है । इस मेनटिनेन्स ला के जरिये हमारे ला गिवर्स ने फैमिली में सबके लिये कोई न कोई प्रावीजन किया है । जब तक यह प्रावीजन मौजूद है आपको जायदाद या रुपया लड़कों को देना चाहिये क्योंकि जायदाद के साथ राइट आफ मेनटिनेन्स जाता है । क्या हमारी बहिनें इस जिम्मेवारी को लेंगी । बहिनें तो शायद लेने को तैयार हो जायें क्योंकि हमारी बहिनें बहादुर हैं । यहां पर हिन्दू मैरिज एण्ड डाइवोर्स ला (हिन्दू विवाह तथा तलाक कानून) में रख दिया गया था कि औरतें खाविन्दों को मेनटेन करें, लेकिन उस पर भी बहिनों की तरफ से बहुत ऐतराज नहीं किया गया था । हमने ही कहा था कि यह नालायकी की बात है कि आदमी स्त्रियों के ऊपर निर्भर रहें । मैं बहिनों के जिम्मे मेनटिनेन्स का वार नहीं डालना चाहता । उनकी जो हालत अभी समाज

में है और जो कि अभी बहुत वर्षों तक रहने वाली है, उसमें वे इस जिम्मेदारी को लेने के काबिल नहीं हो सकतीं। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक यह मेनटिनेन्स का ला कायम है कोई वजह नहीं है कि मर्द को प्रापर्टी का हक न दिया जाये।

अभी कल ही हमारी बहिन श्रीमती शिवराजवती नेहरू ने और जब यह बिल पहले आया था तो सुभद्रा जी ने भी यह फरमाया था कि आप जो यह कानून पास करने जा रहे हैं, उसमें जो बहिनें मांगती थीं उससे भी आप उनको ज्यादा दे रहे हैं। यह मैंने कल ही पढ़ा है।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : मैंने नहीं कहा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं आपकी स्पीच मंगाकर हाउस में पढ़ सकता हूं। उस वक्त आपने जो कहा था वह दुरुस्त था। लेकिन अगर आपने नहीं भी कहा तो मैं कहता हूं कि आप देखें कि बाप की जायदाद में औरत को हिस्सा, सुसर की जायदाद में उसको हिस्सा, खाविन्द की जायदाद में उसको हिस्सा यह कहां तक ठीक है। क्या इतनी साफ चीज के लिये भी किसी आर्ग्यूमेंट की जरूरत है कि ससुर पिता के बराबर नहीं है और पति पत्नी के बराबर नहीं है। क्या अजीब बात है कि औरतें अगर कहती हैं कि आप हमें १०० परसेंट चीज दें तो आप कहते हैं कि हम तुम को पौने दो सौ पर सेंट देंगे। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो मैडनैस चली आ रही है इसको उतार फेंकना चाहिये। टैनीसन ने अपनी एक किताब में बहुत अच्छे ढंग से लिखा है कि आदमी और औरत दो पहिये हैं और जब तक वे अच्छी तरह से चलते हैं गाड़ी ठीक चलती है लेकिन यह कहना कि दोनों बराबर हैं यह गलत होगा। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं आप फैक्ट्स आफ नेचर को दूर नहीं ले जा सकते। इसलिये गो कि मैं चाहता हूं कि बहिनों को फाइनेन्शली इंडिपेंडेंट बनाया जाये।

श्री पाटस्कर : उनको मेनटिनेन्स देना चाहते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेनटिनेन्स तो मैं अलाहिदा देना चाहता हूं। इस वक्त तो मैं आपकी इक्वालिटी की बात का जवाब दे रहा था। मैं कहता हूं कि बहिनों को भी पूरा मौका मिले। लड़का अपनी वर्थ से खानदान की जायदाद में हक हासिल करता है। औरत अपनी शादी की वजह से दूसरे खानदान में ट्रांस्फर हो जाती है। वह उस वक्त से उस खानदान में हक रखती है। इसलिये मैं कहता हूं कि जो हिस्सा आप सन को दें वही सन्स वाइफ को दीजिये। मैं नहीं चाहता कि कोई औरत बतौर बीवी के भी अपने खाविन्द की दस्तनिगर रहे। आपने डाइवोर्स का कानून पास किया है, लेकिन अगर आप उसको फाइनेन्शल पावर्स नहीं देंगे तो उसकी हालत और भी खराब हो जायेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि फादर-इन-ला की जायदाद में सन एण्ड सन्स वाइफ दोनों हकदार हों। और अगर उसका खाविन्द अपने बाप से पहले मर गया है तो उसकी विडो को हिस्सा दिया जाये। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि वह अपने फादर-इन-ला की जायदाद में हकदार हो। यहां पर हमारे बहुत से हिन्दू भाई बैठे हैं। मैं पूछता हूं कि कौन नहीं चाहता कि अपनी बहिन या बेटी को उसका हिस्सा दिया जाये। जब भी लड़की के बच्चा होता है, या उसके बच्चों की शादी होती है तो बात या भाई भात वगैरह की शक्ल में उसको बराबर उसका हक देते हैं।

श्री बोगावत : लड़के के बैटे बेटियों की शादी में भी देते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह सही है कि अब पहले के मुकाबले में यह चीजें कम होती जा रही हैं। मैं जनाब के सामने अपनी ही एक मिसाल रखना चाहता हूं। मेरी शादी हुई थी एक जगह जिसको आज ५५ बरस होते हैं। उसके दो तीन बरस बाद मेरी बीवी का इन्तकाल हो गया। लेकिन वे लोग अभी तक वैसा ही रिश्ता कायम रखे हुए हैं। हर शादी में हर त्योहार में वह बराबर वैसा ही सलूक कर रहे हैं, और ऐसी हम भी अपनी बहिनों के लिये करते हैं। आपने इलेक्शन के जमाने

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

में देखा होगा कि अगर हम किसी ऐसे गांव में जाते हैं जहां कि हमारे गांव की कोई लड़की हो तो हमको तब तक तसल्ली नहीं होती जब तक हम उसको रुपया नहीं देते। कोई हिन्दू अपनी लड़की के गांव में पानी तक पीना पसन्द नहीं करता, उसकी जायदाद कैसे ले सकता है। लेकिन आपने कानून बनाया है कि लड़की की जायदाद उसके मां-बाप को दे दी जाये। मैं नहीं समझता कि इस कानून को बनाने वाले हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं या किसी दूसरे मुल्क से आये हैं। उनको यह भी पता नहीं कि इस मुल्क में ऐसा नहीं होता कि लोग अपनी लड़की की जायदाद ले लें। मालूम नहीं किसने यह कानून बनाया है।

इसके इस बिल में दो चीजें और जोर से कही गयी हैं। लेकिन जब से दाभी साहब ने और दूसरे भाइयों ने यह कहा कि हमारे देश में ७५ फीसदी एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स ५ एकड़ से कम हैं तब से पाटस्कर साहब के दिल में गुदगुदी-सी होने लगी।

एक कच्चे मकान में जिस में कि केवल एक कमरा हो, यह जान कर पाटस्कर साहब को दुःख हुआ कि कैसे वहां पर लड़की का खाविन्द जो दूसरे गांव या शहर का होगा, वह कैसे वहां पर रह सकेगा और गुजारा कर सकेगा। हमारी तसल्ली के लिये उन्होंने फरमाया कि हमने इसके अन्दर दो नये किस्म के प्रीएम्पशन प्रोवाइड कर दिये हैं ताकि यह तकलीफ दूर हो सके और उनमें जो अल्फाज लिखे हुए हैं उनको जरा मुलाहिजा फरमाया जाय। दफा २४ में जरा मुलाहिजा फरमायें कि क्या ही ब्यूटीफुल अनडाईग वर्डस लिखे गये हैं :

> †२४. "यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी इच्छापत्रहीन व्यक्ति की अचल सम्पत्ति अथवा उसके किसी व्यापार में हित अनुसूची के प्रथम वर्ग में निर्दिष्ट उत्तराधिकारियों को मिलेंगे और यदि ऐसा कोई उत्तराधिकारी अपना हित हस्तांतरित करना चाहे तो अन्य उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित किये जाने वाले हितों को अर्जित करने में अग्रिमता मिलेगी।"

यह प्रीएम्पशन नहीं है कि सेल हो जाय और सेल का ट्रान्सफर कर दिया जाय। यह सारा का सारा ऐसा अनवर्केबुल और अनथौट प्राविजन है कि इसके ऊपर नामुमकिन है कि अमल हो सके। इस के अन्दर बीसियों नुक्स हैं। अब इसमें जो लिखा है कि "हस्तांतरित किये जाने वाले हितों को अर्जित करना" अब यह बिलकुल अनवर्केबुल है और इस पर अमल नहीं हो सकेगा।

अब एक दूसरी चीज लीजिये। किसी जमींदार के पास जो पांच एकड़ की खेती करता होगा उसके पास जेब में एक हजार रुपया नहीं होगा मकान की खरीद के लिये और इसका नतीजा यह होने वाला है कि हर एक मकान गांवों के अन्दर नीलाम किया जायगा और घरों से बाल बच्चे निकाल दिये जायेंगे और इसका नतीजा यह होगा कि झूठी शहादतें पुलिस बनायेगी और इंनफैंटिसाइड बढ़ेगी और आपस की मोहब्बत कतई खत्म हो जायगी और हर एक घर के अन्दर मुकद्दमेबाजी होने लगेगी। मैं तो जब इस बिल के असरात के बारे में सोचता हूं कि इसका हमारे लोगों पर क्या असर पड़ेगा तो मैं तो शडर करने लगता हूं। मैं पंजाब का रहने वाला हूं और अगर ज्यादा नहीं तो करीब ४७, ४८ वर्ष मुझे प्रैक्टिस करते हो गये हैं और मैं इस की जो मुखालफत करत हूं उसकी असली वजह यह है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि इस के जरिये आप हर एक घर में लिटिगेशन भेज रहे हैं। यह जो आपका फर्स्ट फाइव-इयर प्लान और सैकेंड फाइव-इयर प्लान है वह सब एक तरफ है और दूसरी तरफ श्री पाटस्कर का यह अतिया है जो कि आपके उन तमाम नतीजों पर पानी फेर देगा जो आप यहां पर पैदा करना चाहते हैं।

दूसरा हिस्सा जिसका जिक्र दफा २५ में आया है वह पहले से भी अजीब है। जो असली चीज है और जो असली प्राविजन है उसके आप नजदीक नहीं जाना चाहते। आप चाहते हैं कि दुनिया को यह दिखलायें कि हिन्दुस्तान इन चीजों में बहुत बढ़ रहा है जब कि हालत यह है कि हिन्दुस्तान में हजारहा तजुर्बे कर के हिन्दुस्तान के एक हिस्से में बाप की जायदाद के हक में तजुर्बे हुए जब कि साउथ में मां की जायदाद पर तजुर्बे हुए उन सबको आपने ब्रश एसाइड कर दिया है। आपका यह कहना था कि हम इस मामले में युनिफारमिटी लाना चाहते हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह युनिफारमिटी है कि वहां तो आपने मां को हिस्सा दे दिया और यहां आपने उसको निकाल दिया ? मैं पूछता हूं कि जब दो मुख्तलिफ सिस्टम हैं तो आप क्यों उनके साथ खेलते हैं ? मैं अदब से अर्ज करूंगा कि जो सिस्टम डेवलप हुए हैं उनको उसी तरीके से रहने दिया जाये। आपने एक मैरिज ला बनाया और उस समय कहा कि हम युनिफार्म चीजें देश में लाना चाहते हैं लेकिन हम ने देखा कि डाईवोर्स को एक हिस्से के वास्ते तो आपने कस्टम करार दिया और दूसरे हिस्से के वास्ते उसके लिये ला बना दिया। आप इसी तरह की चीज इस बिल में भी करना चाहते हैं और यह कोई आप युनिफार्मिटी नहीं ला रहे हैं। वैसे मैं अदब से अर्ज कर दूं कि मैं इस युनिफार्मिटी का इतना कायल नहीं कि इसकी खातिर लोगों की ख्वाहिशात, जजवात, लोगों के आपस के ताल्लुकात, भाई-बहन के ताल्लुकात और मां-बाप के ताल्लुकात को बिगड़ने नहीं देना है। अब इस सक्सेशन के मसले को लेकर जब लड़की का खाविन्द और खाविन्द ही क्यों लड़की के ससुर और देवर जब उसके मायके के मकान या जमीन पर बैठने की कोशिश करेंगे तो कैसे उसके मायके उसके खाविन्द, ससुर और देवर को अपने साथ रहने देंगे, कैसे उनका गुजारा चलेगा और कैसे उनकी जमीन पर गुजारा होगा। इस मौजूदा सक्सेशन के प्राविजन के बारे में हमें बतलाया गया कि इसके करने से कई फायदे होंगे, मुमकिन है कि किसी एक खास हिस्से में इससे कोई फायदा हो, लेकिन पंजाब के बारे में जहां के हालात से मैं खूब वाकिफ हूं, वहां के बारे में दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे मुकद्दमेबाजी और टंटेबाजी बढ़ेगी और तरह तरह की दिक्कतें पेश आयेंगी। पंजाब में जो शादियां होती हैं, वह बड़ी उम्र में होती हैं और जाहिर है कि जब एक आदमी लाइफ में एंटर होता है तो उसके सिर पर नई-नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उस मौके पर लड़की को जायदाद जो दी जाती है वह छोटी-मोटी नहीं होती है, हजार-दो हजार की नहीं दी जाती बल्कि हमारे पंजाब में शादी के मौके पर लड़की को ५० हजार और १,००,००० रुपये की डावरी देते हैं और यह रकम उसको और उसके खाविन्द को अपना नया घर और नई जिन्दगी को शुरू करने के लिये मिलती है और लड़की और उसका पति जो दोनों एक नये कुनबे की बुनियाद डालते हैं, उनको अच्छी तरह से आबाद करने के लिये यह रकम दी जाती है और इसमें बाप और भाइयों के अलावा मामा और नाना का भी कंट्रिब्यूशन होता है और भारत के अन्दर दूर-दूर के रिश्तेदार उसमें अपना-अपना सहयोग देते हैं। शादी हो जाने के बाद लड़की दूसरे घर की एक मुस्तकिल मेम्बर बन जाती है और वहां पर अपनी नई जिन्दगी शुरू करती है। इस सारे बिल को मैंने देखा, इसमें फादर की प्रापरटी का तो जिक्र है लेकिन ससुर का कहीं नाम नहीं है। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बतलाऊं कि एक बिजनेस कंसर्न है जहां कि फर्ज कीजिये कि एक बूढ़ा बाप रिटायर हो चुका है और उसके चार बेटे बिजनेस करते हैं, बूढ़े बाप की जो २ या ४ हजार की हैसियत थी उसको उसके बेटों ने कलकत्ते और बम्बई में जाकर लाखों की हैसियत पैदा कर ली, बाप के मरने पर तो कहते हैं कि लड़के जुदा नहीं हुए, उनके हिस्से में से लड़की को हिस्सा दे दिया जाय और जिन्होंने कि सारी जायदाद पैदा की उनको अलग हटा दिया जाय, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह आपका कहां का इन्साफ है ? कल मेरे पास एक शख्स आया जो कि पंजाब का रहने वाला है और जिसने मुझे बतलाया कि मैंने तमाम अपनी जायदाद खुद अपने हाथों से पैदा की है। उसका बूढ़ा बाप मौजूद है मेरी चार बहनें हैं, अब आप बतलाइये

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कि मैं क्या करूं ? जनाब को मालूम है कि पंजाब के अन्दर कस्टम की रू से बेटे को बाप की जिन्दगी में बंटवारा करने का हक हासिल नहीं है, चुनाचे उसके मुताल्लिक मैंने डाइवोर्स ऐक्ट में एक दफा यह बढ़वाई जिसके कि अन्दर यह लिखा गया कि किसी भी विरोधी प्रथा के होते हुए प्रत्येक अविभक्त हिन्दू परिवार में पुत्र को पिता के जीवन काल में विभाजन कराने का अधिकार समझा जायगा । वह भाई मुझ से कहने लगे कि मुझे बतलाइये कि मेरे वास्ते क्या चारा है ? मैंने उनको कहा कि पाटस्कर साहब की खिदमत में जाइये, वही आपको कोई रास्ता बतला सकेंगे, मैं कुछ नहीं कह सकता.....

श्री पाटस्कर : आप उनको मेरे पास भेज दीजिये, मैं उनको सलाह दे दूंगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप मुझे ही बतला दीजिये मैं आपकी सलाह को उनको बतला दूंगा लेकिन वाक्या यह है कि आपके पास कोई इसके लिये सलाह ही मौजूद नहीं है । मैं जनाब की खिदमत में यह अर्ज करूंगा कि वे सारे माहौल पर खूब अच्छी तरह से गौर करें । मैं मानता हूं कि यह जरूरी नहीं है कि हर एक केस में कोई बेटे ही जायदाद पैदा करते हों लेकिन कुछ ऐसे केसेज जरूर हैं जहां कि बाप या बेटे की मुश्तरका कोशिशों के फलस्वरूप जायदाद बनी है या जहां बाप बूढ़ा हो गया हो और बेटों ने अपनी मेहनत के जरिये जायदाद बनाई हो उस जायदाद के अन्दर एक नये और दूसरे खानदान के शख्स को दाखिल करना वाजिब नहीं है । अभी जैसा कि मेरे एक भाई ने बहस के दौरान म बतलाया था कि एक शक्स की बहन के खाविन्द को एक दूसरे गांव में लड़की के भाई की जायदाद में या जमीन में बीघे-दो बीघे का हिस्सा दिलवाया जाय और जो उस भाई की बीवी आये उसको एक दूसरे गांव में उसके भाई की जमीन में बीघे या दो बीघे का हिस्सा दिलाया जाय, मैं नहीं समझता कि इसमें क्या मंतक है ? आखिर किसी की वीबी हो, किसी की बहन हो, अगर यहां से जायदाद ले जायेगी तो दूसरी जगह से दूसरी औरत ले भी तो आयेगी । मैं कहता हूं कि क्यों झगड़े में पड़ते हो, हजारों बरस से तो कायदा चला आया है जिसमें हिन्दुस्तान के अन्दर जो खानदान हैं, जो ज्वायेंट फैमिली है, उसमें मियां-बीवी के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं । वह अमरीका और विलायत के डाइवोर्सेज नहीं सीखे हैं । आप इस सारे सिस्टम को क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं । आज आप इस लिये उनको डिस्टर्ब करने जा रहे हैं जिसके लिये कोई वजह नहीं है । आखिर जब पूछा गया कि वजह तो बतलाइये, तो कहा गया कि युनिफार्मिटी लाने के लिये हम यह सब कुछ कर रहे हैं । युनिफार्मिटी (एकरूपता) के बारे में अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जनता के निहित हितों की तुलना में एकरूपता की अच्छाई संदिग्ध है । यह कोई जवाब नहीं है कि हम सब कुछ युनिफार्मिटी के लिये कर रहे हैं । एक के बाद दूसरे ऐक्ट यहां पर लाये जाते हैं और यह क्यों किया जाता है ? मैं जनाब की तवज्जह दफा १७ की तरफ दिलाना चाहता हूं, उस में लिखा है :

यदि कोई हिन्दू स्त्री इच्छापत्रहीन मर जाय तो उसकी सम्पत्ति धारा १८ में दिये गये नियमों के अनुसार अक्रांत हो जायेगी । गरीब नेवाज वह आपका इक्वालिटी आफ सेक्स कहां है ? मर्द की प्रापर्टी का डिवाल्यूशन (अक्रांति) आप देते हैं दफा ८ में और उसका डिवाल्यूशन देते हैं दफा १७ में । आखिर सेक्स की बिना पर यह तफरीक क्यों ? क्या यह आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ? जनाब मुलाहजा फरमायें किस तरह पर दिया गया है :

"प्रथम पुत्र और पुत्रियों और पतियों को; दूसरे माता और पिता को"

और बिलकुल आखीर में हैं :

"पति के उत्तराधिकारियों को"

मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कंसिस्टेंसी भी दुनियां में कोई चीज है । डा० अम्बेडकर जब बिल लाये तो फर्स्ट शेडयूल में सिर्फ छः या सात आदमियों के नाम थे, आज ११ नाम हैं और अगर दो तीन

बरस और हो गये तो शायद १५ या २० आदमियों के नाम आ जायेंगे । इसी तरह से जब पहले ऐक्ट आया हिन्दू ला का तो ७ नाम थे, दूसरी बार जब बी क्लाज रखा तो उसमें लिखा गया पति के उत्तराधिकारी अब पति भी रख दिया । फिर माता के उत्तराधिकारी आया । मैं हाउस में बराबर कहता रहा हूं कि आप अविवाहित पुत्रियों को जरूर भाइयों के बराबर का हिस्सा दीजिये, बाप की जायदाद में और जब उसकी शादी हो जाय तो हस्बैंड की जायदाद में हिस्सा दीजिये जब तक कि वह खानदान में रहे । अगर कोई औरत डाइवोर्स कर जाय तो उसको हक है कि वह जायदाद को अपने साथ ले जाय, लेकिन अगर वह रिमैरेज करे तो उसका हक जायदाद में जाता रहेगा । लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि १७।२। में मर्दों के वास्ते नहीं है, औरतों के वास्ते है । यह बिल्कुल ऐसा उसूल है जो कि अव्यवहारिक है । जायदाद मूवेबल और इम्मूवेबल सभी को दी गई, बीस बरस बाद वह कहां होगी । वह फादर के एअर्स को कैसे मिलेगी । फिर अगला नमूना जनाब मुलाहजा फरमायें :

> "(ख) हिन्दू स्त्री द्वारा अपने पति अथवा ससुर से वसीयत में प्राप्त कोई भी सम्पत्ति मृत के पुत्र अथवा पुत्री के अभाव में (पूर्व मृत पुत्र अथवा पुत्री के बच्चों को सम्मिलित करते हुए) उपधारा (१) में निर्दिष्ट अन्य उत्तराधिकारियों को नहीं वरन् पति के उत्तराधिकारियों को प्रक्रान्त होगी ।"

मेरी गुजारिश यह है कि अगर फादर-इन-ला से कोई जायदाद मिली, फादर-इन-ला की वसीयत के जरिये खाविन्द जिन्दा है औरत के मरने पर जायदाद बच्चों को जावेगी, खाविन्द को हिस्सा नहीं मिलेगा । बी की रू से । क्यों साहब, हस्बैंड ने क्या कुसूर किया ? यह तो दो कैसेज हुए, अगर भाई या बहन से जायदाद आई तो उस के लिये कोई प्राविजन ही नहीं है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि दफा १७ मोस्ट अनवर्केबल है और लोगों के ख्यालात के बिल्कुल खिलाफ है, उनके डिफायेंस में जाता है और उसके अन्दर जो तरीका दिया हुआ है वह बिल्कुल गलत है ।

इसके अलावा जनाब मुलाहजा फरमायें——

उपाध्यक्ष महोदय : अब आनरेबल मेम्बर साहब इसको कंडेन्स करने की कोशिश करें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी, हां । मैं जल्दी खत्म करूंगा । दफा ६ के अन्दर एक्स्प्लेनेशन दिया हुआ है, उसकी तरफ मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं । पहले यह लिखा कि जहां तक कोपार्सनर का ताल्लुक है, इस बिल का कोई असर नहीं होगा, दूसरे यह लिखा कि प्राविजन यह है कि फीमेल रिलेटिव (स्त्री सम्बन्धी) हो । और वह कौन हो ? उनकी तादाद ११ है सिवा सन्स को छोड़ कर सब औरतों के लिये ही हैं, मसलन् विडो, डाटर, डाटर्स, सन्स डाटर, सन्स सन्स विडो, सन्स सन्स डाटर । अगर इनमें से कोई हो तो क्या होगा ? अगर एक आदमी के चार बेटे हैं और उनमें से दो जुदा हो गये तो उनको जायदाद में हक होगा, लेकिन जो दो ऐसे लड़के हैं जो बाप की खिदमत करते हैं, बाप से जुदा नहीं होना चाहते, उनको जायदाद नहीं मिलेगी । वेस्टेड राइट जो हैं वे उसके अन्दर दिये हुए हैं जिनमें अगर बहन का हक दिया जाता है बाप की जायदाद में तो अनडिवाइडेड सन की जो जायदाद है उसको भी उसमें शामिल कर लिया जायेगा । या तो आप यह कह दीजिये कि लड़कों को हक नहीं है, जो इतने दिन से हमारा सिस्टम चला आ रहा है उसको आप चाहें तो खत्म कर दीजिये ताकि रोजमरा का झगड़ा खत्म हो, लेकिन अगर आप उसका हक रखना चाहते हैं तो कम से कम लाजिकली तो रखिये । जिनके वेस्टेड राइट्स हैं उसके अन्दर उनको आप कैसे हटा सकते हैं क्या मैं पूछ सकता हूं कि दफा ३२ में, जो आपने एक्स्प्लेनेशन रखा है दफा ६ में, वह भी लागू होगा?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को आपस में, यदि आवश्यक हो, तो धीरे-धीरे बात करना चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि लाजिकली यह एक्स्प्लेनेशन कायम नहीं रह सकता । या तो जैसा आप ने पहले किया था कि जो सेपरेट लड़के हों उनकी जायदाद बाप की जायदाद करार दी जाये, वह फिर कर दीजिये, लेकिन इस को आप कबूल नहीं करते क्योंकि यह एन्सर्ड है, इस को आप रख नहीं सकते ।

अब मैं दफा ४ की तरफ आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं । दफा ४ जो अब मौजूद है उस पर पहले भी बहस होती रही । मेरे पास वह किताब मौजूद है जिस के अन्दर मैं ने और जनाब वाला ने बहुत ज्यादा हिस्सा लिया था । जहां तक कस्टम का क्वैश्चन है, जनाब को मालूम है कि पंजाब में हिन्दू, मुसलमान और सिख रीति रिवाजों के अनुसार ही निर्णय करते हैं । हाउस में १८७२ एक्ट नं १ की दफा ५ कोट की गई । आज तक वह वहां पर मौजूद है । सिखों और हिन्दुओं के रिवाजात एक तरह के हैं और वह सेकुलर बेसिस पर मबनी हैं । ऐप्वाइंटमेंट आफ दि एअर (उत्तराधिकारी की नियुक्ति) का सवाल है, ऐडैप्टेशन का मामला है, आप ने सब को खैरबाद कह कर, सारी पुरानी चीजों को खत्म करके नई प्रथा कायम कर दी । अब जहां तक लोगों को समझाने का सवाल है, उन को थोड़ी-सी तसल्ली देने के वास्ते हमारे पाटस्कर साहब ने दफा ४ (२) में एक नया इन्वेंशन किया है और वह यह है कि इस अधिनियम की कोई भी बात तत्समय लागू किसी भी कानून के किसी भी उपबन्ध को प्रभावित नहीं करेगी । जनाब वाला, कोई आदमी समझाने चले कि लैंड का झगड़ा खत्म हो गया वे उसके फंदे से निकल गये डा० अम्बेडकर साहब का जो बिल आया था, उसमें से लैंड को निकाल दिया था । हम जानते हैं कि सारा ला आप का इस किस्म का है जिसे मुल्क नहीं मानेगा । अगर आप चाहते हैं कि उसका असर बहुत ज्यादा न हो तो लैंड्स को आप हटा दीजिये । लेकिन जो प्राविजन आप ने किया है वह लैंड को टच ही नहीं करता । मैं पंजाब के नुक्ते निगाह से देखता हूं, उस में यह है :

> "कृषि सम्बन्धी खातों के टुकड़े होने से रोकने के लिये तत्समय लागू किसी भी कानून के किसी भी उपबन्ध पर कोई असर नहीं पड़ेगा । "

शायद मेरे ख्याल में बम्बई में हो तो हो, उसका मुझे पता नहीं, मगर यू० पी० और पंजाब के अन्दर फ्रैगमेंटेशन आफ ऐग्रिकल्चरल होल्डिंग्स को रोकने का कोई कानून नहीं है । पंजाब में कृषि सम्बन्धी खातों के टुकड़े होने से रोकने के लिये कौन-सा कानून है ? इसके रखने का क्या लाभ है ? फिर जनाब वाला सरकार सीलिंग करना चाहती है । यह ला सीलिंग को कैसे एप्लाई करेगा । तीसरी चीज जिस पर मैं रोशनी डालना चाहता हूं वह यह है कि इस में यह दिया हुआ है :

> "अथवा ऐसे खातों के सम्बन्ध में कास्तकारी अधिकारों की प्रक्रांति के लिये ।"

जहां तक पंजाब का सवाल है, जनाब वाला को मालूम है कि जितने आकुपेंसी राइट्स थे वे प्रोप्राइटरी राइट्स में राइपिन हो गये । अब वहां आकुपेंसी होल्डिंग नहीं हैं । आकुपेंसी होल्डिंग में विडो को अधिकार मिलता था लड़की को नहीं मिलता था । अब वहां आकुपेंसी राइट ही नहीं रहे । अब तो ४ (२) से लोगों को मुगालता होगा । यह किस चीज को एप्लाई करेगा । क्या एक-एक टुकड़े जायदाद के लिये बंटवारा होगा ? क्या एक-एक थाली और गिलास के लिये भाई-बहिन में झगड़ा होगा, जैसा कि एक भाई ने यहां कहा था । इस लिये मैं पाटस्कर साहब की खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूं कि जिन प्राविंसेज में इस तरह का कायदा अर्से दराज से चला आ रहा है उनको इसकी जद से निकाल दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब को निकाल दें, और यू० पी० और बिहार को निकाल दें या उन सब जायदादों को निकाल दें जो कि १५ या २० एकड़ तक की हैं। आप उनको तो कम से कम जिन्दा रहने दीजिये जिन के लिये कि आप रोज यहां आंसू बहाते हैं। या आप ऐसी लिमिट कर दीजिये कि जो जायदाद ५ हजार तक की हो उस पर यह लागू न हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जिस लड़की को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं उसको फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे। जो आप कर रहे हैं उसका नतीजा यह होगा कि जायदादों के विल्स बन जायेंगे और न तो लड़कियों को जायदाद में हिस्सा मिलेगा और न उनको दहेज में जो मिलता है वह मिलेगा। नतीजा यह होगा कि जिन को आप प्राटेक्शन देना चाहते हैं उनको आने वाले बीस-पच्चीस साल में बहुत नुकसान पहुंचेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री दामोदर मेनन पहले बोल सकते हैं क्योंकि वे अस्वस्थ हैं।

†**पंडित के० सी० शर्मा** : कुछ सदस्यों को उनके भाषण के लिये निश्चित समय नहीं दिया जाता है। इस का नतीजा यह होता है कि बाद में बोलने वालों को केवल दस-पांच मिनिट दिये जाते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष महोदय ने पंडित ठाकुर दास भार्गव के भाषण के समय कहा था कि भाषण का समय निश्चित किया जाय। उस समय माननीय सदस्य मौन रहे। सदस्यों की विधेयक पर चर्चा के बारे में यह मान्यता है कि कोई समय निश्चित नहीं किया जाना चाहिये फिर भी यदि वे चाहें तो प्रत्येक सदस्य के भाषण के लिये बीस मिनिट तक का समय निश्चित किया जा सकता है।

†**श्रीमती सुभद्रा जोशी** : कुछ सदस्यों को एक घण्टा दिया जाना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जी, नहीं। बीस मिनिट बहुत होते हैं। अब श्री दामोदर मेनन अपना भाषण प्रारम्भ करेंगे।

†**श्री दामोदर मेनन** (कोजिकोड) : हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के परिणाम बहुत महत्व-पूर्ण होंगे और इस से समाज में अनेक परिवर्तन हो जायेंगे। मैं हिन्दी कम जानने के कारण पंडित ठाकुर दास भार्गव या श्री वी० जी० देशपांडे के भाषण को अधिक तो नहीं समझ सका फिर भी उनके उद्वेग से मुझे पता चल गया कि वे इस विधेयक के विरोध में बोल रहे हैं।

†**श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन्** : आप उतने ही उद्वेग से विधेयक का समर्थन कर दीजिये।

†**श्री दामोदर मेनन** : मैं एक ऐसे क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां हिन्दुओं में मातृ-पक्ष प्रणाली है और स्त्रियों के प्रति विशेष आदर दिखाया जाता है, अतः मैं श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन् की सलाह को स्वीकार करता हूं।

सभा में स्त्री-पुरुष समानता विषयक बहस हो चुकी है जिसमें श्री वी० जी० देशपांडे ने शारीरिक पक्ष को लेकर समानता का उपहास किया है किन्तु मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि हम यहां नागरिक, आर्थिक एवं सामाजिक समानता का जिक्र कर रहे हैं, शारीरिक समानता का नहीं। मैं इस विधेयक के उपबन्धों के पूर्णतया पक्ष में हूं और विशेष रूप से खण्ड ६ के, जिस में स्त्री को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में हकदार माना गया है।

अब मैं मरुमक्कटयम् अथवा मातृ-भाषा के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। माननीय विधि-मंत्री श्री पाटस्कर ने हिन्दू उत्तराधिकार विधि में यथा शक्ति एकरूपता लाकर बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दामोदर मैनन]

हिन्दू समाज बड़ा ही बहु-रूपी है। देश के भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न रीति रिवाज हैं। दक्षिण भारत में मातृ-पक्ष प्रणाली में भी कुछ असमानतायें विद्यमान हैं और वहां की विभिन्न जातियों के बारे में विभिन्न अधिनियम बने हुए हैं। संयुक्त समिति ने स्त्री-पुरुष समानता के सिद्धान्त को स्वीकार किया है अतः मरुमक्कटयम् विधि को इस विधेयक से पृथक् रखने का अब कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता इसी लिये मैंने यह कहा है कि इस विधेयक से काफी एकरूपता पैदा की गई है।

खण्ड ७ विशेष रूप से मरुमक्कटयम् विधि पर लागू होता है। पिछले ५० वर्षों से अनेक सामाजिक परिवर्तनों के कारण केरल के लोगों ने यह अनुभव किया है कि पुरानी विधियों में संशोधन किये जायें और विशेषतः मलाबार और त्रावनकोर-कोचीन की संयुक्त परिवार प्रणाली में। यही कारण है कि जब इस विधेयक के सम्बन्ध में माननीय विधि-मंत्री ने केरल क्षेत्र का दौरा किया तो वहां की जनता ने इसका सर्व सम्मति से स्वागत किया।

खण्ड ७ में जो उपबन्ध किया गया है वह खण्ड ६ के उपबन्ध से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। उन में थोड़ा ही अन्तर है। खण्ड ७ स्त्री और पुरुष दोनों के हितों के सम्बन्ध में है। उसके उप-खण्ड (२) में यह उपबन्ध है कि केरल के संयुक्त परिवार में यदि किसी की मृत्यु से उसकी संपत्ति बचे तो परिवार अन्य सदस्यों का उस में हिस्सा होगा। इस उपबन्ध का भी केरल ने सर्व सम्मति से स्वागत किया है केवल हम ने यही महसूस किया कि मां के अधिकार को प्रथम श्रेणी में रखा जाना चाहिये था। किन्तु राज्य सभा ने उसका स्थान पिता के साथ द्वितीय श्रेणी में रख दिया है। इस के अनुसार मरुमक्कटयम् परिवार के उत्तराधिकारियों का क्रम निश्चित करने के लिये इस विधेयक में उचित उपबन्ध कर दिया गया है। इस उपबन्ध का होना बहुत आवश्यक था।

मुझे यह कहने में गर्व होता है कि मरुमक्कटयम् प्रणाली ने ही शेष हिन्दू जाति में यह भावना जागृत की है कि सम्पत्ति पर स्त्री और पुरुष का अधिकार समान होना चाहिये। दक्षिण भारत के रिवाजों और अपने अनुभवों के आधार पर मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि इस समानता से हिन्दू परिवारों में किसी प्रकार का मनोमालिन्य पैदा नहीं होगा। जब पुत्रियों को पुत्रों की ही भांति माता-पिता के स्नेह का समान अधिकार प्राप्त होता है तो कोई कारण ऐसा नहीं है कि जिस से उन्हें अपने माता-पिता की सम्पत्ति में समान अधिकार न दिया जाय। स्त्री और पुरुष में समानता का व्यवहार किया जाना हमारे संविधान का एक निदेशक तत्व है।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : क्या मातृ-पक्ष प्रणाली एक निदेशक तत्व है ?

†**श्री दामोदर मेनन** : जी नहीं, मेरा अभिप्राय मातृ-पक्ष प्रणाली से नहीं है बल्कि स्त्री और पुरुष की समानता से है चाहे वह किसी भी प्रणाली से स्थापित हो।

अन्त में, मैं खण्ड ७ के उपखण्ड (३) को लता हूँ जिस का सम्बन्ध केरल के स्थानमदारों से है। पहले तो मुझे स्थानमदार शब्द को समझाना पड़ेगा। केरल में पुराने जमाने में बड़े-बड़े गणनायक होते थे जो मातृ-पक्ष प्रणाली के अनुसार रहते थे किन्तु उनके परिवार में जो ज्येष्ठ व्यक्ति होता था उसे कुछ भूमि और सम्पत्ति अलग दी जाती थी और इन स्थानों के अधिपति वहां स्थानमदार कहलाते थे। खण्ड ७ के उपखण्ड (३) में यह उपबन्ध है कि जिस स्थानमदार की मृत्यु होगी उसकी सम्पत्ति उस के उत्तराधिकारियों तथा परिवार के सदस्यों में ठीक उसी प्रकार बांटी जायेगी जैसे कि वह अन्य परिवारों में बंटती है। यह उपबन्ध बहुत सुन्दर है क्योंकि इस से सम्पत्ति का किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में केन्द्रीयकरण नहीं हो सकेगा। प्रजातंत्र में यह बात महत्वपूर्ण है।

मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक कोई विशेष हेर-फेर के बिना ही पारित हो जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमती सुभद्रा जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सुबह से इस बिल के बारे में बातचीत हो रही है। चाहती तो मैं यह थी कि औरतों को अधिकार देने के सम्बन्ध में जो कुछ कमी इस बिल में रह गई है उस पर रोशनी डालूं, परन्तु मुझ को इस बात से सचमुच बड़ा अफसोस है कि जो कुछ बिल में है भी उसका भी यहां पर बहुत से भाई इस कदर विरोध कर रहे हैं, वैसे तो मैं ने इस बिल को सीधा किया, उल्टा किया, इधर पलटा, उधर पलटा, फिर भी मालूम नहीं हुआ कि इस में औरतों को क्या दिया गया। उस के बावजूद भी जब मैं ने उस का विरोध देखा तो मेरे दिल पर बहुत सख्त चोट लगी, और ज्यादा चोट इस बात की लगी कि हमारे आनरेबल मेम्बर (माननीय सदस्य) पंडित ठाकुर दास जी ने राम और सीता का नाम ले कर स्त्रियों को अधिकार देने का विरोध किया। उन्होंने पत्नियों को अधिकार देने का ही विरोध नहीं किया, लड़कियों के अधिकार का भी विरोध किया। आज के वक्त में राम और सीता का नाम ले कर ऐसी बातों का विरोध करना मैं समझती हूं कि बहुत नामुनासिब है।

श्री वी० जी० देशपांडे : नाम लेना ही नामुनासिब है।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : आज वक्त बहुत बदल गया है। आज सीता का नाम लेते हुए लोग उनकी जिन्दगी का दूसरा पहलू बिल्कुल भूल जाते हैं। पतिव्रता सीता हमारी बहन थीं, वह जंगल में गई।

†**पंडित के० सी० शर्मा** : औचित्य प्रश्न के हेतु, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुछ महान् विभूतियों के लिये कुछ लोगों को बहुत श्रद्धा होती है। अतः उनकी आलोचना नहीं की जानी चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य स्वयं ही इस बात का ध्यान रखें तो अच्छा है।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मेरे मित्र ने महान सीता का नाम लेने पर ऐतराज किया। जिस वक्त उन का नाम ले कर दूसरी बात कही जा रही थी उस वक्त एतराज नहीं किया गया। मैंने उसी वक्त ऐतराज किया था।

एक माननीय सदस्य : तुम बड़ी भली हो।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : आज उनका नाम ले कर यह सब कहा जाय और उनकी जिन्दगी के दूसरे पहलू पर ध्यान दिया जाय कि वह जंगल-जंगल में न मारी-मारी फिरीं जो कि पातिव्रत और धर्म की आखिरी सीमा थी उन की जिन्दगी में, और अब जंगल से वह लौटीं तो एक धोबी के कहने पर ही उन को फिर जंगल भेज दिया गया। जो कुछ उन्होंने किया उस से उन के सामने आदर के साथ मेरा मस्तक नत हो जाता है। परन्तु मैं कहूंगी कि आज वक्त बहुत बदल गया है। आज अगर कोई धोबी किसी स्त्री को एक्यूज (दोषारोपण) करे तो वह बन जाने के लिये तैयार नहीं होगी। क्या आज किसी एक धोबी के ऐक्यूज करने पर ही इतनी बेइन्साफी के साथ महान सीता को जंगल भेज दिया जाता? आज मुझको किसी के इस तरह करने पर ही ऐतराज होगा। मैं सत्य कहती हूं, अगर जंगल-जंगल मारी-मारी फिरने के बाद और उस सीमा तक अपना धर्म निभाने के बाद किसी एक धोबी के कहने पर मेरा पति मुझको जंगल भेजना चाहे तो मैं जंगल नहीं जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसी बात पर क्यों सारा वक्त खर्च कर रही हैं?

श्रीमती सुभद्रा जोशी : इस लिये मैं कह रही हूं कि हमारे दिलों पर इस तरह की चीजों को कह कर चोट मारी जा रही है। कोई माडर्न (आधुनिक) कह कर, कोई आज का वक्त कह कर, कोई

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

हिन्दू धर्म का नाम ले कर जो हमारी बेसिक (बुनियादी) तकलीफें हैं उन पर गौर नहीं करने देता। आज हाउस के अन्दर सीता और राम का नाम लेकर स्त्रियों के सेन्टिमेंट्स (भावना) को उभारने की कोशिश की जा रही है, इस से मुझे काफी चोट पहुंची है।

मुझे कहना तो यह था कि जो प्रश्न हमारे सामने आज है वह है स्त्री को अधिकार देने की बात, लड़कियों को अधिकार देने की बात। जहां तक स्त्री को सम्पत्ति देने की बात है, मैंने यह देखा कि किसी सदस्य को कोई खास विरोध नहीं है। विरोध सिर्फ इस बात पर है कि उन को ऐब्सोल्यूट राइट (परमाधिकार) दिया गया। इस तरह से लड़कियों को अधिकार दिये जाने का विरोध होता है। मैं चाहती हूं कि पहले जो स्त्रियों को अधिकार दिये जाने की बात है उस पर रोशनी डालूं। कहते हैं कि उसे अपनी सम्पत्ति पर ऐब्सोल्यूट अधिकार नहीं मिलना चाहिये, और इस के समर्थन में किस्म-किस्म की बातें कही जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि वह ठीक से सम्पत्ति की देख भाल नहीं कर सकती हैं, उन में समझ नहीं है। मैं हाउस से अर्ज करूंगी आप देखिये कि औरत किस प्रकार कौड़ी-कौड़ी जमा कर के काम चलाती है और कौड़ी-कौड़ी जमा कर के अपने पति का घर बनाती है। अगर पति को ५० रु० मिलते हैं तो उतने में काम चलाती है और अगर १०० रु० मिलते हैं तो उतने में काम चलाती है। लेकिन इस पर भी कहा जाता है कि उस के पति के मर जाने के बाद जिस घर को उस ने बनाया है उस पर उस का तनिक भी अधिकार न हो। अभी मेन्टेनेन्स (गुजारा) की बात कही गई। मुझे इस बात पर सख्त एतराज है। यह बड़े अफसोस की बात है कि आज यह कहा जाता है कि औरत को सिर्फ मेन्टेनेन्स दिया जाय, जायदाद पर कोई न अधिकार दिया जाय। यह भी कहा गया कि ज्वायेंट फैमिली सिस्टम (संयुक्त परिवार प्रणाली) का क्या महत्व है। तमाम हिन्दू भाइयों को अपील कर के हमारे आनरेबल मेम्बर पंडित ठाकुर दास जी ने कहा कि आज कौन हिन्दू है जो अपने दिल पर हाथ रख कर यह कह सके कि किसी हिन्दू ने अपनी बीवी से या अपनी मां से अच्छा सलूक नहीं किया। मैं भी कहती हूं कि अपने दिल पर हाथ रख कर देखिये कि आप का सलूक उसके साथ क्या रहा है। सारे मुल्क में जो सलूक एक विधवा के साथ होता है, उसको भी देखिये। ठीक है, कहीं बैठा कर आप एक टुकड़ा दे देते हैं, ठीक है, शायद उस के बच्चे भी कभी-कभी आप की छत के नीचे पड़े रहते हैं। लेकिन किसी समय विधवा के साथ इस से भी बुरा सलूक किया जाता था। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इसीलिये विधवाओं के लिये पुनर्विवाह करने की बात नहीं कही गई ? यह बहुत पुराना इतिहास नहीं है, सब इस से वाकिफ हैं।

आज वक्त बदल गया है। आज लोगों के रहने का स्टेंडर्ड (स्तर) बदल गया है। आज एक बेवा सिर्फ बर्तन मांज कर और घर में गुलामी की जिन्दगी बिता कर नहीं रहना चाहती। वह चाहती है कि जिस तरह से कि आपके बच्चे खाते-पीते हैं उसी तरह से उसके बच्चे भी खायें और पियें, जिस तरह से आपके बच्चे शिक्षा पाते हैं उसी तरह से उसके बच्चे भी शिक्षा पायें। एक समय था जब कि एक बेवा यह सोचती थी कि मेरी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन आज वक्त बदल गया है। आज एक गरीब आदमी समझता है कि अगर वह भूखा मरता है तो यह उसकी किस्मत की वजह से नहीं है बल्कि यह इसलिये है कि कानून में कहीं कोई खराबी है। आज अगर आप देखते हैं कि किसी ने डाका मारा तो कहते हैं कि वह भूखों मरता था, इसमें उसका क्या दोष है। तो आज हम आपसे कोई चीज मांग नहीं रहे हैं। न हम औरतों और मर्दों की बराबरी का सवाल ही उठा रहे हैं। हम तो आप से यह दरखास्त कर रहे हैं कि कानून ने जो दिक्कत पैदा की है उस बराबरी के अधिकार को पाने में उस दिक्कत को आप हटा दीजिये। कुछ देने का सवाल नहीं है। अगर आज कोई बाप कहता है कि मैं अपनी लड़की को कुछ नहीं देना चाहता, तो यह बात समझ में आ सकती है, अगर

कोई मां यह कहती है कि मैं अपनी लड़की को नहीं देना चाहती तो मैं इसे समझ सकती हूं। पर अगर आज हुकूमत कहे कि हम तुम को देने नहीं देंगे, अगर बाप मर गया है और उसने कुछ कहा नहीं है तो हम लड़के और लड़की में फर्क करेंगे, तो यह मेरी समझ में नहीं आ सकता। हमारा स्त्री और पुरुष का कोई झगड़ा नहीं है। मैं हाउस के सदस्यों से दरखास्त करूंगी कि वे इस पर गौर करें।

इसके बाद मैं लड़की के अधिकारों के बारे में कहना चाहती हूं। मुझे इस बात से चोट पहुँची है कि कई सदस्यों ने बड़े जोश व खरोश के साथ लड़कियों के अधिकारों की मुखालिफत की। उनको यह नहीं भूलना चाहिये कि जब इस सदन में लड़कियों के अधिकारों के बारे में बात होती है तो वह सिर्फ दूसरों की लड़कियों के बारे में नहीं होती, उसमें इस सदन के उन सदस्यों की लड़कियों का सवाल भी शामिल होता है जो कि उन चीजों की मुखालिफत करते हैं। जब हमारे घर की किसी लड़की का इस तरह का सवाल होता है तो हम चाहते हैं, और हर कोई मां बाप चाहता है कि दुनिया भर के कानून उसकी मदद करें, लेकिन जब हमारे घर की तकलीफ नहीं होती तो हमारी उस तरफ नजर भी नहीं जाती। आज हमारे जो भाई इस सदन में बैठे हैं वे रात दिन अपनी डिमांड्स (मांग) पेश करते हैं। कहते हैं कि तनख्वाह ऊंची होनी चाहिये, प्रावीडेंट फंड (भविष्य निधि) होना चाहिये, और अगर उन पर और भी कोई मुसीबत आ जाये तो उसके लिये भी इन्तिजाम होना चाहिये। जब कोई आदमी चोरी करता है तो कहा जाता है कि वह इसलिये चोरी करता है कि वह भूखा है, उसका पेट नहीं भरता। तो मैं आपका ध्यान इतनी बड़ी बात की ओर दिलाना चाहती हूं कि स्त्री को कोई अधिकार नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि कोई पैसे के लिये दरबदर ठोकरें खाती फिरे। आज इस देश में स्त्रियों का भी बराबर का अधिकार है। आज हम सोशलिस्ट समाज को लाने की बात कर रहे हैं। क्या वह सिर्फ मर्दों के लिये ही होगा। आज माननीय सदस्यों की बहिनें पूछ सकती हैं कि क्या यह समाजवादी ढांचा सिर्फ मर्दों के लिये ही है, क्या इसमें लड़कियों का कोई अधिकार नहीं रहेगा।

तो मैं आप से अर्ज करना चाहती हूं कि इस चीज के लिये दो-तीन ऐतराज किये गये हैं। एक तो यह ऐतराज किया गया कि इससे मुकद्दमेबाजी बढ़ जायेगी। लेकिन मैं तो कहती हूं कि जितनी मुकद्दमेबाजी ज्यादा होगी उतनी ही पंडित ठाकुर दास भार्गव को मुबारक है क्योंकि उनको इससे फीस तो मिलेगी। काहे का ऐतराज है। कौन नहीं चाहता कि आज जो मुकद्दमेबाजी होती है वह खत्म हो जाये और कोई ऐसा तरीका निकल आवे कि अदालत के बाहर ही झगड़ों का वगैर वकील बैरिस्टर की मदद के फैसला हो जाया करे। लेकिन सिर्फ लड़की के लिये ही मुकद्दमेबाजी की जो बात कही जाती है वह मेरी समझ में नहीं आ सकती।

यह भी कहा गया कि इससे भाई बहिन में प्रेम कम हो जायेगा। आज वह जमाना नहीं है जब कि भाई अपनी बहन से यह कह सकता है कि जब कि तुम अपना अधिकार मांगो न और जो मैं खुशी से दे दूं उसी को ले लो, और अगर तुम ऐसा करोगी तभी मैं तुम्हारा आदर करूंगा। मुझे वह जमाना याद आता है जबकि हम दिल्ली क्लाथ मिल के आगे मज़दूरों को बोनस दिलाने के लिये हड़ताल करते थे। उस वक्त मिल मालिक हमसे कहते थे कि बोनस मज़दूर का अधिकार नहीं है। हमारी मर्जी है कि हम बाप की तरह से अपने बेटे को चाहे कुछ दें और उसको उसे खुशी से लेना चाहिये। लेकिन आज हम बाप-बेटे के रिश्ते के लिये नहीं लड़ते, आज हम मज़दूरों के अधिकारों के लिये लड़ते हैं। अगर आज कोई भाई अपनी बहिन को खुशी से देना चाहते हैं तो दें, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहते। सवाल तो उन लोगों का है जो बहिनों का हक नहीं देना चाहते हैं। आज इस सदन के माननीय सदस्य अपनी छाती पर हाथ रख कर देखें, क्या उनको नहीं मालूम कि आज ऐसे भाई हैं जो कि आराम की जिन्दगी बिताते हैं और जिनकी विधवा बहिनें दर-दर की ठोकरें खाती फिरती हैं। कोई यह कह सकता है कि उसे यह नहीं

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

मालूम कि लड़के महलों में रह रहे हैं और उनकी मां घर-घर बरतन मांज कर गुजर कर रही है। मैं शहर या गांवों का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन क्या आज हमको यह नहीं मालूम कि हमारी हजारों बहिनें रोटी के दो टुकड़ों के लिये अपनी इज्जत बेच रही हैं। आप दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े शहरों में यह देख सकते हैं। हम जब उनको इस दशा में देखते हैं तो हमको सीता और सावित्री की याद नहीं आती। मैं आप से अदब से अर्ज़ करना चाहती हूं कि जब मैं इन बहिनों को इस हालत में देखती हूं तो मेरे दिलमें उन को उठाकर सीता और सावित्री जैसा बनाने की इच्छा होती है। आज मेरी समझ में यह नहीं आ सकता कि पंडित जवाहरलाल की हुकूमत में ऐसा कानून बनाया जाये जो कि औरतों की उन्नति में रुकावट पैदा करे।

यह भी कहा गया कि लड़की शादी के बाद दूसरे घर में चली जाती है और उसका गोत्र तक बदल जाता है। उसका नाम बदल जाता है। लेकिन मैं कहती हूं कि ये सब कानून मर्दों के ही तो बनाये हुए हैं। इस समय मेरी मर्दों और औरतों में कोई जंग छेड़ने की इच्छा नहीं है।

एक माननीय सदस्य : वह छिड़ जायेगी।

श्री वी० जी० देशपांडे : मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर (औचित्य प्रश्न) है। माननीया वक्त्री महोदया ने कहा कि जब वे वैश्याओं और पतिता स्त्रियों में जाती हैं तो उनको सीता और सावित्री का स्मरण हो आता है और वे उनसे इन स्त्रियों की समानता करना चाहती हैं। मेरा अनुरोध है कि यह हिस्सा एक्सपेंज (निकालना) कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अच्छी तरह से सुन नहीं रहे थे। जो वह कह रहे हैं वह नहीं कहा गया, कुछ और कहा गया है।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों की यह आदत है कि वे दूसरों के भाषणों को ट्विस्ट करके (तोड़ मोड़ कर) पेश करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीया सदस्या को ऐसा नहीं कहना चाहिये। यह बात ग़लत है।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : माननीय सदस्य मेरी बात सुनते नहीं हैं और फिर अपने प्रेजुडिस (ईर्ष्या) को सामने रख कर अन्दाजा लगाते हैं।

तो मैं यह कह रही थी कि यह कहा गया है कि लड़की दूसरे घर चली जाती है और उसका गोत्र तक बदल जाता है। लेकिन मेरा यह कहना है कि यह कानून भी तो मर्दों के ही बनाये हुए हैं ताकि लड़की का नामो-निशान तक मिटा दिया जाये। पर हमको इस पर कोई ऐतराज नहीं है। पर हम को उस रुकावट पर ऐतराज है जो कि लड़की के अधिकार में डाली जाती है, और मैं आपसे अर्ज़ करूंगी कि सरकार इस बात का ध्यान रखे कि लड़की को अधिकार देना जरूरी है।

यहां पर यह भी सुनने में आया कि लड़की को आधा या तीन-चौथाई हिस्सा दे दिया जाय। एक आनरेबुल मेम्बर ने कहा कि मैंने किसी वक्त यह कहा था कि हम स्त्रियां जितने अधिकार अपने लिये चाहती थीं, उससे ज्यादा इस बिल के द्वारा हमको मिल रहे हैं और हम अपने लिये इतने ज्यादा अधिकार नहीं चाहती थीं, मैं भला ऐसे कुफ्र की बात कैसे अपने मुंह से कह सकती हूं। मैंने तो उस समय यही कहा था और आज फिर उसे दोहराना चाहती हूं कि हम अपने लिये आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, ज्यादा मांगने का सवाल नहीं है और न ही यह सवाल है कि आप हमको डेढ़ गुना दीजिये, दुगना दीजिये या चार गुना दीजिये, पर स्त्रियों के लिये हम बराबरी का अधिकार ज़रूर मांगती हैं। अब कोई यह कहे कि लड़कियों को जायदाद में से आधा दिया जाय, चौथाई दिया जाय या तीन-चौथाई दिया जाय और इसके पीछे यह चीज़ छिपी मालूम पड़ती है कि लड़कियों को जायदाद में हिस्सा देना मानों सांप को दूध

पिलाना है। आज हमारे हिन्दू समाज में लड़कियों की क्या दशा है ? आज यह देखने में आता है कि जिस घर में लड़की पैदा हो जाती है उस घर के मां, बाप का मुंह सूख जाता है और हमारे यहां का कुछ आर्थिक ढांचा इस क़िस्म का है कि लड़की घर वालों पर बोझ स्वरूप दिखने लगती है और बाप की नज़र में भी जो कि लड़की और लड़के को समान रूप से प्यार करते हैं, और मुहब्बत होती है, वे मां और बाप भी लड़की को अपने दिल में एक भार ही समझते हैं। आजकल के सामाजिक जीवन में एक लड़की को उसकी ३ या ४ वर्ष की अवस्था से ही घर का काम-काज जैसे खाना बनाना, सीना पिरोना और दूसरे घरेलू काम धंधे सिखलाये जाने लगते हैं और उसको कहा जाता है कि यह सब काम सीखना उसका फर्ज़ है क्योंकि बड़ी होने पर उसे पराये घर में जाना है और अगर वह अभी से सब काम-काज नहीं सीखेगी तो ससुराल में जाकर मां, बाप का नाम धरायेगी कि मां, बाप ने बेटी को इतना बड़ा तो कर दिया लेकिन सहूर और काम-काज कुछ नहीं सिखाया। जहां तक काम-काज सिखलाये जाने का ताल्लुक है, वह सब अच्छी बातें हैं और मुझे उनके सीखने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उसके पीछे जो एक भावना काम करती है कि बड़ी होने पर हमारा मायके से कोई ताल्लुक नहीं रहने वाला है और बड़ी होने पर एक जानवर या गाय-बैल के समान दूसरे घर की चीज़ समझ कर सौंप दिया जायेगा, मुझे इस भावना पर आपत्ति है, मानों हम कोई जानवर या जायदाद हों जो कि किसी दूसरे शख्स को हमेशा के लिये सौंप दी जाने वाली हों। मैं ऐसे घरों को जानती हूं जहां कि लड़कियों को दूध नहीं दिया जाता है और मैं ऐसे घरों की बाबत भी जानती हूं जहां कि लड़की को घी भी देना ज़रूरी नहीं है और यह वाक्या है कि लड़कियों के पालन-पोषण पर उतनी तवज्जह नहीं दी जाती है जितनी कि लड़कों के लिये दी जाती है। लड़की को गाय, बैल समझा जाता है जिसको कि बड़ी उम्र होने पर योग्य अथवा अयोग्य वर के हाथ में सौंप दिया जाय और दान कर दिया जाय। यह कोई नहीं देखने की पर्वाह करता कि उस ग़रीब लड़की को जिसको कि गाय समझ कर दान दिया जा रहा है, उसके दिल पर क्या असर होता है और ऐसी उपेक्षा का भाव देख कर वह लड़की यह समझती है कि मेरे जीवन का एकमात्र जो ध्येय अथवा उद्देश्य है वह शादी करना है और शादी किये बगैर मेरा जीवन बर्बाद हो जायेगा और अगर दुर्भाग्यवश उसकी शादी खराब हो गई, लड़का नालायक निकल गया या दुर्भाग्य से मर गया तो वह उस लता की तरह होती है जो वग़ैर पेड़ का सहारा लिये हुए अपने आप खड़ी ही नहीं रह सकती और वह तबाह हो जाती है। उस लड़की के दिल में वह आत्म-विश्वास का भाव नहीं आता और उसके दिल में ऐसा भरोसा नहीं रहता और वह अपनी ज़िन्दगी को उसके बाद ठीक तरह नहीं चला पाती है। आज पाकिस्तान में जो हमारी बहुत सी बहनें पड़ी हुई हैं, उनको जब हम लोग वहां से निकालने जाते हैं तो कभी-कभी हमारे कानों में यह आवाज़ आती है कि हम यहां से निकलना नहीं चाहते क्योंकि वह समझती हैं कि मेरे मां, बाप, भाई और पति सब छूट चुके हैं और मैं अब यहां से कहां जाऊंगी, यह सब सोच कर वह यह मुनासिब समझती है कि उस आदमी ने जिसने कि उसको अपने घर में रख छोड़ा है उसी का दामन वह पकड़े रहे और अपनी ज़िन्दगी किसी तरह गुज़ार दे। अब अगर उस लड़की का अपने मां और बाप के घर में अधिकार होता उसकी साइकौलिजी (मनोविज्ञान) में कुछ फ़र्क होता और वह यह चीज़ समझती कि शादी जीवन का एक हिस्सा हो सकता है, शादी जीवन का एक काम हो सकता है पर शादी ज़िन्दगी के लिये एक उद्देश्य और ध्येय नहीं हो सकता, शादी केवल एक मींस (जरिया) हो सकती है तो उसकी हालत और ही होती। आज लोग अपनी लड़कियों के लिये अच्छे और योग्य-वर की तलाश में मारे-मारे फिरते हैं और जाहिर है कि हर बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरी लड़की की शादी योग्य वर के साथ सम्पन्न हो लेकिन अगर दुर्भाग्यवश वह योग्य वर तलाश करने में असमर्थ रहता है तो घर लौट कर लड़की की मां से और लड़की को भी सुना कर कहता है कि मेरी ज़िन्दगी में अगर इस लड़की के हाथ पीले हो जायें तो अच्छा है क्योंकि कल को अगर मैं नहीं रहा तो इसका क्या होगा और इसको दाल-रोटी कौन खिलायेगा ? आज लड़की के बाप को यह चिन्ता नहीं है कि लड़की क्या करेगी बल्कि उसको चिन्ता

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

इस बात की है कि मेरी आंख मुंद जाने के बाद लड़की को कोई पूछने वाला नहीं है और उसको कोई सहारा नहीं रहेगा और अगर कोशिश करने के बावजूद भी योग्य वर नहीं मिल पाता तो जैसा भी वर मिलता है उसके साथ उसकी शादी कर देता है और गाय के समान उस पुरुष के हाथ में उसको दे देता है। आज लड़की उस गरीब दुकानदार का सौदा है जो अपना सौदा नहीं रख सकता है, अमीर दुकानदार तो अगर उसके सौदे की उचित क़ीमत न मिले तो वह उसको नहीं बेचेगा और उसको आगे के लिये रख छोड़ेगा लेकिन लड़की का सौदा उस गरीब दुकानदार के सौदे के समान है जिसको कि अपने सौदे को जैसा भी महंगा या सस्ता गाहक मिले, दे देना ही है।

मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव से पूछना चाहती हूं जो कि पंजाब के रहने वाले हैं कि क्या शादी क अवसर पर इस तरह का गीत नहीं गाया जाता है कि जिसका कि यह मतलब होता है कि हे बेटी शादी हो जाने के बाद मायके रोज़-रोज़ आना बाप कहता है कि हे बेटी कभी-कभी इस घर में आती रहनां लड़की का भाई कहता है कि कभी-कभी मत आना, खाली जब तीज त्यौहार आये तब आना और उसकी भाभी कहती है कि अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिये यहां फिर आने की जरूरत ही क्या है। पंजाब में यह गाना काफ़ी प्रचलित है और शादियों के मौक़े पर अक्सर गाया जाता है और लड़की के मां बाप जब यह गाना गाया जाता है तो उनको रोना आ जाता है। यह भाई और बहन के प्रेम की दुहाई देने वाले अपने दिल में जानते हैं कि वास्तव में इसकी क्या हक़ीकत है। मैं इसके लिये उनको दोष नहीं देती क्योंकि आजकल के हालात ही ऐसे हैं और अपने कुटुम्ब के इंटरेस्ट (हित) और बीवी-बच्चों की वजह से वह मजबूर हो जाते हैं और उस प्रेम की दुहाई से काम नहीं चलता है। अगर लड़की को कोई बेसिक अधिकार प्राप्त हो तो वह चीज़ चल सकती है अन्यथा नहीं। मुझे यह बात सुन कर बड़ा अफसोस हुआ कि लड़की को तो पिता की सम्पत्ति में अधिकार दिलाने का केवल बहाना है, असल में लड़की के बाप की जायदाद में दामाद को अधिकार देना चाहते हैं, असल में सही बात तो यह है कि दामाद को अधिकार देने के सम्बन्ध में आपत्ति उठाकर वे लड़की को सम्पत्ति में अधिकार नहीं देना चाहते और दामाद की आड़ में लड़की को उसके अधिकार से यह शख्स वंचित रखना चाहते हैं। और फिर मैं पूछना चाहती हूं कि आप दामाद से इस कदर घबराते क्यों हैं? शादी के वक्त लड़की का पिता उसी दामाद के पैर पूजता है और लड़की उसको दान करता है और मैं पूछना चाहती हूं कि अगर मुसीबत पड़ने पर वह लड़की के साथ में अपनी ससुराल में रहना चाहे तो इसमें हर्ज़ ही क्या है और अगर आप उसको मुसीबत के वक्त अपने यहां नहीं रख सकते हैं तो फिर उस के हाथ में अपनी लड़की का जिन्दगी भर के लिये हाथ क्यों देते हैं? मैं यह अर्ज़ करूंगी कि यह जो आपकी दामाद की बात है यह केवल एक बहानेबाज़ी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लड़की को उसके पिता की सम्पत्ति में अधिकार दिलाने की बात तो छोड़िये, उसको उसमें जाकर रहने का अधिकार भी नहीं है और पिता के घर में लड़की को रहने का अधिकार भी सिर्फ़ तभी हो सकता है जब कि या तो उसके पति ने उसको छोड़ दिया हो या उसका पति मर गया हो। अगर मुझ को मेरा भाई कहे कि मेरे घर में आकर तुमको रहने का अधिकार उसी हालत में है जब कि तुम्हारा पति मर जाय तो मैं उस घर पर थूकूंगी भी नहीं और उस घर की शकल भी मैं नहीं देखना चाहूंगी।

आज आप पतिव्रत धर्म के पालन करने की बात तो करते हैं कि स्त्रियों को पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिये लेकिन आज आप पति और पत्नी में यह फ़र्क करते हैं। आज मैं अपने लॉ मिनिस्टर (विधि मंत्री) साहब से पूछना चाहती हूं कि फ़र्ज कीजिये कि एक किसी बहन का पति बीमार हो गया है या अपाहिज हो गया है तो उस हालत में क्या वह बहन अपने बीमार पति के साथ अपने पिता के घर में जो कि काफ़ी बड़ा है, आकर नहीं रह सकती और उसको अपने पिता के घर में रह पाने के लिये इस बात का इन्तज़ार करे कि उसका बीमार पति मर जाये या उसको छोड़ जाये और तभी वह जाकर अपने पिता के घर में आश्रय पा सकती है अन्यथा नहीं।

उसको क्या उसी तरह का हक का अधिकार नहीं है जिस तरह से पति का होता है। यह उसका अधिकार है कि उसको पिता के घर में जगह मिले।

आखिर में मुझे एक बात और कहनी है और मैं चाहती हूं कि श्री देशपांडे जी उसको ध्यान से सुनें, मैं एक खतरनाक बात कहने जा रही हूं, ताकि उसको सुन कर वह उसको मिसइन्टरप्रेट (ग़लत अर्थ लगाना) न कर लें। हमारे बिल में एक क्लाज था कि जो बच्चे जायज नहीं हैं उनको भी सम्पत्ति में कुछ अधिकार मिलना चाहिये। हमारी सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) में या उस सदन में यह मुनासिब समझा गया कि उनको जायदाद में अधिकार न दिया जाय। हमारे ला मिनिस्टर साहब ने शायद उसको मंजूर भी कर लिया। आज मुझे पुरानी कहानी दोहरानी नहीं है क्योंकि आज वक्त बहुत बदल गया है। एक वक्त ऐसा था कि कोई पड़ा भी मिलता था तो हम उसको उठा कर अपने घर लाने की बात नहीं सोच सकते थे, पर आज परिस्थिति बदल गई है। आज दूसरे मुल्कों में भी और हमारे मुल्क में बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई कुसूर नहीं पैदा होने में। आज हमारा देश इतनी तरक्की कर गया है कि आज ऐसे बच्चों को लोग अपनी छाती से लगाते हैं। आज वह बच्चे घर-घर इस तरह से धक्के नहीं खाते जिस तरह पहले खाते थे। मैं आपको वह होम्स (घर) दिखाऊं जहां से लोग आकर और खुशामद कर के उनको ले जाते हैं। हम ने इस चीज़ को महसूस किया कि इन बच्चों की पूरी हिफाज़त की जानी चाहिये और इस को ध्यान में रख कर बहुत से ऐसे होम्स चलाये गये। आज इतिहास बतलाता है कि इस तरह के बच्चे दुनिया में हमेशा से रहे हैं। उन बच्चों में बहुत से अच्छे बच्चे भी हुए, बहुत से महापुरुष भी हुए। आज भी यह कहना मुश्किल है कि कौन बच्चा आगे चल कर क्या बनेगा। उस बच्चे को सम्पत्ति सिर्फ इसलिये न दी जाय कि उसके पैदा होने में पैदा करने वालों का कसूर था, उस को उससे महरूम कर दिया जाय, यह मेरी समझ में नहीं आता है। हमारा यह फर्ज होना चाहिये कि हम उसको और उसके मां-बाप की इतनी सहायता करें कि वह उन बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बना सकें। आज वक्त वह आ गया है कि हम ऐसे बच्चों को सड़कों से उठा कर ले जायें, पालें, और इस बात की कोशिश करें कि वह अपने पैरों पर खड़े हों। आज उनको जितने भी सहयोग की जरूरत हो वह उनको दिया जाय। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूं जो कि बेहतरीन लोग हैं और इतने बेहतर लोग हैं कि कई दफा दिमाग में यह बात आती है कि अगर सब ऐसे ही होते तो सारी दुनियां अच्छी होती। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जो आप कर सकते हैं उनके लिये, जो समाज कर सकता है उनके लिये, वह भी हम और समाज न करें, बल्कि उल्टे उनके अधिकारों को छीन लें, यह कहां तक उचित है। यह बात हर्गिज नहीं होनी चाहिये। मैं ला मिनिस्टर साहब से कहूंगी कि अगर आज लड़की को जायदाद देने से कोई गड़बड़ी समाज के लिये पैदा होती है, आज अगर किसी मुसीबत जदा को अधिकार देने से समाज के लिये खतरा पैदा होता है तो हम कानून में उसका प्राविजन (उपबन्ध) कर सकते हैं। हमारे देशपांडे जी भी वकील हैं, हमारे आनरेबल मेम्बर पंडित ठाकुर दास जी भी वकील हैं, दोनों ही लड़की को अधिकार देने का विरोध करते हैं, दोनों कहते हैं कि लड़की-लड़के दोनों को जायदाद मिलने से हिन्दू धर्म चला जायेगा, खतरा पैदा हो जायेगा, तो मैं अर्ज करती हूं कि अगर दोनों को जायदाद न मिल सके तो सिर्फ लड़की को दे दी जाय। पंजाब, दिल्ली और यू० पी० को बिल में से निकालने के बजाय लड़के के हाथ से अधिकार निकाल लिया जाय तो कोई नामुनासिब बात नहीं होगी। इसलिये मेरा यह विश्वास है कि यहां पर लड़के और लड़की की बराबरी का सवाल नहीं है। लड़के के साथ मेरी कोई मुखालिफत नहीं है, परन्तु हमारी सामाजिक परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि लड़के-लड़की दोनों के साथ बराबरी का व्यवहार हो सके। जाहिर है कि शारीरिक ताकत में कोई बराबरी नहीं है, बहुत सी-बातों में अन्तर है। इसलिये मैं चाहती हूं कि दोनों में से जो ज्यादा विवश हो, जो ज्यादा मजबूर हो, जिस पर खुद अपने विवश बच्चे का ज्यादा भार रहता ह, जो बीमार पड़ जाने पर ज्यादा प्रभावित होती है, उसके लियें मां-बाप को ज्यादा

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]
प्राविज़न करना चाहिये । आज हमारे समाज की अवस्था बड़ी खराब है, इसलिये अगर एक को ही मिलने की बात हो तो मां-बाप का फर्ज है कि वह अपनी डाटर्स (लड़कियों) को ही दें ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : अपना भाषण आरम्भ करने से पहले मैं एक औचित्य प्रश्न करना चाहता हूं और वह खण्ड ३१ के बारे में है जिसमें यह कहा गया है कि यदि किसी सम्पत्ति का कोई वारिस नहीं है तो उसके दायित्व को ध्यान में रखते हुए सरकार उस सम्पत्ति को अपने अधिकार में ले लेगी । इसका अर्थ यह है कि यदि ऐसे दायित्व के कारण यदि सरकार को उस सम्पत्ति के मूल्य से भी अधिक कीमत किसी को चुकानी पड़े तो वह धन सरकार को भारत की संचित निधि में से देना पड़ेगा ।

संविधान के अनुच्छेद ११७ के अधीन, यह विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोक-सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और राज्य सभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है । साथ ही मैं श्री थामस से निवेदन करूंगा कि सारी राजगामी सम्पदा से सरकार को आय ही नहीं होती क्योंकि विधि में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सारे दायित्व व देनदारी सरकार द्वारा अदा की जायेगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : औचित्य प्रश्न किया गया है । मेरे विचार से इसके तात्पर्य यह है कि यदि किसी सम्पदा में, दायित्वों का मूल्य सम्पदा से भी अधिक हो, तो पहिले दायित्वों की अदायगी की जायेगी और सम्पत्ति राजगामी नहीं होगी । सम्पत्ति के राजगामी होने का प्रश्न तभी आता है जब कि सम्पत्ति दायित्वों से अधिक हो । अतः इस सम्बन्ध में कोई औचित्य प्रश्न नहीं है । मैंने अपना निर्णय दे दिया है । अब सदस्य अगले प्रश्न को ले सकते हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझ से एक बार फिर मेरे एक दोस्त ने कहा और मजबूर किया कि मैं हिन्दी में बोलूं और मैं हिन्दी में ही इस विषय पर बोलना भी चाहता हूं । बात ऐसी है कि यह जो बिल सदन में हमारे सामने आया है वह हमारा गुलामी की मनोवृत्ति का ही एक नमूना है । बहुत दिनों तक हमारे यहां बच्चों की पढ़ाई में, लड़कों की पढ़ाई में, जो पढ़ाने वाले थे वह अंग्रेजी के जरिये, पाश्चात्य ढंग की शिक्षा के जरिये, यह कहते रहे कि हिन्दू समाज का ढांचा सामाजिक ढंग का होना चाहिये । पढ़ाने वाले ऐसे थे और छोटे बच्चों को जो पढ़ाया गया वह इसी प्रकार के उनके दिमाग में घुस गया । उसी का यह नतीजा है, जैसा कि मेरी पूर्ववक्ता श्रीमती सुभद्रा जोशी ने कहा कि ऐसे भी घर हैं जहां पर लड़के मौज कर रहे हैं और उनकी मातायें दर-दर बर्तन मांजने के वास्ते फिरती हैं । मुझे यह सुनकर बड़ा अफसोस हुआ । वह ऐसे ही लड़के होंगे जिनको केवल समाजवाद की ही शिक्षा मिली होगी । हिन्दुस्तान के रहने वाले तो वे हो नहीं सकते । वे समाज-वादी हो सकते हैं । जिनको प्रोग्रेसिव प्रगतिशील कहा जाता है वे ही ऐसे हो सकते हैं, बाकी तो ऐसे नहीं हो सकते ।

उन्होंने बहुत दुःख दर्दभरी बात कही कि स्त्रियों को अधिकार नहीं है । उनका फिकरा यह था कि हिन्दुस्तान की स्त्री को अधिकार नहीं है । क्या हिन्दुस्तान में हिन्दू ही रहते हैं, हिन्दुस्तान में ईसाई औरतें भी रहती हैं, मुसलमान औरतें भी रहती हैं, उसका कलेजा क्यों उनकी हालत को बरदाश्त कर रहा है । क्यों नहीं वह इस तरह का कानून बनवाती ताकि हमारे देश की जो भी औरतें हैं उन सब को कुछ हक दिया जाये । मैं यह बात जानता हूं कि हमारे मंत्री महोदय एक अच्छे वकील हैं । मैं उनको एक मिसाल देता हूं कि मुस्लिम ला में यह है कि प्री-डिसीज्ड (पहिले मर गये) लड़के की विधवा को कोई अधिकार नहीं होता । उसके वास्ते आपके दिल में दर्द पैदा क्यों नहीं होता । हिन्दु स्त्री को आज भी अधिकार है कि वह आपसे मेन्टीनेन्स (निर्वाह भत्ता) मांग सकती है और वह आपके घर में रह सकती है और उसको इज्जत के अनुसार मेन्टीनेन्स देना पड़ेगा । मैं

---

†मूल अंग्रेजी में

पूछता हूं कि क्या एक मुस्लिम स्त्री हिन्दुस्तान की स्त्री नहीं है। लेकिन हम मुस्लिम कानून को बदल नहीं सकते और इस बिल के पीछे पड़े हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दर्द के साथ कहना पड़ता है कि श्री पाटस्कर जैसे आदमी जो खूब अच्छे हिन्दू संस्कारों में पले हुए हैं, और जो कुछ दिनों हिन्दू महासभा के प्रेसीडेंट भी रहे हैं...

†**श्री पाटस्कर** : यह ग़लत है। मैं कभी हिन्दू महासभा का अध्यक्ष नहीं रहा।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मेरे कहने का मतलब यह था कि जब हम आप जैसे सरकारी आदमी को नहीं समझा सकते तो हम दूसरे को कैसे समझा सकेंगे। अगर हम आपको नहीं समझा सकते तो दूसरों को समझाना तो हमारे लिये बहुत कठिन समस्या हो जायेगी। आपने यह बिल लड़की को अधिकार देने के वास्ते बनाया है। इधर लड़की को बाप के पास से देते हैं, उधर पति के पास से दिलवाते हैं, ससुर के पास से उसे मिलता है। उसके लिये आपने सब तरफ़ से "टेक टेक" "लेना' ही रखा है "गिव गिव" 'देना' कहीं भी नहीं रखा है। उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी रखी गयी है। लेकिन हमारे यहां सारे देश में और खासकर देहात में यही विश्वास चल रहा है कि लड़का परिवार के प्रति जिम्मेवार होगा। मेन ने अपनी किताब में लिखा है :

> "यदि कोई हिन्दू अपने परिश्रम से सम्पत्ति अर्जन करता है तो कुछ पीढ़ियों बाद इस सम्पत्ति में सबका संयुक्त अधिकार होता है। सम्पत्ति पर किसी का पूर्णतः अधिकार नहीं होता बल्कि एक के अधिकार दूसरे से सीमित रहते हैं। व्यक्तिगत सम्पत्ति पश्चिम का नियम है और संयुक्त सम्पत्ति पूर्व का नियम है।"

आज आप सोशल सिक्योरिटी (सामाजिक सुरक्षा) की बात कर रहे हैं लेकिन आप प्रापर्टी के बारे में यह कानून बना रहे हैं। आप एक तरफ जहां पब्लिक सेक्टर (सरकारी क्षेत्र) को डेवेलप कर रहे हैं वहां पर प्राइवेट सेक्टर (ग़ैर-सरकारी क्षेत्र) को बरबाद कर रहे हैं। अब आप प्रोग्रेसिव (प्रगतिशील) हैं और चाहते हैं कि कोई प्रापर्टी का मालिक ही न हो। लेकिन हमें यह देखना चाहिये कि जिस सोशल सीक्योरिटी के लिये हमारे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट बन्धु लोग चिल्लाते रहे हैं क्या वह हिन्दू समाज में नहीं थी। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर विचार करें कि जो सोशल सीक्योरिटी हिन्दू समाज में मौजूद है क्या आप आज उसे बरबाद नहीं कर रहे हैं।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : कभी नहीं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : आप अभी समझे ही नहीं हैं कि हिन्दू समाज में कितनी सोशल सीक्योरिटी है। जो मैंने मेन की पुस्तक में से पढ़कर सुनाया है उस तरफ माननीय सदस्य ध्यान दें तो उनको वास्तविकता का पता चलेगा। यहां यह सिद्धान्त था कि सब मिल कर एक जायदाद के मालिक होते थे। यहां तक सिद्धान्त था कि बाप की जायदाद का बेटे भी बंटवारा नहीं करवा सकते थे। जैसा कि पंडित ठाकुर दास जी ने कहा यहां तो पहले यह उसूल था कि बाप के रहते लड़के एंसेस्ट्रल प्रापर्टी (पैतृक सम्पत्ति) का बंटवारा नहीं मांग सकते थे। यहां सरवाइवरशिप (उत्तर जीवित्व) का उसूल माना जाता था यानी जो जिन्दा रहे उसकी ही प्रापर्टी होगी, मरे हुए का कोई हक नहीं है। लेकिन इसमें आपने पहले ही चंचु प्रवेश कर दिया जब कि आपने एस्टेट ड्यूटी बिल (सम्पदा शुल्क विधेयक) बनाया। उस वक्त आपने जबरदस्ती यह उसूल हमारे ऊपर लाद दिया कि जब बाप मर गया तो यह मान लिया जायेगा कि बंटवारा हो गया। किसी ने बंटवारा मांगा नहीं पर आप उसको पैदा करते हैं। हिन्दू समाज में यह सिद्धान्त माना गया है कि मरे हुए का कोई हक नहीं है। लेकिन इस उसूल पर आपने कुठाराघात कर दिया जब

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

कि आपने एस्टेट ड्यूटी बिल बनाया। ऐसा मालूम होता है कि आपके दिल में यह बात आ गई है कि किसी तरह से ज्वाइंट हिन्दू फैमिली (संयुक्त हिन्दू परिवार) को तोड़ना चाहिये। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपके सामने एक सीधा रास्ता है कि आप एक-कलम लिख दीजिये कि हम ज्वाइंट हिन्दू फैमिली को नहीं चाहते। आपने इस बिल के बनाने में उन्हीं लोगों की सलाह ली जिनकी पाश्चात्य बुद्धि थी और जिन्होंने कभी प्राच्य दृष्टि से इस बात को नहीं देखा था। आपने यह कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ज्वाइंट हिन्दू फैमिली में कितनी सोशल सीक्योरिटी है। आज इसी के कारण बूढ़े बाप और मां का पालन पोषण लड़का करता है, इसी के कारण विधवा स्त्री मेन्टीनेन्स मांग सकती है, मकान में रह सकती है। आप जरा इंगलैंड में जाइये और देखिये कि वहां बूढ़े माता पिता की क्या हालत है। उनको कोई सहारा नहीं। उनको पेंशन मिलती है और वे अलग रहते हैं और टिक-टिक करते फिरते हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं है।

और बाहर जाकर बेचारे वे कबूतरखाने में बैठते हैं और उनको वहां पर कोई बच्चा नज़र नहीं आता और वे ऐसा महसूस करने लगते हैं कि दुनिया की सारी जो कुछ जिन्दगी है वह उनके वास्ते बर्बाद हो गई है और मानों वे एक जानवर के तुल्य और पशुओं के तुल्य किसी चिड़ियाखाने के अन्दर रह रहे हों, वैसा अगर आप हमारे समाज को करना चाहते हैं तो आप बेशक अंग्रेजों और उन पाश्चात्य देशों का अनुकरण करिये। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि ज़रा आप रुक कर सोचिये तो कि आप किस बहाव में अपने को बहाये ले जा रहे हैं और उसका प्रभाव आप पर और समाज पर कितना अनिष्ट-कारी सिद्ध होने वाला है और हिन्दू समाज और संयुक्त परिवार सिस्टम को आप किस प्रकार तहस-नहस कर डालने वाले हैं। आप यह समझ कर कि यह बड़ा प्रोग्रेसिव (प्रगतिशील) कदम है, इसके बहाव में मत बह जाइये। प्रोग्रेसिव क्या चीज़ है? मैं तो कहता हूं कि यह प्रोग्रेसिव नहीं बल्कि रेट्रोगैसिव (प्रतिगामी) है और अंग्रेज़ी भाषा में इसके लिये एक बड़ा बुरा शब्द है जिसको कि इस्तेमाल करने के लिये मेरे दोस्त मुझे क्षमा करें और आशा करता हूं कि वे नाराज़ नहीं होंगे और वह यह है कि यह एक धर्म विरोधी कदम है प्रगतिशील कदम नहीं है।

जब यह बिल हमारे सामने पेश किया गया था उस वक्त हमसे यहां पर साफ-साफ कह दिया गया था कि भाई यह क़ानून मिताक्षर वालों पर लागू नहीं होगा। यह सिर्फ दायभाग वालों पर लागू होगा। दायभाग में पहले ही ऐसा था कि वहां पर कोई आदमी सरवाइवरशिप से मालिक नहीं होता था और उनका सामाजिक जीवन इस प्रकार का बन चुका था कि जिस पर कोई कुठाराघात नहीं हो सकता था लेकिन हम ने देखा कि जब क़ानून बनाने लगे तो एकदम से कह दिया गया कि यह क़ानून मिताक्षर वालों पर भी लागू होगा और मरुमकतैय्यम पर भी लागू होगा, एक्सेप्शन क्लाज़ निकाल लिया गया और सब को इसमें शामिल कर लिया गया। अगर सब के संग इक्वैलिटी (समानता) बर्ती होती और एक युनिफ़ार्म सिविल लॉ (एक रूप व्यवहार विधि) बना लिया जाता जो कि हिन्दू, मुसलमान पारसी और ईसाई सब के ऊपर लागू होता तो मैं आपकी इस युनिफार्मिटी की और इक्वैलिटी की बात को समझ सकता था लेकिन यहां पर मैं देखता हूं कि आपकी इक्वैलिटी वहां तक नहीं जाती है और इसमें दफ़ा २ के अन्दर हिन्दू समाज को तोड़ने के वास्ते और छिन्न-भिन्न करने के वास्ते आपने दफा २ के सब क्लाज़ २ में इस तरह से लिख दिया है :

> "उपधारा १ के रहते हुए भी इस अधिनियम की कोई बात, संविधान के खंड २५ के अनुच्छेद ३६६ के अन्तर्गत अनसूचित आदिम जातियों के सदस्यों पर तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार साधारण गजट में अधिसूचना अथवा अन्य प्रकार, से निदेश न करें।"

मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह का प्रोविजन (व्यवस्था) क्यों रखा गया है ? शेडयूल ट्राइब्स वाले हमारे पड़ौसी हैं और हज़ारों वर्षों से हमारे साथ रहते आये हैं और हमारे साथ उठते-बैठते और खेलते आये हैं उन भील निवासियों पर आप यह कानून क्यों नहीं लागू करेंगे और आप क्या कोई कारण बता सकते हैं कि उन पर क्यों इस को लागू नहीं करना चाहिये और सिर्फ़ हिन्दू समाज के ऊपर ही इसे क्यों लागू किया जाय और आप इक्वैली हर एक को क्यों नहीं आगे बढ़ने देते ? लेकिन मैंने तो जैसा पहले भी कहा आपको सिर्फ़ एक ही फ़िक्र दामनगीर है और वह है डैस्ट्रक्शन आफ़ प्राइवेट प्रापरटी (निजी सम्पत्ति का विनाश) जिसका कि नम्बियार साहब ने जिक्र किया था, उसको करने के वास्ते आप हिन्दू समाज को इस प्रकार से तोड़ना और नुक्सान पहुंचा रहे हैं।

क्या आपने कभी अपनी दफ़ा ६ के बारे में भी गौर किया है कि क्या चीज़ आपने बनाई है ? मैं नहीं समझता कि क्लाज़ ६ लिख कर इस तरह का प्राविज़ो (परन्तुक) क्यों लिखा गया कि एक हिन्दू बाप के मरने के बाद उसके फ़ीमेल रिलेटिव को उस कोपार्सनरी प्रापरटी (समांशी सम्पत्ति) में शेयर मिलेगा। जैसा एक्सप्लेनेशन (व्याख्या) दिया गया है उससे हार्डशिप और इनजस्टिस बढ़ने का इमक़ान है इससे विभाजन के बाद भी समांशी का स्वत्व असुरक्षित रहेगा। मैं पूछता हूं कि अगर लड़की भी साथ में रह सकती तो कौन सा हर्ज़ था ? मैं नहीं जानता कि आपने हिन्दू कानून में ऐसी कौनसी ख़राबी देखी जिसकी कि वजह से आपको इस तरह का क़ानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। मेरी बहन श्रीमती सुभद्रा जोशी यहां से उठ कर चली गईं नहीं तो मैं पूछता कि उन्हें कहां से एक गटर इंस्पैक्टर की तरह से यह मालूम हो गया कि सारा का सारा हिन्दू समाज ख़राब है और क्या उन्हें एक भी ऐसा आदमी देखने को नहीं मिला जिसने कि अपने बहन या अपनी बेटी को अच्छी तरह से रक्खा हो ? मुझे अपने गांव और मालवा, राजस्थान मध्यभारत और गुजरात के गांवों का अनुभव है और वहां के वास्ते मैं कह सकता हूं कि वहां पर लोगों ने कर्ज़ा ले ले कर अपनी लड़कियों को अच्छे घर में ब्याहा है और उसके कारण बीस-बीस साल तक के लिये वे कर्ज़दार हो गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस जायदाद के बंटवारे और टंटे के बाद वह भावना कि मेरी बहन अच्छे से अच्छे घर जाय और उसके लिये वह क़र्जा अपने सिर ओढ़ लेता है, कहां रह पायेगी ? आज हमारे मध्यम वर्ग वालों के पास और खेतिहर लोगों के पास कौन सी बड़ी जायदाद पड़ी है जिसका कि आप बंटवारा करवाने जा रहे हैं। मैं उन लखपतियों और करोड़पतियों की बात नहीं करता हूं और न ही उनके वास्ते ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता ही है। उनके वास्ते आप यह क़ानून नहीं बना रहे हैं। आप क्यों ऐसा कानून बना कर उन लाखों भाई बहनों के प्रेम सम्बन्ध को तोड़ने जा रहे हैं और मैं आपको बतलाऊं कि शादी के वक्त तो बाप और भाई सब कुछ क़र्जा तक ले कर अपनी लड़की की शादी करते ही हैं लेकिन शादी के बाद भी और बाप के मर जाने के बाद भी भाई ताज़िन्दगी अपनी बहन को कुछ न कुछ देता ही रहता है और बाप के मर जाने के बाद भाई भात लेकर एक गांव से दूसरे गांव बहन के यहां जाता है और मैंने देखा है कि भात लेकर भाई लोग हज़ार-हज़ार और पांच-पांच सौ मील तक का सफ़र करते हैं। इसी सिलसिले में मैं आपको बतलाऊं कि एक सज्जन थे जिनकी कि आर्थिक हालत बहुत ज्यादा गिरी हुई थी लेकिन जब लड़की का मुकलावा आया तो उन्होंने अपना आधा मकान गिरवी रख करके मुकलावा दिया और मैं समझता हूं कि आपको इस हिन्दू समाज के अन्दर इस तरह के सैंकड़ों और हज़ारों लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने मकान और दूसरी चीज़े गिरवी रख करके और कर्ज़ लेकर के ऐसा किया होगा और मेरी तो समझ में नहीं आता कि ऐसी हालत में आपको इस तरह का कानून बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई ? मैं तो समझता हूं कि इस कानून बनाने के पीछे आपके दिल में वही भावना काम कर रही है और उसको आपको स्पष्ट कह देना चाहिये कि जैसे भी संभव हो हमें हिन्दू समाज को तहस-नहस कर डालना है और उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालना है और इसी लिये आप इस तरह का कानन बनाने के लिये उतारू हो रहे हैं।

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

मैं समझता हूं कि इसके अतिरिक्त आपके पास कोई दूसरा कारण इस कानून को बनाने के लिये नहीं है। आपके दिल में यह चीज़ लगातार काम कर रही है कि जब तक हिन्दू समाज को तोड़ न दिया जाय और जब तक उसे गुलामी की मनोवृत्ति में न ला दिया जाय तब तक ठीक काम नहीं बनेगा। गुलामी की मनोवृत्ति, यह शब्द मैं इसलिये इस्तेमाल करता हूं कि यहां इस मुल्क पर पहले अंग्रेजों का राज्य रहा और उससे पूर्व यहां पर मुसलमानों का राज्य रहा। यहां पर जब मुसलमानों का राज्य रहा तो हमने देखा कि मुसलमान बन जाने से लड़की को कुछ अधिकार प्राप्त हो जाता है मुसलमानों के कानून के अनुसार लड़की को अपने बाप के मरने पर उसकी जायदाद में कुछ अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब यह सवाल नहीं है कि यह चीज़ प्रोग्रेसिव है कि नहीं, लेकिन यह ज़रूर है कि वह विचार हिन्दुस्तान का नहीं है और वह रीति रिवाज़ दूसरे मुल्क के हैं। इसी तरह से क्रिश्चियन लॉ (ईसाई विधि) के बारे में भी मेरा यही कहना है कि वह इस मुल्क का नहीं है और एक पराये मुल्क का है और वह यहां के रीति रिवाज़ नहीं हैं। जब हमने सब प्रकार से उनकी इस मनोवृत्ति को अपने अन्दर घुसेड़ना शुरू किया तो फिर हम अपने समाज की रचना भी उसी प्रकार की करने पर उतारू हो गये हैं और यही हमारी एक गुलामी की मनोवृत्ति का नमूना है कि हमारे अपने में जो अच्छापन है और जो अच्छी बातें हमारे हिन्दू समाज के अन्दर विद्यमान हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, उधर हमारी निगाह नहीं जाती और हमारी निगाह हमेशा पाश्चात्य देशों के रहने वालों की तरफ और उनके रीतिरिवाज़ों की तरफ रहती है और उनकी हूबहू नकल करते जाने में हम अपने को धन्य मानते हैं और हमारा ऐसा विश्वास हो चला है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें दुनिया के अन्दर कोई प्राग्रेसिव नहीं कहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय खत्म हो गया।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : आप कहते हैं कि मेरा समय खत्म हो गया, लेकिन मैं चाहता था कि थोड़ा समय आपका लूं।

उपाध्यक्ष महोदय : थोड़े समय से आप की मुराद क्या है ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : शायद मैं अभी कुल दस मिनट बोला हूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बीस मिनट बोल चुके और वह भी आपने प्वाइंट आफ आर्डर के बाद।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं आप से पांच मिनट और चाहूंगा।

अब मैं आपका ध्यान इस कानून की दफा १७ की तरफ दिलाता हूं। क्या हिन्दू समाज ने आप को कोई दर्खास्त दी थी जिस से कि आप को यह कानून बनाने की जरूरत पड़ी कि हिन्दू समाज में मां बाप यह कहने को तैयार न हो जायें कि अगर लड़की मर जाये तो उसकी सारी जायदाद मुझे मिल जाय ? आज कोई भी कपूत बाप या मां हिन्दूस्तान के अन्दर नहीं होगी जिसने आपको दर्खवास्त दी हो कि अपनी लड़की का धन वह ले लें। जैसा पंडित ठाकुर दास जी ने कहा, हम भी ऐसा ही करते आये हैं कि अगर हम किसी गांव में पहुंच जायें और हमें पता लग जाय कि उस गांव में हमारे गांव की कोई लड़की ब्याही हुई है, उससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है, सिर्फ यह पता लग जाय कि वह हमारे गांव की है, तब भी उसको रुपया दो रुपया दे ही देंगे। उसकी जायदाद उसके मां बाप खा जायें या अपनी तरफ से मजबूर करके उसको निकाल लें, यह अनुचित बात मेरी समझ में नहीं आती। अब इस प्रापर्टी की बात आपके ऊपर ऐसी हावी हो गई है कि सर्वेगुणा कांचनमाश्रयन्ते। ऐसी चीज़ आप के सामने आ गई है कि कुछ भी हो प्रापर्टी ऐसी चीज़ है जिसको सब लेना चाहते हैं। आज जो भाषण होते हैं, या कोई नई पार्टी बनती है तो लोग उस पार्टी वालों से पूछते हैं कि तुम्हारा एकानामिक प्रोग्राम

(आर्थिक कार्यक्रम) क्या है ? सब चीज तो नष्ट हो गई, सिर्फ एकानामिक प्रोग्राम की बात रह गई। सारी चीज़ों में यही चीज़ आ गई है। समाज रचना में भी पूछा जाता है कि एकानामिक प्रोग्राम क्या है ? अगर एकानामिक प्रोग्राम ऐसी बड़ी चीज़ थी तो हिन्दुस्तान के अन्दर सिंधी भाई, पंजाबी भाई और बंगाली भाई भाग-भाग कर नहीं आते। वहां पर राम सेवक से मुहम्मद अली बन गये होते। उन की एकानामी को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। एकानामिक प्रोग्राम हो सकता है, यह दूसरी चीज़ है, लेकिन इस जगत् के अन्दर प्रधानता की चीज़ यह भी है कि इस लोक के अन्दर आप मनुष्य को किस नीति के मार्ग पर चलाते हैं, और वह है धर्म, वह है उसकी समाज रचना और वह है उसका संस्कार। उन संस्कारों के आधार पर मनुष्य अपना जीवन सुख से बिताता है, आज आप इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो हिन्दुओं का सुखी जीवन है, आज एक मात्र सुखी जीवन सारी दुनिया में अगर कोई है तो वह हिन्दुओं का है हिन्दुओं का गृह संसार जैसा सुखी है वैसा आपने दुनियां में किसी का नहीं देखा होगा आप उसकी नींव को तोड़ देने के लिये उतारू होते हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे मिनिस्टर आफ लीगल अफेयर्स, (विधि कार्य मंत्री) को सुझायें कि उनके हाथ से जो घातक हमला आज हिन्दू समाज पर हो रहा है उसको बन्द करने की वे कोशिश करें।

†**पण्डित के० सी० शर्मा :** मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। हिन्दू नीति में पिछली कई शताब्दियों से विकास और परिवर्तन हो रहे हैं। मेरे मित्रों को अपने दिमाग से समस्त रूढ़िवादी विचारों को बाहर निकाल देना चाहिये क्योंकि वतमान हिन्दू समाज का रहन-सहन अथवा पद्धति वह नहीं है जो कि वैदिक काल में आर्यों की थी। वर्तमान हिन्दू व्यवस्था का अधिकांश भाग यूनानी और बौद्ध विचार एवं दर्शन से लिया गया है।

वैज्ञानिक प्रगति के इस अणुयुग में कोई भी देश अलग नहीं रह सकता है। हमें सभ्य देशों के समकक्ष आना है। जब आप अपनी औद्योगिक प्रगति के लिये, आर्थिक सहायता तथा इस्पात इत्यादि के लिये अमेरिका, रूस और ब्रिटेन आदि पर निर्भर हैं तो उनके विचारों तथा दर्शन का भी आप पर प्रभाव पड़ेगा ही। आपको अपना रहन-सहन व विचार उन्हीं देशों की तरह बनाने होंगे जिन्हें आप सभ्य देश कहते हैं। किसी अल्प विकसित या अविकसित देश के नागरिक कहलाने से अधिक अपमानजनक बात क्या हो सकती है ? मैं अपने को कभी हीन व्यक्ति कहलाना पसन्द नहीं करता और न अपने को किसी अल्पविकसित देश का नागरिक कहलाना पसन्द करता हूं। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे देश को पिछड़ा हुआ कहें। इसलिये अब वह स्थिति आ गई है जब कि एकरूप विधान बनाना चाहिये, स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार मिलना चाहिये इसी से राजनैतिक एकरूपता आयेगी और हम विश्व के अन्य देशों से राजनैतिक समानता प्राप्त कर सकेंगे।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

स्त्रियों को अधिकार देने से जनसंख्या की समस्या भी हल हो जायेगी। चाहे आपकी कितनी ही पंचवर्षीय योजनायें सफल हो जायें किन्तु जब तक आप जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे आप जनता का स्तर ऊंचा नहीं कर सकते हैं। पुत्रियों को सम्पत्ति में अधिकार देने से वे शिक्षित बन सकेंगी और स्वतन्त्र व्यवसाय कर सकेंगी जिससे विवाह होने के बाद भी उनकी संतान कम और सुयोग्य होगी। इससे देश की उन्नति होगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। संविधान के अनुच्छेद १४ में भी आपने यह व्यवस्था की है कि भारत राज्य-क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायेगा। किन्तु जब आप पुत्री को सम्पत्ति में कोई हिस्सा नहीं देंगे तो उसका विकास ही किस भांति होगा, उसकी शिक्षा किस तरह होगी ? संविधान के अनुच्छेद १५ में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित के० सी० शर्मा]

के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। किन्तु जब आप किसी विधि द्वारा दो व्यक्तियों में केवल इस कारण विभेद करते हैं कि इनमें एक स्त्री है और दूसरा पुरुष तो भला संसद् ऐसी विधि को क्यों स्वीकार करे? इसके अतिरिक्त सम्पत्ति से व्यक्तित्व में विकास होता है, उससे बड़प्पन और सुरक्षा की भावना आती है। किसी को सम्पत्ति से वंचित रखना उसके व्यक्तित्व के विकास को रोकना है। हम अपने देश को तब तक ऊंचा और महान् नहीं बना सकते जब तक कि हमारा अर्धांश नीची और गिरी हुई दशा में है। केवल स्त्री होने के कारण पुत्री को अधिकार से वंचित करना अन्याय है। यह हिन्दू नीति अथवा पद्धति का प्रश्न नहीं है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं। क्या आप राष्ट्रपति की केवल इस कारण अवहेलना कर सकते हैं कि वह ब्राह्मण नहीं हैं? पुरानी बात तत्कालीन अवस्था के अनुरूप ठीक थी अब जाग्रत भारत में हमें नयी बातें अपनानी होंगी। आजकल की प्रचलित स्थिति का बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। गांवों में लोग अपने बच्चों को कठिनाई से ही प्रारम्भिक शिक्षा दे पाते हैं। किन्तु अन्य देशों की अवस्था भी यहां से भिन्न नहीं हैं। बर्मा और लंका में भी गरीब कृषक रहते हैं, लेकिन उनकी पुत्रियाँ उनकी सम्पत्ति में कोई भाग नहीं मांगती हैं। मुसलमानों के उदाहरण लीजिये। बहुत कम मुसलमान लड़कियां अपने पिता से सम्पत्ति में हिस्सा मांगती हैं। तब भला हिन्दुओं में ही ऐसा क्यों होगा। एक प्रगतिशील समाज को देशकालानुसार बदलना चाहिये तभी वह उन्नति कर सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पुत्री को पुत्र के समान अंश मिलना चाहिये, जिससे कि वह देश के निर्माण में सहायक सिद्ध हो सके। इसके विपरीत ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी पैतृक सम्पत्ति का आश्रय लेता है वह अपने पूरे सामर्थ्यानुसार प्रयत्न नहीं करता। परिणाम यह होता है वह आत्मनिर्भर नहीं बनता है। यह कहा गया है कि इस विधेयक के पारित होने से दामाद श्वसुर को तंग कर सकता है। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज युग बदल गया है और वस्तुतः पत्नी ही पति को आदेश देती है। स्त्री का स्थान पुरुष से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है और अमेरिकी दार्शनिक डयूरैन्ट के अनुसार स्त्री ही इस युग की सबसे बड़ी समस्या है। वस्तुतः स्त्री के लिये ही इस युग में पुरुष सब कुछ करता है, सृष्टि के विकास का यही क्रम है। आज के युग में स्त्री पुरुष से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है अतः इस सम्बन्ध में भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

†**श्री आल्तेकर** : मैं केवल वकील ही नहीं बल्कि एक समाजशास्त्री भी हूं। अतः मैं जो कुछ भी कहूंगा केवल भावावेश से नहीं अपितु वस्तुस्थिति पर विचार करके कहूंगा। श्री सुभद्रा जोशी का यह कहना ग़लत है कि यदि स्त्रियां कानून बनाने वाली होती तो पुरुषों को अपनी स्त्रियों के घर में रहना पड़ता किन्तु तब स्त्री को उसकी माता की सम्पत्ति पर उत्तराधिकार मिलता और पति को पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकार नहीं मिलता। मैं स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार देने के पक्ष में हूं। किन्तु यह अधिकार उसे अपने ही क्षेत्र में मिलना चाहिये। यदि स्त्री विवाहोपरान्त पति के घर में रहती है तो उसे पति की सम्पत्ति में बराबर का अधिकार मिलना चाहिये और यदि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसे सम्पत्ति के बंटवारा करा लेने का अधिकार होना चाहिये।

स्त्रीधनम् सम्पत्ति के सम्बन्ध में मनु ने कहा है कि :

"मातुस्तु यौतकं यत्स्यात्कुमारी भाग एव सः"

अर्थात् मां की स्वार्जित सम्पत्ति में पहिले कुमारी कन्या का, उसकी अनुपस्थिति में विवाहित कन्या का, उसकी अनुपस्थिति में पुत्र का अधिकार होता है। यह अधिकार भी इस बात का प्रमाण है कि समय के परिवर्तन के साथ हिन्दू स्त्रियों को अधिकार मिलते गये। किन्तु वर्तमान अवस्था में

†मूल अंग्रेजी में

जहां पुरुष, परिवार का मुख्य व्यक्ति होता है, वही परिवार का भरण पोषण करता और उसके साधन जुटाता है, वहां पिता की सम्पत्ति का बंटवारा करना, जब कि पत्नी पति के परिवार का अंग बन गई है परिवार को भंग कर देना है । फिर यदि आप छोटे-छोटे कृषकों की दशा देखें, जिनकी आर्थिक दशा बहुत पिछड़ी है, तो आपको ज्ञात होगा कि पुत्री का विवाह दूरस्थ स्थानों में होने पर यदि वह अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा मांगेगी तो उसे अपनी सम्पत्ति का अंश बेच देना पड़ेगा और यह अंश भी भाई नहीं खरीद सकेंगे क्योंकि कृषकों को उधार इत्यादि मिलना बहुत कठिन होता है और उनके पास निजी धन इतना नहीं होता कि वह उसे खरीद सकें । इसलिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस विधेयक में बताये गये अधिकार के दे दिये जाने पर भी पुत्री को स्वयं कोई लाभ न होगा । प्रारम्भ में तो संभवतः वह यही समझे कि यह बात उसके हित में है कि वह पिता से सम्पत्ति प्राप्त कर रही है, परन्तु बाद में वह अनुभव करेगी कि पति के घर में भी वही कठिनाई उत्पन्न हो रही है, क्योंकि उसे भी अपनी पुत्रियों को देने के लिये उस सम्पत्ति के टुकड़े-टुकड़े कर देने पड़ेंगे । अतः इस प्रकार से स्त्रियों को एक ओर तो सम्पत्ति देने और फिर दूसरी ओर ले लेने की अपेक्षा उत्तम यही है कि हम पारिवारिक जीवन को जैसा है वैसा ही रहने दें जिसमें पैतृक सम्पत्ति को केवल पुत्र ही परम्परागत रूप से प्राप्त कर सके । हां यदि पुत्री अविवाहित रहे तो वह भी अपना भाग प्राप्त कर सके । यदि विवाहित पुत्री को भी चल सम्पत्ति में भाग प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया तो इससे पैतृक सम्पत्ति टुकड़े-टुकड़े हो जायेगी, अथवा बिक जायेगी, जिससे अन्त में लाभ किसी को भी न होगा । यदि आप स्त्री का भला करना ही चाहते हैं तो मेरा सुझाव यह है कि उसे पति की सम्पत्ति में से बराबर का भाग दिया जाये । इस अधिकार की प्राप्ति के बाद पति उसके साथ दुर्व्यवहार भी न कर सकेगा । अतः स्त्री को पिता की सम्पत्ति से नहीं अपितु पति की सम्पत्ति से भाग प्राप्त होना चाहिये ।

पैतृक सम्पत्ति के सम्बन्ध में एक और बात यह है कि पारिवारिक जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा तथा विकास के लिये परिवार के सभी सदस्य अपना तन मन धन लगा देते हैं । अतः पैतृक सम्पत्ति पर केवल उन्हीं सदस्यों का ही अधिकार होना चाहिये, पराये घराने के लोगों का कोई अधिकार न हो, पुत्री के पुत्रों अथवा पुत्रियों का कोई अधिकार न हो । यदि आपने उन्हें सम्पत्ति अधिकार दिया तो उससे हमारे समाज की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जायेगी । अतः मैं यह चाहता हूं कि प्रथम श्रेणी में विधवा, पुत्र की विधवा तथा पौत्र की विधवा—ये ही रहें । उन्हें पैतृक सम्पत्ति में पूर्ण अधिकार प्राप्त हों । परन्तु पुत्री को, उसकी पुत्री को अथवा उसके पुत्र को पैतृक सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त न हो । यदि जीवित न हो तो उस समय पौत्र को अथवा परपौत्र को, अथवा एक विवाहित पुत्री को सम्पत्ति में अधिकार दिया जा सकता है ।

यह विधेयक समानता उत्पन्न करने की दृष्टि से बनाया जा रहा है, परन्तु कई एक ऐसे स्थान हैं जहां पर असमानता उत्पन्न की जा रही है, स्त्रियों के साथ पक्षपात किया जा रहा है । इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार यदि निःसन्तान पति की मृत्यु हो जाये तो विधवा स्त्री पति की सम्पूर्ण सम्पत्ति की अधिकारिणी होगी, परन्तु यदि पत्नी निःसन्तान मर जाये तो उस विधुर पति को पत्नी की सम्पत्ति पर कोई अधिकार न होगा । यह उपबन्ध खंड १७ (२) (क) में है ।

फिर खण्ड १० (४) के अनुसार पिता की सम्पत्ति का बंटवारा होने से पूर्व ही मर जाने वाली लड़की के पुत्र तथा पुत्रियां अपनी मां की सम्पत्ति के अधिकारी होंगे, पति का उस सम्पत्ति में कोई स्थान न होगा, परन्तु यदि बंटवारा होने से पूर्व कोई लड़का मर जायेगा तो उसकी सम्पत्ति के अधिकारी उसके पुत्र और पुत्रियों के अतिरिक्त उसकी पत्नी भी होगी । मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस भेद-भावपूर्ण नीति का कारण क्या है ?

[श्री आल्तेकर]

हमें ऐसी विधि बनानी चाहिये जिससे पत्नी को पति की सम्पत्ति में से बराबर का भाग दिया जा सके। अविवाहित लड़की तो अपने पिता की सम्पत्ति में से भाग प्राप्त करे, परन्तु विवाह के उपरान्त उसका पिता की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिये।

विधेयक का मूल रूप से तो यही आशय था कि पैतृक सम्पत्ति को केवल उसी दशा में दिया जाये जब कि अविभक्त परिवार न हो। परन्तु अब तो उस आशय के प्रतिकूल काम किया जा रहा है। यदि सरकार मिताक्षर पद्धति की अविभक्त परिवार-सम्पत्ति को जारी नहीं रहने देना चाहती, तो वह मिताक्षर पद्धति को ही समाप्त क्यों नहीं कर देती? इस विधेयक में मिताक्षर पद्धति पर साक्षात् आक्रमण किया जा रहा है। यदि सरकार इस पद्धति को बदलना चाहती है तो पहले जनता से अनुमति प्राप्त करे।

इसके अतिरिक्त खण्ड ६ की व्याख्या मिताक्षर की विधि के प्रतिकूल है। मिताक्षर विधि के खण्ड ३२ के अनुसार तो सम्पत्ति में केवल पिता का ही अधिकार होगा परन्तु खण्ड ६ के अनुसार उस पर पिता के अतिरिक्त उसके अविभक्त पुत्र का भी अधिकार होगा। इसलिये इस भेद को दूर करने के लिये खण्ड ६ की व्याख्या को हटाना ही पड़ेगा।

जीवन बीमा निगम विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

†**श्री जी० बी० मेहता** (गोहिलवाड) : भारत में जीवन बीमा व्यवसाय के लिये स्थापित निगम को इस प्रकार के सब व्यवसाय हस्तान्तरित कर, जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण तथा निगम के कार्य के विनियमन तथा नियंत्रण और उससे सम्बन्धित अथवा आसंगिक मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को मैं उपस्थापित करता हूं।

प्रवर समिति के सामने दिये गये साक्ष्य

†**श्री जी० बी० मेहता** : मैं जीवन बीमा निगम विधेयक, १९५६ सम्बन्धी प्रवर समिति के सामने दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक-जारी

†**श्री शेषागिरि राव** (नन्दयाल) : मैं श्री आल्तेकर के इस कथन से पूर्णरूपेण सहमत हूं कि अविभक्त परिवार पद्धति पर भयंकर आक्रमण किया गया है, यद्यपि विधिकार्य मंत्री का यह कहना है कि इस पद्धति की व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। यदि आप इसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इस उद्देश्य के लिये पहले एक विधेयक प्रस्तुत करके अविभक्त परिवार पद्धति को ही पूर्णरूपेण समाप्त कर दिया जाये।

विधेयक का खण्ड ६ अत्यन्त हानिकारक सिद्ध होगा। मान लीजिये कि किसी पिता के दो पुत्र हैं और दो पुत्रियां, और उनमें से एक पहले ही अलग हो चुका है, तो उस पिता की मृत्यु के समय अलग हुआ पुत्र पिता की सम्पत्ति में पिता का समांशी होगा, और पिता की मृत्यु के उपरान्त वह पुत्र

---

†मूल अंग्रेजी में

शेष सम्पत्ति में से फिर से एक अंश और प्राप्त करेगा। तो मैं पूछता हूं कि क्या यह अन्य बच्चों के प्रति अन्याय नहीं है ?

इस प्रकार से एक और उदाहरण लीजिये। मान लीजिये कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, एक पुत्र और दो पुत्री छोड़ कर मरता है। यदि पुत्र पिता से पहले मर जाता है तो उसके परिवार के सदस्य पिता की आधी सम्पत्ति प्राप्त करेंगे, परन्तु यदि पिता की मृत्यु के बाद वह मरता है तब वह केवल एक-चौथाई सम्पत्ति प्राप्त करेगा, क्योंकि एक-एक हिस्सा उसकी माता और उसकी दो बहनों को मिलेगा। इस प्रकार से खण्ड ६ का परन्तुक बड़ा ढीला-ढाला सा है। मैं श्री वी० जी० देशपांडे के इस कथन से सहमत हूं कि इस की सीमा से पुत्री का पुत्र संभवतः बाहिर रह जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि खण्ड ६ का प्रारूप अत्यन्त शिथिल है।

मैं खण्ड १७ (ख) की ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिस में बताया गया है कि पति की मृत्यु के उपरान्त, यदि वह निःसन्तान होगा, पत्नी की दायागत सम्पत्ति पर पति के उत्तराधिकारियों का अधिकार होगा। परन्तु यह व्याख्या कुछ अस्पष्ट सी है। यदि वह स्त्री पहले पति के देहान्त के बाद किसी और व्यक्ति से विवाह कर लेती है, और कुछ समय बाद वह भी मर जाता है तो वह पूर्ववर्ती सम्पत्ति कौन से पति के उत्तराधिकारियों को मिलेगी ? अतः मैं चाहता हूं कि इस बात का पूर्ण स्पष्टीकरण कर दिया जाये।

खण्ड २३ का सम्बन्ध इस धारणा से है कि यदि पिता और पुत्र की एक साथ मृत्यु हो जाये तो उस समय क्या होगा। धारणा यह रखी गई है कि पिता पुत्र के पहले मरता है। मैं नहीं समझता कि इस व्याख्या में इस प्रकार की धारणा की क्या आवश्यकता थी। मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार की धारणा को कोई स्थान न दिया जाये, यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो उसका निर्णय साक्ष्य के आधार पर किया जाये।

जहां तक लड़कियों को भी लड़कों के समान ही अधिकार देने का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि इस उद्देश्य के लिये खण्ड ६ में थोड़ा-सा संशोधन किया जाये। परन्तु अलग हुए तथा अलग न हुए लड़कों में कोई भेद नहीं रखना चाहिये।

मैं एक माननीय सदस्य के इस कथन से सहमत हूं कि जहां तक एक विधवा द्वारा दायागत सम्पत्ति का सम्बन्ध है, उसका अधिकार एक सम्पूर्ण अधिकार नहीं होना चाहिये। यदि वह इस प्रकार से सम्पूर्ण अधिकारी बना दी गई तो कई बार विधवा होने वाली स्त्री अपने सभी पतियों की सम्पत्तियों को हथयाती हुई किसी समय बहुत धनवान् स्त्री बन जायेगी ?

मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि स्त्री तो अपने पति की सम्पत्ति प्राप्त कर सके, परन्तु पति अपनी पत्नी की सम्पत्ति को प्राप्त न कर सके। यदि आप हिन्दू-विधि को संहिता बद्ध करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कीजिये कि उसमें कोई त्रुटि न रहे और सभी को समान अधिकार प्राप्त हों, यदि ऐसा न किया गया तो इस सारे झंझट का कोई लाभ नहीं।

मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का विधान बनाते समय हम शान्तिपूर्वक सोच विचार करते हुए एक वैज्ञानिक आधार अपनायें। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रो० इन्द्र ने "प्राचीन भारत में नारियों की प्रतिष्ठा" नामक अपनी पुस्तक में आज की शिक्षित नारियों को यही शुभ सम्मति दी है कि वे आधुनिकता की झोंक में आकर प्राचीन सभ्यता की अच्छाइओं का भी गला न घोंट दें। इसी प्रकार से इस सिद्धान्त से मैं सहमत हूं कि लड़कियों को लड़कों के समान ही सम्पत्ति का बराबर-बराबर भाग दिया जाये और इस उद्देश्य के लिये खण्ड ६ को संशोधित किया जाये। पत्नी का सम्पत्ति में अधिकार एक

[श्री शेषगिरि राव]

सीमित अधिकार हो। यदि यह विधान इस आधार पर न बनाया गया तो उसका कोई लाभ न होगा, बल्कि वह तो हानिकारक सिद्ध होगा।

†**श्री एन० आर० मुनिस्वामी** (वान्दिवाश) : मैं सर्व प्रथम विधेयक के रूप के सम्बन्ध में दो-चार बातें कहना चाहता हूं। उस विधेयक को पहले जब लोक-मत जानने के लिये परिचालित किया गया था तो उस समय जनता की यही धारणा थी कि अविभक्त परिवार सम्पत्ति की मिताक्षर पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। परन्तु अब जब यह विधेयक संयुक्त समिति तथा राज्य सभा से प्राप्त हुआ है, हम यह देख कर विस्मित हुए कि खण्ड ६ में मिताक्षर पद्धति पर कुछ अंकुश से लगा दिये गये हैं।

यदि आप मिताक्षर पद्धति के किसी भी विधि-उपबन्ध में हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो उसके लिये पहले लोक मत प्राप्त कीजिये। नहीं तो ऐसा करना एक अन्याय होगा।

खण्ड ६ में यह बताया गया है कि लड़की को भी उसके भाई के बराबर ही भाग दिया जाये। यह तो एक सराहनीय उपबन्ध है, परन्तु लड़की को दिये जाने वाले इस अधिकार में हमें अभिधारणा का आश्रय लेना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कराधान आदि के बारे में तो हम अभिधारणाओं का आश्रय ले सकते हैं परन्तु सम्पत्ति के अधिकार में अभिधारणाओं का आश्रय नहीं लिया जा सकता। इसलिये इसके लिये कोई और उपाय अपनाया जाये।

संयुक्त समिति के कुछ एक सदस्यों ने अपनी विमति टिप्पणी में कुछ एक उदाहरण दे कर यह बताया है कि इस के उपबन्धों के अनुसार पिता से अलग हुआ पुत्र तो अधिक भाग प्राप्त कर सकेगा, जब कि पिता के साथ रहने वाला पुत्र घाटे में रह जायेगा। अतः इस त्रुटि को दूर किया जाये, और उसके लिये विधेयक के खण्ड ६ में फेर बदल की जाये।

मेरा निवेदन यह है कि जब तक कोई ऐसा सर्वोत्तम उपाय नहीं अपनाया जाता जिसके द्वारा सभी पुत्रों तथा पुत्रियों को समान रूप से अधिकार दिया जा सके, तब तक वर्तमान विधि को ही लागू रहने दिया जाये।

विधवा नारियों को आजकल तो सम्पत्ति में एक सीमित अधिकार प्राप्त है, परन्तु विधेयक के पास हो जाने के बाद उन्हें सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जायेंगे।

†**सभापति महोदय** : अब सायंकाल के ५-३० बज चुके हैं। अतः माननीय सदस्य अपने भाषण को कल जारी रखें। अब हम सभा का दूसरा कार्य प्रारम्भ करते हैं।

सीमेंट

†**सभापति महोदय** : पूर्व इसके कि हम १० अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३०३ के उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करें, मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस चर्चा में कई एक सदस्य भाग लेना चाहते हैं। इसलिये श्री वी० पी० नायर १० मिनट लेंगे, और मंत्री महोदय भी कम से कम १० मिनट लेंगे।

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : यह कार्य तो ३ मिनट में भी हो सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि माननीय सदस्य कितनी जानकारी चाहते हैं; जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं उतने ही समय में समाप्त कर दूंगा जितना आप निर्धारित करेंगे।

†**सभापति महोदय** : सर्व प्रथम श्री नायर अपने प्रश्न पूछेंगे, फिर अन्य सदस्य अपने-अपने प्रश्न पूछेंगे, तब बाद में मंत्री महोदय उन प्रश्नों का उत्तर देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी म

†**श्री वी० पी० नायर** (चिरयिन्कील) : मैं लोक-सभा का ध्यान वर्तमान सीमेंट उद्योग से सम्बन्धित कुछ विषयों पर दिलाना चाहता हूं। प्रधान मंत्री के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में मैंने देखा है कि सीमेंट उद्योग को द्वितीय अनुसूची में भी सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिये यह विषय और भी महत्वपूर्ण बन गया है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारी प्रगति अधिकतर उचित दामों तथा उचित समय पर सीमेंट की प्राप्यता पर निर्भर होगी। आज सीमेंट परियोजनाओं की आवश्यकता से कहीं कम मात्रा में मिल रहा है जिससे चोर बाजारी बहुत बढ़ गई है। कहा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया गया है और शायद इसी लिये सरकार उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहती है या नए कारखाने नहीं स्थापित करना चाहती है।

जिस समय प्रशुल्क आयोग ने जांच की थी उस समय २३ या २४ कारखाने थे। इन में से ११ कारखाने एसोशिएटेड सीमेंट कम्पनी द्वारा नियंत्रित थे। इन ११ कारखानों के अतिरिक्त भारत में उत्पादित सीमेंट का ७५ प्रतिशत भाग सीमेंट मार्किटिंग कम्पनी ऑफ़ इन्डिया द्वारा वितरित किया जाता है जिसके सारे अंश उनके पास हैं।

भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग विभाग द्वारा छापी गई 'उद्योग व्यापार पत्रिका' के पृष्ठ ९३ में कहा गया है कि कुल समवायों की वार्षिक उत्पादन शक्ति ४५ लाख टन है जिसमें से ए० सी० सी० की उत्पादन शक्ति लगभग २६ लाख टन है।

ए० सी० सी० का १९५४ में शुद्ध लाभ १·३४ करोड़ रुपये था और १९४७ में केवल ३३ लाख रुपये था। उसकी प्रदत्त पूंजी १२·६७ करोड़ रुपये है। सीमेंट उद्योग पर ए० सी० सी० का इतना अधिक नियन्त्रण है और सरकार अगले पांच वर्षों के अन्त तक १६ या १७ कारखाने और स्थापित करने की बात कह रही है। मुझे विश्वस्त रूप से बताया गया है कि इन में से ४ या ५ कारखानों की स्थापना के लिये ए० सी० सी० को अनुमति दी जायेगी। बांध परियोजनाओं तथा अन्य निर्माण कार्यों के लिये सीमेंट एक अत्यधिक महत्व की वस्तु है।

प्रशुल्क आयोग ने तथाकथित विशेषज्ञों से बातचीत की थी तथा जांच के पश्चात् उन्होंने प्रतिवेदन में कहा है कि सीमेंट के दाम और अधिक बढ़ाये जाने चाहियें, परन्तु यदि देखा जाय तो आज १९४७ की अपेक्षा भाव कहीं अधिक हैं। हम देखेंगे कि सीमेंट उद्योग को अधिक लाभ होने के साथ-साथ तथा उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ सीमेंट के दाम में भी वृद्धि होती रही है। परन्तु सीमेंट उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। भद्रावती में उन्हें ३५ रुपये से लेकर ६२ और ६४ रुपये के बीच वेतन मिलता है। फिर, मुझे प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन में यह बात पढ़ कर अचम्भा हुआ कि उसने एसोशियेटेड सीमेंट कम्पनी तथा दिगविजय सीमेंट कम्पनी के सम्बन्ध में यह कहा है कि उनके सीमेंट के भाव बढ़ाये जाने चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने यह सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की है। प्रशुल्क आयोग ने कहा है कि सीमेंट तैयार करने में कठिनाई को देखते हुए तथा देश की मांग को ध्यान में रखते हुए ग़ैर-सरकारी पूंजीपतियों को बढ़ावा देना होगा। यह एक ऐसा उद्योग है जिस पर ३५,००० व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। क्या सरकार सीमेंट वितरण का कार्य स्वयं नहीं संभाल सकती है ? यह एक ऐसा छोटा उद्योग नहीं है जिसे राष्ट्रीय नियन्त्रण से दूर रखा जा सके। यदि ग़ैर-सरकारी उद्योग ने उचित व्यवहार किया होता तो मैं कभी भी इस उद्योग पर और अधिक नियन्त्रण रखे जाने की बात न कहता। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम अपना निर्माण तथा उत्पादन कार्य बढ़ा रहे हैं और इसके लिये सीमेंट अत्यन्त आवश्यक है।

फिर सीमेंट के व्यापारियों ने देश को सीमेंट के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाया ? सरकार को उन पर जोर डालना चाहिये और देश को इस दिशा में आत्मनिर्भर बनाना चाहिये। आज

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वी० पी० नायर]

प्रातःकाल समाचार पत्र में मैंने देखा है कि मेरे माननीय मित्र श्री कृष्णमाचारी योजना आयोग को यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि १ करोड़ १० लाख टन का जो लक्ष्य निश्चित किया गया है वह बहुत ही कम है और सीमेंट का लक्ष्य १ करोड़ ३० लाख या १ करोड़ ४० लाख टन होना चाहिये। परन्तु इसके साथ ही हिन्दुस्तान टाइम्स में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि सीमेंट के दाम में सम्भवतः १० या २० रुपये की अग्रेतर वृद्धि की जायेगी।

केवल निर्माताओं के पक्ष को ही ध्यान में रखा गया है और श्रम सम्बन्धी पक्ष को बिल्कुल भुला दिया गया है। वेतनों में एकरूपता नहीं है और महंगाई का भत्ता तथा बोनस सभी एक स्थान से दूसरे स्थान में एक दूसरे से भिन्न हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि जब सीमेंट के दाम एक जैसे हैं फिर ऐसी स्थिति क्यों है। बोनस आदि के सम्बन्ध में एक ही नीति क्यों नहीं है।

मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहता हूं। जब हम द्वितीय योजना में १ करोड़ १० लाख या १ करोड़ २० लाख टन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे तो उसमें एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनी का यथार्थ हिस्सा कितना होगा? डालमिया ग्रुप की कम्पनियों का कितना हिस्सा होगा? क्या उनका एकाधिपत्य बना रहेगा? जब हम समाजवादी ढंग के समाज की रचना करना चाहते हैं तो क्या हम तब भी इनका एकाधिपत्य बना रहने दें।

सरकारी क्षेत्र में कुल कितने कारखाने खोले जायेंगे। मेरे विचार में सरकार को सीमेंट उद्योग के सम्बन्ध में अपनी नीति बदलनी होगी, सरकार इन कम्पनियों के सम्बन्ध में मंजूरी क्यों दे? सरकार के लिये सीमेंट के भावों में कमी करना क्यों सम्भव नहीं है?

क्या सरकार सीमेंट का वितरण अपने हाथों में नहीं ले सकती है ताकि जन साधारण को सस्ते दामों पर सीमेंट दिया जा सके? जब सीमेंट के दामों में एकरूपता की व्यवस्था की जाती है तो कामगरों के वेतन, महंगाई के भत्ते, मकानों की सुविधायें आदि के सम्बन्ध में एक ही नीति क्यों नहीं अपनायी जाती? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर मैं माननीय मंत्री का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम्) : समस्या पर दो पहलुओं से विचार करना है--दीर्घ-कालीन तथा अल्पकालीन पहलुओं से। दीर्घकालीन आधार पर स्थिति का सामना करना होगा ताकि वर्तमान कमी द्वितीय योजना की अवधि के पश्चात फिर उत्पन्न न हो। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि अपने लक्ष्य को योजना आयोग द्वारा स्वीकार कराने में वह कहां तक सफल हुए हैं। नए कारखाने स्थापित करने के लिये क्या सरकार उदारता से लाइसेंस देने की नीति अपनायेगी?

जैसा कि श्री वी० पी० नायर ने कहा है, मैं भी यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय विनियमन तथा नियन्त्रण के लिये १६४८ के संकल्प में अन्य मदों में सीमेंट भी सम्मिलित था परन्तु सीमेंट को नई औद्यो-गिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में अनुसूची 'ख' में से निकाल दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव न हुआ तो क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी।

समाचारों के अनुसार १६६०-६१ तक लगभग ४४ इकाइयां होंगी परन्तु कुछ राज्यों में पहले जैसी स्थिति ही बनी रहेगी। त्रावणकोर-कोचीन राज्य में आज भी वही स्थिति है जो १६५०-५१ में थी। वहां केवल एक इकाई है। १६६१ में भी, वर्तमान प्राक्कलन के अनुसार केवल एक इकाई ही होगी मैं यह जानना चाहता हूं कि इस राज्य में क्या विस्तार की कोई सम्भावना है?

अल्पकालीन उपायों के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार कितना सीमेंट तुरन्त ही विदेशों से मंगवाना चाहती है और इस सीमेंट को किस प्रकार वितरित किया जायेगा।

विदेशों से मंगवाए गए सीमेंट की कीमत भारत में उत्पादित सीमेंट की कीमत से अधिक होगी इसलिये क्या सीमेंट का कोई संग्रह मूल्य (पूल-प्राइस) भी होगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

इस सम्बन्ध में यह भी बताया जाय कि क्या बंटन तथा वितरण के सम्बन्ध में कोई कठोर पर्यवेक्षण होगा। बाज़ार में सीमेंट प्राप्य न होते हुए भी चोरबाज़ार में सीमेंट मिल सकता है। मेरे विचार में इसका एक कारण यह है कि कार्य की प्रत्येक श्रणी के लिये स्टाक का वितरण ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है। इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या चोरबाज़ारी को रोकने के लिये क्या उचित पर्यवेक्षण रखा जायेगा और क्या उपभोक्ताओं को उचित लागत पर सीमेंट मिल सकेगा ?

†**श्री बंसल** (झज्जर रेवाड़ी) : यह एक अच्छा चिन्ह है कि सीमेंट की मांग देश में तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मैं निम्न बातों के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहता हूं।

सीमेंट के उत्पादन के सम्बन्ध में हमारी वर्तमान क्षमता ४७ लाख टन है। माननीय मंत्री योजना आयोग से इसे बढ़ा कर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १ करोड़ ६० लाख टन करने के लिये कह रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पांच वर्षों में वह किस प्रकार १ करोड़ २० लाख टन क्षमता बढ़ाना चाहते हैं ?

यह भी कहा गया है कि काम के लिये हमारी परिवहन सेवा पर्याप्त न होगी। यदि सीमेंट का इतना उत्पादन हो भी जाय तो भी उसे खपत के स्थानों तक पहुंचाना कठिन होगा। क्या मंत्रालय ने इस प्रश्न पर सोच-विचार किया है और जहां-कहीं निकट ही चूना प्राप्य है या जिन राज्यों में सीमेंट की अत्यधिक खपत है क्या वहां नए कारखाने स्थापित करने की दिशा में कुछ सोच-विचार किया गया है ?

मेरे मित्र श्री थामस ने सीमेंट का संग्रह मूल्य (पूल प्राइस) नियत करने की बात कही है। मैं भी माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई योजना है कि यदि संग्रह मूल्य (पूल प्राइस) निश्चित किया जाये तो सरकार से सीमेंट की कम कीमत ली जायेगी और ग़ैर-सरकारी उपभोक्ता से अधिक दाम लिये जायेंगे ?

मुझे केवल एक प्रश्न और पूछना है। सीमेंट की बढ़ती हुई खपत तथा इसकी अप्राप्यता को देखते हुए क्या सरकार ने यह बात सोची है कि गांवों में सीमेंट तैयार करने का शताब्दियों पुराना जो ढंग है उसे पुनः अपनाया जाय ? हमारे गांवों में लोग चूने के कन्करों से बुझा हुआ चूना तैयार करते हैं। इस प्रकार काफ़ी सीमा तक स्थानीय मांग पूरी हो जाती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि अन्तरिम अवधि में कठिनाई को दूर करने के लिये तथा इस स्थानीय देशीय उद्योग के विकास के लिये क्या कुछ सोचा जा रहा है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : मैं आपको बताऊं कि जब सीमेंट को रेत, कंकरीट और पानी में मिलाया जाता है तो कुछ रासायनिक क्रिया होती है और सम्भवतः अधिक ताप जनित किया जाता है। आपको उसमें पानी डालना होता है ताकि वह मिश्रण बैठ जाय। मेरे विरोधी मित्र बिना ऐसी किसी बाह्य सहायता के ताप जनित करने में समर्थ हैं। मैं आशा कर रहा था कि मेरे माननीय सदस्य सीमेंट के बुरे वितरण और अधिक दामों के लिये सरकार की आलोचना करेंगे। परन्तु मेरे माननीय सदस्य सदा आधारों की बात करते हैं। इसलिये उन्होंने निर्माण, श्रम लागत, स्थिति, स्वामित्व और अन्य ऐसी चीजों का उल्लेख किया जिन्हें सर्वथा भिन्न विषय होना चाहिये।

एकमात्र चीज़ यह है कि वह औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य के सम्बन्ध में बहुत निराश हैं और महसूस करते हैं कि उसमें सीमेंट के राष्ट्रीयकरण का कोई संकेत नहीं है। जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा अगले पांच वर्षों में अथवा उसके पश्चात् भी कोई बात हमें सीमेंट के कारखाने खोलने से नहीं रोकती। परन्तु यह उन उद्योगों में नहीं आता जिनमें हम सरकारी हस्तक्षेप को अग्रमान्यता दे रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

बहुत से प्रश्न पूछे गये थे और मैं अपने थोड़े से समय में उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। एक तथ्य, जिसका उल्लेख किया गया था, कमी के प्रश्न के सम्बन्ध में था। मैं समझता हूं कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा था कि हमारे सामने यह कमी अचानक कैसे आ गई और सरकार ने उसको रोकने के लिये कोई प्रयत्न क्यों नहीं किया। मेरे पास एक सारणी है जिसमें सरकार और समस्त लोग जो सीमेंट की खपत करते हैं उनकी कई साल की मांगों के तिमाही आंकड़े दिये हुए हैं। मैं समझता हूं कि उन सबको यहां बताना आवश्यक नहीं है। निकट भूतकाल को ही ले लीजिये। १९५५ के तीसरे त्रिमास में सीमेंट की मांग ५,८०,००० टन प्रतिमाह थी। अर्थात् एक वर्ष की मांग ६० लाख टन हुई। वह ऐसा समय था जब हमने लगभग १०० लाख टन उत्पादन और १२० लाख टन सामर्थ्य का लक्ष्य प्रायः पूर्ण कर लिया था। चालू वर्ष के प्रथम त्रिमास में मांग बढ़कर ८३०,००० टन प्रति माह हो गई अर्थात् १०० लाख टन प्रति वर्ष। दूसरे त्रिमास की मांग ९०१,००० टन है। इस तरह मांग इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि उसके अनुसार उत्पादन और संभरण करना हमारे लिये प्रायः असंभव है क्योंकि एक सीमेंट के कारखाने का विस्तार करने में लगभग १८ महीने से लेकर दो वर्ष तक लग जाते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं लोक-सभा को बताना चाहूंगा कि अगस्त १९५४ में, जब मैंने यह कहा था कि इस्पात उत्पादन का हमारा लक्ष्य ६० लाख टन और सीमेंट उत्पादन का हमारा लक्ष्य १०० लाख टन होना चाहिये, तो इस देश के बहुत से लोगों का यह विचार था कि मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूं। आज केवल यही कठिनाई है कि हम सीमेंट के १६० लाख टन लक्ष्य का विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारा १६० लाख टन का लक्ष्य योजनावधि के अन्त में पर्याप्त नहीं होगा। विस्तारी अर्थ-व्यवस्था में आप कितना भी बुद्धिमान होने का प्रयत्न करें और आप कितने भी साहसी क्यों न हों मांग आपके द्वारा किये गये उपबन्ध से बढ़ ही जाती है।

भविष्य के सम्बन्ध में जैसा कि मालूम होता है माननीय सदस्य जानते हैं, हमने बहुत-सी इकाइयों को लाइसेंस दिये हैं जिनकी सामर्थ्य कुल मिलाकर योजना की अवधि के अन्त तक १ करोड़ २१ लाख टन होने की आशा है। परन्तु सामर्थ्य के बराबर उत्पादन नहीं हो पाता है वरन् कुछ कम ही रहता है। आज उत्पादन ५० लाख टन तक पहुँच गया है और मैं आशा करता हूं कि १९५७ के प्रथम त्रिमास तक, अर्थात् अगले वर्ष इन्हीं दिनों तक, हम ७०·५ लाख टन सीमेंट का उत्पादन कर सकेंगे और नौ-दस महीनों के अन्दर हम सम्भवतः ९० लाख टन का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इस तरह लगभग २ वर्षों में अथवा आज से १ वर्ष और ९ महीनों के अन्दर हमारा वर्तमान संभरण लगभग ४० लाख टन बढ़ जाने की संभावना है। वर्तमान परिस्थितियों में संभवतः हम इससे अधिक नहीं कर सकते।

माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या योजना आयोग ने लक्ष्य को बढ़ाकर १६० लाख टन करने का निर्णय किया है। अभी चर्चा चल रही है। ऐसा नहीं है कि योजना आयोग लक्ष्य बढ़ाने के विरुद्ध है; वास्तविक कठिनाई यह है कि क्या हम बनाये गये सीमेंट तथा कारखानों के लिये आवश्यक कच्चे माल को ढोने में समर्थ होंगे। यहां रेलों का प्रश्न आता है। इस सम्बन्ध में माननीय श्री बंसल द्वारा उठाया गया प्रश्न संगत है। हां, हमने इस समस्या पर प्रादेशिक दृष्टिकोण से विचार कर लिया है ताकि संभरण तेजी से किया जा सके और रेलों का आना-जाना कम से कम हो। इसको अधिक कार्यकुशल बनाने के लिये हम मामले की और जांच कर रहे हैं। परन्तु प्रादेशीकरण सदा संभव नहीं है क्योंकि एक ही क्षेत्र में चूने का पत्थर और कोयला मांग के अनुसार उपलब्ध नहीं होते। चूने के पत्थर की उपलब्धता को हम मुख्य तत्व समझते हैं और जहां चूने का पत्थर उपलब्ध होता है वहां हम कोयले तथा निर्मित माल के ढोने का प्रबन्ध करके सीमेंट के कारखानों की स्थापना की अनुमति दे देते हैं।

इस सम्बन्ध में श्री थामस ने यह प्रश्न उठाया कि क्या १९६१ के अन्त तक त्रावणकोर-कोचीन में एक से अधिक कारखाने हो जायेंगे। उसके सम्बन्ध में इस तथ्य को देखते हुए कुछ भी कहना

कठिन है कि त्रावणकोर-कोचीन का कारखाना हमारी सब से अधिक लागत की इकाई है। वे अभी भी शिकायत करते हैं कि उनको जितने मूल्य की अनुमति दी गई है वह पर्याप्त नहीं है यद्यपि उन्हें भाड़े के सम्बन्ध में थोड़ा-सा लाभ है। यह प्रश्न त्रावणकोर-कोचीन में कारखाना खोलने की हमारी इच्छा का नहीं है, वरन् कुछ कठिनाइयों का प्रश्न है। सम्भव है कारखाने का विस्तार हो जाये, परन्तु फिर भी उसके अधिक विकास के परिणामस्वरूप कतिपय आर्थिक हानियां होगी।

मेरे माननीय मित्र श्री वी० पी० नायर जानना चाहते थे कि अंश क्या होगा। मेरे पास अलग-अलग आंकड़े नहीं है परन्तु निस्संदेह ए० सी० सी० का अंश बढ़ेगा। वह सरकारी कम्पनी है जिस पर काफी नियंत्रण रहता है हम दाम घटा सकते हैं यदि वैसा करना आवश्यक हो। यदि हम कोई विस्तार नहीं चाहते तो दाम घटाया जा सकता है। हम मूल्य में कुछ गुंजाइश की अनुमति दे रहे हैं ताकि उनका विस्तार हो सके। जब वह ए० सी० सी० जैसी सरकारी कम्पनी हैं तो मैं नहीं समझता कि सरकार के नियंत्रण प्रयोग करने में कोई कठिनाई है। परन्तु श्री थामस ने जिस बात का उल्लेख किया वह सही नहीं है। हमारे सूची संख्या २ में से सीमेंट के हटा देने का यह अर्थ नहीं है कि हम उस पर नियंत्रण नहीं करना चाहते। बड़े पैमाने के सभी उद्योगों पर नियंत्रण किया जायगा और वे उद्योग तीसरी श्रणी में चले गये हैं। जब यह तीसरी श्रेणी में आ जाता है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगी। वह कर सकती है, परन्तु वह ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें प्रवेश करना अनिवार्य हो।

†**श्री ए० एम० थामस** : 'ख' श्रेणी में बहुत-सी चीजें सम्मिलित की गई हैं।

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : नहीं, यदि माननीय सदस्य उसको अधिक ध्यान से देखें अथवा उचित समय पर प्रश्न पूछें, तो उन्हें ज्ञात होगा कि 'ख' श्रेणी का वरण बहुत सावधानी से किया गया है ताकि सरकार आगे आने वाले समय में, हो सकता है ५ वर्ष में या १० वर्ष में, इन उद्योगों में अपना स्थान प्रमुख बना ले।

मेरे मित्र श्री बंसल ने चूने के पत्थर की उपलब्धता का प्रश्न उठाया। मैं उल्लेख कर चुका हूं कि संयंत्र की स्थिति का निर्णय करने में चूने के पत्थर की उपलब्धता भी एक सहायक तत्व है। मैंने अपने सहयोगी प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री से देश में उपलब्ध कुल चूने के पत्थर का सही निर्धारण कराने और नये क्षेत्रों की संभावनाओं की खोज कराने के लिये कहा है। इन कम्पनियों द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी से हमें कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं। मैंने आंकड़े भी उन्हें देने के लिये कह दिया है। उन्होंने उस मामले को हाथ में लेने का वचन दिया है।

मैं अपने उत्तर को एक वक्तव्य दे कर समाप्त करना चाहूंगा। हमने वितरण पर बहुत नियंत्रण करने का निश्चय किया है क्योंकि हमें दो वर्ष की अवधि को निश्चय ही, और संभवतः इस से भी अधिक समय को, पार करना है जबकि गमनागमन पर अधिक कठोर नियंत्रण रखना होगा, और संभवतः कुछ आयात भी करना होगा।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या ऐसा इसलिये है कि सरकार की यह धारणा है कि काला बाजार का बहुत बोलबाला है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : हमारे कार्य धारणाओं के आधार पर नहीं होते; हम धारणायें अन्य लोगों के लिये छोड़ देते हैं। हम कर्तव्य समझ कर ही वैसा कर रहे हैं। वह वैयक्तिक धारणा का मामला नहीं है।

†**श्री वी० पी० नायर** : तो क्या काला बाजार नहीं चल रहा है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : जैसा भी हो, निर्णय किया जा चुका है। हम जो राज्य व्यापार संगठन स्थापित कर रहे हैं वह वितरण पर उसी तरह नियंत्रण करेगा जैसे कि लोहा और इस्पात संगठन में किया जा रहा है। आयात इस संगठन के माध्यम से ही किये जायेंगे। वितरण का प्रबन्ध इस तरीके

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

से किया जायगा कि वितरण सुचारु रूप से हो सके । परन्तु साथ ही हम उस पर बिना अधिक धन खर्च किये काफी मात्रा में नियंत्रण भी रखेंगे । यह आवश्यक है ।

जहां तक मूल्य-निर्धारण का सम्बन्ध है, यदि मैं १६० लाख टन सीमेंट का उत्पादन करता हूं और मैं देखता हूं कि मांग मेरे उत्पादन के अनुरूप नहीं है तो मैं निस्संदेह मूल्य कम कर दूंगा जब तक मैं सीमेंट का उतना उत्पादन न कर सकूं, जो मांग के बराबर या उससे अधिक हो, तब तक मुझे भय है, मूल्य विनियमन ही एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम मांग का विरोध कर सकते हैं । हम केवल भावुकता के विचार से उसे छोड़ने को तैयार नहीं हैं ।

†**श्री वी० पी० नायर :** वह समाजवादी ढांचा है ।

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** समाजवाद भिन्न वस्तु है । मेरे माननीय मित्र के लिये समाजवाद सर्वाधिकारवाद है । मेरे लिये समाजवाद का अर्थ सर्वोत्तम ढंग से जनता की सेवा करना है । मैं अपने माननीय मित्र से आध्यात्मिक चर्चा नहीं करना चाहता । मेरा तो जीता-जागता संसार है जिसमें मुझे कार्य करना है और सेवा करनी है, आध्यात्म की बात नहीं करनी है । मूल्य निर्धारण के प्रश्न का निर्णय संभरण की प्रकृति के अनुसार किया जायगा । मेरे माननीय मित्र का यह कहना गलत है कि चूंकि हमने मूल्य ७१ रुपये निश्चित कर दिया है इसलिये वही मूल्य हुआ । ७१ रुपये मूल्य के अतिरिक्त ५ रुपये और कुछ पैकिंग खर्च भी है । भाड़े के सम्बन्ध में हम कुछ नियंत्रण कर सकेंगे । भाड़ा हमारे हाथ में आयेगा और उससे हम सम्भवत: जनता की अधिक अच्छी तरह से सेवा कर सकेंगे । हम एक सम मूल्य की बात सोच रहे हैं । उपलब्ध संभरण के अनुपात से समय-समय पर हमारे लिये जिस हद तक मूल्य कम करना सम्भव होगा, सरकार उतना अवश्य करेगी । जब तक हमें संभरण उपलब्ध नहीं होता मांग का विरोध करने का एक तरीका मूल्य बढ़ा देना है । मैं समझता हूं कि सरकार को इस प्रविधि का अनुसरण उन वस्तुओं के सम्बन्ध में अधिकाधिक करना चाहिये जिनका संभरण कम हो क्योंकि हम इस स्फीति प्रवृत्ति को जारी नहीं रहने देना चाहते ।

मेरे माननीय मित्र द्वारा चूने के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया गया था । राज्य द्वारा अल्पकालीन व्यवस्था की जा सकती है, परन्तु मुझे वैसा करने की कोई सुविधा नहीं है । किसी भी हालत में मैं आशा करता हूं १।।। वर्ष में मैं काफी मात्रा में संभरण कर सकूंगा । यदि आवश्यक हो तो मैं उतनी मात्रा में आयात करने को प्रस्तुत हूं जितनी आयात प्रयोजनों के लिये आवश्यक हो । मैं इतना ही कहता हूं कि हम उन लोगों की सेवा करने का प्रयत्न करेंगे जिन्हें सीमेंट की आवश्यकता है, खासकर छोटे आदमियों की, गांव के निर्धन व्यक्तियों की, जिन्हें मकान बनाने के लिये उसकी आवश्यकता है । हम यथा संभव इसका भी प्रयत्न करेंगे कि वितरण में किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण बना रहे । मैं यह तो नहीं कहता कि वह सर्वथा दोष रहित होगा, फिर भी इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए त्रुटियों को यथा संभव कम किया जायगा कि केन्द्रीय सरकार को अधिकांश कार्य राज्य सरकारों के माध्यम से ही करना होगा । यह एक बड़ा निर्णय है जो सरकार ने किया है और मैंने अपने माननीय मित्र के वाद-विवाद में इस प्रश्न के उठाने का लाभ जनता को यह सूचित करने के लिये उठाया है कि बहुत शीघ्र ही हम उस व्यवस्था की घोषणा कर सकेंगे जिसके द्वारा राज्य व्यापार संगठन सीमेंट के आयात और वितरण का नियंत्रण करेगा ।

†**श्री सी० के० नायर** (बाह्य दिल्ली) : क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है ····

†**सभापति महोदय :** अब कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता । हम पहले ही पांच मिनट अधिक ले चुके हैं ।

†**श्री सी० के० नायर :** क्या सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि कम से कम उसके वितरण का कार्य सहकारी समितियों को सौंप दिया जाय ?

†**सभापति महोदय :** यह एक सुझाव है, प्रश्न नहीं जिसको माननीय मंत्री नोट करेंगे ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, १ मई, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६]

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र २८५५

(१) विदेशियों का पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति की कतिपय घोषणायें, और

(२) जीवन बीमा निगम विधेयक पर प्रवर समिति में दिया गया साक्ष्य सभा-पटल पर रखे गये ।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २८५५

सचिव ने लोक-सभा को बतलाया कि राष्ट्रपति ने २७ अप्रैल, १९५६ को वित्त विधेयक, १९५६ पर जो संसद् की सभाओं द्वारा पारित किया गया था, अनुमति दे दी है ।

राज्य-सभा से संदेश २८५६

सचिव ने बताया कि उन्हें राज्य सभा से सन्देश प्राप्त हुआ है कि राज्य सभा ने २७ अप्रैल, १९५६ की अपनी बैठक में, लोक-सभा द्वारा २९ मार्च, १९५६ को पारित त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५६ इस सिफारिश के साथ वापस कर दिया है कि उसमें निम्न संशोधन किया जाय :

"कि पृष्ठ १ पर, खण्ड ३ के बाद, निम्न नया खण्ड रखा जाये, अर्थात् : १९५६ के अध्यादेश ४ का निरसन ।

४. त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, १९५६ इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।"

राज्य-सभा द्वारा सिफारिश के साथ वापस भेजा गया विधेयक ... २८५६

सचिव ने त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५६ की एक प्रति जिसे राज्य सभा ने एक संशोधन की सिफारिश के साथ वापस भेजा था, सभा-पटल पर रखी ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २८५६

छब्बीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना २८५६–५८

श्री नम्बियार ने युद्ध सामग्री कारखानों में असैनिक कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी होने के कारण उत्पन्न हुई स्थिति और आसन्न हड़ताल की ओर ध्यान दिलाया। इसके बारे में प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू) ने वक्तव्य दिया।

सरकार की औद्योगिक नीति ... २८५८–६५

प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य दिया जिसमें औद्योगिक नीति सम्बन्धी भारत सरकार के संकल्प का उल्लेख था।

विधेयक वापस लेने के लिये राज्य-सभा से सिफारिश २८६६–७०

राज्य-सभा द्वारा पारित मनीपुर राज्य पहाड़ी-लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९५४ को वापस लेने की राज्य सभा से सिफारिश करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पुरःस्थापित २८७०

मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों के ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

विधेयक विचाराधीन २८७०–२९१६, २९१६–१८

राज्य-सभा द्वारा पारित हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २९१६

श्री बी० जी० मेहता ने जीवन बीमा निगम विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया।

आधे घण्टे की चर्चा ... २९१८–२४

श्री वी० पी० नायर ने १०-४-१९५६ को सीमेंट के बारे में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३०३ के उत्तरों से उत्पन्न हुई बातों पर आधे घण्टे की चर्चा उठाई। इस सम्बन्ध में वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री ने वक्तव्य दिया।

मंगलवार, १ मई, १९५६ के लिये कार्यावलि––

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक पर चर्चा।

M126LSD—190—16-12-57—GIPF.